रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/98 REGISTERED NO. DL—33001/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 21, 1998 (फाल्गुन 2, 1919)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY FEBRUARY 21, 1998 (PHALGUNA 2, 1919)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

बम्बई, दिनांक 21 फरवरी 1998

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं० एफ० (8) 70/बी/5 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी 1991 के असाधारण राजपत्र सं० 67 के अन्तर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गये नियम के नियम 18 के अनुसरण दिसम्बर 1997 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गयी आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके सम्बन्ध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये सम्बन्धित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका इन प्रतिभूतियों पर किसी का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग मुंबई को संसूचित करें। सूची दो भागों में विभाजित की गयी है। भाग क में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गयी हैं और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गयी हैं।

"सूची क"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	किसके नाम से जारी की गयी	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार (रों) का/के नाम	जारी किये गये आदेश की सं० तथा तारीख
1	2	3	4	5	6
		6.50 प्रतिशत ऋण 2002 (कलकत्ता सर्कल)			
सी.ए. 000108	13,000/-	भारतीय रिजर्व बैंक	20वां अर्ध वर्ष तक का ब्याज अदा किया गया है।	न्यासी कलोराइड पेंशन फंड	फाइल सं० आइ-2523 दिनांक 26/12/97 का महा प्रबन्धक का आदेश देखिये दिनांक 26/12/97 का डी वाइ. सं० एल. सी. ओ-85 ।
सी.ए. 001300	25,000/-	भारतीय रिजर्व बैंक	20वां अर्ध वर्ष तक का ब्याज अदा किया गया है।	—वही—	—वही—
सी.ए. 001847	10,000/-	भारतीय रिजर्व बैंक	20वां अर्ध वर्ष तक का ब्याज अदा किया गया है।	—वही—	—वही—
		9 प्रतिशत राहत पत्र 1993 (नई दिल्ली)			
डी.एच. 000021	2,50,000–	रोशन लाल	जारी करने की तिथि से परिपक्वता अवधि तक	रोशन लाल	दिनांक 3/1/98 एल. एन. 15/97

"सूची ख"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	किसके नाम से जारी की गयी	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लीकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदारी (रों) का/के नाम	जारी किये गये आदेश की सं० तथा तारीख.
1	2	3	9	5	6
		राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड 'ए' श्रृंखला (बम्बई सर्किल)			
एम.एस. 001626	22 ग्राम	के. एन. गोपाल कामत	20–1–1966	डी० नरसिंह कामत	जीएम डायरी सं. 65 दि० 16–10–1997
		5 1/2 प्रतिशत ऋण 2000 (कलकत्ता सर्किल)			
सीए. 010064	रु० 25000/–	भारतीय रिजर्व बैंक	22वां अर्ध वर्ष तक का ब्याज अदा किया गया है	तांतिया चैरिटेबल ट्रस्ट	फाइल सं. आई-2526 दिनांक 5-12–97 का महा प्रबन्धक का आदेश देखिए दिनांक 5 दिसंबर 1997 का डोवाई सं० एल. सी ओ 74/97 98

एन० ए० अहले
कृते मुख्य महा प्रबन्धक

दी इंस्टीच्यूट ग्राफ कास्ट एण्ड वर्कस एकाउंटेन्ट ग्राफ इंडिया

कलकत्ता-700006, दिनांक 12 मई 1997

सं० 11-सी० डब्ल्यू० ग्रार० (163)/97—दी कास्ट एण्ड वर्कस एकाउटन्ट विनियम 1959 के नियम 11 के उप-नियम (3) का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री पी० गोपाल कृष्ण मूर्ति, बी० कॉम०, ए० सी० एम०, ए० ग्राई० सी० डब्ल्यू० ए०, प्लॉट नं० 8, न्यू नागम एस० बी० ग्राई० ग्राफिसर्स कालोनी, हैदराबाद-500380 (सदस्यता सं० 2648) के प्रैक्टिस करने का प्रदत्त, प्रमाण पत्र में उनके अनुरोध पर 1 फरवरी, 1997 से 30 जून, 1997 तक के लिए रद्द किया जाता है।

एस० ग्रार० ग्राचार्य
सचिव

दिनांक 18 जून 1997

सं० 16-सी० डब्ल्यू० ग्रार० (1222-1224)/97—कास्ट एण्ड वर्कस एकाउन्टेंटस विनियम 1959 के नियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इंस्टीच्यूट ग्रॉफ कास्ट एण्ड वर्कस एकाउन्टन्टस ग्रॉफ इंडिया के परिषद में दी कास्ट एण्ड वर्कस एकाउन्टेंटस के अधिनियम 1959 की धारा 20 के उप-धारा (1) (ए) के द्वारा दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) श्री कैलाश नाथ गुप्ता, बी० कॉम (ग्रानर्स) एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 3410, कुटब रोड सदर बाजार, दिल्ली-110006, (सदस्यता सं० 2885) 9 मई, 1997 से (2) श्री डी० डी० कुलकर्णी, एम० कॉम, ए० ग्राई० सी० डब्ल्यू० ए०, ए-203, कृष्ण कमल एच० एस० जो०, सोसी, गोविन्द नगर, मेन रोड, बोरिवली, वेस्ट मुम्बई-400092 (सदस्यता सं० 4034) 11 ग्रगस्त, 1996 से, और (3) ग्रमर नाथ ग्रधिकारी, बी० ए०, ए० ग्राई० सी० डब्ल्यू० ए०, 107/3/1 घोषपाड़ा लेन, हावड़ा-711104 (सदस्यता सं० 5238) 19 मार्च, 1997 से उनके नामों को उनके मृत्यु के कारण सदस्यता से हटा दिया है।

एस० ग्रार० ग्राचार्य
सचिव

दिनांक 24 जुलाई 1997

सं० 18-सी० डब्ल्यू० ग्रार० (319-320) दी कास्ट एण्ड वर्कस एकाउन्टेंटस विनियम 1959 के नियम 18 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दी इन्स्टीटयूट ऑफ कास्ट एण्ड वर्कस अकाउन्टेंटस ग्रॉफ इंडिया के परिषद ने कहे हुए विनियम के नियम 17 के द्वारा दिए गए शक्तियों का प्रयोग करते हुए।

(1) श्री नन्द किशोर गर्ग, एम० कॉम०, ए० ग्राई० सी० डब्ल्यू० ए०, 269, सेक्टर 11, शक्तिनगर, भोपाल-462024 (सदस्यता सं० 3023) 30 मई, 1997 से और (2) मझुसिरण दास बी० ई० ईछ ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए० 13ए जोगेश मित्र रोड, कलकत्ता-700025 (सदस्यता सं० 5042) 8 जुलाई, 1997 से के नामों को सदस्य पंजिका में पुनः स्थापित किया है।

एस० ग्रार० ग्राचार्य
सचिव

दिनांक 4 ग्रगस्त 1997

सं० 16-सी० डब्ल्यू० ग्रार० (1225-1226)/97 दि कास्ट एण्ड वर्कस एकाउन्टेंटस विनियम 1959 के नियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दि इन्सटीच्यूट ग्राफ कास्ट एण्ड वर्कस एकाउन्टेंटस ग्राफ इण्डिया के परिषद ने दि कास्ट एण्ड वर्कस एकाउन्टेंटस के अधिनियम 1959 की धारा 20 के उप-धारा (1) (ए) के द्वारा दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुये (1) श्री एच० ग्रार० श्रीनिवास, एम० ए०, एफ० सी० ए० (इंग और वाल्स) एफ० सी० ए०, ए० सी० एस०, ए० ग्राई०, सी० डब्ल्यू० ए०, सं० 88 (नया सं० 13), 2 क्रस, विक्टोरिया लेग्राउट, बंगलोर-560047 (सदस्यता सं० 327) 14 जून, 1997 से (2) श्री श्याम सुन्दर रामनाथ बंकापुर, बी० ए० (ग्रानर्स), बी० काम०, ए० ग्राई० सी० डब्ल्यू० ए०, जी 915, जन कल्याण सोसाइटी, ग्रंगुर नगर, गोरेगांव (वस्ट), मुम्बई-400090 (सदस्यता सं० 4146) 9 मई, 1997 से, उनके नामों को उनके मृत्यु के कारण सदस्य पंजिका से हटा दिया है।

एस० ग्रार० ग्राचार्य
सचिव

दिनांक 11 सितम्बर 1997

सं० 16-सी० डब्ल्यू० ग्रार० (1227-1228)/97 दि कास्ट एण्ड वर्कस एकाउन्टेन्टस विनियम 1959 के नियम 16 का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि दि इन्स्टीट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्कस एकाउन्टेन्टस ग्राफ इण्डिया के परिषद ने दि कास्ट एण्ड वर्कस एकाउन्टेटस के अधिनियम 1959 की धारा 20 के उपधारा (1) (ए) के द्वारा दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुये (1) श्री एस० महादेवन, बी० काम, एल० एल० बी०, एफ० सी० एस०, एफ० सी० ग्राई० एम०, ए० ग्राई० सी० डब्ल्यू० ए०, 64 डा० रंगाचारी रोड, ग्रभिरामपुरम, चिन्नई-600018 (सदस्यता सं० 848) 4 अप्रैल, 1997 से और (2) श्री वाई० सत्यमूर्ति, बी ए सी०, एम० बी० ए०, एफ० ग्राई० सी० डब्ल्यू० ए०, 6, साउथ वीव एपार्टस 23, गांधी सिवार्ड रोड, वाल्मिकी नगर, थिरुवानामियूर, चिन्नई-600041 (सदस्यता सं० 530) 23 जुलाई, 1997 से के नामों को उनके मृत्यु के कारण सदस्य पंजिका से हटा दिया है।

एस० ग्रार० ग्राचार्य
सचिव

दिनांक 11 सितम्बर, 1997

सं० 11-सी० डब्ल्यू० आर० (164-166)/97-वि० कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउन्टेन्टस विनियम 1959 के नियम 11 के उप-नियम (3) का अनुसरण कर यह अधिसूचित किया जाता है कि (1) श्री राजीव अग्रवाल, एम० काम०, ए० सी० एस०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, जी-62 ए, कालकाजी, नई दिल्ली-110019 (सदस्यता सं० 8231) 20 जून, 1997 से 30 जून, 1997 तक (2) श्री मिथिलेश प्रसाद निराला, बी० कॉम०, (आनर्स), एल० एल० बी०, ए० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 10/सी/1, यू० के० दत्ता रोड, दमदम कन्टोन्मेन्ट, कलकत्ता-700028 (सदस्यता सं० 13168) 30 जून, 1997 से (3) श्री पी० रामकृष्णन राजू, एम० कॉम०, एल० एल० बी०, ए० सी० एस०, ए० आई० आई० एम० एम०, एफ० आई० सी० डब्ल्यू० ए०, 102 श्री भेजन वर्क्स 8-3-222/1 अथवा ए/1, मधुरा नगर, यूसुफ गुडा मेन रोड, हैदराबाद-500038 (सदस्यता सं० 10546, 4 जुलाई, 1997 से 30 जून, 1998 तक के लिए उन लोगों के अनुरोध पर उनके प्रेक्टिस करने के प्रदत्त प्रमाण-पत्र को रद्द किया जाता है।

एस० आर० आचार्य,
सचिव

कलकत्ता-700 016, दिनांक 13 फरवरी 1998

सं. 13-सी डब्ल्यू ए/98—कास्ट तथा वर्क्स एकाउंटेंट अधि-नियम 1959 की धारा 13 की उप-धारा (1) के तहत यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री ए. एन. रामन, बी. काम एफ आई सी डब्ल्यू ए, न्यांगी 39/2 थर्ड स्ट्रीट अभिरामपुरम् चेन्नई-600 018 (सं. 5359) जो कि आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडिचेरी तथा केन्द्र शासित प्रदेश लक्ष्य द्वीप के अंतर्गत गठित इंस्टिट्यूट आफ कास्ट एण्ड वर्क्स एकाउंटेंट आफ इंडिया के दक्षिण भारत क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से तेरहवीं परिषद् (1995—1998) में चुने गए हैं, ने परिषद् की सदस्यता का त्याग दिया है। यह भारत के राजपत्र में अधि-सूचना प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

डा. डी. जगन्नाथन,
सचिव

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

कलकत्ता-700071, दिनांक 15 जनवरी, 1998

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं० 3-ई०सी०ए० (5)/3/97-98—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3-ई०सी०ए० (4)/11/86-87, दिनांक 31-3-87 और 3-ई०सी०ए० (4)/2/96-97 दिनांक 20-12-96 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है :—

क्रम सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1.	16674	श्री सेन गुप्ता कुमार शंकर, ए०सी०ए०, 11 सी, नोर्थन एवेन्यू, कलकत्ता-700037	1-4-97
2.	17230	श्री वर्मा दीपक कुमार, एफ०सी०ए०, फ्लैट नं० 401, ब्लॉक "ए", भुवनेश्वर अपार्टमैंट्स, 36, पाम एवेन्यू, कलकत्ता-700019	1-4-97
3.	54526	श्री दास रूप कुमार, ए०सी०ए०, 12 आर, टैगोर एवेन्यू, ए-जोन, दुर्गापुर-713204	1-10-96

अशोक हल्दिया,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी, 1998

सं० यू-16 (53) 1/94-चि०-2 (केरल)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम 1960 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम को शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डाक्टरों को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप-चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण क्षेत्र) द्वारा निर्धारित केरल क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण-पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण-पत्र जारी करने के

प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं :—

क्र० सं०	डाक्टर का नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
1.	डा० ए० एन० राधाकृष्णन	17-12-97 से 16-12-98	एरनाकुलम
2.	डा० वी० आर० राजम्मा	29-12-97 से 28-12-98	अलेप्पी व कोट्टायम

डा० (श्रीमती) एस० सिंह,
चिकित्सा आयुक्त

दिनांक 12 जनवरी, 1998

सं० यू-16/53/91-चि०-2 (आन्ध्र प्रदेश)—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक की निगम की शक्तियां प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024(जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा संयुक्त निदेशक, बीमा चिकित्सा सेवाएं कुड्डाप्पा को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर दिनांक 16-11-97 से 15-11-98 तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को उप चिकित्सा आयुक्त (दक्षिण-पूर्व-जोन), भुवनेश्वर द्वारा निर्धारित कुड्डाप्पा के क्षेत्रों के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हूं।

डा० (श्रीमती) एस० सिंह,
चिकित्सा आयुक्त

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी, 1998

सं० एन-15/13/16/2/94-यो० एवं वि० (2)—कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 जनवरी, 1998 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा हरियाणा कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ हरियाणा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे :—

अर्थात :

क्रम सं०	राजस्व ग्रामों का नाम	हदबस्त संख्या	जिला का नाम
1.	काबलबाग	10	पानीपत
2.	बाग शेर अफगान	13	पानीपत
3.	उग्राखेड़ी	19	पानीपत
4.	गढ़ी गारा	30	पानीपत
5.	निजामपुर	03	पानीपत
6.	भैसवाल	07	पानीपत
7.	खेड़ी नांगल	31	पानीपत
8.	सराय बछड़ा	04	पानीपत

आर० सी० शर्मा,
उप निदेशक (यो० एवं वि०)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(केन्द्रीय कार्यालय)

नई दिल्ली-66, दिनांक 24 जनवरी 1998

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम./89/भाग-1 3726—चूंकि मैं टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर- (बीआर-5) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अन्तर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात उक्तअधिनियम कहा गया है।

चूंकि मैं केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में उक्तस्थापना की लाईफ कवर स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जम./89/पार्ट-1 दिनांक 26-9-95 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं दिनांक 1-3-96 से 28-2-99 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 28-2-99 भी शामिल है।

अनुसूची-2

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसा लेखा जोखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2-क) के खण्ड के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करे।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभारों का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना को भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबन्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली किसी राशि से कम हो जाए तो रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश उस नियत तारीख के भीतर जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि वह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

डी. के. मरवाह
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मु.)

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
बीमा प्रभाग
नई दिल्ली, दिनांक फरवरी 1998

फा० सं० 2(11) इ.प्रयो०/III/97—भारतीय जीवन बीमा निगम, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 49 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) विनियम, 1960 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है :— अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) संशोधन विनियम, 1998 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) विनियम, 1960 में, विनियम 7 के उप विनियम (3) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा अर्थात् :—

"परन्तुक यह कि विकास अधिकारियों की प्रोन्नति के संबंध में निगम उनकी योग्यता अवधारित करने के लिए ऐसा मापदंड निर्धारित कर सकेगा जो विकास अधिकारियों द्वारा निष्पादित कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए वह ठीक समझे।

एम० त्रिपाठी
प्रबंध निदेशक
भारतीय जीवन बीमा निगम

पाद टिप्पण :—

मूल नियम, भारत के राजपत्र भाग 4 में तारीख 23-7-1960 की अधिसूचना के अधीन प्रकाशित किए गए थे।

वार्षिक रिपोर्ट
तथा
परीक्षित लेखा विवरण
1996–97
वास्तुकला परिषद्
(वास्तुविद अधिनियम 1972 के अधीन निगमित)
नई दिल्ली–110003, दिनांक 1998.

31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष (1–4–1996 से 31–3–1997) के लिए वास्तुकला परिषद् (वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन निगमित) की वार्षिक रिपोर्ट वास्तुकला परिषद् (वास्तुविद अधिनियम 1972 के अधीन निगमित) अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा परीक्षित लेखा विवरण प्रस्तुत करती है, जिनमें 31 मार्च 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष की कार्य प्रगति की समीक्षा दी गई है।

1. वास्तुकला परिषद्

दिल्ली में 20 नवम्बर, 1996 को वास्तुकला परिषद् की एक बैठक हुई जिसमें उसने निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए :—

1. 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तथा परीक्षित लेखा विवरण का अनुमोदन किया।

2. यह निर्णय लिया कि परिषद् की 28वीं बैठक के । संकल्प सं० 222 के उप-शीर्ष (ii) और (iii) को हटा लिया जाए जिसमें यह कहा गया है कि देश में वास्तुकला के विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए परिषद् की कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त किए जा रहे विशेषज्ञों को दिए जाने वाले रु० 500/– प्रतिदिन के मानदेय को शामिल करते हुए वास्तुकला के संकल्प, 1982 में संशोधन किया जाए।

3. यह निर्णय लिया कि मुम्बई के सर्वश्री बी० के० गुप्ता, आर० एस० चावला को प्रताड़ना दी जाए क्योंकि उन्होंने विकासाधीन प्लाट के क्षेत्रों के विषय में अपनी परियोजनाओं के लिए वास्तुकला के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए विवेकानुसार कोई निर्णय नहीं लिया।

4. सलाहकार समिति (अपील) की रिपोर्ट पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 25 (ख) के अधीन श्री पवन कुमार जैन को पंजीकृत किया जाए।

5. यह निर्णय लिया कि केन्द्रीय सरकार से इस विषय में सिफारिश की जाए कि उस प्रत्येक संस्था से जो वास्तुकला शिक्षा प्रदान करती है जिसको पूरा करने के बाद मान्यता प्राप्त अर्हताएं प्रदान की जाती हैं और जो अपना निरीक्षण करवाने की इच्छुक है उससे रु० 5000/– फीस लेने के संबंध में वास्तुकला परिषद् विनियमावली, 1982 में यथास्थान खण्ड में जोड़कर उसमें संशोधन किया जाए।

6. कार्यकारिणी समिति को "भर्ती तथा पदोन्नति विनियमावली" से संबंधित दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकृत किया।

II. कार्यकारिणी समिति

20 सितम्बर, 1996 को नई दिल्ली में और 27 फरवरी, 1997 को भी नई दिल्ली में परिषद् की कार्यकारिणी समिति की दो बैठकें हुई। उक्त बैठकों में कार्यकारिणी समिति ने निम्नलिखित विभिन्न मामलों पर सविस्तार विचार किया और परिषद् के निर्णयार्थ आवश्यक सिफारिशें कीं।

1. 31 मार्च, 1996 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखाओं की परीक्षित रिपोर्ट को परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित किया।

2. उप-प्रशासनिक अधिकारी श्री विनोद कुमार को कार्यकारी रजिस्ट्रार–सचिव के रूप में नियुक्त किया और उन्हें वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन प्रकल्पित सांविधिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान किया।

3. अनेक वर्षों से अदा न कर रहे वास्तुविदों से नवीकरण रेस्टोरेशन फीस की बहुत बड़ी मात्रा में बकाया राशि की वसूलने में स्टाफ द्वारा किए गए विशेष प्रयासों के लिए उसकी प्रशंसा की।

4. यह निर्णय लिया कि सुरेश विष्णु विजाये, रजिस्ट्रेशन सं० सीए 80/5978 के मामले को परिषद् के पास इस उद्देश्य से भेजा जाए कि वह जालसाजी और मूल पंजीकरण प्रमाण-पत्र में धोखाधड़ी करने से संबंधित उपलब्ध कागजात के आधार पर प्रथमदृष्ट्या में प्रतीत होने वाला मामला सिद्ध करे।

5. अध्यक्ष को इस संबंध में प्राधिकृत किया कि वे 5 सदस्यों की एक समिति गठित कर जिसमें आई०आई०ए० के दो नामिती शामिल हों और जिसका उद्देश्य वास्तुकलात्मक प्रतियोगिता मार्ग-निर्देशों समेत व्यावसायिक कर्म से संबंधित मौजूदा दस्तावेजों का अध्ययन करना, वास्तविकताओं तथा वर्तमान स्थितियों के अनुसार उसमें संशोधन करना हो। यह भी निर्णय लिया गया कि आदेशात्मक विनियमों को सामान्य मार्ग-निर्देशों से पृथक कर दिया जाए ताकि प्रतियोगिताओं का आयोजन परिषद् द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देशों के आदेशात्मक उपबंधों का अक्षरशः पालन करते हुए किया जा सके।

6. विभागीय पदोन्नति समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में श्री विनोद कुमार को पदोन्नति किए जाने के मामले को छोड़कर, परिषद् के कर्मचारियों की पदोन्नति अगले उच्चग्रेड में की। समिति ने रु० 2900–100–3500–125–4400 के वेतनमान में उप-प्रशासनिक अधिकारी का एक नया पद बनाने का निर्णय लिया और यह श्री विनोद कुमार को यह स्वीकार करते हुए प्रदान किया कि परिषद् में उनका दीर्घकालीन सहयोग एवं सराहनीय योगदान रहा है।

7. एक समिति गठित करने का निर्णय लिया जिसमें प्रो० एस० ए० डुंगारे तथा प्रो० गुरुनाथ वी० डाल्वी शामिल हों और जो वास्तुकला-शिक्षा की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

8. दिल्ली विश्वविद्यालय से एल०एल०बी डिग्री सफलतापूर्ण पूरी करने के लिए श्री के० गोपाल कृष्ण भट को बधाई दी।

9. यह निर्णय लिया कि परिषद को वित्तीय वर्ष 1997–98 के लिए रु० 34,20,000– (आवर्ती) तथा रु० 65000/– (अनावर्ती) बजट प्राक्कलन की सिफारिश की जाए।

10. परिषद को यह सिफारिश करने का निर्णय लिया कि वह वास्तुकला परिषद नियमावली 1973 के अधीन निर्धारित फीस का संशोधन निम्नलिखित ढंग से करे :—

(I) पंजीकरण फीस को रु० 200/– से बढ़ाकर रु० 300/– कर दिया जाए;

(II) नवीकरण फीस को रु० 100/– से बढ़ाकर रु० 200/– कर दिया जाए;

(III) निर्धारित तारीख तक नवीकरण फीस अदा न करने के कारण रेस्टोरेशन फीस को रु० 200/– से बढ़ाकर रु० 300/ कर दिया जाए; और

(IV) दूसरा प्रमाणपत्र पंजीकरण फीस को रु० 40– से बढ़ाकर रु० 100/– कर दिया जाए।

III. अनुशासन समिति

अनुशासन समिति की एक बैठक 2 नवम्बर, 1996 को मुम्बई में हुई। इस बैठक में समिति ने विस्तृत जांच-पड़ताल के लिए परिषद द्वारा भेजे गए मामलों पर विचार किया। अनुशासन-समिति ने मैसर्स श्री सोहेल एम० यू० मिस्त्री, विकास शोपी लुसियो एस० के० मिरेंडा तथा मै० वी० एस० वैद्य एंड कं० के संबंध में जांच-पड़ताल पूरी की। अनुशासन समिति बाकी उन 5 मामलों में भी जांच-पड़ताल/सुनवाई कर रही है जो उसके पास परिषद द्वारा भेजे गए हैं।

IV. आलोच्य वर्ष के दौरान परिषद को 1623 आवेदन प्राप्त हुए। वास्तुविद अधिनियम 1972 की धारा 25 (क) के अधीन 1605 और धारा 25 (ख) के अधीन 18 आवेदन प्राप्त हुए। धारा 25 (क) के अंतर्गत 1565 व्यक्तियों और धारा 25 (ख) के अधीन एक व्यक्ति का पंजीकरण किया गया है। 12 आवेदन-पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इन आवेदकों को धारा 25 (क) या 25 (ख) के अधीन पंजीकरण के लिए पात्र नहीं पाया गया। शेष आवेदन-पत्रों की छानबीन की जा रही है। आलोच्य वर्ष के दौरान पंजीकृत सभी 1566 व्यक्तियों को मूल पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किए गए। 31-3-1997 तक पंजीकृत वास्तुविदों की कुल संख्या 21290 थी।

V. नवीकरण/रेस्टोरेशन

परिषद में पंजीकृत वास्तुविदों से वास्तुविद रजिस्टर में उनके नाम बनाए रखने के लिए वार्षिक नवीकरण फीस प्राप्त हुई। परिषद ने मुंबई और आस-पास के स्थानों के वास्तुविदों से भारतीय वास्तुविद संस्थान, मुंबई और पिएटा, मुंबई में भी नवीकरण फीस एकत्र करने की व्यवस्था की। परिषद को कुछ उन वास्तुविदों से भी उनके अनुरोध पर नवीकरण फीस प्राप्त हुई जो परिषद में पंजीकृत थे।

VI. परिषद के सदस्य

आलोच्य वर्ष के दौरान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वास्तुकला परिषद के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को विधिवत नामित किया गया :—

1. श्री ए० पी० त्यागी, उत्तर प्रदेश सरकार
2. श्री गोकुल दास, उड़ीसा सरकार
3. श्री एम० बी० सक्सेना, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र
4. श्री बी० एस० बुग्गल, के० लो० नि० वि०, भारत सरकार
5. श्री ओ० पी० मल्होत्रा, हिमाचल प्रदेश सरकार
6. श्री रघुनंदन, आंध्र प्रदेश सरकार
7. श्री अशोक कुमार भार्गव, राजस्थान सरकार

इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया) ने वास्तुकला परिषद में अपने प्रतिनिधियों के रूप में श्री जी० सी० लाल, पटना और श्री एन० डी० पटेल, मुंबई को नामित किया।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) भारत सरकार ने वास्तुकला परिषद की सदस्यता के लिए अपने सदस्यों में से भारतीय वास्तुविद संस्थान द्वारा चुने गए निम्नलिखित पांच व्यक्तियों को नियुक्त किया :—

(1) वास्तुविद–माधव गणेश, मुंबई; (2) वास्तुविद-प्रेमेंद्र राज राज मेहता, नई दिल्ली; (3) वास्तुविद श्री कृष्ण लक्ष्मण चिताले, चेन्नई; (4) वास्तुविद–राजेन्द्र एल० सुतारिया, अहमदाबाद; और (5) वास्तुविद कुंजबिहारी महापात्र, कटक।

VII. देयता

परिषद की देनदारी यह है कि वह ब्याजमुक्त ऋण की प्रतिदेयता के रूप में भारत सरकार को रु०,50,000– अदा करेगी।

VIII. सीए न्यूज

आलोच्य वर्ष के दौरान वास्तुकला परिषद ने सीए न्यूज के तीन अंक प्रकाशित किए। इसका उद्देश्य सदस्यों को महत्वपूर्ण गतिविधियों से अवगत रखना था तथा संबंधित मुद्दों पर सदस्यों द्वारा अन्योन्यक्रिया करने का प्रयास करना था। ये तीनों मुद्दे

परिषद् के सदस्यों, वास्तुकला स्कूलों और लगभग 19800 रजीकृत वास्तुविदों तथा परिषद की गतिविधियों में रुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों के पास भेजे गए। अधिकांश वास्तुविदों ने "सीए न्यूज" को प्रकाशित करने में परिषद द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। परिषद ने मै० गुजरात गार्जियन लिमि० नई दिल्ली से प्रायोजकता प्राप्त की जिससे सीए न्यूज के प्रकाशन में सुविधा हुई क्योंकि परिषद अपने अल्प साधनों से इसका खर्च पूरा करने की स्थिति में नहीं थी।

IX. सी ओ ए और ए आई सी टी ई के बीच निष्पादित समझौता ज्ञापन के अधीन अखिल भारतीय वास्तुकला शिक्षा बोर्ड (ए आई सी टी ई)

सी ओ ए ने ए आई सी टी ई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत वे एक दूसरे के अधिनियमों को कार्यान्वित करने में परस्पर सहयोग करेंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने एक अखिल भारतीय वास्तुकला शिक्षा बोर्ड गठित किया है। अभातशिप के अखिल भारतीय वास्तुकला शिक्षा बोर्ड ने पूर्वस्नातक वास्तुकला शिक्षा प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों की सिफारिश की थी :—

(1) वास्तुकला अकादमी, स्कूल आफ आर्कीटेक्चर इंटीरियर डिजाइनिंग, नई दिल्ली; (2) श्री वेंकटेश्वर कालेज आफ आर्कीटेक्चर, हैदराबाद; और (3) सीएस आई इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, सिकन्दराबाद।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप) ने बोर्ड की सिफारिशों पर शैक्षिक वर्ष 1996-97 से पूर्व –स्नातक वास्तुकला शिक्षा प्रारंभ करने के उपर्युक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

28 फरवरी 1997 को नई दिल्ली में बोर्ड की एक बैठक हुई जिसमें विभिन्न मामलों पर चर्चा की गई और आवश्यकतानुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (अभातशिप) को सिफारिशें की गई।

X. वास्तुविद अधिनियम, 1972 में संशोधन

जैसा कि गत रिपोर्ट में सूचित किया गया था, वास्तुकला परिषद ने वास्तुविद अधिनियम, 1972 में संशोधन करने के सुझावों पर कार्यवाई शुरू कर दी है। एक उप-समिति गठित की गई है जो एक रिपोर्ट परिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।

XI मुकदमा

जैसा कि गत वर्ष की रिपोर्ट में सूचित किया गया था, वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 25 (ख) के अधीन पंजीकरण प्राप्त करने के लिए विभिन्न न्यायालयों में निम्नलिखित मामले निलंबित थे :

(i) सि०रि०या० सं० 414/89 जो श्री एस० पी० जैन बनाम सी०ओ०ए० द्वारा तीस हजारी न्यायालय में दायर की गई है।

(ii) सि०रि०या० 1991 जो सी०ओ०ए० के विरुद्ध श्री एस०ए० चक्रवर्ती द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर की गई है।

(iii) सी०ओ०ए० बनाम श्री आर० आर० नागपाल का मामला जो श्री भारत प्रसार, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, तीस हजारी कोर्ट दिल्ली की अदालत में दायर किया गया है।

XII पूर्णकालिक तथा अंशकालिक डिग्री पाठ्यक्रम के लिए वास्तुकला परिषद (वास्तुकला शिक्षा के न्यूनतम मानक) नियमावली

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने अपना अनुमोदन प्रदान करने के बाद पूर्णकालिक तथा अंशकालिक बी० आर्की डिग्री पाठ्यक्रम के लिए वास्तुकला परिषद द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रलेखों को भारत सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा है और उसके अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है। केंद्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद उसे राजपत्र में प्रकाशित किए जाने की कार्रवाई की जाएगी ताकि उसको लागू किया जा सके।

XIII विविध

1. वास्तुकला परिषद ने वास्तुकला के तीन स्कूलों अर्थात टी०वी०बी० स्कूल आफ हैबीटेट स्टडीज, नई दिल्ली; सुशांत स्कूल आफ आर्ट एंड आर्कीटेक्चर, सुशांत लोक गुड़गांव (हरियाणा) तथा वास्तुकला अकादमी, स्कूल आफ आर्कीटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, नई दिल्ली के लिए एक सामान्य अभिक्षमता परीक्षा सफलतापूर्वक संचालित किया। इस प्रयोजन के लिए परिषद के समस्त स्टाफ को नियुक्त किया गया और पूर्ण गोपनीयता, गुप्तता तथा निष्पक्षता बरतते हुए परीक्षण का आयोजन किया गया। हमारे प्रतिनिधि ने अभिक्षमता परीक्षण संचालित करने में पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकार की भी सहायता की।

2. परिषद ने वास्तुविदों की नियुक्तियों, कार्य की शर्तों तथा फीस-मानों आदि के संबंध में प्राइवेट, सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी संगठनों से प्राप्त अनेक पूछताछों का समाधान करना जारी रखा।

3. परिषद को सी०ओ०ए० में रजीकृत वास्तुविदों के विरुद्ध अभिकथित व्यावसायिक कदाचरण के लिए आम जनता सरकारी एजेंसियों वास्तुविदों से शिकायतें प्राप्त होती रहीं।

4. वास्तुकला परिषद ने पेशेवर इंजीनियरों, वास्तुविदों और टाउन प्लानर्स एसोसिएशन (पेएटा) के सहयोग से मुम्बई में 15 मार्च 1997 शनिवार को वास्तुविदों के लिए व्यावसायिक वृत्ति पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की।

कार्यशाला में लगभग 250 पेशेवर वास्तुविदों तथा निर्माण कार्य से संबंधित अन्य लोगों ने भाग लिया। कार्यशाला सूचनाप्रद रही और उसमें वास्तुकला पेशे में आने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया। इसके सभी सत्रों में काफी लोग उपस्थित थे और पैनल सूचियों में दर्ज बहुत सारे लोगों ने इसमें भाग लिया।

5. वास्तुकला स्कूलों का निरीक्षण

वास्तुकला परिषद की कार्यकारिणी के अध्यक्ष ने विशेषज्ञ समितियां नियुक्त कीं जिनका उद्देश्य वास्तुकला स्कूलों/वास्तुकला विभागों का निरीक्षण करना, शिक्षा से संबंधित विनियमों के अनुरूप वास्तुकला पाठ्यक्रम के संचालन तथा वास्तुकला परिषद द्वारा विहित मानकों का निर्धारण करना था। जब भी विशेषज्ञ समितियों की रिपोर्टें प्राप्त हुईं उन्हें उत्तरवर्ती कार्रवाही के लिए संबंधित प्राधिकारियों के पास अग्रेषित कर दिया गया है।

6. परिषद निम्नलिखित संगठनों के प्रति परिषद के काय के संबंध में उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं तथा परिषद/परिषद की समितियों की बैठकें आयोजित करने के लिए आभार व्यक्त करती है :

(क) भारतीय वास्तुविद संस्थान, बम्बई।

(ख) "पे एटा", बम्बई।

(ग) "इंडियन एजूकेशन सोसाइटीज कालेज आफ आर्की-टेक्चर, मुम्बई।

(घ) आवास तथा शहरी विकास निगम लिमि० नई दिल्ली।

(ङ) मैसर्स स्टेन, दोषी, मल्ला, नई दिल्ली।

7. परिषद उन सभी वास्तुकला विद्यालयों का धन्यवाद करती है जिनका निरीक्षण आलोच्य वर्ष के दौरान किया गया और जिन्होंने निरीक्षण के दौरान सहयोग प्रदान किया। परिषद उन विशेषज्ञों का भी धन्यवाद करती है जिन्होंने आलोच्य वर्ष के दौरान वास्तुकला स्कूलों का निरीक्षण किया।

8. परिषद अपने तथा अपनी समितियों उप-समितियों के निवर्तमान सदस्यों तथा विशेष आमंत्रित व्यक्तियों का अपने कार्यकाल के दौरान परिषद के कार्यों में उनके द्वारा प्रदत्त मूल्यवान सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यवाद करती है।

9. परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा-विभाग) भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली वास्तुविद अधिनियम, 1972 को लागू किए जाने के संबंध में उसके द्वारा प्रदत्त सहयोग के लिए धन्यवाद करती है।

10. परिषद अखिल भारतीय तकनीकी परिषद का भी वास्तुविद अधिनियम, 1972 को लागू करने के संबंध में उसके द्वारा प्रदत्त सहयोग के लिए धन्यवाद करती है।

11. परिषद समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मैं० रवि के० टंडन एंड कं० सनदी लेखाकार, नई दिल्ली की भी सराहना करती है।

विनोद कुमार,
कार्यकारी रजिस्ट्रार

रवि के० टण्डन एंड कं०
सनदी लेखाकार
फोन : कार्या०: 3263066,
3263197,
3253688
आवास : 4622942
रवि के० टंडन
एफ० सी० ए०, ए०एम०आई
एम०ए०
दिनांक..........

फार्म सं० 108

(देखिए नियम 17 ख)

खैराती या धार्मिक न्यास या संस्थाओं के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12-ए के अधीन लेखा-परीक्षा रिपोर्ट

हमने वास्तुकला परिषद, "इंडिया हैबीटेट सेंटर, जोन 6-ए, प्रथम तल, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 के 31 मार्च 1997 के तुलनपत्र और इसी तारीख को समाप्त वर्ष के आयव्यय लेखा की परीक्षा कर ली है। ये न्यास द्वारा रखी गई लेखा-बहियों से मेल खाते हैं।

हमने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा प्रयोजन के लिए आवश्यक थे। हमारी राय में, जहां तक इन बहियों की जांच करने से पता चलता है, वास्तुकला परिषद ने उचित लेखा बहियां रखी हुई है। हम यह टिप्पणी देते हैं :

हमारी राय में, जहां तक हमारी जानकारी है और हमें जो सूचना दी गई है उसके अनुसार उक्त लेखाओं में—

(i) 31 मार्च, 1997 को उपर्युक्त न्यास की कार्य स्थिति के तुलन-पत्र तथा

(ii) 31 मार्च, 1997 को समाप्त लेखाकरण वर्ष के व्यय से अधिक आय के आय-व्यय लेखे का उचित एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है।

विहित विवरण संलग्न है।

कृते, रवि के० टंडन एंड कं०
सनदी लेखाकार

22 जुलाई, 1997

(रवि के० टंडन)
प्रोप०

रवि के० टंडन एंड कं०
समदी लेखाकर
फोन : कार्यालय : 3263066,
3263197,
3253688
आवास : 4622942
रवि के० टण्डन
एफ०सी०ए०,
ए०एम०आई०एम०ए०
दिनांक..........

अनुलग्नक

विशिष्टियों का विवरण

प्रयोजन

I. खैराती या धार्मिक प्रयोजनों के लिए आय का उपयोग :

1. वर्ष के दौरान भारत में खैराती या धार्मिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई गत वर्ष की आय-राशि : शून्य

2. क्या न्यास/संस्थाओं ने धारा 11 (1) की व्याख्या के खंड (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है? यदि हां तो गतवर्ष के दौरान भारत में खैराती या धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त मानी गई आय राशि : शून्य

3. खैराती या धार्मिक प्रयोजनों के लिए अलग से संचित या निर्धारित अंतिम रूप से निर्धारित की गई उस सीमा तक आय राशि जो इन प्रयोजनों के लिए पूर्णतः/अंशतः न्यासाधीन धारित सम्पत्ति से प्राप्त आय के 25 प्रतिशत से अधिक न हो : शून्य

4. धारा 11 (i) (ग) के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए पात्र आय राशि : ब्यौरा दें : धारा 10 (23क) के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए न्यास की आय जिसके लिए आवेदन किया गया और अधिसूचना की प्रतीक्षा है।

5. उपर्युक्त मद 3 में उल्लिखित राशि के अतिरिक्त आय की राशि जो संचित की गई और जिसे धारा 11 (2) के अधीन विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अलग से निर्धारित किया गया। : शून्य

6. क्या उपर्युक्त मद 5 में उल्लिखित राशि का निवेश कर दिया गया है या उसे धारा 11 (2) (ख) में निर्धारित ढंग से जमा कर दिया गया है, यदि हां तो ब्यौरा दीजिए। : शून्य

7. क्या आय के किसी भाग को जिसके के विषय में किसी भी पिछले वर्ष में धारा 11(1) की व्याख्या के खण्ड (2) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया गया था, धारा (11)(1)(ख) के अधीन गत वर्ष की आय माना गया है? यदि हां, तो उसका ब्यौरा दीजिये। : शून्य

8. क्या गतवर्ष के दौरान धारा 11(2) के अधीन विशिष्ट प्रयोजनों के लिये आय के किसी भाग को संचित या अलग से निर्धारित किया गया : शून्य

(क) उसका उपयोग खैराती या धार्मिक प्रयोजनों को छोड़ कर किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिये किया गया है या उसे उपयोग के लिये संचित किया जाना या निर्धारित किया जाना बन्द कर दिया गया है, या : शून्य

(ख) धारा 11(2) (ख) (i) में निर्दिष्ट किसी प्रतिभूति में उसका निवेश या धारा 11(2)(ख)(ii) या धारा 11(2)(ख)(iii) में निर्दिष्ट किसी खाते में जमा किया जाना बन्द कर दिया गया है, या, : शून्य

(ग) क्या उसका उपयोग उन प्रयोजनों के लिये नहीं किया गया है जिसके लिए उसको उस अवधि के दौरान संचित या अलग से निर्धारित किया गया था, जिसके लिये उसके या समाप्त होने के ठीक अगले वर्ष उसे संचित या अलग से निर्धारित किया जाना था? यदि हां, तो ब्यौरा दीजिये। : शून्य

कृते रवि० के० टण्डन एंड क०
सनदी लेखाकार
(रवि० के० टण्डन)
प्रो० प०

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 22 जुलाई, 1977

II. धारा 13(2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के हितलाभ के लिये आय या सम्पत्ति का उपयोग या प्रयोग

1. क्या गतवर्ष के दौरान न्यास/संस्था की आय या सम्पत्ति का कोई भाग धारा 13(3) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति (जिसे यहां इस अनुलग्नक में "ऐसा व्यक्ति" कहा गया है) को किराये पर दिया गया था या अब भी दिया हुआ है ? यदि हां, तो राशि, लिये गये ब्याज की दर तथा प्रतिभूति के स्वरूप, यदि हां, का ब्यौरा दीजिये। : शून्य

2. क्या गतवर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति को न्यास/संस्था की कोई भूमि, भवन या अन्य सम्पत्ति, उपलब्ध कराई गई थी या उपलब्ध कराया जाना जारी रखा गया था ? यदि हां, तो सम्पत्ति और किराये की राशि तथा लिये गये मुआवजे, यदि हों, का ब्यौरा दें। : शून्य

3. क्या गतवर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति को वेतन, भत्ते के रूप में या अन्यथा कोई भुगतान किया गया था? यदि हां, तो ब्यौरा दीजिये। : शून्य

4. क्या गत वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति को न्यास/संस्था की सेवायें उपलब्ध कराई गईं थीं? यदि हां, तो प्राप्त किए गये पारिश्रमिक या मुआवजे, यदि हों, सहित उसका ब्यौरा दें। : शून्य

5. क्या गत वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति से न्यास/संस्था द्वारा या उसकी ओर से कोई शेयर, प्रतिभूती या अन्य सम्पत्ति खरीदी गई थी ? यदि हां, तो प्रदत्त प्रतिफल सहित उसका ब्यौरा दीजिए : शून्य

6. क्या गतवर्ष के दौरान ऐसे किसी व्यक्ति को न्यास/संस्था द्वारा या उसकी ओर से कोई शेयर, प्रतिभूति या अन्य सम्पत्ति बेची गई थी ? यदि हां, तो प्राप्त प्रतिफल सहित उसका ब्यौरा दें। : शून्य

7. क्या गतवर्ष के दौरान ऐसे किसी व्यक्ति के लिये न्यास/संस्था की किसी आय या सम्पत्ति का अपयोजन किया गया था ? यदि हां, तो इस प्रकार अपयोजित की गई आय की राशि या मूल्य-सहित उसका ब्यौरा दें। : शून्य

8. क्या गत वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिये न्यास/संस्था की आय या सम्पत्ति का किसी अन्य ढंग से प्रयोग या उपयोग किया गया था? यदि हां, तो ब्यौरा दें। : शून्य

III. गतवर्ष (वर्षों) के दौरान उन प्रतिष्ठानों में किसी भी समय धारित निवेश जिनमें धारा 13(3) में निर्दिष्ट व्यक्तियों का पर्याप्त हित है।

क्रम सं०	प्रतिष्ठान का नाम और पता	क्या प्रतिष्ठान कोई कम्पनी है? धारित शेयरों की संख्या और श्रेणी	निवेश का अभिहित मूल्य	निवेश से आय	क्या गत वर्ष के दौरान कालम 4 में दी गई राशि प्रतिष्ठान की पूंजी से 5 प्रतिशत अधिक है, हां या ना में उत्तर दें।
1	2	3	4	5	6
	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जोड़ :	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

कृते रवि० के० टण्डन एण्ड कं०
सनदी लेखाकार
(रवि० के० टण्डन)
भागी०

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 22 जुलाई, 1997।

रवि० के० टण्डन एण्ड कं०
सनदी लेखाकार
फोन का०: 3263066, 3263197,
3253688
नि० : 4622942
रवि० के० टण्डन,
एफ० सी० ए०, ए० एम० आई एम० ए,

दिनांक • • •

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने "वास्तुकला परिषद" इण्डिया हैबीटेट सेंटर, जोन 6-ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 के 31 मार्च, 1997 के संलग्न तुलन-पत्र और 31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा की परीक्षा उन लेखा-बहियों तथा वाउचरों से कर ली है जो हमें प्रस्तुत किए गए हैं। हम एतद्द्वारा रिपोर्ट देते हैं :-

1. हमने वह समस्त सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये आवश्यक थे;

2. हमारी राय में, जहां तक बहियों की जांच करने से पता चलता है, परिषद ने विधि की अपेक्षाओं के अनुसार उचित लेखा-बहियां रखी हुई हैं ;

3. इस रिपोर्ट में दिया गया तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा, लेख-बहियों से मेल खाता है;

4. हमारी राय में और हमें जो सूचना और स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये हैं उनके अनुसार उक्त लेखा विवरण में :—

(क) 31 मार्च, 1997 को परिषद की कार्य स्थिति से संबंधित तुलनपत्र तथा

(ख) 31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष के व्यय से अधिक आय से संबंधित आय-व्यय लेखे का उचित एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है।

कृते रवि० के० टण्डन एण्ड कं०
सनदी लेखाकार,

(रवि० के० टण्डन)
प्रोप०

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 22 जुलाई, 1997

वास्तुकला

31 मार्च, 1997 को स्थायी

क्रम सं०	विवरण	मात्रा	मूल्य ह्रास की दर	1-4-96 को ह्रासित मूल्य
1	2	3	4	5
	संयंत्र तथा मशीनें		25 प्रतिशत	
1.	टाइपराइटर	6		5781.85
2.	प्रतिलिपित्र	1		249.52
3.	पंखे	3		1249.04
4.	शीतलन प्रणाली	1		186.96
5.	हीटर	1		2.54
6.	पोस्टल फ्रेंकिंग मशीन	1		325.02
7.	पोस्टल तोल मशीन	1		10.07
8.	परिकलित्र	4		410.77
9.	अग्निशामक	8		179.36
10.	रेफ्रीजरेटर	1		696.06
11.	वोल्टाज स्टेबिलाइजर	1		60.50
12.	घड़ियां	2		126.92
13.	एग्जास्ट पंखे	2		174.03
14.	अन्य			33.12
15.	गैस सिलिंडर	1		813.76
16.	टेलीफोन इन्स्ट्रूमेंट्स	4		2100.00
17.	कम्प्यूटर	1+2		97422.50
18.	प्रिंटर	1+2		22610.00
19.	यू० पी० एस० स्टार्ट-600	1		20207.91
20.	यू० पी० एस०	1+2		7883.78
21.	प्रिंटर शेयरर युक्ति	1	12.5%	—
		जोड़		160523.67

परिषद्

परिसम्पत्तियों की अनुसूची

वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान बिक्री	31-3-97 को मूल्य	31-3-97 को मूल्यह्रास	31-3-97 को ह्रासित मूल्य
6	7	8	9	10
—	—	5781.85	1445.46	4336.40
—	—	249.52	62.38	187.14
—	—	1249.04	312.26	936.78
—	—	186.97	46.74	140.23
—	—	2.54	0.64	1.90
—	—	325.02	81.26	243.76
—	—	10.07	2.52	7.55
—	—	410.77	102.70	308.07
—	—	179.26	44.82	134.44
—	—	696.06	174.00	522.06
—	—	60.69	15.16	45.44
—	—	126.92	31.73	95.19
—	—	174.03	43.50	130.53
—	—	33.12	8.28	24.84
—	—	813.75	203.44	610.31
—	—	2100.00	525.00	1575.00
133640.50 (10/2/97 13/3/97)	—	231063.00	41060.70	190002.30
59500.00 (7/2/97 13/2/97)	—	82110.00	13090.00	69020.00
—	—	20207.91	5051.98	15155.93
40280.00 (18/12/96)	—	48163.75	7005.94	41157.81
650.00 20/3/97 (7.02.97)		650.00	81.25	568.75
234070.50	—	394594.17	69389.74	325204.43

वास्तुविद् वास्तुकला
(अधिनियम, 1972
इंडिया हैबीटैट सेंटर : जोन 6-ए, प्रथम तल,
31 मार्च, 1997

गतवर्ष	देयताएं		राशि
11296867.59	सामान्य आरक्षित निधि		
	1-4-96 को शेष	11296867.59	
	जोड़ें : व्यय से अधिक आय	833058.25	
	जोड़ें : भवन-निधि से अंतरित राशि		
48410.00	सी० ए० न्यूज़लैटर (अभिदान निधि)	--	12129925.84
	1-4-96 को शेष	48410.00	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धियां	500.00	48910.00
शून्य	भवन-निधि		
	इंडिया हैबीटैट सेंटर	--	
	घटाएं : सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित राशि	--	--
150000.00	ऋण		
	भारत सरकार से ऋण		150000.00
10304.62	अन्य देयताएं		
	संगोष्ठी (अव्ययित)		10304.62
3276.05	अव्ययित मूल्यांकन फीस		224849.05
11508858.26			12563989.51

स्थान : नई दिल्ली वास्तुकला परिषद् के लिए और उसकी ओर से
दिनांक : 22 जुलाई, 1997 अध्यक्ष कार्यकारी रजिस्ट्रार

परिषद्
के अधीन निगमित)
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
का तुलनपत्र

गतवर्ष	परिसम्पत्तियां		राशि
	स्थायी परिसंपत्तियां		
4208795.30	भवन (कार्यालय		
	आई० एच० सी० भवन काम्पलैक्स)		4208795.30
	जोड़ें : वर्ष के दौरान वृद्धियां		—
688508.67	अन्य परिसंपत्तियां		
	(संलग्न अनुसूची के अनुसार)		800390.83
शून्य	निवेश		
	भवन (आई० एच० सी० लोदी रोड,		शून्य
	नई दिल्ली में आवंटित)		
5680000.00	सावधि जमा प्रविष्टियां		6280000.00
39791.09	ऋण तथा पेशगियां		
	(अनुलग्नक "क" के अनुसार)		53717.99
	रोकड़ तथा बैंक शेष		
855883.14	भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली मेन ब्रांच		
	खाता सं० 22/65334	1181073.23	
34480.16	सिंडीकेट बैंक, सुपर बाजार, कनाट सर्कस,		
	नई दिल्ली खाता सं० 3370	31212.16	
1400.00	हाथ रोकड़	8800.00	1221085.39
11508858.26			12563989.51

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार
कृत, रवि के० टंडन एण्ड कं०
सनदी लेखाकार
ह०/- रवि के० टंडन

वास्तुकला

31 मार्च, 1997 की सावधि

	बैंक का नाम	जारी करने/ नवीकरण की तारीख	परिपक्वता की तारीख	राशि
1	2	3	4	5
टी डी ए-19-314306	स्टेट बैंक आफ इंडिया,	6-4-95	6-4-98	100000.00
टी डी ए-19-314307	नई दिल्ली मेन ब्रांच,	6-4-95	6-4-98	100000.00
टी डी ए-19-314279	पार्लियामेंट स्ट्रीट,	18-3-95	18-3-98	100000.00
टी डी ए-19-314280	नई दिल्ली	18-3-95	18-3-98	100000.00
टी डी ए-19-314294		27-3-95	27-3-98	100000.00
टी डी ए-19-314293		27-3-95	27-3-98	100000.00
टी डी ए-19-314295		27-3-95	27-3-98	100000.00
टी डी ए-19-314312		8-4-95	8-4-98	60000.00
टी डी ए-19-314398		24-4-95	24-4-97	100000.00
टी डी ए-19-314399		24-4-95	24-4-97	100000.00
टी डी ए-19-314400		24-4-95	24-4-97	100000.00
टी डी ए-25-103652		25-8-95	25-8-97	200000.00
टी डी ए-25-103653		25-8-95	25-8-97	300000.00
टी डी ए-25-103654		31-8-95	31-8-97	500000.00
टी डी ए-25-103655		31-8-95	31-8-97	500000.00
टी डी ए-25-103656		31-8-95	31-8-97	500000.00
टी डी ए-25-103657		31-8-95	31-8-97	500000.00
टी डी ए-25-103684		26-9-95	26-9-97	60000.00
टी डी ए-25-103685		26-9-95	26-9-97	60000.00
टी डी ए-25-103686		1-10-95	1-10-97	350000.00
टी डी ए-25-103687		1-10-95	1-10-97	350000.00
टी डी ए-25-103688		1-10-95	1-10-97	350000.00
टी डी ए-25-103689		1-10-95	1-10-97	350000.00
टी डी ए-25-112413		6-3-96	6-3-99	200000.00
टी डी ए-25-112414		6-3-96	6-3-99	200000.00
टी डी ए-20-632465		7-3-95	7-3-97	100000.00
एस डी ए-20-632466		7-3-95	7-3-97	100000.00
टी डी ए-29-994599		7-3-97	7-3-2000	—
टी डी ए-29-994600		7-3-97	7-3-2000	—
एस डी ए-29-435231		18-9-96	12-9-97	—
एस डी ए-29-435232		18-9-96	18-9-97	—
जोड़				5680000.00

परिषद
जमा की अनुसूची

ब्याज	ब्याज की दर	वर्ष के दौरान क्रीत/नवीकृत	वर्ष के दौरान परिपक्व	31-3-97 को
6	7	8	9	10
11000.00	11 प्रतिशत	—	—	100000.00
11000.00	11 प्रतिशत	—	—	100000.00
11000.00	11 प्रतिशत	—	—	100000.00
11000.00	11 प्रतिशत	—	—	100000.00
11000.00	11 प्रतिशत	—	—	100000.00
11000.00	11 प्रतिशत	—	—	100000.00
11000.00	11 प्रतिशत	—	—	100000.00
11000.00	11 प्रतिशत	—	—	60000.00
12000.00	12 प्रतिशत	—	—	100000.00
12000.00	12 प्रतिशत	—	—	100000.00
12000.00	12 प्रतिशत	—	—	100000.00
24000.00	12 प्रतिशत	—	—	200000.00
36000.00	12 प्रतिशत	—	—	300000.00
60000.00	12 प्रतिशत	—	—	500000.00
60000.00	12 प्रतिशत	—	—	500000.00
60000.00	12 प्रतिशत	—	—	500000.00
60000.00	12 प्रतिशत	—	—	500000.00
7000.00	12 प्रतिशत	—	—	60000.00
7200.00	12 प्रतिशत	—	—	60000.00
4200.00	12 प्रतिशत	—	—	350000.00
42000.00	12 प्रतिशत	—	—	350000.00
42000.00	12 प्रतिशत	—	—	350000.00
42000.00	12 प्रतिशत	—	—	350000.00
42000.00	12 प्रतिशत	—	—	350000.00
26000.00	13 प्रतिशत	—	—	200000.00
26000.00	13 प्रतिशत	—	—	200000.00
21840.00	10 प्रतिशत	—	100000.00	—
21840.00	10 प्रतिशत	—	100000.00	—
—		100000.00	—	100000.00
—		100000.00	—	100000.00
—		300000.00	—	300000.00
—		300000.00		300000.00
697680.00		800000.00	200000.00	6280000.00

वास्तुकला परिषद्

(वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन निगमित)

इण्डिया, हैबीटेट सटर: जोन 6 ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष का आय व्यय लेखा

गत वर्ष	विवरण	राशि	गत वर्ष	विवरण	राशि
937937.43	वेतन तथा स्थापना	924392.70		प्राप्त फीस :	
5970.00	उपदान के लिये प्रावधान	45254.00	276400.00	पंजीकरण फीस (निवल)	334000.00
112802.51	मुद्रण और लेखा सामग्री	85968.18	2049543.00	नवीकरण फीस (निवल)	1808275.00
69060.00	अधिसूचना प्रभार	—	345760.00	बहाली फीस (निवल)	263550.00
80034.81	डाक शुल्क (नेट)	64486.60	6520.00	दूसरा पंजीकरण पत्र शुल्क (निवल)	7880.00
93172.00	यात्रा भत्ता	86311.00	60.00	अतिरिक्त अर्हता फीस	50.00
30400.20	सवारी भाड़ा प्रभार	35832.50	455.00	अन्य फीस	—
34648.50	टेलीफोन व्यय (निवल)	52909.50	75152.00	प्रवेश परीक्षा प्रशिक्षे परीक्षा (फीस तथा व्यय (निवल)	89516.50
1548.37	सफाई सामग्री	1050.25	102950.00	डाइरेक्टरी का मुद्रण तथा व्यय (निवल)	74561.82
17263.60	अल्पाहार प्रभार	20305.00	9620.00	वास्तुविद निर्देशिका की बिक्री	—
15652.56	बिजली प्रभार	29741.00	1220.00	पैकिंग तथा अग्रेषण प्रभार (निवल)	—
2067.00	बिजली के औजार	2442.50	5790.00	प्रकाशनों की बिक्री	7350.00
21274.62	विविध व्यय (निवल)	537.65	519579.00	सावधि जमा पर ब्याज (सकल)	697680.00
—	किराया	—	43304.30	सी० ए. न्यूजलैटर्स (विज्ञापन तथा व्यय (निवल)	7644.20
32300.00	विधिक प्रभार	16690.00	—	मैडम भीकाजी काम भवन में बिल्डिंग की बिक्री से लाभ	—
4000.00	लेखा परीक्षा प्रभार	4500.00			
6094.15	समाचार-पत्र तथा पत्र-पत्रिकायें	5342.60			
1210.00	कार्यालय की पुस्तकें	2104.00			
15821.00	मरम्मत तथा अनुरक्षण	26172.80			
183039.00	आयकर (ए० वाई० 1997-98)	332348.00			
8691.00	बीमा की कीस्तें	10022.00			

—	सी० ए० न्यूजलैटर (निवल)	—		
2455.50	बैंक कमीशन (निवल)	1748.00		
2500.00	परामर्श फीस	—		
—	वास्तुविदों की डाइरेक्टरी (विज्ञापन तथा मुद्रण)	—		
—	प्रदत्त दलाली	—		
—	मानदेय	2790.00		
—	निरीक्षकों को मानदेय	12000.00		
—	कार्यालय अनुरक्षण	3521.75		
114.00	सफाई सामान	—		
67920.00	विज्ञापन प्रभार	11121.00		
200009.00	अनुरक्षण प्रभार	325000.00		
24908.00	संपत्ति कर	232670.00		
56188.96	स्थाई परिसंपत्तियों पर मूल्य ह्रास (चार्ट के अनुसार(	122188.24		
1459280.09	सामान्य आरक्षित निधि में अन्तरित व्यय से अधिक आय	833058.25		
3486353.30		3290507.52	3486353.30	3290507.52

वास्तुकला परिषद् के लिये
और उसकी ओर से

ह०/—
अध्यक्ष

ह०/—
कार्यकारी रजिस्ट्रार

हमारी इसी तारीख की अलग से रिपोर्ट के अनुसार
कृते, रवि टण्डन एण्ड कं०
सनदी लेखाकार

दिनांक : 22 जुलाई, 1997
स्थान : नई दिल्ली

वास्तुकला परिषद

31 मार्च 1997 को स्थाई परिसंपत्तियों की सूची

क्रम सं०	विवरण	मात्रा	मूल्य ह्रास की दर	1-4-96 को ह्रासित मूल्य	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान बेची गई	31-3-97 को को कुल मूल्य	31-3-97 को को मूल्यह्रास	31-3-97 को को ह्रासित मूल्य
1.	फर्नीचर और जुड़नार								
1.	स्टील अल्मारी	7	10%	1275.82	—	—	1275.82	127.58	1148.24
2.	फाइलिंग केबिनेट	8		2230.84	—	—	2230.84	223.08	2007.76
3.	टेबुलर टेबिल	13		37443.17	—	—	37443.17	3744.32	33698.85
4.	कुर्सियां	50		113619.76	—	—	113619.76	11361.98	102257.78
5.	स्टील सेफ (बाक्स)	1		97.06	—	—	97.06	9.71	87.35
6.	स्टील रैक	10		1806.42	—	—	1806.42	180.64	1625.78
7.	कोलैप्सीबुल गेट	2		427.82	—	—	427.82	42.78	385.04
8.	स्टील स्टैंड	1		118.53	—	—	118.53	11.85	106.68
9.	स्टील स्टूल	1		32.88	—	—	32.88	3.18	29.60
10.	पर्दे			448.28	—	—	448.28	44.83	403.45
11.	अन्य			145.35	—	—	145.35	14.54	130.81
12.	जुड़नार			40223.36	—	—	40223.36	4022.34	36201.62
13.	जुड़नार			920.30	—	—	920.30	92.03	828.27
14.	जुड़नार			4423.72	—	—	4423.72	442.37	3981.85
15.	जुड़नार			50908.60	—	—	50908.60	5090.86	45817.74
16.	जुड़नार			15091.70	—	—	15091.70	1509.17	13582.53
17.	विस्टावेनेशन ब्लाइंड्स	16		16082.26	—	—	16082.26	1608.23	14474.03
18.	राइटिंग डेस्क	17		101590.72	—	—	101590.72	10159.07	91431.65
19.	साइड यूनिट	7		66116.96	—	—	66116.96	6611.70	59505.26
20.	दराज बक्स	14		26068.00	—	—	26068.00	2607.00	23461.00
21.	सिंक कैबिनेट	1		5852.00	—	—	5852.00	585.00	5257.00
22.	लो हाई पार्टीशन	1		43061.35	—	—	43061.35	4306.14	38755.21
				527984.90	—	—	527984.90	52798.50	475186.40
	कुल जोड़ "क"+"ख"			688508.57	234070.50	—	922579.07	122188.24	800390.83

वास्तुकला परिषद के लिये और उसकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 22 जुलाई 1997

ह०/—
अध्यक्ष

ह०/—
कार्यकारी रजिस्ट्रार

कृते, रवि के० टण्डन एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
रवि के० टंडन प्रोप०

रवि० के० टण्डन एण्ड कं०
सनदी लेखाकार,
फोन : का० 3263066, 3263197
3253688
नि० 4622942

रवि० के० टण्डन,
एफ० सी० ए, ए० एम० आई
एम० ए०,
दिनांक............

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

हमने "अखिल भारतीय वस्तुकला शिक्षा बोर्ड', इण्डिया हैबीटेट सेंटर, जोन 6ए, प्रथम तल, लोदी रोड़, नई दिल्ली–110003 के संलग्न तुलन पत्र की लेखा परीक्षा उन लेखा बहियों और वाउचरों से कर ली है जो हमें प्रस्तुत किये गये है। हम रिपोर्ट देते हैं :—

1. हमने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिये आवश्यक थे;

2. हमारी राय में, जहां तक बहियों की जांच करने से पता चलता है "वास्तुकला परिषद" ने "अखिल भारतीय वास्तुकला शिक्षा बोर्ड" के लिये विधि की अपेक्षाओं के अनुसार उचित बहियां रखी हुई हैं;

3. उक्त रिपोर्ट में दिया गया तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा, लेखा लेखाबहियों से मेल खाता है;

4. हमारी राय में और हमें जो सूचना और स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये गये हैं उनके अनुसार उक्त लेखा विवरण में, जहां तक 31 मार्च, 1997 को कार्यस्थिति के तुलन-पत्र का सम्बन्ध है, उचित एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है।

22 जुलाई, 1997

कृते
रवि० के० टण्डन एण्ड कं०
सनदी लेखाकार
रवि० के टण्डन
प्रोप०,

वास्तुकला परिषद

(वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन निर्धमित)

इण्डिया हैबीटेट सेंटर जोन 6–ए प्रथम तल लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

31 मार्च, 1997 को अखिल भारतीय वास्तुकला बोर्ड का तुलन-पत्र

गत वर्ष	देयतायें	राशि	गत वर्ष	परिसम्पत्तियां	राशि
207815.88	सामान्य आरक्षित निधि			स्थाई परिसम्पत्तियां	
	स्थाई परिसम्पत्तियों से अन्तरित राशि	204539.83	204539.83	(सूची "क" के अनुसार)	154640.47
	जोड़ें : प्राप्ति तथा अदायगी		3286.05	अव्ययित शेष	
	लेखे से अग्रानीत शेष	174949.69		वास्तुकला परिषद से अन्तरित शेष	224849.05
207815.88		379489.52	207815.88		399489.52

ए० आई० बी० ए० ई० के लिये और उसकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक 22 जुलाई, 1997

ह०/—
अध्यक्ष

ह०/—
सदस्य सचिव

इसी, तारीख को हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार
कृते, रवि के० टण्डन एण्ड कं०
सनदी लेखाकार
रवि० के० टण्डन
प्रोप०

वास्तुकला परिषद्

इंडिया हैबीटेट सेन्टर : जोन 6-ए, प्रथम तल : लोदी रोड, नई दिल्ली-110003

अखिल भारतीय वास्तुकला शिक्षा बोर्ड

वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान प्राप्त फीस

तारीख	रसीद संख्या	विवरण	सकल राशि
8 अप्रैल	रसीद संख्या ए-12651	अपीजे एजूकेशनल सोसायटी, 54, तुगलकाबाद इन्स्टीट्यूशनल एरिया, मेहरौली, बदरपुर रोड, नई दिल्ली-110068	25,000.00 करोड़
	रसीद संख्या ए-12643	श्री भगवान महावीर जैन शिक्षा तथा सांस्कृतिक न्यास, 285, एम्बरी मेन्शन्स, दूसरा तल, बंगलौर	25,000.00 करोड़
12 अप्रैल	रसीद संख्या ए-12716	पिछड़ा वर्ग युवा राहुल समिति, राजविला खालसा रोड, नागपुर	25,000.00 करोड़
26 अप्रैल	रसीद संख्या ए-12943	चर्च आफ साउथ इण्डिया डाइओसेसन आफिस, ओल्ड लांसर लाइन्स, सिकन्दराबाद	25 000.00 करोड़
8 मई	रसीद सं० ए-13060	मराठा मण्डल 1007 नई मारुति एक्सटेंशन पुलिस परेड ग्राउन्ड के सामने बेलगांव	25 000.00 करोड़
13 मई	रसीद सं० ए-13112	सुरभि एजूकेशनल सोसाइटी, 86, माधपुर जुबली हिल्स आर० आर० जिला हैदराबाद	25 000.00 करोड़
24 मई	रसीद सं० ए-13248	मालेकावती एजूकेशनल ट्रस्ट नं० 9, डा० तिरुमूर्ति नागर मेन रोड, नुगमबक्कम चेन्नई	25,000.00 करोड़
5 जुलाई	रसीद सं० ए-13821	डी वाई० पाटिल कालेज पिंपरी	25,000.00 करोड़
15 जुलाई	रसीद सं० ए-13878	सामाजिक शिक्षा, वास्तुकला अकादमी सिक्यूलर हाऊस 9/1 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अरुणा आसफ अली मार्ग नई दिल्ली-110067	25,000.00 करोड़
05 दिसम्बर	रसीद सं० ए-15411	के० एल० एस० गोगटे प्रौद्योगिक संस्थान उद्यान बाग बेलगाँव	25,000.00 करोड़
18 दिसम्बर	रसीद सं० ए-15651	माडल शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, बी० सी० रोड जम्मू	25,000.00 करोड़
26 दिसम्बर	रसीद सं० ए-15869	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज हमीरपुर (हि० प्र०),	25,000.00 करोड़
3 मार्च	रसीद सं० ए-18559	अजय बिनय प्रौद्योगिकी संस्थान, पीलू मोदी वास्तुकला कालेज, कटक	25,000.00 करोड़
		जोड़ :	रु० 325,000.00 करोड़

वास्तुकला परिषद्
(वास्तुविद अधिनियम, 1972 के अधीन निगमित)
इण्डिया हैबीटेट सेंटर : जोन 6-ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली
अखिल भारतीय वास्तुकला शिक्षा बोर्ड 31-3-97 को प्राप्तियां और अदायगियां

गत वर्ष	प्राप्तियां	राशि	गत वर्ष	अदायगियां	राशि
33515.45	अथशेष	3276.05		पूंजीगत व्यय	—
75000.00	मूल्यांकन फीस (सूची "ख" के अनुसार)	325000.00		मूल्यांकन व्यय	
25804.00	यात्रा भत्ता (ए० आई० सी० टी० ई० द्वारा प्रतिपूर्ति)	—	21417.00	वेतन और स्थापना	31570.00
			36504.00	मानदेय	—
			15167.00	सवारी भाड़ा प्रभार	4018.60
			16588.00	यात्रा व्यय	23078.00
			18378.40	मुद्रण तथा लेखन सामग्री	8560.50
			—	सेवा अनुरक्षण प्रभार	—
			—	डाकशुल्क	—
			4190.00	जलपान प्रभार	2151.00
			1695.00	बिजली प्रभार	—
			7327.00	टेलीफोन व्यय	22358.00
			170.00	जनरेटर अनुरक्षण	1500.00
			—	लेखापरीक्षा शुल्क	—
			—	बिजली का सामान	—
			5846.00	मरम्मत और अनुरक्षण	11191.50
			1200.00	परामर्श फीस	—
			1261.00	चिकित्सा व्यय	—
			3276.00	तुलन पत्र में अग्रेनीत	224849.05
134319.45		328276.05	194319.45		328276.05

ए० आई० बी० ए० ई० के लिये और उसकी ओर से

ह०/— अध्यक्ष ह०/— सदस्य-सचिव

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार

कृते, रवि० के० टन्डन एण्ड कं०
सनदी लेखाकार

(रवि० के० टन्डन)
प्रो० पा०

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22 जुलाई, 1997

वास्तुकला परिषद्

(वास्तुविद् अधिनियम 1972 के अधीन निगमित)

इण्डिया हैबीटेट सेंटर, जोन 6-ए, प्रथम तल लोदी रोड, नई दिल्ली-3

अखिल भारतीय वास्तुकला शिक्षा बोर्ड, 31 मार्च, 1997 को प्राप्ति तथा अदायगी लेखा

गत वर्ष	विवरण	राशि	गत वर्ष	विवरण	राशि
21417.00	वेतन तथा स्थापना	31570.00	33515.45	मूल्यांकन फीस का गत वर्ष का अव्ययित शेष	3276.00
36504.00	मानदेय	—	75000.00	मूल्यांकन फीस (सूची "ख" के अनुसार)	325000.00
16585.00	यात्रा भत्ता	22078.00	25804.00	यात्रा भत्ता (ए आई सी टी ई द्वारा प्रतिपूर्तित)	—
15167.00	सवारी यात्रा भत्ता	4018.00	63073.36	सामान्य आरक्षित निधि में अग्रेनीत शेष	—
7327.00	टलीफोन व्यय	22358.00			
18378.40	मुद्रण तथा लेखन-सामग्री	8560.50			
5646.00	मरम्मत और अनुरक्षण	11191.50			
4190.00	जलपान प्रभार	2151.00			
--	विविध व्यय	—			
270.00	जनरेटर अनुरक्षण	—			
—	सेवा अनुरक्षण	—			
1695.00	बिजली प्रभार	—			
1500.00	लेखा परीक्षा शुल्क	1500.00			
—	विजली का सामान	—			
1261.00	चिकित्सा व्यय	—			
1200.00	परामर्श फीस	—			
66349.40	मूल्यह्रास	49899.36			
--	सामान्य आरक्षित निधि में अग्रेनीत शेष	174949.69			
197392.80		328276.05	197392.80		328276.05

ए० आई० बी० ए० ई० के लिये और उसकी ओर से

ह०/—अध्यक्ष

ह०/— सदस्य सचिव

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार

कृते रवि० के० टण्डन एण्ड कं०

सनदी लेखाकार

(रवि० के० टण्डन,)

प्रोप०

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22 जुलाई, 1997

सूची "क"

वास्तुकला

(वास्तुविद अधिनियम, 1972

अखिल भारतीय वास्तुकला शिक्षा बोर्ड—
परिलब्धियां

विवरण	मात्रा	मूल्य ह्रास की दर	1-4-96 को ह्रासित मूल्य
उपस्कर			
1. आटोमेटिक प्लेन पेपर का पियर	1	25 प्रतिशत	9900.00
2. स्टेबिलाइजर	1		3203.44
3. डेजर्ट कूलर	1		1012.50
4. जनरेटर	1		6440.62
5. अभिकलित्र	1		180.56
6. इलेक्ट्रिक टाइप राइटर	1		4218.75
7. प्रिन्टर	1		7382.81
8. कम्प्यूटर	1		19743.75
9. फैक्स मशीन	1		16242.19
10. लैमीनेशन मशीन	1		23667.00
11. बाइंडिंग मशीन	1		14088.75
12. एंटी वाइरस पैकेज	1		1122.00
		जोड़ 'क'	196302.37
फर्नीचर और जुड़नार			
1. मेज	2	10 प्रतिशत	3341.25
2. कुर्सी	6		2114.34
3. लकड़ी के रैक	2		1066.29
4. ट्राली	1		124.74
5. स्टील स्टूल	1		176.98
6. पैड लैम्प और टेबुल लैम्प	2		1413.86
		जोड़ 'ख'	8237.46
		कुल जोड़ 'क' + 'ख'	204539.83

परिषद्

के अधीन निगमित)

31 मार्च 1997 को स्थायी

की सूची

वर्ष के दौरान वृद्धियां	कटौतियां	जोड़	मूल्यह्रास	31-3-1997 को ह्रासित मूल्य
—	—	99000.00	24750.00	74250.00
—	—	3203.44	800.86	2402.00
—	—	1012.50	253.13	759.37
—	—	6440.62	1610.16	4830.46
—	—	180.56	45.14	135.42
—	—	4218.75	1054.69	3164.06
—	—	7382.81	1845.70	5537.11
—	—	19743.75	4935.94	14807.81
—	—	16242.19	4060.55	12181.64
—	—	23667.00	5916.75	17750.25
—	—	14088.75	3522.19	10566.56
—	—	1122.00	280.50	841.40
—	—	196302.37	49075.61	147226.76
—	—	3341.25	334.13	3007.12
—	—	2114.34	211.43	1902.91
—	—	1066.29	106.63	959.66
—	—	124.74	12.47	112.27
—	—	176.98	17.70	159.28
—	—	1413.86	141.39	1272.47
—	—	8237.46	823.76	7413.71
—	—	204539.83	49898.36	154640.47

ए० आई० सी० ए० ई० के लिए और उसकी ओर से

रवि के० टंडन एण्ड कं०
सनदी लेखाकार
फोन : का०: 3263066, 3263197, 32253688
नि०: 4622942
रवि के० टंडन
एफ० सी० ए०, ए० एम० आई० एम० ए०
दिनांक . . . .

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

हमने "वास्तुकला परिषद्" "अंशदायी भविष्य निधि लेखा" इंडिया हैबीटेट सेंटर, जोन 6-ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 के संलग्न तुलन-पत्र और उस लेखाबहियों तथा वाउचरों की लेखापरीक्षा कर ली है जो हमें प्रस्तुत किए गए हैं। हम रिपोर्ट देते हैं :—

1. हमने वह समस्त सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

2. हमारी राय में जहां तक बहियों की जांच करने से पता चलता है, "वास्तुकला परिषद्-अंशदायी भविष्य निधि लेखा" ने विधि की अपेक्षाओं के अनुसार उचित लेखा बहियां रखी हुई हैं;

3. तुलन-पत्र लेखाबहियों से मेल खाता है; और

4. हमारी राय में और हमें जो सूचना और स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए हैं उनके अनुसार उक्त लेखा विवरण में, जहां तक 31 मार्च 1997 को कार्य स्थिति के तुलन-पत्र का संबंध है, उचित एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है।

कृते, रवि के० टंडन एंड कं
सनदी लेखाकार
(रवि के० टंडन)
प्रो०

22 जुलाई, 1997

वास्तुकला

(31 मार्च, 1997 को विकास नकदी प्रमाण-पत्र अनुसूची

बी० सी० सी० नं०	बैंक का नाम	जारी करने/नवीकरण की तारीख	परीपक्वता की तारीख
एफ-192509	सिंडीकेट बैंक, सुपर बाजार, कनाट सर्कस, नई दिल्ली	15-4-93	15-4-96
एफ-192510	-वही-	15-4-93	15-4-96
एफ-192512	-वही-	13-4-93	13-4-96
एफ-192513	-वही-	13-4-93	13-4-96
एफ-192514	-वही-	1-4-93	1-4-96
एफ-192515	-वही-	1-4-93	1-4-96
एफ-192516	-वही-	1-4-93	1-4-96
572413	-वही-	1-4-96	1-7-98
572414	-वही-	1-4-96	1-7-98
572415	-वही-	1-4-96	1-7-98
572469	-वही-	13-4-96	13-7-98
572470	-वही-	14-4-96	13-7-98
एसडी-ए-24-801216	भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली मेन ब्रांच, संसद मार्ग,	2-5-95	2-5-97
एसडी-ए-24-801217	-वही-	2-5-95	2-5-97
टीडी-ए-25-103867	-वही-	27-10-95	27-10-97
टीडी-ए-25-103868	-वही-	27-10-95	27-10-97
एसडी-ए-29-444040	-वही-	27-3-97	27-6-2000
एसडी-ए-29-444041	-वही-	27-3-97	27-6-2000
एसडी-ए-29-444042	-वही-	27-3-97	27-6-2000

परिषद्

(अंशदायी भविष्य निधि) लेखा

	1-4-1996 को राशि	ब्याज	वर्ष के दौरान खरीदे गए/नवीकृत	वर्ष के दौरान परिपक्व हुए	31-3-97 को राशि
	21300.00	8194.00	—	21300.00	—
	21300.00	8194.00	—	21300.00	—
	36000.00	13849.00	—	36000.00	—
	36000.00	13849.00	—	36000.00	—
	35800.00	13772.00	—	35800.00	—
	35800.00	13772.00	—	35800.00	—
	35800.00	13772.00	—	35800.00	—
	—	—	50000.00	—	50000.00
	—	—	50000.00	—	50000.00
	—	—	50000.00	—	50000.00
	—	—	50000.00	—	50000.00
	—	—	50000.00	—	50000.00
जोड़ "क"	222000.00	85402.00	250000.00	222000.00	250000.00
	20000.00	—	—	—	20000.00
	20000.00	—	—	—	20000.00
	25000.00	—	—	—	25000.00
	25000.00	—	—	—	25000.00
	—	—	40000.00	—	40000.00
	—	—	40000.00	—	40000.00
	—	—	40000.00	—	40000.00
जोड़ "ख"	90000.00	—	120000.00	—	210000.00
कुल जोड़ "क"+"ख"	312000.00	85402.00	370000.00	222000.00	460000.00

वास्तुकला परिषद् के लिए और उसकी ओर से

ह०/—
अध्यक्ष

ह०/—
कार्यकारी रजिस्ट्रार

वास्तुकला परिषद्—

(वास्तुविद अधिनियम, 1972 के

इण्डिया हैबीटैट सेंटर, जोन 6-ए, प्रथम तल, :

31 मार्च, 1977

गतवर्ष	देयताएं		राशि
299559.00	वास्तुकला परिषद :		
	अं० भ० नि० अंशदान	299559.00	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान अंशदान	19087.00	
	जोड़ें : आरक्षित निधि से अन्तरित अं० भ० नि० अंशदान पर ब्याज	35596.00	354242.00
		278056.00	
278056.00	अं० भ० नि० अभिदान		
	जोड़ें : वर्ष के दौरान अभिदान	19996.00	
	जोड़ें : अं० भ० नि० पेशगी पर ब्याज	822.00	
	जोड़ें : अं० भ० नि० अभिदान (आरक्षित निधि से अन्तरित) पर ब्याज	31408.00	
		330232.00	
	घटाएं : वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	62317.00	267668.00
423149.71	आरक्षित निधि :		
	अथशेष	423149.71	
	जोड़ें : बचत बैंक लेखा पर ब्याज	3923.00	
	जोड़ें : सावधि जमा पर ब्याज	83075.00	
	जोड़ें : विशेष जमा योजना पर ब्याज	75095.00	
		585242.71	
	घटाएं : अंशदान में अन्तरित अं० भ० नि०	35596.00	
	अभिदान पर ब्याज	31408.00	521238.71
1000764.71			1143145.71

वास्तुकला परिषद के लिए और उसकी ओर से

ह०/—
जे० आर० भल्ला
अध्यक्ष

ह०/—
कार्यकारी रजिस्ट्रार

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22 जुलाई, 1997

अंशदायी भविष्य निधि लेखा
प्रधीन निगमित)
लोदी रोड, नई दिल्ली—110003
को तुलन—पत्र

गत वर्ष	परिसम्पत्तियां		राशि
222000.00	निवेश		
222000.00	सिंडीकेट बैंक में सावधि जमा प्राप्तियां		25000.00
90000.00	भारतीय स्टेट बैंक में		210000.00
17604.00	ऋण तथा पेशगियां अंशदायी भविष्य निधि से पेशगी		6996.00
	रोकड़ तथा बैंक शेष सिण्डीकेट बैंक— एस० बी० खाता सं० 30554	9562.71	
	स्टेट बैंक आफ इन्डिया मेन ब्रांच, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली एस० बी० खाता सं० 807/803	26587.00	36149.71
640000.00	विशेष जमा योजना भारतीय स्टेट बैंक में (एस० डी० खाता सं० 56)		609000.00
1000764.71			1143145.71

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार
कृते, रवि के० टण्डन एण्ड कम्पनी,
सनदी लेखाकार

ह०/-
(रवि के० टण्डन)
प्रोप०

वास्तुकला
(वास्तुविद् अधिनियम,
इण्डिया हैबीटेट सेंटर : जोन 6–ए, प्रथम तल :
अंशदायी भविष्य निधि : 31 मार्च, 1997 को समाप्त

गत वर्ष	प्राप्तियां		राशि
	अर्थ शेष		
11332.71	सिंडीकेट बैंक खाता सं० 30554		9314.71
9759.00	भारतीय स्टेट बैंक में खाता सं० 807/803		21846.00
	अंशदान		
19063.00	कर्मचारियों का अभिदान		19996.00
18602.00	परिषद् का अंशदान		19087.00
12175.00	पेशगी वसूली		16608.00
114189.00	सावधि जमा पर ब्याज		
	वर्ष के दौरान प्राप्त (सकल)	8540[illegible].00	
	बैंक द्वारा ब्याज पर टीडीएस की वापसी	673.00	86075.00
5450.00	बचत बैंक खाते पर ब्याज		3923.00
831.00	अं० भ० नि० पेशगी पर ब्याज		822.00
244100.00	सावधि जमा (वर्ष के दौरान परिपक्व)		222000.00
48759.00	विशेष जमा योजना पर ब्याज		75095.00
—	अं० भ० नि० अभिदान पर ब्याज		31408.00
—	अं० भ० नि० के अंशदान पर ब्याज		35596.00
484260.71			535770.71

वास्तुकला परिषद् के लिए और उसकी ओर से

स्थान : नई दिल्ली — ह०/– (जे० आर० भल्ला) अध्यक्ष — ह०/– कार्यकारी रजिस्ट्रार

दिनांक : 22 जुलाई, 1997

टिप्पणी : *भुगतानों में स्थागत देने के बाद अप्रतिदेय आहरित राशि के रु० 55000/– और अदायगी के रु० 7617/– शामिल हैं।

परिषद्
1972 के अधीन निगमित)
लोदी रोड, नई दिल्ली
वर्ष के लिए प्राप्ति और अदायगी लेखा

गत वर्ष	अदायगियां		राशि
90000.00	सावधि जमा		
	वर्ष के दौरान खरीदी गई नवीकृत		370000.00
	*वर्ष के दौरान की गई अदायगी		62617.00
13100.00	प्रदत्त अं० भ० नि० पेशगी		—
350000.00	विशेष जमा योजना		—
31160.70	रोकड़ तथा बैंक शेष सिंडिकेट बैंक में खाता सं० 30554	9562.71	
	भारतीय स्टेट बैंक में खाता सं० 807/803	26587.00	36149.71
	अं० भ० नि० अभिदान लेखा		
—	अं० भ० नि० अभिदान पर ब्याज		31408.00
—	अं० भ० नि० अंशदान लेखा		
—	अं० भ० नि० अंशदान पर ब्याज		35596.00
484260.71			535770.71

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार
कृते रवि के० टण्डन एण्ड कं०
सनदी लेखाकार
ह०/-
रवि के० टण्डन
प्रोप०

वास्तुकला परिषद्

(अंशदायी भविष्य निधि लेखा)

(वास्तुविद्, अधिनियम, 1972 के अधीन निगमित)

31 मार्च, 1997 के अं० भ० नि० से पेशगी का ब्यौरा

कर्मचारी का नाम	राशि
श्री विनोद कुमार	190.00
श्री बलराज कुमार	शून्य
श्री राजकुमार ओबराय	4725.00
श्री मालवर सिंह	2081.00
जोड़	6996.00

वास्तुकला परिषद् के लिये और उसकी ओर से

ह०/-	ह०/-
(जे० आर० भल्ला)	(विनोद कुमार)
अध्यक्ष	कार्यकारी रजिस्ट्रार

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

"हमने वास्तुकला परिषद् कर्मचारी ग्रुप उपदान योजना" इंडिया हैबीटेट सेंटर, जोन 6-ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 के 31 मार्च, 1997 को संलग्न तुलन-पत्र की लेखापरीक्षा उन लेखा बहियों और वाउचरों से कर ली है जो हमें प्रस्तुत किए गए हैं। हम रिपोर्ट देते हैं :—

1. हमने वह समस्त सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;
2. हमारी राय में, जहां तक बहियों की जांच करने से पता चलता है वास्तुकला परिषद् कर्मचारी ग्रुप उपदान योजना ने विधि की अपेक्षाओं के अनुसार उचित लेखा बहियां रखी हैं;
3. उक्त रिपोर्ट में दिया गया तुलन-पत्र और प्राप्ति तथा अदायगी लेखा" लेखा बहियों से मेल खाता है;
4. हमारी राय में और हमें जो सूचना और स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए गए हैं उनके अनुसार उक्त लेखा विवरण में, जहां तक 31 मार्च, 1997 को कार्यस्थिति के तुलन-पत्र का सम्बन्ध है, उचित एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है।

कृते, रवि के० टंडन एण्ड कं०

सनदी लेखाकार

दिनांक 22 जुलाई, 1997

ह०/-

(रवि के० टंडन)

प्रोप०

वास्तुकला परिषद् कर्मचारी

(न्यास विलेख तथा न्यास नियमावली दिनांक 10 फरवरी, 1995

इण्डिया हैबीटेट सेंटर : जोन 6-ए, प्रथम तल : लोदी रोड,

31 मार्च, 1997 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति

गत वर्ष	प्राप्तियां		राशि
	प्रथशेष		
8586.67	सिंडीकेट बैंक में	1636.67	
57448.00	जीवन बीमा कम्पनी में ग्रुप अनुदान योजना	63418.00	
550.00	बचत बैंक पर ब्याज	105.00	
—	सावधि जमा पर ब्याज	—	
—	सावधि जमा (वर्ष के दौरान परिपक्व)	—	
			65159.67
5970.00	उपदान निधि		
	वर्ष के दौरान अंशदान (प्रति प्रविष्टि के अनुसार)		45254.00
72554.67			110413.67

वास्तुकला परिषद् कर्मचारी ग्रुप उपदान योजना के लिए और उसकी ओर से

दिनांक : 22 जुलाई, 1997	ह०/-	ह०/-
स्थान : नई दिल्ली	(जे० आर० भल्ला)	(के० गोपाल कृष्ण भट्ट)
	अध्यक्ष : न्यासी	सचिव : न्यासी

ग्रुप उपदान योजना
के अनुसार सृजित)
नई दिल्ली–110003
तथा अदायगी लेखा

गत वर्ष	अदायगियां		राशि
	उपदान निधि		
—	वर्ष के दौरान की गई अदायगिया		9713.00
	सावधि जमा		
7500.00	वर्ष के दौरान खरीदी गई		
	अन्तशेष		
1636.67	क्रीकेट बैंक में		2216.67
63418.00	जीवन बीमा कम्पनी में ग्रुप उपदान योजना	63418.00	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान अंशदान (प्रति प्रविष्टि के अनुसार)	45254.00	
		108672.00	
	घटाएं : वर्ष के दौरान आहरित राशि	10188.00	98484.00
72554.67			110413.67

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार

कृते, रवि के० टण्डन एण्ड कं०
सनदी लेखाकार
ह०/–
(रवि के० टण्डन)
प्रोप०

वास्तुकला परिषद् कर्मचारी
(न्यास विलेख तथा न्यास नियमावली दिनांक
इंडिया हैबीटेट सेंटर, : जोन 6-ए,
31 मार्च, 1997

गत वर्ष	देयताएं		राशि
72554.67	उपदान निधि		
	अर्थशेष	72554.67	
	जोड़ें : वर्ष के दौरान अंशदान	45254.00	
		117808.67	
	जोड़ें : बचत बैंक खाते पर ब्याज	105.00	
		117913.67	
	घटाएं : वर्ष के दौरान	9713.67	308200.67
72554.67			108200.67

वास्तुकला परिषद् के कर्मचारी ग्रुप उपदान योजना के लिए और उसकी ओर से

दिनांक : 22 जुलाई, 1997
स्थान : नई दिल्ली

ह०/-
(जे० आर० भल्ला)
अध्यक्ष-न्यासी

ह०/-
(के० गोपाल कृष्ण भट)
सचिव-न्यासी

ग्रुप उपदान योजना
10 फरवरी, 1995 के अनुसार सृजित)
प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली–3
को तुलन-पत्र

गत वर्ष	परिसंपत्तियां		राशि
7500.00	निवेश सिंडीकेट बैंक में सावधि जमा सं० जी 746713 (13–7–95 से 19–7–95 तक)		7500.00
	रोकड़ तथा बैंक शेष		
1636.67	सिंडीकेट बैंक बचत बुक खाता सं० 3584	2216.67	
63418.00	ग्रुप उपदान योजना जीवन बीमा कंपनी में	98484.00	100700.00
72554.67			108200.67

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार

कृते, रवि के० टंडन एंड कं०
सनदी लेखाकार
ह०/–
(रवि के० टण्डन)
प्रोप०

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
मुंबई, दिनांक 15 दिसम्बर 1997

यूटी/डीबीडीएम/आर० 59/एसपीडी/97–98—दिनांक 28 जून, 1997 के भारत के राजपत्र (भाग III खण्ड–4) में पृष्ठ संख्या 2041 से 2050 पर प्रकाशित दिनांक 28 दिसम्बर, 1996 की अधिसूचना सं० यूटी/डीबीडीएम /आर–1064/एसपीडी/96–97 के शुद्धि पत्र एवं दिनांक 27 नवम्बर, 1996 की अधिसूचना सं० यूटी/डीबीडी एम/आर–08/एसपीडी/89–ए/96–97 के शुद्धि-पत्र में निम्नलिखित सुधार करें।

ए० जी० जोशी
महाप्रबंधक
(व्यवसाय विकास एवं विपणन विभाग)

मैंड मास्टर यूनिट योजना—1993

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	स्तम्भ सं०	मद सं०	सुधार
1.	2043	4	—	27वीं पंक्ति में मद सं० '(ज)' को मद सं० '(झ)' से सुधारें ।
2.	2043	4	—	42वीं पंक्ति में मद सं० XVI लिखें ।
3.	2043	5	—	42वीं पंक्ति में वाक्य में से '( )' के चिह्न को हटाएं ।

मास्टर इक्विटी प्लान

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	स्तम्भ सं०	मद सं०	सुधार
1.	2046	4	—	37वीं पंक्ति में मद सं० 'VI (3) VII' को मद सं० 'VI(3)' से सुधारें ।
2.	2047	3	—	4थी पंक्ति में स्तम्भ सं० '1' को स्तम्भ सं० '2' से सुधारें ।
3.	2047	3	—	5वीं पंक्ति में स्तम्भ सं० '2' को स्तम्भ सं० '1' से सुधारें ।

प्राइमरी इक्विटी फंड

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	स्तम्भ सं०	मद सं०	सुधार
1.	2049	—	—	34वीं पंक्ति में शीर्षक 'पूंजीवृद्धि यूनिट योजना 1992 (मास्टर गेन 1992)' एवं तालिका के उप-शीर्षक को हटाएं ।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुंबई, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997

सं०यू०टी०/डी०बी०डी०एम०/एस०पी०डी०/97-98 आर०-58—दिनांक 26 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र (भाग III खण्ड-4) में पृष्ठ संख्या 2205 से 2232 पर प्रकाशित दिनांक 24 जून, 1997 की अधिसूचना सं०यू०टी०/डी०बी०डी०एम०/एस०पी०डी०-96/96-97आर०-224 एवं अधिसूचना सं०यू०टी०/डी० बी०डी० एम०/एस० पी० डी० 93/आर०-223/96-97/ में निम्नलिखित सुधार करें ।

ए० जी० जोशी,
महाप्रबन्धक,
(व्यवसाय विकास एवं विपणन)

यू०टी०आई०-इंडेक्स इक्विटी फंड

क्र० सं०	पृष्ठ सं०	स्तम्भ सं०	मद सं०	सुधार
1	2	3	4	5
1.	2216	2	6	39वीं पंक्ति में शब्द 'अनुबवध' को 'अनुबंध' से सुधारें ।
2.	2217	1	7	23वीं पंक्ति में शब्द 'उधीन' को 'अधीन' से सुधारें ।
3.	2217	2	8(1)(i)	24वीं पंक्ति में शब्द 'ड्राफ्ठ' को 'ड्राफ्ट' से सुधारें ।
4.	2218	2	8(3)	8वीं पंक्ति में शब्द 'पूंजी' को 'पंजी' से सुधारें ।
5.	2219	2	13	14वीं पंक्ति में शब्द 'छ:मा' को 'छ:माह' से सुधारें ।
6.	2219	2	15	45वीं पंक्ति में शब्द 'मत' को 'मृत' से सुधारें ।
7.	221	1	20(3)	1ली पंक्ति में शब्द 'यूनिटधारक (क)' को 'यूनिटधारक (को)' से सुधारें ।
8.	2221	1	20(3)	2री पंक्ति में शब्द 'परिणामस्वारूप' को 'परिणामस्वरूप' से सुधारें ।

1	2	3	4	5
9.	2223	2	25	5वीं पंक्ति में शब्द 'अधिकार' को 'अधिकार' से सुधारें ।
10.	2223	2	25	5वीं पंक्ति में शब्द 'न्यायालय' को 'न्यायालय' से सुधारें ।
11.	2224	1	28	34वीं पंक्ति में शब्द 'से' को 'ने' से सुधारें ।
12.	2224	1	29	41वीं पंक्ति में शब्द 'परीक्षित' को 'परीक्षित' से सुधारें ।
13.	2224	1	29	44वीं पंक्ति में शब्द 'पोर्टफोलियो' को 'पोर्टफोलियो' से सुधारें ।
14.	2227	1	—	23वीं पंक्ति में शब्द 'कार' को 'करार' से सुधारें ।
15.	2227	2	—	1ली पंक्ति में शब्द 'खण्डों' को 'फण्डों' से सुधारें ।
16.	2230	2	—	11वीं पंक्ति में से शब्द 'आर' को निकालिए ।
17.	2230	2	—	16वीं पंक्ति में शब्द 'अतिरिक्त' को 'आरक्षित' से सुधारें ।
18.	2230	3	—	17वीं पंक्ति का आंकड़ा '0.97' को '—0.97' से सुधारें ।
19.	2230	7	—	17वीं पंक्ति का आंकड़ा '0.03' को '—0.03' से सुधारें ।
20.	2230	5	—	22वीं पंक्ति का आंकड़ा '9.24' को '9.25' से सुधारें ।
21.	2230	5	—	28वीं पंक्ति का आंकड़ा '0.56' को '0.58' से सुधारें ।
22.	2231	3	—	13वीं पंक्ति में खालीस्थान की जगह आंकड़ा '16.74' दर्शाएं ।
23.	2231	3	—	19वीं पंक्ति में खाली स्थान की जगह आंकड़ा '12.84' दर्शाएं ।
24.	2231	8	—	18वीं पंक्ति में खाली स्थान की जगह आंकड़ा '16.70' दर्शाएं ।
25.	2231	8	—	19वीं पंक्ति में खाली स्थान की जगह आंकड़ा '12.34' दर्शाएं ।
26.	2231	3	—	23वीं पंक्ति का आंकड़ा '17.77' को '17.17' से सुधारें ।

मुद्रा बाजार म्यूचुएल फंड

क्र० सं०	पृष्ठ सं०	स्तम्भ सं०	मद सं०	सुधार
1.	2207	2	2(16)	38वीं पंक्ति में शब्द 'स्त्रीलिंग' को 'स्त्रीलिंग' से सुधारें ।
2.	2210	2	15(5)	9वीं पंक्ति में शब्द 'यद' को 'यदि' से सुधारें ।
3.	2210	2	15 (2)(2)(क)	44वीं पंक्ति में शब्द 'किो' को 'किए' से सुधारें ।
4.	2212		14(क)	29वीं पंक्ति में वाक्य 'कार्य करने होने' को 'कार्य पूरा होने' से सुधारें ।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुंबई दिनांक 26 दिसम्बर, 1997

सं०यू०टी०/डी०बी०डी०एम०/आर०-60/एस०पी०डी०/97-98—दिनांक 30 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र (भाग III खण्ड-4) में पृष्ठ संख्या 2764 से 2766 पर प्रकाशित दिनांक 05 अगस्त, 1997 की अधिसूचना सं० यू०टी०/डी०बी०डी०एम०/आर०-4/एस०पी०डी०/710/97-98 के शुद्धि-पत्र में निम्नलिखित सुधार करें ।

ए० वी० जोशी,
महाप्रबंधक,
(व्यवसाय विकास एवं विपणन)

मासिक आय यूनिट योजना, 1997

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	स्तम्भ सं०	मद सं०	सुधार
1.	2765	5	16	13वीं पंक्ति में संख्या '20' को '28' से सुधारें ।
2.	2765	5	21	20वीं पंक्ति में संख्या '28' को '48' से सुधारें ।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुंबई, दिनांक 28 दिसम्बर, 1997

सं० यू टी/डी बी डी एम/आर-93/एस पी डी/97-98—दिनांक 23 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र (भाग III खण्ड-4) में पृष्ठ संख्या 2625 से 2657 पर प्रकाशित दिनांक 24 जुलाई, 1997 की अधिसूचना सं० यू टी/डीबीडीएम/एस पी डी-71 क्यू/आर 2/96-97 में निम्नलिखित सुधार करें।

ए० जी० कोसी

महाप्रबंधक

(व्यवसाय विकास एवं विपणन विभाग)

शुद्धिपत्र

मासिक आय प्लान 1997 (III)

	पृष्ठ सं०	स्तम्भ सं०	क्रम सं०	सुधार
1.	2625	2	--	4थी पंक्ति में शब्द 'सेबी' को 'सेबी' से सुधारें।
2.	2625	2	--	4थी पंक्ति में शब्द 'अनुमोदित' को 'अनुमोदित' से सुधारें।
3.	2625	2	--	4थी पंक्ति में शब्द 'अनुमोदित' को 'अननुमोदित' सुधारें।
4.	2628	1	II(ब)	21वीं पंक्ति में शब्द 'शामित' को 'शामिल' से सुधारें।
5.	2629	1	6	17वीं पंक्ति में शब्द 'मार्किटिंग' को 'मार्केटिंग' से सुधारें।
6.	2629	2	6 (iv)	10वीं पंक्ति में शब्द संख्या '1.25 को 1.25% से सुधारें।
7.	2630	2	7(3)	27वीं पंक्ति में शब्द 'प्राप्त' को 'प्राप्त' से सुधारें।
8.	2630	2	7(3)	30वीं पंक्ति में शब्द 'सन्तुष्टि' को 'संतुष्टि' से सुधारें।
9.	2631	1	8	2री पंक्ति में शब्द 'सुचना' को 'सूचना' से सुधारें।
10.	2631	1	9(2)	46वीं पंक्ति में शब्द 'विविध' को 'विधिवत' से सुधारें।
11.	2631	2	9(2)	6वीं पंक्ति में शब्द 'पूर्व' को पूर्व से सुधारें।
12.	2631	2	9(4)	32वीं पंक्ति में शब्द 'यूनि एक्र' को 'यूनिट' से सुधारें।
13.	2633	1	XIV	16वीं पंक्ति में शब्द 'विनियम' को 'विनिमय' से सुधारें।
14.	2635	2	XX (1)	19वीं पंक्ति में शब्द 'तथ' को 'तथा' से सुधारें।
15.	2637	1	XX (8)	3री पंक्ति में शब्द 'बावजूद' को 'बावजूद' से सुधारें।
16.	2640	2	XII (ङ)	39वीं पंक्ति में शब्द 'परिपक्वपक्वता' को 'परिपक्वता' से सुधारें।
17.	2641	1	XII (च) (ii)	10वीं पंक्ति में शब्द 'भें' को 'में' से सुधारें।
18.	3641	1	12(ट) (i)	38वीं पंक्ति में शब्द 'बाह्य' को 'बाह्य' से सुधारें।
19.	2641	1	XIII	46वीं पंक्ति में शब्द 'काईह सन्दे' को 'कोई संदेह' से सुधारें।
20.	2641	2	XVI (iii)	32वीं पंक्ति में शब्द 'उल्लिखित मुलभूत विशिष्टताओं को 'उल्लिखित मूलभूत विशिष्टताओं' से सुधारें।
21.	2641	2	--	41वीं पंक्ति में शब्द 'कानुनों' को 'कानूनों' से सुधारें।
22.	2641	2	--	41वीं पंक्ति में शब्द 'कानुनों' को 'कानूनों' से सुधारें।
23.	2642	1	--	11वीं पंक्ति में शब्द 'युनिटों' को 'यूनिटों' से सुधारें।
24.	2642	1	--	14वीं पंक्ति में शब्द 'स्त्रोत' को 'स्रोत' से सुधारें।
25.	2642	1	--	18वीं पंक्ति में वाक्य 'देय आय कर 15% को' 'देय आय पर कर 15%' से सुधारें।
26.	3642	1	--	18वीं पंक्ति में शब्द 'स्त्रोत पर आय कर' को 'स्रोत पर कर' से सुधारें।
27.	2642	1	--	21वीं पंक्ति में शब्द 'स्त्रोत' को 'स्रोत' से सुधारें।

क्र० सं०	पृष्ठ सं०	स्तम्भ सं०	मद सं०	सुधार
28	2642	1	--	22वीं पंक्ति में शब्द 'क्षाय' को 'श्राय' से सुधारें।
29	2642	1	--	23वीं पंक्ति में शब्द 'स्त्रोत' को 'स्रोत' से सुधारें।
30	2642	1	--	28वीं पंक्ति में शब्द 'यु टी श्राई' को 'यू टी श्राई' से सुधारें।
31	2642	1	--	29वीं पंक्ति में शब्द 'स्त्रोत' को 'स्रोत' से सुधारें।
32	2642	1	--	35वीं पंक्ति में शब्द 'स्त्रोत' को 'स्रोत' से सुधारें।
33	2642	1	--	36वीं पंक्ति में शब्द 'स्त्रोत' को 'स्रोत' से सुधारें।
34	2642	1	--	39वीं पंक्ति में शब्द 'स्त्रोत' को 'स्रोत' से सुधारें।
35	2642	1	--	43वीं पंक्ति में शब्द 'स्त्रोत' को 'स्रोत' से सुधारें।
36	2642	2	--	9वीं पंक्ति में शब्द 'स्त्रोत' को 'स्रोत' से सुधारें।
37	2642	2	--	29वीं पंक्ति में शब्द 'प्वाइंट' को 'पाइंट' से सुधारें।
38	2643	2	--	24वीं पंक्ति में संख्या '16363' को '15363' से सुधारें।
39	2647	3	--	3री पंक्ति में संख्या '13' को '13% से सुधारें।
40	2647	3	--	40वीं पंक्ति में दिनांक '28-2-98*' में से संकेतक '*' को हटाइये।
41	2656	1	--	37वीं पंक्ति में शब्द 'मुंबई-400002' को मुंबई-400092' से सुधारें।
42	2657	1	--	30वीं पंक्ति में शब्द 'भुवनेश्वर: ओ सी एच बी बिल्डिंग को 'भुवनेश्वर; ओ सी एच सी बिल्डिंग ' से सुधारें।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुंबई, दिनांक 28 दिसम्बर, 1997

सं० यू टी/डी बी डी एम आर-93 एस पी डी 52/97 98--दिनांक 23 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र (भाग III खण्ड-4) में प्रकाशित दिनांक 24 जुलाई 1997 की अधिसूचना सं० यू टी/डी बी डी एम/आर-2/एस पी डी-52/97-98 में निम्नलिखित सुधार करें।

ए० जी० जोशी
महाप्रबंधक
(व्यवसाय विकास एवं विपणन विभाग)

शुद्धि-पत्र

यूनिट संबद्ध बीमा प्लान 1971

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	स्तम्भ सं०	मद सं०	सुधार
1.	2624	5	नया मद/जोड़ दिया जाए	निम्नलिखित को पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (ख) में दूसरे वाक्य के रूप में जोड़ दिया जाए--- 'नाबालिग भागीदारी का पात्र है, यदि उसकी अपनी नियमित श्राय हो'
2.	2625	1	मद सं० 3	मद सं० 3 को हटा दिया जाए।
3.	2625	1	मद सं० 4	पहली पंक्ति में संख्या "8,500" को "6,000/-" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।
4.	2625	1	मद सं० 4(क)	पहली पंक्ति में संख्या "67,500" को "9,000/-" से प्रतिस्थापित किया जाए।
5.	2625	1	मद सं० 4(ख)	पहली पंक्ति में संख्या "67,500" को "69,000/-" से प्रतिस्थापित किया जाए।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुंबई, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997

यूटी/डी बीडीएम/आर–97/एसपीडी 57/97–98—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाए गए ओम्नी यूनिट प्लान 1991 के प्रावधानों में संशोधन, जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 की धारा 21 के अंतर्गत बनाए गए ओम्नी-यूनिट योजना 1991 के संबंध में है और जिन्हें 18 नवम्बर 1997 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

ए० जी० जोशी
महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

अनुबंध

ओम्नी यूनिट योजना 1991 के प्रावधानों में संशोधन

(1) 'परिभाषा' से संबद्ध खंड II के उपखंड खक) में निम्नलिखित जोड़ा जाता है :

"अनिवासी भारतीय (एन आर आई)" का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अनिवासियों से है। जैसा कि मूलतः अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित है, किसी भी व्यक्ति को "भारतीय मूल का व्यक्ति" माना जाएगा यदि वह या उसके माता–पिता या पितामह–पितामही में से कोई भी, श्रेणी अथवा पूर्वज के रूप में कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे पितृपक्ष या मातृपक्ष से हो, भारत में जन्मा हो/जन्मी हो।

2. 'यूनिटों के लिए आवेदन' शीर्षक से संबद्ध खंड IV उपखंड (4) में से 'सभी मामलों में आवेदन किए गए यूनिटों की संख्या 100 के गुणकों में होगी' हटाया जाता है।

3. 'यूनिटों के लिए आवेदन' शीर्षक से संबद्ध खंड IV के उपखंड (6) में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित फार्म में किए जाएंगे और न्यूनतम निवेश एवं गुणकों में निवेश, यदि कोई हो, उस योजना/प्लान के अनुरूप होना चाहिए जिसमें व्यक्ति भाग लेना चाहता है।

4. 'यूनिटों के लिए आवेदन' शीर्षक से संबद्ध खंड IV के उपखंड (7) के दूसरे वाक्य में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम–तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो और आवेदन ट्रस्ट को ड्राफ्ट जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाए।

5. 'यूनिटधारक की मृत्यु या दिवालियापन' से संबद्ध खंड XIV में एक नया उपखंड (5) जोड़ा जाता है :

अनिवासी यूनिटधारक (यूनिटधारकों) की मृत्यु के मामले में यूनिटों को पुनर्खरीद आय अनिवासी नामिती या वैध उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) को भेजी जा सकती है, बशर्ते

(क) यूनिट भारत के बाहर से भेजी गई निधियों से भारत में स्थित अनिवासी (ई) खाते में रखी निधियों से या एफसी एन आर जमा से प्राप्त आय से खरीदे गए हों, और

(ख) नामिती भारत से बाहर रह रहा हो/वैध उत्तराधिकारी भारत से बाहर रहते हों।

अनिवासी नामिती या वैध उत्तराधिकारी के मामले में जहां यूनिट एन आर ओ खाते में रखी निधियों से खरीदे गए हों पुनर्खरीद आय भारत से बाहर भेजे जाने योग्य नहीं होगी। दावे के ऐसे मामलों, जहां नामांकन के समय नामिती निवासी था और उसके बाद अनिवासी हो गया, आय विप्रेषण की विधि के लिए आर बी आई को संदर्भित करना होगा।

6. 'आय वितरण' शीर्षक से संबद्ध खंड XVIII के पहले वाक्य में इस प्रकार संशोधन किया जाता है :

ट्रस्ट द्वारा वितरित की जाने वाली आय की दर, बैंक दर से दो प्रतिशत बिंदु घटाकर होगी।

ओम्नी यूनिट योजना 1991 के प्रावधानों में संशोधन

(1) 'पात्रता' से संबद्ध खंड 1 में निम्नलिखित को उपखंडों के रूप में जोड़ा जाता है.

(घ) अनिवासी वयस्क व्यक्ति एकल या दूसरे व्यक्ति के साथ संयुक्त/दोनों में से कोई एक या उत्तरजीवी आधार पर।

(ङ) नाबालिग अनिवासी की ओर से पिता/माता/सौतेले माता–पिता में वैध अभिभावक।

2. 'प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य' शीर्षक से संबद्ध खंड 2 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य 10/– रुपए होगा। न्यूनतम निवेश एवं गुणकों में निवेश, यदि कोई हो, उस योजना/प्लान के अनुरूप होगा, जिसमें व्यक्ति हिस्सा लेना चाहता है।

3. 'भुगतान' शीर्षक से संबद्ध खंड 3 के उपखंड (क) चौथे वाक्य में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम–तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो और आवेदन ट्रस्ट को ड्राफ्ट जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाए।

4. 'व्यक्ति की मृत्यु' शीर्षक से संबद्ध खंड 8 में एक नया उपखंड (घ) जोड़ा जाता है :

'इस प्लान के अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, यूनिट की पुनर्खरीद से प्राप्त आय को अनिवासी नामिती या वैध उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को भेजी जा सकती है, बशर्ते

(क) यूनिट भारत के बाहर से भेजी गई निधियों से भारत में स्थित अनिवासी (ई) खाते में रखी निधियों से या एफसी एन आर जमा से प्राप्त आय से खरीदे गए हों, और

(ख) नामिती भारत से बाहर रह रहा हो/वैध उत्तराधिकारी भारत से बाहर रहते हों।

अनिवासी नामिती या वैध उत्तराधिकारी के मामले में जहां यूनिट एन आर ओ खाते में रखी निधियों से खरीदे गए हों पुनर्खरीद आय भारत से बाहर भेजे जाने योग्य नहीं होगी। दावे के ऐसे मामलों, जहां नामांकन के समय नामिती निवासी था और उसके बाद अनिवासी हो गया, आय विप्रेषण की विधि के लिए आर बी आई को संदर्भित करना होगा।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुंबई, दिनांक 5 जनवरी, 1998

यूटी/डीबीडीएम/आर–96 एस पी डी–89–सी/97–98–भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनायी गयी संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 (II) (आई आई एस एफ यू एस 97 (II) का पेशकश दस्तावेज जिसे 30 सितम्बर 1997 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

ए० जी० जोशी,
महाप्रबंधक
व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 (II) [आई आई एस एफ यू एस 97 (II)]

पेशकश दस्तावेज

पेशकश 24 नवंबर 1997 से 7 जनवरी 1998 तक खुली रहेगी

यह यूनिट योजना यूटी आई के न्यासी मंडल द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अनुसरण में बनायी गयी है।

प्लान के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्युच्युअल फंड) विनियम 1996 के अनुसार तैयार किए गए हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अनुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है।

योजना का उद्देश्य

यह एक पांच वर्षीय नियत कालीन आयोन्मुख योजना जिसमें एन वी आधारित मूल्य पर योजना में निर्गम किया जा सकता है। यह योजना संस्थागत निवेशकों के लिए है जो किसी विशिष्ट योजना में प्रचुर धन का निवेश करना चाहते हैं।

विशिष्टताएं

- न्यूनतम निवेश दस लाख रुपये और अधिकतम कोई सीमा नहीं। यूनिटों का अंकित मूल्य 10/- रुपये है।
- यह धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों सहित पात्र न्यासों, समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समितियों, अन्य किन्हीं निकाय जो धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए राज्य या केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या नियंत्रित हों, सेना, वायुसेना, नौसेना अर्धसैनिक फंड और अन्य किसी संस्था/निगमित निकाय (कंपनियों को शामिल करते हुए)/सरकारी उपक्रमों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों और अन्य वाणिज्यिक बैंकों साझीदारी फर्मों के लिए खुली है।
- ट्रस्ट योजना के सभी पांचों वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर देय 12.75% प्र० व० की दर से सुनिश्चित आय अदा करेगा। आश्वासित प्रतिलाभ देने में कोई कमी पड़ने की स्थिति में उसे विकास प्रारक्षित निधि से पूरा किया जाएगा।
- प्रचलित एनएवी पर (बिना किसी बिक्री भार के) आय का पुनर्निवेश करने का विकल्प उपलब्ध है।
- योजना की यूनिटें योजना के आरंभ होने की तिथि से छः महीनों के भीतर एन एस ई के थोक ऋण खंड पर सूचीबद्ध की जाएंगी।
- योजना के आरंभ होने की तिथि से तीन वर्षों के बाद अर्थात् 1 फरवरी, 2001 से एनएवी आधारित मूल्य पर पुनर्खरीद की अनुमति होगी।
- यह गारंटी दी जाती है कि योजना में निवेशित पूंजी परिपक्वता पर सुरक्षित रहेगी अर्थात् यूनिटों का विमोचन सममूल्य से नीचे नहीं होगा। समयपूर्व पुनर्खरीद की कोई गारंटी नहीं दी जाती है और ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य प्रचलित एनएवी पर आधारित होगा।

  आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईए के अन्तर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर से छूट।

जोखिम के तत्व

- समयपूर्व पुनर्खरीद के लिए पूंजी को सुरक्षा प्रदान करने की कोई गारंटी नहीं है और ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य प्रचलित एनएवी पर आधारित होगा।
- योजना के यूनिटों में निवेश पर बाजार का जोखिम होता है और योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का ऊपर या नीचे जाना योजना के पोर्टफोलियो पर बाजार की शक्तियों के प्रभाव पर निर्भर करता है।
- ट्रस्ट के पहले की योजनाओं/प्लानों का कार्य निष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है।
- संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997 (II) केवल योजना का नाम है और यह किसी भी प्रकार से योजना की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है। निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि इस योजना में निवेश करने से पहले पेशकश की शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।

प्रबंधन के विचार से जोखिम के तत्व

ट्रस्ट 33 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और इसने 5 करोड़ से अधिक निवेशकों से लगभग 58,000 करोड़ रूपये की निधियों प्रबंधन में निपुणता हासिल की है। पिछले वर्षों की आश्वासित प्रतिलाभ योजनाओं के आश्वासित प्रतिलाभ के भुगतान में यूटीआई कभी असफल नहीं हुआ है। यूटीआई, भविष्य में ऐसे आश्वासित प्रतिलाभ के भुगतान के लिए संसाधनों की पर्याप्ता के बारे में संतुष्ट है।

यू० टी० आई० की स्थापना

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देना तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होने वाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता करना था। ट्रस्ट ने 1 जुलाई, 1964 से काम करना आरंभ किया था।

यू० टी० आई० का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। बोर्ड के अलावा एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी शामिल हैं। यह समिति मंडल की कार्य-क्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर विचार करने के लिए सक्षम है।

न्यासी मंडल

1.	श्री जी० पी० गुप्ता	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2.	डा० पी० जे० नायक	कार्यपालक न्यासी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
3.	श्री आर० वी० गुप्ता	उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक
4.	श्री एस० एच० खान	अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
5.	श्री एन० एम० सेखसरिया	प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेंट लि०
6.	श्री पी० आर० खन्ना	सनदी लेखाकार
7.	श्री जी० कृष्णामूर्ति	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
8.	श्री एम० एस० वर्मा	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
9.	श्री एन० वाधूल	अध्यक्ष, आई० सी० आई० सी० आई० लि०
10.	श्री रशीद जिलानी	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक

योजना की विशेषताओं का विवरण नीचे दिया गया है :

I. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरंभ :

(i) यह योजना संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1997(II) [आई० आई० एस० एफ० यू० एस० 1997(II)] कही जाएगी।

(ii) यह 24 नवम्बर, 1997 को आरंभ होगी।

(iii) यह योजना पांच वर्षो की अवधि के लिए अर्थात् 1 फरवरी, 1998 से 31 जनवरी, 2003 तक होगी।

(iv) यूनिटों की बिक्री 24 नवम्बर, 1997 से 7 जनवरी, 1998 तक 45 दिनों के लिए होगी। बशर्ते यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टाक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक-आर्थिक कारण होने पर अखबारों में 7 दिनों की नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा यूनिट ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं।

II. परिभाषाएं :

इस योजना में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :

(1) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;

(2) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है;

(3) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना में शामिल होने के लिए पात्र है और योजना के खण्ड IV के अंतर्गत आवेदन करता हो।

(4) "पात्र ट्रस्ट" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 में यथा परिभाषित कोई ट्रस्ट है।

(5) "फर्म", "भागीदार" और "भागीदारी" के वे अर्थ होंगे जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में दिए गए हैं लेकिन 'भागीदार" अभिव्यक्ति में ऐसा व्यक्ति भी शामिल होगा जिसे अवयस्क होने के कारण भागीदारी के लाभों हेतु शामिल किया गया है।

(6) "सूचीबद्ध" का अर्थ एन० एस० ई० के थोक ऋण खंड पर व्यवसाय करने के प्रयोजन से योजना के अन्तर्गत जारी यूनिटों का सूचीबद्ध किया जाना है।

(7) "जारी यूनिटों की संख्या" का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की संख्या है।

(8) "व्यक्ति" में ऊपर यथा परिभाषित पात्र ट्रस्ट शामिल है।

(9) "विनियमावली" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है।

(10) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अन्तर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड।

(11) इस योजना से सम्बन्धित "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है।

(12) "यूनिट-ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है।

(13) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियमावली में दिये गये हैं।

III. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये होगा।

IV. यूनिटों के लिए आवेदन :

(1) इस योजना के अन्तर्गत यूनिटों के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है :—

(i) धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट सहित सभी पात्र ट्रस्ट।

(ii) समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत समितियां।

(iii) अन्य कोई निकाय जो धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए राज्य या केंद्रीय अधिनियम द्वारा नियंत्रित या स्थापित या उसके अधीन हो।

(iv) सेना/वायुसेना/नौसेना/अर्ध सैनिक फंड।

(v) अन्य कोई संस्था/निगमित निकाय (कंपनियों सहित)।

(vi) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम।

(vii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं शहरी सहकारी बैंक।

(viii) अन्य वाणिज्यिक बैंक।

(ix) भागीदारी फर्म।

(2) साझेदारी फर्मों के आवेदन अधिक-से-अधिक तीन सदस्यों द्वारा दिया जाएगा एवं ट्रस्ट सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए पहले नामित व्यक्ति को ही सदस्य के रूप में मान्यता देगा।

(3) आवेदन ऐसे फार्म में किया जाएगा जैसा यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(4) पात्र संस्थाएं, निगमित निकाय भागीदारी फर्म या समितियां यथाअपेक्षा ट्रस्ट को वे सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगी जिनसे आवेदक की यूनिटों में निवेश करने की सक्षमता का पता चलता हो, जैसे संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम, भागीदारी फर्मों की ओर से आवेदन करने पर भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति, उपनियम आदि, यूनिटों में निवेश का अधिकार देने व प्रबंध निकाय के संकल्प की प्राधिकृत प्रति आदि और समुचित मुख्तारनामे की प्रति।

V. न्यूनतम निवेश राशि :

योजना के अन्तर्गत न्यूनतम निवेश दस लाख रुपये है और कोई अधिकतम सीमा नहीं है। 10 रुपये के गुणकों में न होने वाले निवेशों के लिए यूनिटों का आबंटन भिन्नांकों में दशमलव के बाद तीन स्थान तक किया जाएगा।

निवेशकों को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पी० ए० एन० जी० आई० आर० संख्या हो तो उसे तथा सम्बन्धित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करें।

VI. भुगतान विधि :

1. (i) आवेदक द्वारा सभी भुगतान आवेदन पत्र के साथ चेक या ड्राफ्ट द्वारा (बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक द्वारा ही वहन किया जाएगा) किए जाएंगे, चेक या ड्राफ्ट वसूल करने की लागत भी इसमें शामिल होगी। चेक या ड्राफ्ट उसी शहर के बैंकों की शाखाओं पर आहरित होने चाहिए जहां ट्रस्ट का शाखा कार्यालय हो और उस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

(ii) यदि भुगतान चेक द्वारा किया गया हो तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट द्वारा चेक की राशि वसूल किए जाने की तिथि होगी। यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो, तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट जारी करने की तारीख होगी, बशर्ते कि ऐसे ड्राफ्ट की राशि की वसूली हो जाए, परन्तु ट्रस्ट को आवेदन पत्र ड्राफ्ट जारी करने के 7 दिन के भीतर प्राप्त हो जाएं। अदा की गयी राशि योजना के अन्तर्गत न्यूनतम देय राशि और अन्य देय प्रभार को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो संपूर्ण राशि ट्रस्ट द्वारा ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, आवेदक को उसके खर्च पर वापस की जाएगी।

2. (क) आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार :

योजना के अंतर्गत यूनिट जारी करने के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करने और/या अस्वीकार करने का एक मात्र स्वविवेकाधिकार ट्रस्ट का होगा। निम्नलिखित परिस्थितियों में ट्रस्ट, यूनिटें जारी करने का आवेदन अस्वीकृत कर सकता है यदि

1. दस लाख की न्यूनतम रकम से कम निवेश के साथ आवेदन प्राप्त हों।

2. प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा आवेदन हस्ताक्षरित न हुए हों, और

3. आवेदक को योजना में निवेश करने की पात्रता न हो।

योजना के अंतर्गत आवेदन करने की किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के संबंध में ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम होगा।

(ख) अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्तीकरण के भागी होंगे :

यदि आवेदन पत्र अपूर्ण पाया जाए तो उसे रद्द किया जा सकेगा और ट्रस्ट यथाशीघ्र बिना किसी देयता के चाहे वह ब्याज के लिए हो या अन्य कोई राशि हो, आवेदन राशि वापस कर देगा। आवश्यक परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताओं का अनुपालन किये जाने के बाद राशि वापस की जाएगी।

3. यूनिट जारी होने से पहले आवेदक को योजना के अन्तर्गत अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा :

योजना के अन्तर्गत यूनिटों के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और निवेशक वर्ग के अनुसार ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी जैसे ट्रस्ट द्वारा आवेदन करने पर न्यास विलेख, यूनिट खरीदने के लिए प्रबंध निकाय का संकल्प, समितियों द्वारा आवेदन करने पर उप-नियम और प्रबंध समिति का संकल्प आदि एवं भागीदारी फर्म द्वारा आवेदन करने पर भागीदारी विलेख की प्रमाणित प्रति आदि ट्रस्ट की संतुष्टि के अनुरूप ऐसी अपेक्षाओं का पालन करना या न करना ट्रस्ट के पूर्ण स्वविवेक पर निर्भर होगा।

कोई संस्था गलत घोषणा कर यूनिट रखेगी तो वह सदस्यता निरस्त किए जाने की भागी होगी और उसका नाम यूनिट धारकों की पंजी से काट दिया जाएगा।

ऐसी स्थिति में ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह 25% जुर्माने के तौर पर घटाकर यूनिटों की पुनर्खरीद सममूल्य पर या ऐसे मूल्य पर कर ले जो ट्रस्ट द्वारा तय किया जाए और गलती से किए गए आय वितरण के भुगतान की वसूली पुनर्खरीद राशि से कर ले और शेष राशि वापस कर दें।

इस राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, चाहे ट्रस्ट को पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि प्रेषित करने में जितना भी समय लगे।

VII. न्यूनतम लक्ष्य राशि जुटाना :

योजना के अंतर्गत एकत्र की जाने वाली राशि का लक्ष्य 20 करोड़ रुपये होगा। अत्यभिदान यदि कोई हो तो, उसे ट्रस्ट द्वारा रखा जाएगा। यदि कथित लक्षित राशि का अभिदान नहीं होता है तो ट्रस्ट आवेदक के खाते में चेक/प्रत्यर्पण आदेश द्वारा योजना के अंतर्गत संग्रहीत पूरी राशि को यूनिटों की बिक्री समाप्ति तिथि से छः सप्ताह या उसके पहले वापस करेगा।

उक्त अनुबंध अवधि के भीतर राशि वापस न करने की स्थिति में योजना के अंतर्गत बिक्री बंद होने की तिथि से छः सप्ताह की समाप्ति पर ट्रस्ट आवेदक को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा।

VIII. खर्चों की सीमा :

योजना के अंतर्गत एकत्र निधि का निर्गम पूर्व व्यय 3.5% से अधिक नहीं होगा। योजना के प्रारंभिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :

व्यय का शीर्षक	%
मुद्रण और डाक	0.75
प्रचार	0.75
विपणन व्यय	1.00
स्टाम्प शुल्क	0.50
संसाधन प्रभार	0.50
योग	3.50

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपये का कम से कम 96.5 पैसा इस योजना में निवेश किया जाएगा।

आरंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य का 2% से अधिक नहीं होगा। अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार हैं :

व्यय का शीर्षक	%
प्रशासनिक व्यय	0.90
अभिरक्षण शुल्क	0.50
विकास प्रारक्षित निधि	0.25
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
लेखा परीक्षा शुल्क, न्यासियों के शुल्क एवं व्यय, दलाली एवं लेनदेन की लागत आदि	0.25
योग	2.00

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों में परस्पर परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं। फिर भी, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अनुसार कुल आरंभिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि की 3.5% की सीमा के भीतर तथा आवर्ती व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 2% की सीमा के भीतर ही होगा।

योजना का कुल आवर्ती व्यय, आरम्भिक निर्गम व्ययों एवं प्रतिदान व्ययों को छोड़कर परन्तु प्रशासनिक व्ययों, विकास प्रारक्षित निधि और स्टाफ कल्याण न्यास में अंशदान को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित सीमाओं के अधीन होगा :

(i) औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों के पहले 400 करोड़ पर—2.00 प्रतिशत।

(ii) औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्तियों के अगले 300 करोड़ रुपए पर—1.75 प्रतिशत।

(iii) आस्तियों के शेष पर—1.50 प्रतिशत।

'प्रशासनिक व्यय', 'विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान' और 'स्टाफ कल्याण न्यास में अंशदान' शीर्षक के अन्तर्गत व्यय निम्नलिखित के अधीन होंगे : (i) जब तक शुद्ध आस्तियां 100 करोड़ रुपए को पार नहीं करती हैं, योजना के प्रत्येक लेखा वर्ष में बाकी साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्तियों के एक एवं एक चतुर्थांश प्रतिशत, (ii) 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का एक प्रतिशत, जहां ऐसी परिकलित शुद्ध आस्तियां 100 करोड़ रुपए से अधिक हों। सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 में बताए अनुसार, यू टी आई कोई निवेश प्रबंध एवं सलाहकार शुल्क नहीं लगाता है।

हालांकि, यू टी आई सुनिश्चित करेगा कि आरम्भिक निर्गम व्यय और वार्षिक आवर्त व्यय सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996 के विनियम 52 के अन्तर्गत बताई गई सीमाओं के भीतर रहे।

IX. यूनिटों की बिक्री :

पेशकश अवधि के दौरान यूनिटों की बिक्री सममूल्य पर होगी।

यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री-संविदा, स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी। ट्रस्ट इसके बाद 50,000 यूनिटों के लाट में यूनिट प्रमाण-पत्र जारी करेगा। जो यूनिट 50,000 के गुणक में नहीं होंगे उनके लिए केवल एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। प्रेषित यूनिट प्रमाण-पत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने या गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा।

यूनिट ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट/समिति/निगमित निकाय को जारी यूनिट प्रमाण-पत्र ट्रस्ट/समिति/निगमित निकाय के नाम पर ही होगा।

यूनिट ट्रस्ट यूनिट प्रमाण-पत्र को यथाशीघ्र लेकिन यूनिटों को योजना के अन्तर्गत बिक्री की समाप्ति तिथि से छः सप्ताहों के भीतर भेजने का प्रयत्न करेगा।

X. यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) (i) योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 31 जनवरी, 2001 तक यूनिटों की कोई पुनर्खरीद नहीं की जाएगी। पुनर्खरीद मूल्य पूर्ववर्ती साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य पर बट्टे पर होगा। बट्टा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। पुनर्खरीद मूल्य की घोषणा 1 फरवरी, 2001 से प्रत्येक सप्ताह में एक बार की जाएगी। यह गारन्टी दी जाती है कि योजना में निवेशित पूंजी परिपक्वता पर सुरक्षित रहेगी अर्थात् यूनिटों का मोचन सममूल्य से नीचे नहीं होगा। समय पूर्व पुनर्खरीद के लिए ऐसी कोई गारन्टी नहीं है और ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य प्रचलित एन ए वी पर आधारित होगा।

आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति तब ही दी जाएगी बशर्ते न्यूनतम शेष के रूप में दस लाख रुपए (अंकित मूल्य) कायम रखे।

(ii) यूनिट धारक को यूनिटों को पुनर्खरीद के लिए पेश करने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी जैसा कि ऊपर उप खण्ड 1 (i) में बताया गया है और वह योजना चालू रहने के दौरान अपनी इच्छानुसार उसका धारण कर सकते हैं।

(2) पुनर्खरीद के लिए संविदा स्वीकृति तिथि को समाप्त मानी जाएगी।

(3) पुनर्खरीद यथोचित भरे हुए पुनर्खरीद फार्म के साथ यूनिट प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने के बाद प्रभावी होगी। पुनर्खरीद राशि का प्रेषण, ट्रस्ट के मुम्बई मुख्य शाखा कार्यालय में, जहां पुनर्खरीद अनुरोध संसाधित होते हैं, आवेदन-पत्र के प्राप्त होने की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर (बशर्ते आवेदन उचित हो) इस प्रकार किया जाएगा जैसा आवेदक ने आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट किया हो। किसी भी स्थिति में आवेदक को देय राशि पर, कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और विप्रेषण लागत (डाक खर्च सहित) अथवा यूनिट ट्रस्ट द्वारा भेजे गए चैक अथवा ड्राफ्ट की वसूली का खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।

XI. यूनिटों की बिक्री और पुनर्खरीद पर प्रतिबंध :

योजना के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिटों की खरीद या पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा —

(i) ऐसे दिन, जो कार्य दिवस नहीं हों; और

(ii) ऐसी अवधि में जब ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित किसी कारणवश (ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित) यूनिट धारकों की पंजी बन्द हो।

स्पष्टीकरण :—इस योजना के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो (i) महाराष्ट्र, राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखत, अधिनियम 1881 के अन्तर्गत अधिसूचित हो या (ii) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट का कार्यालय बन्द रहेगा।

XII. बिक्री या पुनर्खरीद स्वीकृति तिथि को होगी :

यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की प्रत्येक बिक्री और पुनर्खरीद स्वीकृति तिथि के अनुसार उस दिन को प्रचलित मूल्य पर होगी।

XIII. पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन :

पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद ट्रस्ट उसे समाचार-पत्रों में प्रकाशित करने के लिए साप्ताहिक आधार पर जारी करेगा।

XIV. सूचीकरण :

योजना के अन्तर्गत जारी यूनिटें, योजना के शुरू होने की तिथि से छः माह के भीतर एनएसई के थोक ऋण खंड पर सूचीबद्ध की जाएगी। सेबी से योजना का अनुमोदन प्राप्त होने के तुरन्त बाद सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के विनियम 32 के अनुसार एनएसई में सूचीबद्ध कराने हेतु आवेदन किया जाएगा।

XV. योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन :

(1) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों सहित उधृत निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार के अंतिम मूल्य पर या मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल की उपलब्ध दर पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोधृत निवेश माना जाता है।

(2) उधृत डिबेंचरों एवं बाण्डों के मामले में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है, उसे ब्याज तत्व यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाता है।

(3) अनोधृत/गैर व्यापारिक इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्तियों के पंजीकरण एवं बही-मूल्य (विश्लेषित मूल्य) के औसत में से 10 प्रतिशत घटाकर किया जाता है।

(4) अनोधृत डिबेंचरों, बाण्ड और अंतरणीय नोट लिखत के दर निर्धारण पर आधारित परिपक्वता पर प्रतिफल पर जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित हो, मूल्यांकित किए जाते हैं।

(5) अनोधृत वारंट, पड़े हुए शेयरों को बाजार दर पर, लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए बट्टा काटकर तथा देय प्रायोगिक मूल्य को कम करके, लिए जाते हैं। जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से प्रायोगिक मूल्य ज्यादा हो, वहां वारन्टों का मूल्य शून्य लिया जाता है।

(6) परिवर्तनीय डिबेंचर और बाण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हो, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, संबंधित इक्विटी शेयरों, जिनमें लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए बट्टा काट कर बाजार दर पर किया जाता है। ऐसे डिबेंचरों एवं बाण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि हो, का मूल्यांकन परिपक्वता पर प्रतिफल जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित किया गया हो, किया जाता है। जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है।

(7) मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन एक से अधिक व्यापारी या ब्रोकर से प्राप्त संविदा दर के आधार पर किया जाएगा।

(8) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, प्रचलित ब्याज दरों पर आधारित, परिपक्वता पर प्रतिफल (वाई टी एम) आधार पर किया जाएगा।

(9) उपरोक्त पैरा (1) से (8) तक के अनुसार यथा-संगणित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामी मूल्यह्रास, यदि हो, को राजस्व लेखे से प्रभारित किया जाता है।

XVI. शुद्ध आस्ति मूल्य (एन ए वी) का परिकलन और प्रकटीकरण :

योजना के अन्तर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के उपचयों और उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एन ए वी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग देकर किया जाएगा। यह एन ए वी (पूर्ववर्ती आधार पर) योजना के आरम्भ होने से 6 महीनों के भीतर और उसके बाद साप्ताहिक आधार पर समाचार-पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा।

XVII. (क) निवेश उद्देश्य :

योजना के अन्तर्गत संग्रहीत निधियों का अधिक से अधिक 20 प्रतिशत इक्विटी और इक्विटी सम्बद्ध लिखतों में और शेष का नियत आय वाले प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश किया जाएगा। नियत आय प्रतिभूतियों का जोखिम तत्व न्यून से मध्यम होगा। इक्विटी निवेशों का जोखिम तत्व उच्च होगा। मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश, इस संबंध में सेबी द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप होगा।

पूर्वोक्त के बावजूद, निवेश का अनुपात बाजार की स्थितियों और निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों पर निर्भर करते हुए निधि प्रबंधक के स्वविवेक के अनुसार उपरोक्त से भिन्न भी हो सकता है। निवेश के समानुपात में होने वाला कोई भी परिवर्तन योजना के निवेश उद्देश्य के समनुरूप होगा।

उपरोक्त निवेश उद्देश्य के अनुसार प्रतिभूतियों में योजना की निधियों का निवेश लंबित रहने पर ट्रस्ट योजना की निधियों का निवेश अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की अल्पावधि जमाओं में कर सकता है।

(ख) निवेश नीतियां

(i) सभी ऋण लिखतें जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाता है, उनके निवेश वर्गों का निर्धारण समय-समय पर मान्यता प्राप्त किसी श्रेणी निर्धारण करने वाली एजेन्सी द्वारा किया जाएगा।

परन्तु यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा।

(ii) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिया जाएगा।

(iii) इस योजना से ट्रस्ट की दूसरी योजना/प्लान में निवेश का अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब :

(क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पॉट आधार पर किए गए हों।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनसे ऐसे अंतरण किए जाते हैं।

(ग) प्लान की असूचीबद्ध या उधृत न किए गए निवेशों का ट्रस्ट की अन्य योजना/प्लान में अंतरण यू टी आई के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

(iv) योजना ट्रस्ट या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड की किसी अन्य योजना/प्लान में कोई शुल्क प्रभारित किए बिना निवेश कर सकती है, बशर्ते ट्रस्ट की सभी योजनाओं द्वारा किया गया कुल अन्तर्योजना निवेश या किसी दूसरी आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा प्रबंधित योजनाओं में किया गया निवेश, ट्रस्ट के शुद्ध आस्ति मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक न हो।

(v) ट्रस्ट प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सुपुर्दगियों के आधार पर करेगा और खरीद के सभी मामलों में संबंधित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा और बिक्री के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करेगा और किसी भी मामलों में खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा जिससे इसे मंदड़िया बिक्री करनी पड़े या सौदे का वायदा (कैरी फारवर्ड) करना पड़े या बदला में लिप्त होना पड़े।

(vi) ट्रस्ट प्रतिभूतियों की खरीद या अंतरण ट्रस्ट के नाम से करवाएगा।

(vii) योजना यूनिटों की पुनर्खरीद, प्रतिदान या ब्याज की अदायगी या सदस्यों को आय अदा करने के लिए नकदी की अस्थाई जरुरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने के सिवा उधार नहीं लेगी। परन्तु उधार योजना की शुद्ध आस्ति के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं लिया जाएगा और इस तरह के उधार की अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी।

प्लान की प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए शेयर-दलाली फर्म और यू टी आई की सहायक संस्था यू टी आई सिक्योरिटीज एक्सचेंज लिमिटेड (यू टी आई-एस ई एस) की सेवाएं ली जा सकती हैं जो नीतियों के अनुसार हों और ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा तय की गई सीमाओं के अधीन हों। यू टी आई एस ई एल 1994 में स्थापित की गई थी। यह निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित, पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करने वाली एक उच्च तकनीकी ज्ञान वाली कंपनी है। इसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई है।

तथापि ऊपर खण्ड XV, XVI और XVII (ख) के संबंध में किसी भी बात के होते हुए, आस्तियों का मूल्यांकन, शुद्ध आस्ति मूल्य का अभिकलन, पुनर्खरीद मूल्य और उनके प्रकटीकरण का अंतराल सेबी द्वारा समय समय पर जारी सेबी के (एम एफ) विनियमों के प्रावधानों/दिशा निर्देशों और निदेशों के अनुसरण में होगा।

XVIII. यूनिट प्रमाणपत्र का फार्म :

यूनिट प्रमाण पत्र ऐसे फार्म में होगा जैसा कार्यपालक निदेशक द्वारा निश्चित किया जाएगा। प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र पर विभेदक संख्या, यूनिटों की संख्या जिनके लिए प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो तथा यूनिट धारक का नाम होगा।

XIX यूनिट प्रमाणपत्र तैयार करने की विधि :

जैसा बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करेगा, यूनिट प्रमाण-पत्र उत्कीर्ण या लिथोग्राफ या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट द्वारा विधिवत रूप से अधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। ऐसा प्रत्येक हस्ताक्षर स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी यांत्रिक विधि से लगाया जाएगा। जब तक यूनिट प्रमाण-पत्र इस रूप से हस्ताक्षरित नहीं होगा, तब तक वह वैध नहीं होगा। इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाण-पत्र इस बात के होते हुए भी वैध और बाध्यकारी होगा कि उसे जारी करने से पहले कोई व्यक्ति जिसका हस्ताक्षर उस पर है, ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाणपत्र हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति न रहा हो। परन्तु इस रूप में तैयार किया गया यूनिट प्रमाण-पत्र जिसमें प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं, प्रमाण-पत्र जारी होने के समय जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो ट्रस्ट किसी तरीके से जिसे वह सबसे उचित समझता है, प्रमाण-पत्र पर विद्यमान उस व्यक्ति के हस्ताक्षर को निरस्त कर सकता है और उस पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर करवा सकता है। इस रूप में जारी यूनिट प्रमाण पत्र भी वैध होगा।

XX. प्रमाण-पत्र के कट-फट जाने, विरूपित हो खो जाने, आदि की स्थिति में प्रक्रिया :

(1) यदि कोई यूनिट प्रमाण-पत्र कट-फट जाता है या घिस-पिट या विरूपित हो जाता है तो ऐसे मामले में ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार हकदार व्यक्ति को एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जिसमें यूनिटों की वही संख्या हो जो कट-फट गए, घिस-पिट गए या विरूपित हो गए प्रमाणपत्र में हों। यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, चोरी होने या नष्ट होने के मामले में, यूनिट ट्रस्ट अपने विवेकाधिकार पर, उसके बदले में हकदार

व्यक्ति को नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। कोई भी नया यूनिट प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक ने पहले ही—

(i) मूल यूनिट प्रमाणपत्र के कटे-फटे होने, फटा पुराना हो जाने, विरूपित होने, खो जाने, चोरी या नष्ट हो जाने के संतोषजनक साक्ष्य यूनिट ट्रस्ट को प्रस्तुत नहीं किए हों;

(ii) तथ्यों की जांच से संबंधित सभी खर्चों का भुगतान कर दिया हो;

(iii) (कटे-फटे जाने या फटा-पुराना हो जाने या विरूपित होने के मामले में) कटे-फटे, फटे-पुराने या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत और सुपुर्द नहीं कर दिया हो; तथा

(iv) यूनिट ट्रस्ट की अपेक्षानुसार उसे क्षतिपूर्ति प्रस्तुत नहीं कर दी हो। इस खण्ड के उपबंधों के अनुसार यूनिट ट्रस्ट सद्भावपूर्वक ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई देयता नहीं उठाएगा।

(2) इस खण्ड के उपबंधानुसार प्रमाणपत्र जारी करने के पहले ट्रस्ट यह अपेक्षा कर सकता है कि आवेदक यूनिट प्रमाणपत्र के लिए ट्रस्ट द्वारा निर्गत प्रति यूनिट प्रमाणपत्र के लिए पांच रुपये के शुल्क के साथ, जो ट्रस्ट की राय में कर और ऐसे प्रमाणपत्र के निर्गम और प्रेषण के संबंध में देय डाक पंजीकरण, प्रभार सहित अन्य खर्च पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, का भुगतान करें। उपरोक्त के बावजूद, योजना के अंतर्गत यूनिटधारक ऐसे नियमों/दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करे और ऐसे दस्तावेजों को निष्पादित करेगा जैसा ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर प्रतिपादित/अपेक्षित होगा।

XXI. यूनिट धारकों की पंजी :

यूनिटधारकों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :

(1) ट्रस्ट द्वारा यूनिटधारकों की पंजी रखी जाएगी और पंजी में निम्नलिखित दर्ज किए जाएंगे :

(क) यूनिटधारकों के नाम और पते;

(ख) हरेक ऐसे यूनिटधारकों द्वारा धारित यूनिटों की संख्या; और

(ग) वह तिथि जब ऐसा यूनिटधारक अपने नाम के यूनिटों का धारक हो गया।

(2) यूनिटधारक की ओर से उसके नाम और पते के परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जाएगी। ट्रस्ट द्वारा ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और यथाअपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर तदनुसार पंजी में परिवर्तन करेगा।

(3) केवल पंजी बंदी को छोड़कर, इसमें इसके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्य समय के दौरान (यूनिट ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत समुचित प्रतिबंधों के साथ प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घंटे के लिए पंजी के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी) यूनिटधारक के निःशुल्क तथा उसके अपने निवेश के संबंध में निरीक्षण के लिए पंजी खुली रहेगी।

(4) यूनिट ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित समय और अवधि के लिए पंजी बंद रहेगी। परन्तु किसी भी वर्ष में वह 45 दिनों से अधिक समय के लिए बंद नहीं रहेगी। यूनिट ट्रस्ट समाचारपत्रों में या अन्य माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऐसी बंदी की सूचना देगा।

(5) यूनिटधारक के सिवाय किसी व्यक्ति के किसी यूनिट से संबंधित कोई स्पष्ट निहित और रचनात्मक सूचना और कोई ग्रहणाधिकार पंजी में दर्ज नहीं किया जाएगा।

XXII. यूनिटधारक द्वारा रसीद - ट्रस्ट के प्रति उन्मोचन :

यूनिटधारक द्वारा प्रदत्त राशि के लिए जारी यूनिट प्रमाणपत्र के यूनिटों के संबंध में उसके द्वारा दी गई रसीद ट्रस्ट के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा।

XXIII. यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखना/समनुदेशन :

निम्नलिखित शर्तों के अधीन यूनिटों के अंतरण/गिरवी रखने/समनुदेशन के लिए अनुमति दी जाएगी :

(1) प्रत्येक यूनिटधारक को उसके द्वारा धारित यूनिटों अथवा कुछ यूनिटों का अंतरण करने का हक होगा और यह ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित फार्म पर लिखित रूप में लिखत द्वारा किया जाएगा। परन्तु यदि ऐसे पंजीकरण से अंतरणकर्ता या अंतरिती ऐसे यूनिटों के धारक बनते हैं जहां योजना में निवेश दस लाख रुपये (अंकित मूल्य) से कम है तो अंतरण पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह केवल खण्ड 4 में उल्लिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को छोड़कर, किसी अन्य को अंतरण नहीं किया जाएगा।

(2) अंतरण की प्रत्येक लिखत अंतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा हस्ताक्षरित होगी और अंतरणकर्ता उस समय तक अंतरित यूनिटों का धारक होगा जब तक कि रजिस्टर में अंतरिती के नाम की प्रविष्टि नहीं हो जाती।

(3) अंतरण की प्रत्येक लिखत संबंधित यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ यूनिट ट्रस्ट की किसी भी शाखा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(4) अंतरण की प्रत्येक लिखत विधिवत रूप से स्टाम्प की जाएगी (यदि विधि के अंतर्गत स्टाम्प करना आवश्यक हो) और उसे ट्रस्ट को पंजीकरण के लिए संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्रों के साथ दिया जाएगा और अंतरणकर्ता के हक के संबंध में अथवा यूनिटों का अंतरण करने के उसके अधिकार या प्रमाणपत्रों के संबंध में ट्रस्ट जैसा साक्ष्य चाहेगा, उसे भी प्रस्तुत करना होगा। ट्रस्ट ऐसे यूनिट प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में छूट दे सकता है जो खो गए हों, चुरा लिए गए हों अथवा नष्ट हो गए हों। इसके लिए अंतरणकर्ता को उन अपेक्षाओं को पूरा करना होगा जो उनके

स्थान पर जारी करने हेतु उसके द्वारा किए गए आवेदन पर उत्पन्न हुई होगी।

(5) यदि अंतरिती विधि के परिचालन से या अधिकारिक क्षमता के कारण यूनिटों का धारक बन जाता है तो इच्छुक अंतरिती यूनिटों के धारण के लिए अन्यथा पात्र होने पर ऐसे साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण, जिसे ट्रस्ट पर्याप्त समझे, के अधीन ट्रस्ट अंतरण को लागू करेगा।

(6) जब यूनिट अधिकारिक नाम से जारी किए जाते हैं तो वे कार्यालय के प्रत्येक धारक से कार्यालय में इसके उत्तराधिकारी धारक के नाम बिना किसी अंतरण लिखत के अंतरित माने जाएंगे, और यह अंतरण उस तिथि को या उस तिथि से होगा जब दूसरा धारक कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करता है।

(7) जब कार्यालय का धारक इस प्रकार से धारित यूनिटों का अंतरण ऐसे व्यक्ति के नाम करता है जो कार्यालय में उसका उत्तराधिकारी न हो, तो अंतरण लिखत द्वारा अंतरण किया जाएगा, जो कार्यालय के धारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर कार्यालय का नाम होगा।

(8) अंतरण के सभी लिखत, जो पंजीकृत हो सकते हैं, ट्रस्ट द्वारा प्रक्रिया संबंधी और परिचालनगत आवश्यकताओं के पूरी करने तक रखे जाएंगे।

(9) ट्रस्ट अंतरिती संबंधी ब्यौरों को यूनिट प्रमाणपत्र के पीछे इस प्रयोजन के लिए दी गई जगह पर पृष्ठांकन करेगा।

(10) इसमें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर अंतरण का पंजीकरण करेगा और अंतरिती को प्रमाणपत्र और अंतरण संबंधी लिखत वापस करेगा।

XXIV. आवेदन और अंतरण फार्म पर अटार्नी द्वारा हस्ताक्षर :

यदि मुख्तारनामा पहले से ही ट्रस्ट की बहियों में पंजीकृत नहीं हो और यदि किसी आवेदन पत्र या अंतरण पत्र पर मुख्तारनामा रखने वाला कोई व्यक्ति जिसे ऐसा करने का अधिकार दिया गया हो, हस्ताक्षर करे, तो मूल मुख्तारनामा या उसकी, विधिवत् नोटरीकृत प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र या अंतरण पत्र के साथ जैसा भी मामला हो प्रस्तुत करनी चाहिए।

XXV. आय वितरण की दर :

ट्रस्ट सभी पांच वर्षों के लिए 12.75% प्र० व० की दर पर आश्वासित भुगतान करने का प्रस्ताव रखता है। आश्वासित भुगतान के मामले में कमी होने पर उसकी प्रतिपूर्ति विकास प्रारक्षित निधि से की जाएगी। पहले वर्ष के लिए आय की गणना स्वीकृत तिथि पर निर्भर करते हुए दैनिक आधार पर की जाएगी और उसे जुलाई 1998 में अदा किया जाएगा। उसके बाद के वर्षों के लिए आय वितरण प्रति वर्ष जुलाई में अदा किया जाएगा और शेष अवधि 1 जुलाई, 2002 से 31 जनवरी, 2003 तक का आय वितरण जनवरी 2003 में अदा किया जाएगा।

XXVI. यूनिटधारकों को भुगतान :

(1) ट्रस्ट योजना के सभी पांच वर्षों के लिए 12.75% प्र० व० की दर पर आय अदा करेगा। पहले वर्ष के लिए लाभांश जुलाई 1998 में समानुपातिक आधार पर देय होगा। उसके बाद के वर्षों के लिए आय प्रतिवर्ष जुलाई में अदा किया जाएगा और जुलाई 2002 से जनवरी 2003 तक की शेष अवधि के लिए आय जनवरी 2003 में अदा किया जाएगा। आय वितरण वारंटों को, जिस वर्ष में आय देय हो, उसके समाप्त होने के 42 दिनों के भीतर प्रेषित किया जाएगा।

कम मार्केटिंग तथा सेवा प्रभार और निवेश उद्देश्य और योजना की प्रचलित नीतियों तथा लिखतों से अनुमानित लाभ, जिनमें प्लान की निधियों का निवेश किया जाएगा, के आधार पर योजना सभी पांच वर्षों के लिए 12.75% की दर से आश्वासित प्रतिलाभ अदा करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न कर सकेगी।

योजना के अंतर्गत 12.75% प्र० व० की दर पर प्रतिलाभ का औचित्य :

मान लीजिए योजना में 100 करोड़ रुपये एकत्रित होते हैं। आरंभिक व्यय 0.5% है और ये तीन वर्ष की अवधि के दौरान अपलिखित किए जाते हैं (क्योंकि पुनर्खरीद तीन वर्ष पश्चात् शुरू होती है)। पहले वर्ष में उपलब्ध निवेश योग्य निधि 99.5 करोड़ रुपए होगी।

फंड ऋण लिखतों में 75%, एमएमआई में 5% एवं इक्विटी में 20% निवेश करेगी। योजना ऐसे डिबेंचर बाण्ड में निवेश करेगी जिसका जोखिम तत्व न्यून से मध्यम हो। इन लिखतों के वाईटीएम 12.90% से 16.40% की सीमा में हैं। इसका अर्थ है कि ऋण लिखतों की औसत भारित आय 13.92% होगी।

एमएमआई की वार्षिक प्राप्ति करीब 6% होगी।

लिखतें	पोर्टफोलियो का प्रतिशत	निवेश योग्य निधि	आय %
डिबेंचर	75	74.625	13.92
इक्विटी	20	19.90	15.00
एमएमआई	5	4.975	6.00

पोर्टफोलियो पर औसत भारित आय =

$$\frac{74.625^{*}\ 13.92+19.00^{*}\ 15+4.975^{*}}{100.00} = 13.66\%$$

वार्षिक व्यय एवं प्रावधान को 0.75% लेते हुए, वितरण के लिए प्राप्त आय 12.91% होगी। वार्षिक देय के अनुसार यह 12.75% प्र०व० की दर से आय भुगतान के लिए पर्याप्त होगी।

उपर्युक्त उदाहरणस्वरूप है तथा योजना के प्रारंभ होने के समय बाजार की परिस्थितियों पर आधारित है।

(2) यूनिटों के संबंध में जिसका वह धारक है ट्रस्ट द्वारा घोषित कोई आय प्राप्त कर धारण करना यूनिट धारक के लिए वैध होगा, भले ही उसके द्वारा किसी प्रतिफल हेतु यूनिट अंतरित कर दिए गए हों तथापि जब तक अंतरिती जो अंतरणकर्ता से आय का दावा करता है, आय के देय होने के 15 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र और अंतरण से संबंधित अन्य सभी दस्तावेज, जो प्रावधानों के अंतर्गत या अन्य रूप से उसके लाभ में पंजीकृत करने के लिए ट्रस्ट द्वारा मांगे जाएं, उन्हें प्रस्तुत नहीं कर देगा।

स्पष्टीकरण : इस उप-खण्ड में निर्दिष्ट अवधि निम्नलिखित मामलों में विस्तारित की जाएगी :—

(i) अंतरण विलेख के चोरी होने या अंतरकर्ता के नियंत्रण के बाहर की परिस्थिति में या अन्य किसी कारण से खो जाने की स्थिति में उसके स्थान पर दूसरा प्राप्त करने में व्यतीत हुई वास्तविक अवधि के लिए और

(ii) कोई प्रमाणपत्र दाखिल करने में हुए विलम्ब और अंतरण के संबंध में अन्य दस्तावेजों को डाक द्वारा देरी से पहुंचने के संबंध में हुए विलम्ब की वास्तविक अवधि के लिए।

(3) इसमें ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के होने के बावजूद ऐसी यूनिटों के संबंध में, जिसका वह धारक है, यूनिटधारक को देय किसी भी आय का भुगतान करने का ट्रस्ट का अधिकार प्रभावित नहीं होगा।

(4) यूनिटधारकों में वितरित की जाने वाली ऐसी आय पर ट्रस्ट द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। तथापि, ट्रस्ट योजना के अंतर्गत स्थापित प्रारक्षित निधि पर निर्भर करते हुए और उचित परिस्थितियों के होने पर यूनिटधारक द्वारा आय के किसी विलम्ब पर किए दावे पर जैसा कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा उस रूप में और रीति से यूनिटधारक को मुआवजा देगा।

(5) यूनिटधारक में वितरित की जाने वाली आय चेक या यूनिट ट्रस्ट के बैंकरों के नाम आहरित वारंट या यूनिटधारक के विकल्प पर, बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा किया जाएगा। उक्त बैंक ड्राफ्ट के प्रभार यूनिटधारक द्वारा वहन किए जाएंगे।

आय वितरण वारंटों के खो जाने/गलत स्थान पर पहुंचने के कारण उनके संभावित कपटपूर्ण नकदीकरण के विरुद्ध सावधानी के तौर पर आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे रिकार्ड के लिए आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर तथा पावती रसीद वाले भाग पर अपने बैंक खाते का पूरा विवरण (अर्थात् खाते का प्रकार एवं खाता संख्या, बैंक का नाम) दें। तब आय वितरण वारंट इस प्रकार से निर्दिष्ट किए गए उनके खाते में जमा करने के लिए बैंक के पक्ष में तैयार कर उन्हें भेजे जाएंगे। यूनिटधारक कथित बैंक में अपने खाते में जमा करने हेतु उस आय वितरण वारंट को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि बैंक संबंधी पूरा विवरण नहीं दिया जाता है तो आय वितरण वारंट यूनिटधारक के नाम जारी किए जाएंगे।

XXVII. आय वितरण का और यूनिटों में पुनर्निवेश :

यूनिटों के लिए आवेदन करते समय या उसके बाद यूनिटधारक को यूनिटों के संबंध में प्राप्त होने वाली आय को और यूनिटों में पुनर्निवेश करने का विकल्प होगा। ऐसे विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में वितरित की जाने वाली पूर्ण आय खण्ड XXVI में दी गई रीति से यूनिटधारक को अदा करते जाने के बजाए, कर कटौती के बाद, यदि कोई हो, यूनिट ट्रस्ट द्वारा उसी वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में प्रचलित एन० ए० वी० आधारित मूल्य पर किसी बिक्री भार के बिना और यूनिटों में पुनर्निवेशित की जाएगी। वितरण योग्य लाभांश, कर कटौती, यदि कोई हो, और उनके बदले आबंटित यूनिटों के ब्यौरे सहित एक विवरणी यूनिटधारक को भेजी जाएगी। इस तरह आबंटित यूनिटों के संबंध में किसी भी यूनिटधारक को यूनिट प्रमाणपत्र जारी करने की मांग करने का हक नहीं होगा। यूनिटधारक जिसने पूर्वोक्तानुसार पुनर्निवेश सुविधा का विकल्प चुना हो, उसके द्वारा लिखित आवेदन तथा अन्तिम जारी विवरणी को अभ्यर्पित करने पर पुनर्खरीद की अनुमति प्रदान करने वाले खण्ड की शर्तों के अनुसार उसे उक्त समय पुनर्खरीद मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद की अनुमति दी जा सकती है। जिन यूनिटधारकों ने पुनर्निवेशित यूनिटों की पुनर्खरीद की हो, वे उत्तरवर्ती वर्षों के लिए वितरण योग्य आय के संबंध में पुनर्निवेश सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उस खण्ड के अन्तर्गत पुनर्निवेश सुविधा के अधीन आबंटित यूनिट न्यूनतम धारण, पुनर्खरीद और अन्य मामलों के संदर्भ में नियन्त्रित करने वाली शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन नहीं होंगे।

XXVIII. विकास प्रारक्षित निधि (डीआर एफ) में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.25% ट्रस्ट के डी०आर०एफ० में अंशदान के रूप में रखा जाएगा। डी०आर०एफ० अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके। इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान मार्केटिंग और कार्पोरेट के छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों, तथा ट्रस्ट की किसी भी योजनाओं में आश्वासित प्रतिलाभ की दर में कमी होने की दशा में भुगतान करने के लिए भी किया जा सकता है।

XXIX. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा ।

ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं ।

XXX. योजना के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना :

जो व्यक्ति यूनिटधारक के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से यूनिट प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा यूनिटधारक के रूप में मान्य होगा और चूंकि ऐसे यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिए ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और किसी विपरीत नोटिस से या न्यास निष्पादन का नोटिस से उस बात को छोड़कर जैसा इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो कि इस योजना से संबंधित यूनिटों के हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता दी जाए, बाध्य नहीं होगा ।

XXXI. लेखों का प्रकाशन :

ट्रस्ट जितनी जल्दी हो सके, किंतु प्रत्येक वर्ष 30 जून से 6 महीनों के भीतर, सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से उस तिथि को समाप्त अवधि के दौरान योजना के कार्यों को दर्शाते हुए विज्ञापन द्वारा लेखों का प्रकाशन करेगा । ट्रस्ट से अर्धवार्षिक अवसान अर्थात् 31 दिसम्बर से दो महीनों की समाप्ति से पहले गैर लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का प्रकाशन करेगा । ट्रस्ट सेबी और अन्यों को विधिवत रूप से लेखा परीक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियां और राजस्व लेखों तथा अपरीक्षित अर्ध वार्षिक लेखों और एन०ए०वी० में हुए उतार-चढ़ाव का तिमाही विवरण और पिछली अवधियों में हुए परिवर्तनों सहित तिमाही पोर्टफोलियो विवरण भेजेगा । ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकती है और इसलिए उन्हें सूचित किया जाना आवश्यक हो ।

ट्रस्ट, यूनिटधारक से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों की एक प्रति भेजेगा ।

XXXII. योजना में परिवर्धन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किए गए परिवर्धन/संशोधन को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा । किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा । जब योजना की मूल विशेषताओं या देय शुल्क या प्रभारों में या अन्य कोई ऐसा परिवर्तन किया जाना हो जिससे योजना परिवर्तित हो जाए या सदस्यों के हितों पर प्रभाव पड़े तो ऐसे परिवर्तन करने के लिए कम से कम तीन चौथाई यूनिटधारकों की सहमति ली जानी चाहिए :

परन्तु यह कि तब तक ऐसा कोई परिवर्तन न किया जाए जब तक तीन चौथाई सदस्यों ने अपनी सहमति न दे दी हो और जो अपनी सहमति न दें उन्हें योजना से अपनी धारिताएं मोचन करने की अनुमति हो ।

व्याख्या : इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "मूल विशेषताओं" का अर्थ है निवेश उद्देश्य और योजना की शर्तें ।

XXXIII. योजना की समाप्ति

(क) योजना पूर्ण रूप से 31 जनवरी, 2003 को समाप्त हो जाएगी । यूनिटधारकों के बकाया यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी और यूनिटधारक को उनके यूनिटों के मूल्य की अदायगी उक्त अवधि के दौरान अंतिम पुन खरीद के लिए निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी ।

निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के बाद की किसी अवधि के लिए पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या लाभांश के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा । फिर भी, ट्रस्ट लिखित रूप से सेबी की पूर्व अनुमति से इस योजना को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है । ऐसी स्थिति में यूनिटधारकों को विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे यूनिटों को वापस ट्रस्ट को बेच दें अथवा इस योजना में बने रहें । ट्रस्ट द्वारा निवेशक को यह विकल्प भी दिया जा सकता है कि वह पुनर्खरीद की राशि को आरंभ की गई अथवा उस समय परिचालन में रहने वाली किसी भी योजना में परिवर्तित कर सके ।

(ख) ट्रस्ट योजना को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :

(i) योजना के पांच वर्ष पूरे होने पर अर्थात् 31 जनवरी, 2003 को अथवा आगे ऐसी तारीख की समाप्ति पर जो ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित हो ।

(ii) कोई ऐसी घटना घटित होने पर और जिससे ट्रस्ट की राय में योजना की समाप्ति आवश्यक हो, या

(iii) योजना के 75 % यूनिटधारक द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर, या

(iv) यूनिटधारकों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निदेश दे ।

(ग) जहां उपर्युक्त उप खण्ड (ख) के अधीन योजना की समाप्ति की जाती है तो ट्रस्ट को योजना को समाप्त करने की परिस्थितियों की सूचना सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और मुम्बई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में समापन प्रभावी होने के एक सप्ताह पहले देनी होगी ।

(घ) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से तुरन्त—

(i) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा ।

(ii) इस योजना के अन्तर्गत यूनिटों को निर्मित और रद्द करना बंद करेगा ।

(iii) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा ।

(ङ) न्यासी मंडल यूनिटधारकों की एक बैठक बुलाएगा । जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा ।

(च) (1) न्यासी मंडल योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के यूनिट धारकों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा ।

(2) ऊपर दिए गए उप खण्ड (च) (1) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को सर्वप्रथम, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो योजना के अंतर्गत उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय ले. की तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा ।

(छ) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और यूनिट धारकों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण योजना समाप्त की गई, योजना की समाप्ति के पूर्व आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए किया गया व्यय, यूनिटधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियां और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र होगा ।

(ज) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, सेबी (म्यूचुअल फण्ड) विनियम 1993 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे ।

(झ) खण्ड 33 (छ) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट हो जाती है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है, तो योजना समाप्त हो जाएगी ।

(ञ) ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र विधिवत रूप से भरे हुए पुनर्खरीद फार्म के साथ यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा । पुनर्खरीद के लिए प्राप्त यूनिट प्रमाणपत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हों, ट्रस्ट द्वारा रखरखाव के लिए रख लिए जाएंगे ।

34. यूनिटधारकों को लाभ :

योजना की समाप्ति के समय पूंजी, आरक्षित निधि और अधिशेष के संबंध में योजना में उपचित सभी लाभ केवल उन्हीं यूनिटधारकों को प्राप्त होंगे जो योजना की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिए यूनिट के धारक रहे हों ।

35. उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार :

योजना के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई सन्देह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना के अर्थ निर्धारण का अधिकार होगा । ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाला या योजना की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा ।

36. उपबंधों में ढील :

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना के निर्बाध और सहज संचालन के लिए योजना के किसी भी उपबन्ध में ढील दे सकता है । ऐसी कोई ढील खण्ड 32 के विपरीत तथा विभेदक नहीं होगी तथा सभी यूनिटधारकों पर समान रूप से लागू होगी ।

पेशकश दस्तावेज के प्रावधान में कोई भी परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन के बाद एवं विनियमों की शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा ।

37. योजना यूनिटधारकों के लिए बाध्यकारी होना :

इस योजना की शर्तों के साथ समय-समय पर इनमें किए गए संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक यूनिटधारक और उसके माध्यम से दावा करने वाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानो वह योजना के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिए बाध्य हो ।

प्लान के सदस्यों का अनुमोदन निम्नलिखित परिस्थितियों में मांगा जाएगा :—

(1) सदस्यों के हित में जब कभी सेबी द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित हो, या

(2) प्लान के तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा जब कभी मांग करने पर ऐसा किया जाना आवश्यक हो

(3) जब न्यासियों ने बहुमत से समाप्त करने का निर्णय लिया हो या यूनिटों का समयपूर्व प्रतिदान किया जाए; या

(4) जब कोई परिवर्तन योजना के खण्ड 32 में उल्लिखित मूलभूत विशिष्टताओं में या शुल्क और देय व्यय में किया जाना हो या अन्य कोई परिवर्तन जिससे प्लान संशोधित होता हो या सदस्यों का हित प्रभावित होता हो, तो ऐसा प्रस्तावित परिवर्तन तब तक न किया जाए जब तक तीन-चौथाई सदस्यों की सहमति न ले ली जाए ।

यूनिटधारकों के अधिकार :—

1. योजना के अधीन यूनिटधारक को योजना की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा योजना द्वारा अर्जित आय में समानुपातिक अधिकार है ।

2. यूनिटधारक को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उसके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो तथा यूनिटधारक को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे ।

3. यूनिटधारक को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

4. आय की घोषणा किए जाने के 42 दिनों के भीतर यूनिटधारक आय वारन्ट को प्रेषित किए जाने के हकदार हैं।

5. "यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखना/समनुदेशन" पर खण्ड 23 में दी गई शर्तों के अधीन, ट्रस्ट अंतरण को पंजीकृत करेगा और यूनिट प्रमाणपत्र दाखिल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ अंतरण संबंधी लिखत वापस करेगा।

कर मार्गदर्शक :

कर छूट

प्रचलित आयकर अधिनियम के अंतर्गत उन मामलों में जहां पर निवेश करनेवाली संस्थाएं निम्नलिखित हैं :—

(1) धर्मार्थ और धर्मादा न्यास :—

धर्मार्थ और धर्मादा न्यास की आय किसी भी वर्ष में आयकर से पूरी तरह मुक्त होगी यदि जिस वर्ष आय अर्जित की गई हो उसी वर्ष उसका 75% ट्रस्ट के किसी भी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया हो (आयकर अधिनियम की धारा 11)। इस प्रकार धर्मार्थ और धर्मादा न्यास वर्ष की आय का 25% को भविष्य के वर्षों में धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों पर खर्च करने के लिए अलग रख सकते हैं और आय कर से बच सकते हैं। यदि इस प्रकार अलग रखी गई आय उस वर्ष की आय के 25% से अधिक हो तो उस पर आय कर लगेगा। ऐसी अधिक आय, आय कर से मुक्त होगी, यदि उसका आयकर अधिनियम की धारा 11 (2) (ख) में उल्लिखित "स्वीकृत प्रतिभूतियों" में निवेश किया गया हो। यू टी आई के यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियों में से एक हैं। कोई धर्मार्थ और धर्मादा न्यास जो कि अपनी अतिरिक्त निधियों का यूनिटों में निवेश करता है, आयकर से छूट के योग्य होगा।

आयकर अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कर में छूट के लिए योग्य एक शर्त यह है कि ट्रस्ट के धन और अन्य निधि का स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहिए। यूटीआई की यूनिटें स्वीकृत प्रतिभूतियों में से एक है।

(2) धारा 23एए में दर्शायी गयी कोई भी संगठित निधि/अन्य संस्थाएं : ये प्रचलित कर विधि के अनुसरण में होगी।

स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं होगी

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 अथवा 12 अथवा 10(22) अथवा 10(22ए) अथवा 10(23) अथवा 10 (23एए) या 10(23सी) के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रारूप में घोषणा किए जाने के आधार पर उनसे स्रोत पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।

उपर्युक्त को छोड़कर अन्य संस्थाओं के मामले में स्रोत पर कर कटौती प्रचलित कर विधि के अनुसार होगी।

धन कर : वित्तीय आस्तियां जैसे शेयर और भारतीय यूनिट ट्रस्ट और अन्य म्यूचुअल फंडों के यूनिट धन कर देयता से मुक्त हैं।

टिप्पणी: सांविधिक निगमों जैसे आईडीबीआई और ऐसी ही अन्य संस्थाओं के संबंध में आयकर अधिनियम और धन कर अधिनियम के अन्तर्गत कर लाभ/छूट, अन्य बातों के साथ साथ उन्हें संचालित करने वाले विशेष अधिनियमों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसरण में, संचालित होगी।

इस योजना के अंतर्गत निवेश में से होने वाले कोई भी दीर्घावधि पूंजीगत अभिलाभ, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 और 112 में दिए गए निर्देशों के अधीन होगा।

धारा 54ईए के अंतर्गत पूंजी अभिलाभ कर छूट

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाली संपूर्ण या आंशिक शुद्ध राशि का आईआईएसएफयूएस '97 (2) में किया गया निवेश, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर से छूट के लिए पात्र होगा बशर्ते पुनर्खरीद/अंतरण/गिरवी, आवेदन की स्वीकृति पर तीन वर्षों बाद ही की/किया/रखा जाए।

आयकर धनकर/उपहार कर/पूंजीगत अभिलाभ कर, से संबंधित प्रकटीकरण प्रचलित आयकर अधिनियम के अनुरूप होगा।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन पाईंट, बम्बई-400021 में स्थित है।

अभिरक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे ट्रस्ट की योजनाओं/फंडों/प्लानों की सभी संपत्तियों की सुपुर्दगी लें और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखें। अभिरक्षक प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करेंगे। जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा। अभिरक्षक सभी सूचनाएं रिपोर्ट अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/फंडों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध कराएंगे।

लेखा परीक्षक

मेसर्स एस० के० कपूर एण्ड कं० 16/98, एलआईसी बिल्डिंग, दी माल, कानपुर-208001 और मैसर्स चतुर्वेदी एण्ड कंपनी, । सनदी लेखाकार, 60, बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता-700069 योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है, और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन है।

निवेशकों की शिकायतें

01–10–96 से 30–09–97 तक की अवधि के लिए प्राप्त शिकायतों की संख्या, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, उन्हें नीचे दिया गया है।

योजना का नाम	प्राप्त शिकायतें शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
1	2	3	4	5
सी सी सी एफ	945	880	65	6.88%
सी जी जी एफ	8854	8454	400	4.52%
सी जी एस–83	601	513	88	14.64%
सी जी यू एस–91	4431	4408	23	0.52%
सी आर टी एस	344	344	10	2.91%
डी आई पी-91	3433	3379	54	1.57%
डी आई यू पी–93	620	609	11	1.77%
डी आई यू पी–95	1847	1817	30	1.62%
डी आई यू एस–90	1947	1917	30	1.54%
डी आई यू एस–91	3109	3061	48	1.54%
डी आई यू एस–92	2556	2510	46	1.80%
ई ओ एफ	1209	1201	8	0.66%
जी सी जी आई	35305	33992	1313	3.72%
जी एम आई एस–91	18463	18149	314	1.70%
जी एम आई एस–92	10944	9594	1350	12.34%
जी एम आई एस–92 (2)	1058	897	161	15.22%
जी एम आई एस–बी–92	893	869	24	2.69%
जी एम आई एस–बी–92 (2)	2384	2333	51	2.14%
ग्रैंडमास्टर–93	1858	1846	12	0.63%
जी यू पी–94	1255	1182	73	5.82%
एच यू एस	300	275	25	8.33%
आई आई एस एफ यू एस	3	3	0	0.00%
मास्टर गेन–92	169535	166983	2552	1.51%
मास्टरग्रोथ–93	8988	8940	48	0.53%
मास्टर प्लस–91	14010	13245	765	5.46%
मास्टर शेयर–86	22133	19783	2350	10.62%
एम ई पी–91	4551	4360	191	4.20%
एम ई पी–92	22187	21291	896	4.04%
एम ई पी–93	67170	66454	716	1.07%
एम ई पी–94	46830	45510	1320	2.82%
एम ई पी–95	8988	8970	18	0.20%

1	2	3	4	5
एमईपी–96	3622	3598	24	0.66%
एमईपी–97	749	707	42	5.61%
एम आईपी–93	2403	2398	5	0.21%
एम आईपी–94(I)	3036	2977	59	1.94%
एम आईपी–94 (II)	2969	2905	64	2.16%
एम आई पी–94 (III)	7843	7796	47	0.60%
एम आई पी–95	7642	7544	98	1.28%
एम आईपी–95 (I)	7958	7863	95	1.19%
एम आईपी–95 (III)	6921	6803	118	1.70%
एम आई पी–96	6075	5957	118	1.94%
एम आईपी–96 (II)	5462	5352	110	2.01%
एम आईपी–96 (III)	6662	6518	144	2.16%
एम आई पी–96 (IV)	13430	12665	765	5.70%
एम आईपी–97	6019	4999	1020	16.95%
एम आई पी–97 (I)	3693	3139	554	15.00%
एम आईपी–97 (III)	590	463	127	21.53%
एम आई एस–जी–93	4714	4656	58	1.23%
एम आई एस जी–90 (I)	4463	3176	1287	28.84%
एम आई एस जी–90 (II)	2131	2035	96	4.50%
एम आई एस जी–91	2366	2337	29	1.23%
ओ।मनी-प्लान	68	60	8	11.76%
पी ई एफ	451	364	87	19.29%
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	3589	3447	142	3.96%
आर बी पी	1821	1640	181	9.94%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	721	599	122	16.92%
यू जी एस–2000	8176	7631	545	6.67%
यू जी एस–5000	5370	5131	239	4.45%
यूलिप	8883	7756	1127	12.69%
यू एस–64	133079	127182	5879	4.43%
यू एस–92	8041	7791	250	3.11%
यू एस–95	2	2	0	0.00%
कुल	735700	709250	26450	3.60%

शिकायतें लंबित रहने के कारण —

(1) संग्रहण कर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियां का प्राप्त न होना।

(2) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण।

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना।

(4) मार्ग में खो जाना।

(5) डाक सेवा विलंब।

6) अंतरण मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना।

(7) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा।

(8) कमीशन प्राप्त न होना/विलंब से प्राप्त होना।

(9) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना।

शिकायतें/आपत्तियों के प्रकार के अनुसार ट्रस्ट निवेशक बैंक रजिस्ट्रार को उक्त का निवारण करने हेतु लिखता है।

सभी निवेशक अपनी शिकायतें निवेश संबंधी पूर्ण विवरण देते हुए संबंधित निवेशक संपर्क कक्ष को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

पश्चिमी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
कामर्स सेंटर, 1, 28वीं मंजिल,
विश्व व्यापार केन्द्र, जीडी सोमानी मार्ग,
कफ परेड,
मुंबई–00005।
टेली : 218 0172/2181600

पूर्वी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष, 2, फेयरली प्लेस,
2री मंजिल,
कलकत्ता–700001।
टेली : 243458।

दक्षिणी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
यूटीआई हाऊस,
राजाजी मार्ग,
चेन्नई–600001।
टेली : 517101 विस्तारित : 360/364

उत्तरी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
हेरॉल्ड हाऊस, 2री मंजिल,
5ए, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली–110002।
टेली : 3329860

रजिस्ट्रार

आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात् सेवाएं ट्रस्ट के मुंबई शाखा कार्यालय द्वारा कामर्स सेंटर–1, 28वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई–400005 पर प्रदान की जाएगी। ट्रस्ट के पास आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग करने, प्रमाणपत्रों को प्रेषित करने, बिक्री पर्यंत सेवाओं को निर्धारित समय के भीतर निपटाने और निवेशकों की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।

निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केन्द्रीय निवेशक सम्पर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय बेसमेंट द्वार नं० 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई 400020 में उपलब्ध किया जाएगा।

- यू टीआई अधिनियम
- सामान्य विनियम
- अभिरक्षक के साथ किया गया करार
- आईआईएसएफयूएस 97 (II) के पेशकश दस्तावेज की प्रति।

यू टी आई की पिछली संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना का ब्यौरा

योजनाएं	आईआईएसएफयूएस 93	आईआईएसएफयूएस 95	आईआईएसएफयूएस 96	आईआईएसएफयूएस
प्रारंभ होने की तिथि	01–03–1993	01–10–1995	01–01–1997	01–07–1997
समापन की तिथि	01–04–1998	30–09–2000	31–12–2001	30–06–2002
आय वितरण	16 प्रतिशत प्र० व० (अर्ध वार्षिक)	15 प्रतिशत प्र० व० पहले तीन वर्ष के लिए (अर्ध वार्षिक)	10 प्रतिशत प्र० व० पहले वर्ष के लिए (अर्ध वार्षिक)	15 प्रतिशत प्र० व० संपूर्ण पांच वर्ष के लिए (वार्षिक)
संग्रहीत राशि	1276.87 करोड़ रु०	177.70 करोड़ रु०	196.35 करोड़ रु०	675.57 करोड़ रु०
आवेदन पत्रों की संख्या	518	292	247	324

पूर्ववर्ती आंकड़े

पूर्ववर्ती आंकड़े	1993-94	1994-95	1995-96		31-12-1996		
	आईआई एमएफ'93	आईआई एमएफ'93	आईआई एमएफ'93	आईआई एमएफ'95	आईआई एमएफ'93	आईआई एमएफ'95	आईआई एमएफ'96
(क) शुद्ध आस्ति मूल्य, प्रति यूनिट	10.42	10.22	10.15	11.00	9 95	10 68	10.35
(ख) सकल आय प्रति यूनिट में विभक्त:							
(i) निवेशों के बिक्री पर लाभ के अतिरिक्त आय, प्रति यूनिट	1.11	1.27	1.51	1.33	0.46	0.68	0.10
(ii) निवेश के अंतर योजना बिक्रय/अंतरण पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	0.46	0.36	0.01	0.06	0.13	0.00	0.00
(iii) तृतीय पक्ष को निवेशों के बिक्री पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	0.03	0.10	0.02	0.09	0.01	0.00	0.00
(4) पिछले वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अंतरण प्रति यूनिट							
(ग) कुल व्यय उपलिखित परिशोधन	—	—	0.07	—	0.18	0.09	—
एवं प्रभार, प्रति यूनिट	0.06	0.01	0.01	0.05	0.00	0 03	0.01
(घ) शुद्ध आय प्रति यूनिट	1.55	1.71	1.61	1.42	0.77	0.74	0.09
(ङ) निवेशों के मूल्य में अप्राप्त मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास प्रति यूनिट	0.03	−0.21	−0.11	0 73	−0.42	0.51	0.26
(छ) बाजार मूल्य							
उच्चतम	—	—	—	—	—	—	—
न्यूनतम	—	—	—	—	—	—	—
पुनर्खरीद मूल्य							
उच्चतम	—	—	10 50	—	10 40	10.85	—
न्यूनतम	—	—	10.22	—	9.90	10.25	—
बिक्री मूल्य							
उच्चतम	—	—	—	—	—	—	—
न्यूनतम	—	—	—	—	—	—	—
लाभ उपार्जन अनुपात	—	—	—	—	—	—	—
(ज) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट व्यय का अनुपात प्रतिशत में	0.58%	0.09%	0.10%	0.45%	—	0 28%	0.10%
(झ) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट सकल आय का अनुपात प्रतिशत में (गत वर्ष के आरक्षित से राजस्व लेखे में अंतरण को छोड़कर परंतु अप्राप्त निवेशों में बढ़ोतरी को सम्मिलित करते हुए)	18.33%	16.67%	15.21%	19.55%	7 66.	11 53%	3 38%
(ञ) प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य	10.42	10.22	10.15	11 00	9.95	10 68	10.35

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग

मुम्बई-4000020, दूरध्वनि : 2066468

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल : केन्द्र-1, 28 वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई-400005, दूरध्वनि : 2181600/2181254, पूर्वी अंचल : 2 फेयरली प्लेस दूसरी मंजिल, कलकत्ता-700001 दूरध्वनि : 2209391/2205322 दक्षिणी अंचल : यूटीआई हाउस, 29, राजाजी सालै, चेन्नई-600001, दूरध्वनि : 517101 उत्तरी अंचल : जीवन भारती, 13 वीं मंजिल, टावर 2, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, दूरध्वनि : 3329860 ।

पश्चिमी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

अहमदाबाद : बी जे हाउस, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009, दूरध्वनि : 6423043 बड़ौदा : मेघधनुष, चौथी और पांचवीं मंजिल, ट्रान्सपेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390015, दूरध्वनि : 332481 भोपाल : पहली मंजिल, गंगाजमुना कमर्शियल काम्प्लैक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल 1, स्कीम 13, हबीब गंज, भोपाल-462001, दूरध्वनि : 558308 इन्दौर : सिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, 570, एम जी रोड, इन्दौर-452001, दूरध्वनि : 22796, मुम्बई : (1) यूनिट सं. 2, ब्लाक 'बी' गुलमोहर क्रास रोड नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400049, दूरध्वनि : 6201995 मुंबई : (2) दर्शपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आंध्र बैंक के ऊपर सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई-400703, दूरध्वनि : 7672607 मुम्बई : (3) लोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196 जमशेदजी टाटा रोड, बैकबे रिक्लमेशन, मुबंई-400020, दूरध्वनि : 2850821, मुम्बई : (4) श्रद्धा शापिंग आर्केड, पहली मंजिल एस वी रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुम्बई-400092, दूरध्वनि : 8020521 मुंबई : (5) सागर सोनांजा, पहली मंजिल, सीत लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुम्बई-400086, दूरध्वनि : 5162256, कोल्हापुर : अयोध्या टावर्स, सी एस नं. 511, कोएच-1/2, 'ई' वार्ड, दाभोलकर कार्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416001, दूरध्वनि : 657315, नागपुर : श्री मोहिनी काम्प्लैक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, नागपुर-440001, दूरध्वनि : 536893 नासिक : सारडा संकुल, दूसरी मंजिल, एम. जी. रोड, नासिक-422001, दूरध्वनि : 572166 पणजी : ई.डी.सी. हाउस, भूतल, डा. ए बी मार्ग, पणजी, गोवा-403001, दूरध्वनि : 222472 पुणे : सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183 फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे-411005, दूरध्वनि : 325954 राजकोट : लल्लूभाई सेंटर, चौथी मंजिल, लाखाजी राज रोड, राजकोट-360001, दूरध्वनि : 35112 सूरत : सैफी बिल्डिंग, डच रोड, नानपुरा, सूरत-395001, दूरध्वनि : 434550, ठाणे : यूटीआई हाउस, स्टेशन रोड, ठाणे (प.)-400601, दूरध्वनि : 5400905 ।

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : ओसीएचसी बिल्डिंग, 1 ली एवं 2री मंजिल, 24, जनपथ खारवेल नगर, राम मंदिर के समीप, भुवनेश्वर-751001, दूरध्वनि : 410995, कलकत्ता : 2, फेयरली प्लेस, कलकत्ता 700001, दूरध्वनि : 2209391, दुर्गापुर : तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर 713216, दूरध्वनि : 546136 गुवाहाटी : हिन्दुस्तान बिल्डिंग, 1 ली मंजिल, एम एल नेहरू रोड, पानबाजार, गुवाहाटी 781001, दूरध्वनि : 543131 जमशेदपुर : 1-ए, राममंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंजिल, बिस्टुपुर, जमशेदपुर 831001, दूरध्वनि : 425508 पटना : जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवी मंजिल, एक्जिबिशन रोड, पटना 800001, दूरध्वनि : 235001 सिलीगुड़ी : जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सारनी, सिलीगुड़ी-734401, दूरध्वनि : 424671 ।

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : रहेजा टावर्स, 26-27, 12वीं मंजिल, पश्चिमी स्कंध, एम जी मार्ग, बंगलोर 560001, दूरध्वनि : 5595691 कोचीन : जीवन प्रकाश, पांचवीं मंजिल, एम जी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682011, दूरध्वनि : 362354, कोयम्बत्तूर : चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्ट्स कालेज रोड, कोयम्बत्तूर 641018, दूरध्वनि : 214973, हुबली : कालबर्गी मेंशन, 4 थी मंजिल, लेमिंगटन रोड, हुबली 580020, दूरध्वनि : 363963, हैदराबाद : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद 500195, दूरध्वनि : 511095 चेन्नई : यू.टी.आई. हाउस, 29, राजाजी सलाई, चेन्नई 600001, दूरध्वनि : 517101, मदुरई : तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परनकुन्द्रम रोड, मदुरई 625001, दूरध्वनि : 38186, मंगलोर : सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, बाल-मत्ता रोड, मंगलोर-575001, दूरध्वनि : 426258, तिरुअनंतपुरम : स्वस्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम. जी. रोड तिरुअनंतपुरम 695001, दूरध्वनि : 331415 त्रिची : 104, सलाई रोड, वोरैयूर, तिरुचिरापल्ली 620003, दूरध्वनि : 760060, त्रिचूर : 28/700, वेस्ट पल्लिथामाम बिल्डिंग, करुणाकरण नंबियार रोड, राउंड नार्थ, त्रिचूर 680020, दूरध्वनि : 331259, विजयवाड़ा : 27-37-156, बन्दर रोड, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा 520002, दूरध्वनि : 74434 विशाखापट्टनम : रत्ना आर्केड, तीसरी मंजिल, 47/15/6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापट्टनम 530016, दूरध्वनि : 548121 ।

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा-282002 दूरध्वनि : 54408 इलाहाबाद : यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद 211003 दूरध्वनि : 400521, अमृतसर : श्री द्वारकाधीश काम्प्लैक्स, दूसरी मंजिल, क्वीन्स रोड, अमृतसर-143001, दूरध्वनि : 210367, चंडीगढ़ : जीवन प्रकाश, एलआईसी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017 दूरध्वनि : 703683, देहरादून : दूसरी मंजिल, 59/3, रायपुर रोड, देहरादून 248001, दूरध्वनि : 746720, फरीदाबाद : बी-614-617, नेहरू ग्राउंड, एन आई टी, फरीदाबाद-121001, दूरध्वनि : 219156, गाजियाबाद : 41, नवयुग मार्केट, सिंघानी गेट के समीप, गाजियाबाद-201001, दूरध्वनि : 790366, जयपुर : आनंद भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर 302001, दूरध्वनि : 365212, कानपुर :

16/79इ, सिविल लाइन्स, कानपुर 208001, दूरध्वनि : 317278, लखनऊ : रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ 226001, दूरध्वनि : 238591, लुधियाना : सूर्यकिरण फेस-2, 92, दि माल, लुधियाना 141001, दूरध्वनि : 441264, नई दिल्ली : गुलाब भवन, दूसरी मंजिल, 6, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002, दूरध्वनि : 3318638, शिमला : फ्लैट नं. 401, 402, 403, 405 मुकेश अपार्टमेन्ट्स, फिंगास्क एस्टेट, होटल मील के समीप, शिमला-171002, दूरध्वनि : 257803, वाराणसी : पहली मंजिल, डी/58/2ए-1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी-221001, दूरध्वनि : 358606 ।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुम्बई, दिनांक 5 जनवरी 1998

स० यूटी/डीबीडीएम/आर–96/एसपीडी 74–एफ/97–98 —भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाए गए मास्टर इक्विटी प्लान 1998 जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत बनाई गई यूनिट योजना, इक्विटी सम्बद्ध बचत योजना 1998 से संबंधित है, का पेशकश दस्तावेज, जिसे 16 अक्तूबर, 1997 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है ।

ए० जी० जोशी,
महाप्रबंधक,
व्यवसाय विकास एवं विपणन

मास्टर इक्विटी प्लान 1998

पेशकश (आफर) दस्तावेज

24 नवम्बर, 1997 से 31 मार्च, 1998 तक पेशकश खुली रहेगी

मास्टर इक्विटी प्लान 1998 भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अंतर्गत बनाया गया है जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई इक्विटी सम्बद्ध बचत यूनिट योजना 1998 के संबंध में है ।

* प्लान के विवरण भारत सरकार की ईएलएसएस योजनाओं पर अधिसूचना और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अनुसार तैयार किए गए हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं, न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है ।

प्लान का उद्देश्य

इक्विटी सम्बद्ध बचत योजना पर सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बनाए गए इस प्लान का उद्देश्य निवेश की गई राशि पर कर छूट उपलब्ध कराना तथा कुछ अवधि के बाद कथित राशि में उचित वृद्धि प्रदान कर यूनिट-धारकों को दोहरा लाभ देना है ।

विशिष्टताएं

- यह एक दस वर्ष का प्लान है ।
- प्लान इनके लिए खुला है : निवासी वयस्क व्यक्तियों/अवयस्कों/हिंदू अविभक्त परिवारों/व्यक्तियों का कोई संघ या व्यक्तियों का निकाय, जिसमें किसी भी मामले में केवल पति और पत्नी शामिल होंगे जो गोवा राज्य और संघशासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली और दमन और दिव क्षेत्रों में प्रचलित सामुदायिक या सांपत्तिक प्रणाली से नियंत्रित हैं ।
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 88 के अन्तर्गत इस प्लान में किया गया निवेश, रु० 60,000/– की संपूर्ण सीमा के भीतर रु० 10,000/– तक की निवेशित राशि का 20% आयकर छूट के योग्य होगा ।
- आबंटन की तिथि से 3 वर्षों की आरंभिक समय बंदी के बाद पुनर्खरीद की अनुमति होगी ।
- प्लान में नवम्बर 97, दिसम्बर 97, जनवरी 98, फरवरी 98 और 15 मार्च 98 तक में शामिल होने हेतु निवेश की गई राशि पर क्रमश: 4.5%, 3.5%, 2.5%, 1.5% और 1% की दर से निवेशकों को क्षतिपूर्ति अदा की जाएगी ।
- पूंजी वृद्धि पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 तथा 112 के अंतर्गत कर लाभ ।
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54ईए तथा 54ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा बशर्ते स्वीकृति तिथि से क्रमश: 3/7 वर्ष की समय बंदी के बाद किया जाएगा । तथापि धारा 54ईए/54ईबी के अंतर्गत आयकर छूट का लाभ प्राप्त कर रहे निवेशक, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली कर की छूट के लिए पात्र नहीं होंगे ।

जोखिम के तत्व

- प्लान के यूनिटों में निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है और प्लान के शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का ऊपर या नीचे जाना प्लान के पोर्टफोलियो पर बाजार की शक्तियों के प्रभाव पर निर्भर करता है ।
- ट्रस्ट की पहले की योजनाओं/प्लानों का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है ।

इस प्लान के लक्ष्यों की प्राप्ति का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।

● मास्टर इक्विटी प्लान 1998 केवल प्लान का नाम है और यह किसी भी प्रकार से प्लान की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है। निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि इस प्लान में निवेश करने से पहले पेशकश की शर्तों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर लें।

प्रबंधन के विचार से जोखिम के तत्व

ट्रस्ट 33 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और इसने 500 लाख से अधिक निवेशकों से लगभग 58,000 करोड़ रुपये की निधियों के प्रबंधन में निपुणता हासिल की है।

नीचे दी गई सारणी ट्रस्ट द्वारा आरंभ किए गए पिछले मास्टर इक्विटी प्लानों का कार्य निष्पादन दर्शाती है :

	1996-97		1995-96		1994-95	
	एनएवी (उच्चतम)	एनएवी (न्यूनतम)	एनएवी (उच्चतम)	एनएवी (न्यूनतम)	एनएवी (उच्चतम)	एनएवी (न्यूनतम)
मास्टर इक्विटी प्लान 1991	29.26 (03-07-96)	19.97 (04-12-96)	31.10 (19-06-96)	23.10 (24-01-96)	41.92 (14-09-94)	27.36 (03-05-95)
मास्टर इक्विटी प्लान 1992	17.90 (25-06-97)	12.80 (04-12-96)	18.25 (19-06-96)	13.08 (24-01-96)	22.84 (14-09-94)	15.04 03-05-95)
मास्टर इक्विटी प्लान 1993	16.61 (25-06-97)	11.20 (04-12-96)	16.99 (19-06-96)	12.61 (24-01-96)	22.52 (17-08-94)	14.32 (03.05.95)
मास्टर इक्विटी प्लान 1994	9.27 (17-07-96)	6.52 (04-12-96)	9.82 (19-06-96)	7.24 (24-01-96)	8.52 (24-05-95)	8.32 (28-06-95)
मास्टर इक्विटी प्लान 1995	11.24 (10-07-96)	8.16 (04-12-96)	11.90 (19-06-96)	8.68 (24-01-96)	—	—
मास्टर इक्विटी प्लान 1996	12.07 (25-06-97)	08.73 (04-12-96)	—	—	—	—
मास्टर इक्विटी प्लान 1997	11.71 (25-06-97)	10.46 (28-05-97)	—	—	—	—

यूटीआई की स्थापना

यूटीआई अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को पोद्भूत होने वाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता था। ट्रस्ट ने 1 जुलाई 1964 से काम करना आरंभ किया था।

यूटीआई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। बोर्ड के अलावा एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी शामिल हैं। यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर विचार करने के लिए सक्षम है।

न्यासी मंडल

1. श्री जी० पी० गुप्ता दूल्ट	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2. डा० पी०जे० नायक	कार्यपालक न्यासी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
3. श्री आर० वी० गुप्ता	उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक
4. श्री एस० एच० खान	अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
5. श्री एन० एस० सेखसरिया	प्रबंधक निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेंट लि०
6. श्री पी० आर० खन्ना	सनदी लेखाकार
7. श्री जी० कृष्ण मूर्ति	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
8. श्री एम० एस० वर्मा	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
9. श्री एन० वाघुल	अध्यक्ष, आईसीआईसीआई लि०
10. श्री रशीद जिलानी	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पंजाब नैशनल बैंक

इक्विटी सम्बद्ध बचत यूनिट योजना–1998 का ब्यौरा (ईएलएसएस' 98)

I. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरम्भ :

(1) यह योजना इक्विटी सम्बद्ध बचत यूनिट योजना 1998 (ईएलएसएस' 98) कही जाएगी।

(2) यह योजना और इसके अन्तर्गत बना प्लान दस वर्षों के लिए अर्थात् 1 अप्रैल 1998 से 31 मार्च 2008 तक की अवधि के लिए होगा।

(3) यूनिटों की बिक्री 24 नवम्बर 1997 से 31 मार्च 1998 तक की जाएगी।

बशर्ते यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टाक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक आर्थिक कारण होने पर अखबारों में 7 दिनों की नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं।

(4) प्लान इक्विटी सम्बद्ध बचत योजना 1992 में उल्लिखित भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अनुसरण में तैयार किया गया है।

II. परिभाषाएं :

इस योजना और इसके अंतगत बने प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है।

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है।

(ग) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र होगा, जो अवयस्क नहीं होगा और प्लान के खण्ड III के अंतर्गत आवेदन करता हो।

(घ) "अवरुद्ध अवधि" का अर्थ है योजना के अंतर्गत यूनिटों के आवंटन की तिथि से 3 वर्षों की अवधि जिसके दौरान आवेदक को यूनिटें अपने पास रखनी होंगी और पुनर्खरीद के लिए प्रेषित नहीं करनी होंगी।

(ङ) "निर्गमाधीन यूनिटों की संख्या" का अर्थ बिक्री किए गए और शेष यूनिटों की कुल संख्या।

(च) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी सेवाएं ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए ली जा सकें।

(छ) "विनियम" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) अंतर्गत बनाई गई भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है।

(ज) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड जिसे भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अन्तर्गत स्थापित किया गया।

(झ) "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपए के अंकित मूल्य का एक अविभाजित शेयर है।

(ञ) "यूनिट पूंजी" का तात्पर्य फिलहाल इस योजना के अंतर्गत निर्गत और शेष यूनिटों के अंकित मूल्य के योग से है।

(ट) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है।

(ठ) इसमें अपरिभाषित किन्तु अधिनियम/विनियम में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियम में दिए गए हैं।

(ड) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल हैं और सभी पुल्लिंग संदर्भों में स्त्रीलिंग तथा एक में दूसरे के विपर्यय शामिल हैं।

इक्विटी सम्बद्ध बचत योजना 1998 के अंतगत बनाए गए मास्टर इक्विटी प्लान 1998 (एमईपी' 98) के ब्यौरे यहां नीचे दिए जाते हैं :

I. परिभाषाएं :

शब्द (जो) प्लान में परिभाषित नहीं किए गए हैं तथा योजना और अधिनियम/विनियमों में परिभाषित किए गए हैं, उनके अपने-अपने अर्थ योजना/अधिनियम/विनियमों में दिए गए अर्थ हैं।

II. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

इस योजना के अंतर्गत जारी प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये होगा।

III. यूनिटों के लिए आवेदन :

(1) यूनिटों के लिए आवेदन केवल निवासियों द्वारा किए जा सकते हैं, जैसे

(क) निवासी व्यस्क व्यक्ति, एकल रूप से अथवा दूसरे व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से या उत्तरजीवी के आधार पर।

(ख) नाबालिग निवासी की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक।

(ग) हिन्दू अविभक्त परिवार।

(घ) व्यक्तियों का कोई संघ या व्यक्तियों का निकाय, जिसमें किसी भी मामले में केवल पति और पत्नी शामिल होंगे जो गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली और दमन और दिव क्षेत्रों में प्रचलित सामुदायिक या सांपत्तिक प्रणाली से नियंत्रित हैं।

(2) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा यथानुमोदित प्रपत्र में होगा।

IV. निवेश की न्यूनतम राशि :

आवेदन न्यूनतम 50 यूनिटों के लिए किया जाएगा और इसके बाद 50 यूनिटों के गुणकों में किया जाएगा कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

रु० 50,000/- और उससे अधिक निवेश के मामले में, निवेशक को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पीए एन/जीआईआर संख्या है तो वह उसे तथा संबंधित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करे।

V. खर्चों पर सीमा

निर्गम के आरंभिक खर्चे प्लान के अंतर्गत एकत्र निधि के 6% से अधिक नहीं होंगे। प्लान के प्रारंभिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :

व्यय	%
मुद्रण और डाक	1.50
प्रचार और मार्केटिंग	1.75
एजेंटों को कमीशन	1.50
स्टाम्प शुल्क	0.50
रजिस्ट्रारों के लिए प्रभार	0.50
बैंक प्रभार	0.25
योग	6.00

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपये के कम से कम 94 पैसे का इस प्लान में निवेश किया जाएगा। आरंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर प्लान का निम्नलिखित व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य के 3% से अधिक नहीं होगा। अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार है :

व्यय	%
प्रशासनिक व्यय	0.90
अभिरक्षण शुल्क	0.50
विकास प्रारक्षित निधि	0.25
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
रजिस्ट्रारों के लिए शुल्क	0.50
योग	2.25

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों में परस्पर परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं। फिर भी, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अनुसार कुल आरंभिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि की 6% की सीमा के भीतर होगा।

योजना के कुल आवर्ती व्ययों में आरंभिक निर्गम व्ययों तथा प्रतिदान व्ययों को छोड़कर प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि और कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान आदि खर्चों की सीमा निम्नानुसार होगी :

(i) 100 करोड़ रुपए की औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य 2.50% के भीतर रहेगा।

(ii) 300 करोड़ रुपए के लिए साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य 2.25% रहेगा।

(iii) दूसरे 300 करोड़ रुपए के लिए साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य 2.00% रहेगा।

(iv) लेखों के तुलन पर आस्तियां 1.75% होगा।

प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान और कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान आदि सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के विनियम 52 के खंड 2 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं होंगे। यू०टी०आई० किसी प्रकार की निवेश प्रबंधन तथा परामर्श शुल्क वसूल नहीं करेगी जैसा कि सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अंतर्गत दर्शाई गई है। तथापि यू०टी०आई० यह सुनिश्चित करेगा कि आरंभिक-निर्गम व्ययों, तथा वार्षिक आवर्ती व्यय सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के विनियम 52 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सीमा के के भीतर ही होगा।

VI. भुगतान विधि :

(1) (i) किसी आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। जहां आवेदन ट्रस्ट के शाखा कार्यालयों में जमा किए जाएं, वहां चेक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित

किए जाएं, जिस शहर में स्थित कार्यालय में आवेदन जमा किया जाता है। लेकिन जहां आवेदक ट्रस्ट के कार्यालय / संग्रहण केंद्र/ विशेष अधिकृत कार्यालय वाले स्थान से भिन्न स्थान से आवेदन करना चाहे तो आवेदित यूनिटों के लिए आवेदन पत्र के साथ देय बैंक ड्राफ्ट के लिए देय बैंक प्रभार, भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देशानुसार घटाकर बैंक ड्राफ्ट भेजते हुए ऐसा कर सकता है। संग्रहण केंद्र/विशेष बिक्री कार्यालयों को यह प्राधिकार दिया जाता है कि वे स्थानीय रूप से देय चेक या जहां तक योजना को विकेंद्रीकृत किया गया है, उदाहरणार्थ, यदि आवेदन राशि रु० 10,000/- है तथा बैंक ड्राफ्ट प्रभार इस राशि के लिए रु० 20/- है। इस तरह, ड्राफ्ट रु० 9,980/- (रु० 10,000/- में से रु० 20/- घटाकर) के लिए बनवाया जा सकता है। ड्राफ्ट कमीशन प्रभार प्लान के आरंभिक निर्गम व्ययों का एक अंश होगा।

किंतु जहां ट्रस्ट का कार्यालय/संग्रहण केंद्र/ विशेष अधिकृत कार्यालय है और आवेदन स्थानीय बैंक ड्राफ्ट के साथ मिला है तो बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक को ही भरना होगा।

(ii) यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा आवेदन प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चेक की वसूली हो।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो, लेकिन आवेदन ड्राफ्ट के जारी किए गए दिनांक से 7 दिनों के भीतर ट्रस्ट या संग्रहण केन्द्र को प्राप्त हो जाए। यदि आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान की गई राशि आवेदित यूनिटों के लिए देय राशि से कम हो, तो आवेदक को उतनी ही कम संख्या में यूनिट जारी किए जाएंगे, जितने इस योजना के अंतर्गत किए जा सकेंगे। उसको देय शेष राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति से उसके खर्च पर उसे वापस कर दी जाएगी।

(2) (क) आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार ट्रस्ट का होगा :

ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक से योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिट जारी करने के लिये आवेदन स्वीकृत और/ या अस्वीकृत कर सके। योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम होगा।

(ख) अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं

आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर, अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बिना किसी ब्याज या अन्य राशि के, चाहे जो भी हो, आवेदन राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी। राशि अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने पर वापस की जाएगी।

(3) यूनिट जारी होने से पहले आवेदक को योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा :

योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में यूनिटों के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं जैसे नाबालिग के मामले में जन्म प्रमाणपत्र, ए०ओ०पी०/एच०यू०एफ० आदि के मामले में शपथ पत्र आदि पूरी करनी होंगी। अपेक्षाएं पूरी करने या नहीं करने के प्रति ट्रस्ट की संतुष्टि उसके अपने विवेक पर निर्भर होगी। गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाला व्यक्ति अपनी यूनिट धारिता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम यूनिट धारकों की पंजी से काट दिया जाएगा।

ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25% दण्ड के तौर पर घटाने के बाद सममूल्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिट की पुनर्खरीद करे और गलती से भुगतान किये गये आय वितरण की वसूली पुनर्खरीद राशि से करे और शेष वापस करे।

पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिए राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

VII. यूनिटों की बिक्री :

प्लान के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री की पेशकश 24 नवम्बर 1997 से 31 मार्च, 1998 तक (दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए) खुली रहेगी।

ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में 31 मार्च, 1998 को कारोबार का समय समाप्त होने के बाद और उसके उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों को अवैध माना जाएगा और उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटों की बिक्री सममूल्य पर होगी। यूनिटों की बिक्री के लिए संविदा ट्रस्ट द्वारा स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी। बिक्री संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र आवेदक को यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो इस बात का साक्ष्य होगा कि उसे योजना और इसके अन्तर्गत बनाए गए प्लान में यूनिटधारकों के रूप में शामिल कर लिया गया है। प्रेषित यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा। ट्रस्ट प्लान के अन्तर्गत यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से 6 सप्ताह के भीतर यूनिट प्रमाण पत्र भेजेगा।

8. निवेशकों को क्षतिपूर्ति :

प्लान में शामिल होने की तिथि के अनुसार निवेशक को निवेश राशि पर निम्नलिखित रूप से क्षतिपूर्ति राशि अदा की जाएगी :

24–11–97	से	30–11–97	तक	4.5%
01–12–97	से	31–12–97	तक	3.5%
01–01–98	से	31–01–98	तक	2.5%
01–02–98	से	28–02–98	तक	1.5%
01–03–98	से	15–03–98	तक	1.0%

क्षतिपूर्ति राशि चेक के जरिए अदा की जाएगी और चेक यूनिट प्रमाणपत्र के साथ भेज दिया जाएगा। शीघ्र निवेश के लिए अदा की गई क्षतिपूर्ति राशि प्रोत्साहन राशि अथवा यू० टी० आई० द्वा निवेशकों के लिए पेश किया गया कोई विशेष लाभ नहीं है। यह क्षतिपूर्ति राशि पूर्व आबंटन अवधि के दौरान अर्थात् अभिदान अवधि की समाप्ति तक प्रारंभिक निर्गम व्ययों और निधि द्वारा उत्पादित आय में भी शामिल होगी।

9. यूनिटों का आबंटन :

31 मार्च, 1998 को यूनिटों का आबंटन किया जाएगा।

10. अवरुद्ध अवधि :

प्लान के अन्तर्गत यूनिटधारक द्वारा किए गए निवेश को आबंटन की तारीख से कम से कम 3 वर्ष की अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2001 तक रखा जाएगा। यह 3 वर्ष की अवधि "अवरुद्ध अवधि" कही जाएगी।

प्लान की इस तीन वर्षों की अवधि के दौरान यूनिटों की पुनर्खरीद नहीं की जाएगी। हालांकि, सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में, उक्त सदस्य को यूनिटें आबंटित करने की तारीख से एक वर्ष पूर्ण होने के बाद, वैध उत्तराधिकारी या योजना के अन्तर्गत यू०टी०आई० की बहियों में पंजीकृत नामित व्यक्ति, मृत सदस्य के नाम जमा यूनिटों को पुनर्खरीद के लिए पेश कर सकता है।

11. यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) ट्रस्ट यूनिटों की आबंटन की तिथि (अर्थात् 1 अप्रैल, 1999) से एक वर्ष की समाप्ति के बाद और इसके बाद साप्ताहिक आधार पर पुनर्खरीद मूल्य घोषित करेगा।

(2) पुनर्खरीद मूल्य जिस पर यूनिटें खरीदी जायेंगी उसे समय-समय पर घोषित एन० ए० वी० के आधार पर परिकलित किया जाएगा। एन० ए० वी० सामान्यतः हर बुधवार को आस्तियों के अन्तिम बाजार मूल्य के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा, तथा किसी विशिष्ट सप्ताह के लिए (सोमवार-रविवार) वैध पुनर्खरीद मूल्य, पिछले बुधवार के एन० ए० वी० मूल्य के आधार पर होगा। पुनर्खरीद मूल्य परिकलित करते समय ट्रस्ट, प्रशासनिक लागत और अन्य प्रभार जो औसत एन० ए० वी० के 3% प्रतिवर्ष से ज्यादा नहीं होगा, काटने के लिए स्वतंत्र होगा।

(3) यूनिट प्रमाणपत्र के विधिवत विमोचन के प्राप्त होने पर पुनर्खरीद की जाएगी।

(4) पुनर्खरीद के लिए संविदा स्वीकृति तिथि को पूर्ण समझी जाएगी।

(5) यूनिटधारक के लिए अपनी यूनिटों को उपरोक्त उपखण्ड (1) के अनुसार पुनर्खरीद के लिए पेश करना आवश्यक नहीं होगा तथा योजना के चालू रहने के दौरान वह जब तक चाहे, उन्हें अपने पास रखने के लिए स्वतंत्र होगा।

(6) पुनर्खरीद की गई यूनिटों को पुनः जारी नहीं किया जाएगा।

(7) पुनर्खरीद किए गए यूनिटों के लिए अदायगी ट्रस्ट द्वारा स्वीकृति तिथि के बाद 10 कार्य दिवस के भीतर की जाएगी। आवेदक को देय राशि पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा और ट्रस्ट द्वारा भेजे गए चैक या ड्राफ्ट की वसूली और प्रेषण (डाक सहित) की लागत आवेदक द्वारा वहन की जाएगी और वार्षिक आवर्ती व्यय का ही भाग समझा जाएगा।

12. यूनिटों की पुनर्खरीद पर प्रतिबंध :

प्लान के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिटों की पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा :

(i) ऐसे दिन, जो कार्य दिवस नहीं हो; और

(ii) ऐसी अवधि में (ट्रस्ट द्वारा अधिसूचित) किसी भी कारण हेतु यूनिटधारकों की पंजी बंद रहेगी।

स्पष्टीकरण

इस योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो

(i) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अन्तर्गत अधिसूचित हो और न ही

(ii) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट का कार्यालय बंद रहेगा।

13. पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन :

पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद ट्रस्ट यथाशीघ्र इसे प्रेस को प्रकाशन करने हेतु जारी करेगा।

14. यूनिट प्रमाणपत्र का फार्म

यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट के कार्यपालक निदेशक द्वारा यथा-निश्चित फार्म में होंगे। प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र पर विभेदक संख्या, यूनिटों की संख्या जिनके लिए प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, तथा सदस्य के नाम का उल्लेख होगा।

15. यूनिट प्रमाणपत्र तैयार करने की विधि :

जैसा बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करेगा, यूनिट प्रमाणपत्र उत्कीर्ण या लिथोग्राफ या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा, ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा। ऐसा प्रत्येक हस्ताक्षर, स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी यांत्रिकी विधि से लगाया गया होगा। जब तक यूनिट प्रमाणपत्र इस रूप में हस्ताक्षरित नहीं होगा, तब तक वह वैध नहीं होगा। इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र वैध होगा और इस बात के होते हुए बाध्यकारी होगा कि उसे जारी करने से पहले किसी व्यक्ति, जिसका हस्ताक्षर उस पर है, ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति न रहा हो।

किन्तु इस रूप में तैयार किए गए यूनिट प्रमाणपत्र में किसी प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर है जो प्रमाणपत्र जारी होने के समय मृत है तो ट्रस्ट किसी तरीके से जिसे वह सर्वोत्तम समझता है प्रमाणपत्र पर विद्यमान उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर को निरस्त कर सकता है और उस पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर करवा सकता है। इस रूप में जारी यूनिट प्रमाणपत्र भी वैध होंगे।

16. यूनिट प्रमाणपत्र के कटे-फटे, विरूपित हो जाने, खो जाने की स्थिति में प्रक्रिया :

(1) इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक सदस्य अपना कोई एक या सभी यूनिट प्रमाणपत्रों का अपनी आवश्यकतानुसार किसी भी मूल्यवर्ग के एक या अधिक यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ, जो यूनिटों की समान कुल संख्या दर्शाते हों, विनिमय करने का हकदार रहेगा। उक्त विनिमय के लिए आवेदन करते समय सदस्य ट्रस्ट को विनिमय किये जाने वाला यूनिट प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्रों को अभ्यर्पित करेगा और नया यूनिट प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों के निर्गम के संबंध में सभी धन राशियां (यदि कोई देय हो) ट्रस्ट को अदा करेगा।

(2) यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र कट-फट जाता है या घिस-पिट या विरूपित हो जाता है तो ऐसे मामले में ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जिसके यूनिटों की कुल संख्या उतनी ही होगी जितनी कि कटे-फटे, विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र की थी। यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र खो जाता है, चुराया जाता है या नष्ट हो जाता है तो ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को उसके बदले में नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा। कोई नया यूनिट प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जायेगा जब तक आवेदक—

(i) मूल यूनिट प्रमाणपत्र के कटे-फटे होने, टूटने, विरूपित होने, खो जाने, चुरा लिए जाने या नष्ट हो जाने के संतोषजनक साक्ष्य ट्रस्ट को प्रस्तुत नहीं करता।

(ii) तथ्यों की जांच के संबंध में सभी खर्चों का भुगतान नहीं करता।

(iii) (कटे-फटे या घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र के मामले में) ट्रस्ट को ऐसे कटे-फटे, घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाण पत्र प्रस्तुत और अभ्यर्पित नहीं करता; और

(iv) ट्रस्ट को आवश्यक क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत नहीं करता।

इस खण्ड के प्रावधान के अंतर्गत ट्रस्ट सद्भावना के आधार पर उक्त प्रमाणपत्र जारी करने का उत्तरदायित्व नहीं लेगा।

(3) इस खण्ड के प्रावधान के अन्तर्गत कोई प्रमाण-पत्र जारी करने के पहले ट्रस्ट चाहेगा कि आवेदक इसके द्वारा निर्गत प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र पर पांच रुपए का भुगतान करे। साथ ही ट्रस्ट के मतानुसार किन्हीं प्रभारों या करों के लिए पर्याप्त धन राशि या डाक पंजीकरण खर्च सहित जो उक्त प्रमाणपत्र को जारी करने और प्रेषित करने के सम्बन्ध में देय हो, उसे भी जमा करेगा।

17. यूनिट धारकों का रजिस्टर :

यूनिट धारकों के पंजीकरण के मामले में निम्नलिखित प्रावधान किये जाएंगे —

(1) ट्रस्ट द्वारा यूनिटधारक पंजी रखी जाएगी और जिसमें अन्य के साथ-साथ निम्न प्रविष्टियां दर्ज की जाएंगी।

(क) यूनिटधारकों के नाम और पते;

(ख) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या; और

(ग) जिस व्यक्ति के नाम से यूनिट हैं उसके धारक बनने की तिथि।

(2) किसी सदस्य को अपने नाम और पते में हुए परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को देनी होगी। ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और ट्रस्ट द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी किये जाने पर पंजी में तदनुसार परिवर्तन किया जाएगा।

(3) पंजियों को बंदी अवधि को छोड़कर इसमें इसके पश्चात् इस सम्बन्ध में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्य-अवधि के दौरान (ट्रस्ट द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों के अधीन, किन्तु प्रत्येक कार्य-दिवस में कम-से-कम दो

घंटे निरीक्षण के लिए खुली रहेंगी) सदस्य के निरीक्षण के लिए निःशुल्क और उसकी खुद के निवेश के सम्बन्ध में खुली रहेंगी।

(4) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय और अवधि के लिए पंजी बंद रहेगी। परन्तु किसी भी वर्ष में वह 45 दिनों से अधिक समय के लिए बंद नहीं रहेगी। ट्रस्ट द्वारा ऐसी बंदी की सूचना विज्ञापन के रूप में समाचार पत्र में या अन्य माध्यम से दी जायेगी।

(5) किसी यूनिट के सम्बन्ध में पंजी में किसी दायित्व की स्पष्ट विवक्षित या आन्वयिक सूचना अंकित नहीं की जाएगी।

18. ट्रस्ट के उन्मोचन के लिए सदस्य द्वारा रसीद :

प्रमाणपत्र में अंकित यूनिटों के सम्बन्ध में सदस्य को भुगतान की गयी राशि के लिए उसकी रसीद ट्रस्ट के लिए अच्छा उन्मोचन माना जाएगा।

19. यूनिट धारक द्वारा नामांकन :

(1) नामांकन सुविधा केवल व्यक्तियों के लिए अपनी ओर से अर्थात अकेले या दो व्यक्तियों तक संयुक्त रूप से आवेदन करने पर उपलब्ध है। आवेदक एक व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं। नाबालिग और अनिवासी भारतीय भी नामित किए जा सकते हैं। प्लान के चालू रहने के दौरान आवेदक नामांकन में कभी भी परिवर्तन कर सकता है।

परन्तु यह भी कि नाबालिगों, हिन्दू अविभक्त परिवारों, व्यक्ति संघों और व्यक्ति निकायों की ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति नामांकन नहीं कर सकते।

(2) रजिस्ट्रार ऐसे निर्देशों और प्लान के प्रावधानों के अधीन निर्धारित फार्म जारी कर सकते हैं और उपरोक्त उपखण्ड (1) के अधीन निर्धारित फार्म में नामांकन स्वीकार कर सकते हैं और उसे पंजीकृत कर सकते हैं। वे ऐसे निर्देशों के अधीन ऐसे नामांकनों में विभिन्नता, संशोधन और परिवर्तन और उनका पंजीकरण भी कर सकते हैं।

अन्य प्रावधान विनियमों में किए गए प्रावधानों की सीमा तक होंगे।

20. यूनिटधारक की मृत्यु :

(1) यूनिटों के संयुक्त धारिता के मामले में प्रथम धारक की मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट द्वारा दूसरे नामित यूनिटधारक को ही योजना और उसके अन्तर्गत बड़े प्लान के यूनिटों के हकदार होने या उनके हिताधिकारी होने की मान्यता दी जाएगी।

लेकिन इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात उक्त यूनिटों के संदर्भ में ऐसे जीवित व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

(2) प्लान के अन्तर्गत किसी एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में नामिती को उन यूनिटों के सम्बन्ध में ट्रस्ट द्वारा देय राशि के हकदार व्यक्ति के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जाएगी जो मृत यूनिटधारक के नाम जमा हों।

(3) किसी एकल सदस्य द्वारा वैध नामांकन नहीं किये जाने की स्थिति में मृत व्यक्ति का निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के भाग X के अंतर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र का धारक ही वह व्यक्ति होगा, जिसे यूनिटों के हकदार के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जा सकती है।

(4) यूनिटधारकों (धारकों) की मृत्यु के परिणामस्वरूप यूनिटों के हकदार बनने वाले किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट द्वारा उसके हक के लिए पर्याप्त समझे गए साक्ष्य के प्रस्तुत किए जाने पर मृतक के नाम जमा सभी बकाया यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य (यूनिटों की आबंटन तिथि से 1 वर्ष के बाद) उस पुनर्खरीद मूल्य पर अदा किया जाएगा, जिस तारीख को दावेदार द्वारा दावे से सम्बन्धित सभी औपचारिकताएं पूरी की गई हों।

इक्विटी सम्बद्ध बचत योजना 1998 (ईएलएसएस 98) का ब्यौरा जारी

III. इस योजना से सम्बन्धित आस्तियों का मूल्यांकन :

(1) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों सहित उद्धृत निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार में बंद मूल्य पर या मूल्यांकन की तारीख में साठ दिनों पूर्व की अवधि में बिलकुल हाल की उपलब्ध दर पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तारीख से दो माह पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोद्धृत निवेश माना जाता है।

(2) उद्धृत निवेशों और बाण्डों के मामलों में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है उसे ब्याज तत्व, यदि हो, के लिए समायोजित किया जाता है।

(3) अनोद्धृत/क्रय-विक्रय न की गई इक्विटी उपार्जन का पूंजीकरण तथा बही मूल्य के औसत से (अवशिष्ट मूल्य) 10% घटाकर मूल्यांकित की जाती है।

(4) अनोद्धृत डिबेंचर, बाण्डों और अंतरणीय नोट परिपक्वता पर प्रतिफल लिखतों के दर के आधार पर जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित हो, मूल्यांकित किए जाते हैं।

(5) अनोद्धृत वारंट, पड़े हुए शेयरों की बाजार दर पर लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए बट्टा काट कर तथा देय प्रायोगिक मूल्य को कम करके लिए जाते हैं। जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से प्रायोगिक देय मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।

(6) परिवर्तनीय डिबेंचर और बाण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हों, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, संबंधित इक्विटी शेयरों, जिनमें लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए बट्टा काटा गया हो, पर किया जाता है। ऐसे डिबेंचरों एवं बाण्डों

का अपरिवर्तनीय भाग, यदि हो, का मूल्यांकन परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित हो, मूल्यांकन किए जाते हैं। जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है।

(7) मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन एक से अधिक दलाल या व्यापारी से प्राप्त किए भावों के आधार पर किया जा सकता है।

(8) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, प्रचलित ब्याज दरों पर आधारित, परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) आधार पर किया जाता है।

(9) उपरोक्त पैरा (1) से (8) तक के अनुसार यथासंगणित निवेशों के सकल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की सकल लागत से की जाती है और परिणामी मूल्यह्रास, यदि हो, को राजस्व लेखे से प्रभारित किया जाता है।

4. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का अभिकलन और प्रकटीकरण :

योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के अंतर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन, योजना के उपचयों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग देकर किया जाएगा। इस एनएवी को (पूर्ववर्ती आधार पर) योजना के प्रारम्भ होने से छः महीने बाद 1 अक्तूबर 1998 से और उसके पश्चात साप्ताहिक आधार के रूप में प्रकाशित करने हेतु प्रेस को जारी किया जाएगा।

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना :

जो व्यक्ति सदस्य के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से सदस्यता सूचना जारी की गई है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा सदस्य के रूप में मान्य होगा और चूंकि ऐसे यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिए ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और इस योजना से संबंधित यूनिटों के हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या ईक्विटी या अन्य हित को मान्यता देने के लिए यहां स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान या किसी सक्षम अधिकार वाले न्यायालय के आदेश को छोड़ कर किसी विपरीत नोटिस या किसी न्यास के निष्पादन पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

6. यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखा जाना/समनुदेशन :

यूनिटों के आबंटन की तिथि से 3 वर्ष की अवरुद्ध अवधि के बाद इस योजना के अंतर्गत यूनिटों के अंतरण/गिरवी रखने/समनुदेशन की अनुमति दी जाएगी। अवरुद्ध अवधि के दौरान अथवा उसके बाद किन्तु योजना समाप्त होने के पूर्व एचयूएफ, एओपी, बीओआई से संबंधित यूनिट धारण के विभाजन और/अथवा विघटन की स्थिति में इसमें ऊपर उल्लिखित कुछ भी कथित विभाजन अथवा विघटन के संदर्भ में तत्संबंधी कानून को लागू करने में बाधक नहीं होगा बशर्ते अन्यथा विशिष्ट रूप से सहमति प्रकट की गई हो अथवा उल्लेख किया गया हो और जो कथित कानून, यदि कोई हो, के विरुद्ध न हो। एच यू एफ, ए ओ पी, बी ओ आई के मामलों में आय वितरण और यूनिटों का विभाजन, समय-समय पर प्रचलित तत्संबंधी कानून, यदि कोई हो, के अनुसार नियंत्रित होगा।

7. जारी करने के बाद यूनिटों का अंतरण :

इस योजना के अंतर्गत जारी तथा बकाया सभी यूनिट, आबंटन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के बाद (अर्थात् 1 अप्रैल, 2001 से) निम्न शर्तों के अधीन, मुक्त रूप से अंतरणीय होंगे :

(क) इस योजना के प्रावधानों के अनुसार जारी यूनिट प्रमाणपत्र परक्राम्य रहेगा और जैसा कि इस योजना के प्रावधानों के खण्ड 3 में उल्लेख किया गया है व्यक्तिगत, व्यस्त या अन्य श्रेणियों को अंतरित किया जा सकता है।

अंतरण दस्तावेज की स्वीकृति और अंतरिती का सदस्य के रूप में प्रवेश पूर्णतः ट्रस्ट के विवेकानुसार होगा।

(ख) यूनिट धारण करने की क्षमता रखनेवाले अंतरणकर्ता और अंतरिती के द्वारा और बीच अंतरण प्रभावकारी होगा। किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए ट्रस्ट बाध्य नहीं होगा।

(ग) संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र और योजना द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क के सहित अंतरण दस्तावेज, इस कार्य हेतु नियुक्त किये गए रजिस्ट्रार के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(घ) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत या कार्यालय द्वारा स्वीकृत अंतरणपत्र नजदीक के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अग्रेषित किए जाएंगे।

(ङ) प्रत्येक अंतरण लिखत पर अंतरणकर्ता तथा अंतरिती के हस्ताक्षर होंगे और रजिस्ट्रार द्वारा अंतरिती का नाम धारकों के रजिस्टर में दाखिल करने तक अंतरणकर्ता को ही यूनिट का धारक समझा जाएगा।

(च) अंतरणकर्ता के स्वत्वाधिकार या उसके यूनिटों का अंतरण करने के अधिकार के समर्थन में रजिस्ट्रार ऐसा कोई सबूत मांग सकते हैं जो उन्हें आवश्यक लगे।

(छ) यदि यूनिट प्रमाणपत्र खो गया हो चुराया गया हो/नष्ट हो गया हो तो कुछ आवश्यकताओं, जिन्हें रजिस्ट्रार जरूरी समझें, की पूर्ति करने के बाद मूल यूनिट प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के संबंध में रजिस्ट्रार छूट देंगे।

(ज) यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने पर अंतरण के सभी दस्तावेज और यूनिट प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार के पास रहेंगे।

(झ) अंतरण को मान्यता देने तथा पंजीकृत करने वाले रजिस्ट्रार, उक्त प्रमाण-पत्र/प्रमाणपत्रों का अंतरण और जारी करने के संबंध में देय अदायगी तथा वसूली के बाद, मूल या नया या नए यूनिट प्रमाण-पत्र अंतरिती को जारी करेंगे।

(ञ) यदि अंतरिती अधिकारिक क्षमता के कारण विधि के परिचालन से या गिरवी लागू होने पर अनुसूचित बैंक यूनिटों का धारक बन जाता है

तो उपर्युक्त अंतरिती यूनिटों के धारण के लिए अन्यथा पात्र होने पर ऐसा साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण जिसे वे पर्याप्त समझें, के अधीन रजिस्ट्रार अंतरण लागू करेगा।

(ट) उपर्युक्त प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट अंतरण को पंजीकरण करेगा और यूनिट प्रमाणपत्र दाखिल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को अंतरण संबंधी सभी दस्तावेजों के साथ यूनिट प्रमाण-पत्र वापस करेगा।

8. निवेश उद्देश्य और नीतियां :

(क) योजना के अंतर्गत संग्रहीत निधियों का कंपनियों के इक्विटी, संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयरों और पूर्णतः परिवर्तनीय डिबेंचरों और बांडों और वारंटों में निवेश किया जाएगा। अंशतः परिवर्तनीय निर्गमों के डिबेंचरों और बांडों जिसमें राइट्स के आधार पर जारी बाण्डों और डिबेंचरों का भी समावेश होगा, में इस शर्त के अधीन निवेश किए जा सकते हैं कि यथासंभव इस रूप में अर्जित या अभिदत्त डिबेंचरों का अपरिवर्तनीय अंश बारह माह की अवधि के अंदर वापस ले लिया जाएगा।

(ख) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि योजना की निधियां खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में कम से कम 80% की सीमा तक निवेशित की जाएंगी। ट्रस्ट उपर्युक्त वर्णित तरीके से निधियों को यूनिटों की बिक्री की बंदी की तारीख से छः माह के अंदर निवेशित करने का प्रयास करेगा। असाधारण परिस्थिति में इस आवश्यकता को ट्रस्ट छोड़ सकता है ताकि यूनिटधारकों के हित में सुरक्षित रह सकें।

(ग) उपर्युक्त वांछित तरीके से यदि निधियों का निवेश लम्बित रहता है तो ट्रस्ट अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखतों में या अन्य नकदी लिखतों में या दोनों में निवेश करेगा।

(घ) यूनिटों के आबंटन की तारीख के तीन वर्षों के बाद ट्रस्ट योजना की शुद्ध आस्तियों का 20% तक अल्पकालिक मुद्रा बाजार लिखतों में और अन्य नकदी लिखतों में धारित कर सकता है ताकि वे उन यूनिटधारकों की यूनिटों की पुनर्खरीद कर सके जो पुनर्खरीद के लिए यूनिटों को जमा कराना चाहते हैं :—

(i) सभी ऋण लिखत, जिसमें प्लान द्वारा निवेश किया जाना है उनके निवेश वर्ग का निर्धारण समय-समय पर मान्यताप्राप्त किसी अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा किया जाना चाहिए।

परन्तु यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा।

(ii) इस योजना के अंतर्गत कोई मीयादी ऋण नहीं दिया जाएगा।

(iii) इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब :

(क) उद्धृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण तात्कालिक आधार पर किए गए हों।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनसे ऐसे अंतरण किए जाते हैं।

(ग) सूचीबद्ध या उद्धृत न किए गए निवेशों का प्लान से अन्य योजना/प्लान में अंतरण यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

(iv) यह योजना ट्रस्ट के किसी अन्य योजना/प्लान में अथवा किसी अन्य म्यूचुअल फंड में निःशुल्क रूप से निवेश कर सकती है, बशर्ते ट्रस्ट की सभी योजनाओं द्वारा किया गया कुल अंतर्योजना निवेश या किसी अन्य आस्ति प्रबंध कंपनी के प्रबंधन के अधीन योजनाओं में किया गया निवेश ट्रस्ट के शुद्ध आस्ति मूल्य के 5% से अधिक नहीं होगा।

(v) ट्रस्ट प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय सुपुर्दगी के आधार पर करेगा तथा क्रय से सभी मामलों में संबद्ध प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा और बिक्री के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी देगा और किसी भी मामले में स्वयं को ऐसी स्थिति में नहीं रखेगा जहां कि ट्रस्ट को लघु क्रय या सौदा अथवा बदला वित्तियन में शामिल होना पड़े।

(vi) ट्रस्ट सभी प्रतिभूतियों को अपने नाम में खरीदेगा या अंतरित करेगा।

(vii) अस्थायी नकदी अपेक्षाओं के प्रयोजनार्थ जैसे पुनर्खरीद यूनिटों के प्रतिदाय या यूनिटधारकों के लिए ब्याज अथवा आय का भुगतान के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए यह योजना उधार नहीं लेगी।

बशर्ते योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य के 20% से अधिक उधार नहीं लेगी, और ऐसे उधार की अवधि छः महीने से अधिक नहीं होगी।

यूटीआई की सहायक संस्था तथा एक शेयर बाजार संगठन, यूटीआई प्रतिभूति एक्सचेंज लि० (यूटीआई एसईएल) की सेवाएं, ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों तथा सीमाओं के अनुरूप प्रतिभूति सौदे हेतु प्रयोग कर सकते हैं। यूटीआई एसईएल की स्थापना 1994 में हुई थी। यह एक उच्च तकनीकी कंपनी है जो निवेशकों की अपेक्षाओं की पूर्ति करने हेतु अच्छी, पारदर्शी तथा सक्षम सेवाएं प्रदान करती है। इसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में स्थित है।

तथापि उपरोक्त खंड III, IV और VIII में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आस्तियों का मूल्यांकन, शुद्ध आस्ति मूल्य की गणना, पुनर्खरीद मूल्य तथा उनकी प्रकटीकरण की आवृत्ति आदि सेबी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सेबी (म्यूचुअल फंड) के विनियमों/दिशानिर्देशों/निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार रहेगा।

IX. विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.25% ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा।

डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके। इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट की छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों, तथा ट्रस्ट के किसी भी योजनाओं के आश्वासित प्रतिलाभ में, यदि कोई कमी हो, तो उसकी पूर्ति के लिए भी किया जा सकता है।

X. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान :

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा।

ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं।

XI. लेखों का प्रकाशन :

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद और छः महीने से पहले यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखों को प्रकाशित करेगा, जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि का योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के कार्यों का विवरण होगा। ट्रस्ट अर्ध वर्ष की अर्थात् 31 दिसम्बर की समाप्ति की तिथि से दो महीने की समाप्ति के पहले अपना लेखा अपरीक्षित वित्तीय स्थिति को प्रकाशित करेगा। ट्रस्ट सेबी को विधिवत् रूप से परीक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियां और राजस्व लेखा अपरीक्षित अर्ध वार्षिक लेखों और एनएवी में हुए उतार-चढ़ाव का एक तिमाही विवरण और पिछली अवधि में हुए परिवर्तनों सहित तिमाही पोर्टफोलियो विवरण भेजेगा।

ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में हो और जिसका सूचित किया जाना आवश्यक हो। ट्रस्ट, सदस्य से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर, उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों की एक प्रति भेजेगा।

XII. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन और संशोधन :

बोर्ड समय-समय पर इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किए गए परिवर्धन/संशोधन की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में की जाएगी। किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा।

जब योजना की मूल विशेषताओं या ट्रस्ट या शुल्क या देय प्रभारों में या अन्य कोई ऐसा परिवर्तन किया जाना हो जिससे योजना परिवर्तित हो जाए या सदस्यों के हित पर प्रभाव पड़े तो ऐसे परिवर्तन करने के लिए तीन-चौथाई से अधिक सदस्यों की सहमति ली जाए।

परन्तु यह कि तब तक ऐसा कोई परिवर्तन न किया जाए जब तक तीन-चौथाई सदस्यों ने अपनी सहमति न दे दी हो और जो अपनी सहमति न दें उन्हें योजना से अपनी धारिताएं मोचित करने की अनुमति है।

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजन के लिए "मूल विशेषताओं" का अर्थ निवेश उद्देश्य, तथा योजना की शर्तें हैं।

XIII. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति :

(क) 31-03-2008 को अर्थात् योजना के अन्तर्गत यूनिटों के आबंटन के दस वर्ष बाद यह योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की अंतिम रूप से समाप्ति हो जाएगी।

(ख) यदि प्लान के अंतर्गत जारी यूनिटों में से 90% से अधिक यूनिटों की दस वर्ष पूरे होने से पहले ही पुनर्खरीद की जाती है तो ट्रस्ट अपने विवेकानुसार यह प्लान दस वर्ष की निर्धारित अवधि से पहले भी समाप्त कर सकता है और ट्रस्ट द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अंतिम पुनर्खरीद मूल्य पर बकाया यूनिटों को मुक्त कर सकता है। जहां प्लान ऊपर उप-खण्ड (ख) के अनुसरण में बंद की जाती है, वहां ट्रस्ट समाप्ति की तारीख से कम से कम एक सप्ताह पहले इसकी सूचना सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित दो समाचार पत्रों और मुंबई के एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देगा।

(ग) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट—

(i) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रिया-कलाप नहीं करेगा।

(ii) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों का उत्पन्न और रद्द करना बंद करेगा।

(iii) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान बंद करेगा।

(घ) न्यासी मंडल यूनिटधारकों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित यूनिटधारकों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अर्थात किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

(ङ) (i) न्यासी मंडल योजना से सम्बन्धित आस्तियों को योजना के यूनिट धारकों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा।

(ii) ऊपर दिए गए खण्ड (ङ) (i) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टान्त में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से सम्बन्धित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने की तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

(च) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और यूनिट धारकों को समाप्ति पर एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां जिनके कारण योजना समाप्त हुई, समाप्ति से पूर्व निधि की आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए की गई निधियों का व्यय, यूनिट धारकों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों के विवरण और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र शामिल होगा।

(छ) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, सेबी [म्यूच्युअल फंड] विनियम 1996 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे।

(ज) खण्ड XIII (च) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है तो योजना समाप्त हो जाएगी।

(झ) ट्रस्ट द्वारा विधिवत-रूप से यूनिट प्रमाणपत्रों का उन्मोचन प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी करने पर यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा विधिवत रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हों, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए रक्षित रखे जाएंगे।

XIV. उपबंधो के अर्थ निर्धारण का अधिकार :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार होगा। ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा।

इसके अंतर्गत बने योजना के प्रावधान और प्लान के प्रावधान, जैसे योजना में कहा गया है, एक दूसरे के साथ पढ़े जाएं।

XV. उपबंधों में ढील :

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के निर्बाध और सहज संचालन के लिए योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में सेबी को सूचित करते हुए ढील दे सकता है, परिवर्तित या संशोधन कर सकता है, बशर्ते किसी यूनिट धारक या यूनिट धारक वर्ग के लिए ऐसा करना समीचीन हो।

प्रावधान में परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन के बाद और विनियमों की शर्तों के अनुरूप ही किया जाएगा।

XVI. योजना और उसके अंतर्गत बना प्लान यूनिट धारकों के लिए बाध्यकारी होगा :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान की शर्तों के साथ-साथ समय-समय पर इनमें किये गये संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक यूनिट धारकों और उसके माध्यम से दावा करने वाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानो वह योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिए बाध्य हो।

XVII. यूनिट धारकों को लाभ :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति के समय पूंजी, प्रारम्भिक निधि और अधिक राशि के सम्बन्ध

में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में उपचित सभी लाभ केवल उन्हीं यूनिट धारकों को प्राप्त होंगे जो योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिए यूनिट के धारक रहे हों।

निम्नलिखित परिस्थितियों में योजना के यूनिटधारकों का अनुमोदन लिया जाएगा :

(i) जब कभी यूनिटधारकों के हित में सेबी ऐसा करने की अपेक्षा करता है; या

(ii) योजना के तीन चौथाई यूनिटधारकों द्वारा अनुरोध किए जाने पर जब कभी ऐसा करने की अपेक्षा हो।

(iii) जब ट्रस्ट के अधिकांश न्यासी योजना को बंद करने या यूनिटों का समयपूर्व उन्मोचन करने का निर्णय करते हैं; या

(iv) जब योजना के खंड XII में उल्लिखित मूल विशेषताओं या शुल्क या देय प्रभारों में या अन्य कोई ऐसा परिवर्तन किया जाना हो जिससे योजना परिवर्तित हो जाए या सदस्यों के हितों पर प्रभाव पड़े तो ऐसे परिवर्तन करने के लिए तीन-चौथाई से अधिक सदस्यों की सहमति ली जाए।

कर विधि का लागू होना :

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 88 के अंतर्गत एमईपी–98 के यूनिटों में निवेश की गई राशि के 20 प्रतिशत पर (अधिकतम 10,000/– रु० तक) कर की छूट होगी। दूसरे शब्दों में, निवेश की गई राशि का 20 प्रतिशत (अधिकतम 10,000/- रु० तक) निवेशक द्वारा देय कर से घटा दिया जाएगा। हालांकि ऐसे निवेशक के मामले में, जिसकी लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतकार, अभिनेता या खिलाड़ी (एथलीट सहित) के पेशे से प्राप्त आमदनी उसकी कुल आमदनी का 25 प्रतिशत या उससे अधिक है, तो निवेश की गई राशि का 25 प्रतिशत, जो कि 10,000 रु० से अधिक न हो (अर्थात् 2500 रु० तक), निवेशक की कर देयता में छूट का पात्र है।

यूनिटों से प्राप्त अन्य पूंजी लाभ पर प्रचलित कर विधि के अनुसार कर लगाया जाएगा। वर्तमान में "एमईपी-98" सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं के अंतर्गत यूनिटों से प्राप्त आय पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 एल के अंतर्गत रु. 15,000/- तक की कुल सीमा तक आय में कटौती उपलब्ध होगी तथा इस प्लान के अंतर्गत होने वाले कोई भी दीर्घावधि पूंजीगत लाभ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 और 112 में दिए गए निर्देशों के अधीन कार्यवाई के योग्य होंगे।

इस प्लान के अंतर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य पूर्णतया धनकर से मुक्त है।

स्रोत पर कर की कटौती, यदि कोई हो, प्रचलित कर विधि के अनुसार की जाएगी।

धारा 54ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाली संपूर्ण या आंशिक शुद्ध राशि का एमईपी '98 में किया गया निवेश आवेदन की स्वीकृति की तिथि के तीन वर्षों के बाद ही, पुनर्खरीद/अंतरण/गिरवीकरण की उपलब्धता के अधीन, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर में छूट का पात्र होगा।

धारा 54ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाली संपूर्ण या आंशिक शुद्ध राशि का एमईपी '98 में किया गया निवेश आवेदन की स्वीकृति की तिथि के तीन वर्षों के बाद ही, पुनर्खरीद/अंतरण/गिरवीकरण की उपलब्धता के अधीन, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54ईबी के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर में छूट का पात्र होगा।

तथापि धारा 54ईए/54ईबी के अंतर्गत आयकर छूट का लाभ प्राप्त कर रहे निवेशक, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 88 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली कर की छूट के लिए पात्र नहीं होंगे।

यूनिटधारकों के अधिकार

1. प्लान के अधीन यूनिट धारकों को प्लान की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा प्लान द्वारा घोषित लाभांशों में समानुपातिक अधिकार है।

2. यूनिट धारकों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव रखती हो तथा यूनिट धारकों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे।

3. वितरण की घोषणा किए जाने के 42 दिनों के भीतर यूनिट धारक लाभांश वारंट के प्रेषित किए जाने के हकदार हैं।

4. यूनिट धारकों को 30 दिनों की अवधि के भीतर यूनिटों को अंतरित करवाने का अधिकार है।

5. यूनिट धारकों को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन पाइंट, मुंबई-400021 में स्थित है।

अभिरक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत सभी योजनाओं/निधियों/प्लानों से संबंधित संपत्तियों की सुपुर्दगी लें और अभिरक्षक केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त होने पर ही प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी देंगे।

जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक प्रयोगों के लिए सामान्यतया प्राधि-

कृत होगा। अभिरक्षक सभी सूचनाएं रिपोर्ट अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/निधियों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेंगे।

लेखा परीक्षक

मेसर्स एस. के. कपूर एण्ड कं. 16/98, एलआईसी बिल्डिंग, माल, कानपुर-208001 और मेसर्स चतुर्वेदी एण्ड कं. सनदी लेखाकार, नं. 60, बेन्टिक स्ट्रीट, कलकत्ता-700 069 को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। लेखा परीक्षक हर वर्ष परिवर्तित होने के अधीन हैं।

निवेशकों की शिकायतें

01-10-96 से 30-09-97 तक की अवधि के लिए प्राप्त शिकायतों की संख्या, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन है, उन्हें नीचे दिया गया है।

योजना का नाम	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	निवारणाधीन शिकायतें
1	2	3	4	5
				प्रतिशत
सी सी सी एफ	945	880	65	6.88
सी जी जी एफ	8854	8454	400	4.52
सी जी एस-83	601	513	88	14.64
सी जी यू एस-91	4431	4408	23	0.52
सी आर टी एस	344	334	10	2.91
डी आई पी-91	3433	3379	54	1.57
डी आई यू पी-93	620	609	11	1.77
डी आई यू पी-95	1847	1817	30	1.62
डी आई यू एस-90	1947	1917	30	1.54
डी आई यू एस-91	3109	3061	48	1.54
डी आई यू एस-92	2556	2510	46	1.80
ई ओ एफ	1209	1201	8	0.66
जी सी जी आई	35305	33992	1313	3.72
जी एम आई एस-91	18463	18149	314	1.70
जी एम आई एस-92	10944	9594	1350	12.34
जी एम आई एस-92 (II)	1058	897	161	15.22
जी एम आई एस-बी-92	893	869	24	2.69
जी एम आई एस-बी-92 (II)	2384	2333	51	2.14

1	2	3	4	5
				प्रतिशत
हैड मास्टर-93	1858	1846	12	0.65
जीयू पी-94	1255	1182	73	5.82
एम यू एस	300	275	25	8.33
आई आई एस एफ यू एस	3	3	0	0.00
मास्टर गेन-92	169535	166983	2552	1.51
मास्टर ग्रोथ-93	8988	8940	48	0.53
मास्टर प्लस-91	14010	13245	765	5.46
मास्टर शेयर-86	22133	19783	2350	10.62
एम ई पी-91	4551	4360	191	4.20
एम ई पी-92	22187	21291	896	4.04
एम ई पी-93	67170	66454	716	1.07
एम ई पी-94	46830	45510	1320	2.82
एम ई पी-95	8988	8970	18	0.20
एम ई पी-96	3622	3598	24	0.66
एम ई पी-97	749	707	42	5.61
एम आई पी-93	2403	2398	5	0.21
एम आई पी-94(I)	3036	2977	59	1.94
एम आई पी-94 (II)	2969	2905	64	2.16
एम आई पी-94 (III)	7843	7796	47	0.60
एम आई पी-95	7642	7544	98	1.28
एम आई पी-95 (II)	7958	7863	95	1.19
एम आई पी-95 (III)	6921	6803	118	1.70
एम आई पी-96	6075	5957	118	1.94
एम आई पी-96 (II)	5462	5352	110	2.01
एम आई पी-96 (III)	6662	6518	144	2.16
एम आई पी-96 (IV)	13430	12665	765	5.70
एम आई पी-97	6019	4999	1020	16.95
एम आई पी-97 (II)	3693	3139	554	15.00
एम आई पी-97 (III)	590	463	127	21.53

1	2	3	4	5
				प्रतिशत
एम आई एस-बी-93	4714	4656	58	1.23
एम आई एस जी-90 (I)	4463	3176	1287	28.84
एम आई एस जी-90 (II)	2131	2035	96	4.50
एम आई एस जी-91	2366	2337	29	1.23
ओमनी प्लान	68	60	8	11.76
पी ई एफ	451	364	87	19.29
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	3589	3447	142	3.96
आर बी पी	1821	1640	181	9.94
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	721	599	122	16.92
यू जी एस-2000	8176	7631	545	6.67
यू जी एस-5000	5370	5131	239	4.45
यूलिप	8883	7756	1127	12.69
यू एस-64	133079	127182	5897	4.43
यू एम-92	8041	7791	250	3.11
यू एस-95	2	2	0	0.00
कुल	735700	709250	26450	3.60

शिकायतें लंबित रहने के कारण :—

(1) संग्रहण कर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना।

(2) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण।

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना।

(4) मार्ग में ही खो जाना।

(5) डाक सेवा में विलंब।

(6) अंतरण/मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना।

(7) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा।

(8) कमीशन प्राप्त न होना/विलंब से प्राप्त होना।

(9) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना।

शिकायतों/आपत्तियों के प्रकार के अनुसार ट्रस्ट निवेशक/बैंक/रजिस्ट्रार को उक्त निवारण करने हेतु लिखता है। सभी निवेशक अपनी शिकायतें निवेश संबंधी पूर्ण विवरण देते हुए सम्बंधित निवेशक संपर्क कक्ष को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :—

पश्चिमी अंचल :—

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
कामर्स सेन्टर 1, 28वीं मंजिल,
विश्व व्यापार केन्द्र, जी डी सोमानी मार्ग,
कफ परेड, मुंबई-400 005
टेली : 218 0172/218 1600

पूर्वी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष, 2, फेयरली प्लेस,
2री मंजिल, कलकत्ता-700 001 टेली : 2434581

दक्षिणी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
यू०टी०आई० हाउस, 29, राजाजी सालै,
चेन्नई-600 001
टेली : 517101 विस्तारित : 360/364

उत्तरी अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
हेरॉल्ड हाउस, 2री मंजिल,
5ए, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110 002
टेली : 332 9860

रजिस्ट्रार

मेसर्स एमसीएस लि० को रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है ।

यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग करने, प्रमाणपत्रों को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशक की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की पर्याप्त क्षमता है । आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात् सेवाएं रजिस्ट्रार की चार मुख्य शाखाओं द्वारा प्रदान की जाएगी :

पश्चिम अंचल (गुजरात सहित) : श्री पद्मावती भवन, प्लाट नं० 93, रोड नं० 16, एम० आई० डी० सी० एरिया, अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400 093 दूरध्वनि : 8201785, 8205741

मात्र गुजरात राज्य के लिए : 101 शतदल काम्पलेक्स, पहली मंजिल, आश्रम रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद-380009 दूरध्वनि : 442878.

पूर्व अंचल : श्री वेंकटेश मंगलम, 24/26 हेमंत बसु सरानी, कलकत्ता-700 001 दूरध्वनि : 2102895/6.

दक्षिण अंचल : श्री वेंकटेश भवन, 35 आर्मेनियन स्ट्रीट, चेन्नई-600001 दूरध्वनि : 524 0116, 523 1849.

उत्तर अंचल : श्री वेंकटेश भवन, 212ए, शाहपुर जट, नई दिल्ली-110 049 दूरध्वनि : 621 3830/1.

निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केन्द्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एम०एन०डी०टी० महिला विश्वविद्यालय बेसमेंट, द्वार नं० 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई-400 020 में उपलब्ध रहेंगे :

- यू०टी०आई० अधिनियम
- सामान्य विनियम
- अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और संग्रहणकर्ता बैंकों के साथ किए गए करार
- पेशकश दस्तावेज एम०ई०पी०, 98 की प्रति

यू० टी० आई० के पिछले पांच मास्टर इक्विटी प्लानों का विवरण

प्लान	एम ई पी, 93 ( )	एम ई पी, 94	एम० ई०पी०, 95	एम०ई०पी०, 96	एम०ई०पी०, 97
आरम्भ होने की तिथि	01-04-1993	01-04-1994	01-04-1995	01-04-1996	01-04-1997
समाप्ति की तिथि	31-03-2003	31-03-2004	31-03-2005	31-03-2006	31-03-2007
संग्रह की गई राशि	रु० 392 करोड़	रु० 735 करोड़	रु० 1162 करोड़	रु० 190 करोड़	रु० 72.91 करोड़
आवेदनों पत्रों की संख्या	5,59,224	9,85,511	14,72,918	2,33,867	91,041

पूर्ववर्ती
मास्टर इक्विटी

पूर्ववर्ती आंकड़े	1993-94				1994-95				
	एमईपी' 91	एमईपी' 92	एमईपी' 9	एमईपी' 94	एमईपी' 91	एमईपी' 92	एमईपी' 93	एमईपी' 94	एमईपी' 95
एनएवी, प्रति यूनिट प्रति यूनिट में विभाजित की गई सकल आय	37.87	21.54	19.64	10.99	28.01	15.44	14.48	8.21	9.61
निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ के अतिरिक्त आय प्रति यूनिट	0.40	0.19	0.20	0.07	0.49	0.22	0.24	-1.81	-0.36
अन्तर्योजना बिक्री/निवेशों के अंतरण से प्राप्त लाभ पर आय, प्रति यूनिट	3.60	0.06	0.14	0.00	7.05	0.00	0.00	0.02	0.00
तीसरे पक्ष को निवेशों की बिक्री से प्राप्त मुनाफा से होने वाली आय, प्रति यूनिट	0.28	0.09	0.01	0.03	4.03	0.69	0.02	0.01	0.09
विगत वर्ष की प्रारक्षित निधि से राजस्व लेखा में अंतरण, प्रति यूनिट	—	—	—	—	—	—	—	—	—
कुल व्यय, बट्टा, परिशोधन और प्रभार, प्रति यूनिट	0.07	0.05	0.07	0.06	0.29	0.10	0.06	0.05	0.03
शुद्ध आय, प्रति यूनिट	4.19	0.29	0.29	0.04	11.28	0.81	0.21	-1.82	-0.39
निवेशों के मूल्य में अवसूलीकृत वृद्धि/ह्रास, प्रति यूनिट	24.60	11.03	8.80	0.95	13.77	4.53	3.43	-1.93	-0.47
बाजार मूल्य									
—उच्चतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—न्यूनतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पुनर्क्रय मूल्य									
—उच्चतम	34.35	—	—	—	39.80	15.95	—	—	—
—न्यूनतम	33.10	—	—	—	25.95	14.30	—	—	—
बिक्री मूल्य									
—उच्चतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—न्यूनतम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
पी० ई० अनुपात									
व्यय एवं औसत शुद्ध आस्तियों के अनुपात का प्रतिशत, प्रति यूनिट	0.24%	0.26%	0.43%	0.56%	0.89%	0.55%	0.33%	0.50%	0.65%
प्रतिशतवार सकल आय एवं औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के अनुपात का प्रतिशत, प्रति यूनिट (विगत वर्ष की प्रारक्षित निधि से राजस्व लेखा में अंतरण रहित लेकिन निवेशों में अवसूलीकृत वृद्धि सहित)	91.90%	56.03%	60.36%	9.82%	76.92%	20.47%	21.65%	-18.50%	7.54%
एनएवी प्रति यूनिट	37.87	21.54	19.64	10.99	28.01	15.44	14.48	8.21	9.61

आंकड़े
लाख

1995-96						1996-97						
[illegible] 91	[illegible] 92	एमईसी' 93	एमईसी' 94	एमईसी' 95	एमईसी' 96	एमईपी' 91	एमईपी' 92	एमईपी' 93	एमईपी' 94	एमईपी' 95	एमईपी' 96	एमईपी' 97
30.26	17.50	16.50	9.51	11.57	12.00	28.92	18.53	17.14	9.51	11.34	12.59	12.09
0.59	0.37	0.45	1.31	0.73	0.20	0.46	0.34	0.34	0.40	0.18	0.19	0.15
0.34	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.60	0.21	0.24	0.30	-0.01	-0.00	0.00
2.02	2.35	0.94	0.05	0.00	0.00	1.26	1.01	0.35	-0.71	0.01	0.04	0.03
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.11	0.17	0.13	0.05	0.05	0.07	0.13	0.14	0.15	0.07	0.05	0.09	0.08
2.85	2.54	1.27	1.30	0.68	0.13	2.19	1.43	0.78	-0.09	0.14	0.14	0.11
14.95	5.19	4.72	-0.82	1.28	1.87	12.86	5.38	5.11	-0.62	0.93	2.32	1.99
—	—	—	—	—	—	—	—	17.00	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	9.00	—	—	—	—
29.45	21.90	—	—	—	—	27.75	17.01	15.78	8.79	—	—	—
17.90	12.45	—	—	—	—	18.95	12.16	10.64	7.64	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.37%	1.03%	0.81%	0.55%	0.50%	1.23%	0.43%	0.77%	0.89%	0.78%	0.42%	0.74%	0.64%
61.50%	47.56%	39.48%	5.97%	19.01%	34.55%	51.31%	38.46%	35.87%	-6.68%	9.70%	20.70%	3.08%
30.26	17.50	16.50	9.51	11.57	12.00	28.92	18.53	17.14	9.51	11.34	12.59	12.09

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग

मुम्बई-400020, दूरध्वनि : 2068468

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल : वाणिज्य केन्द्र-1, 28वीं मंजिल, विश्व-व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई-400005, दूरध्वनि : 2181600. पूर्वी अंचल : 2 फेयरली प्लेस, दूसरी मंजिल, कलकत्ता-700001. दूरध्वनि : 2209391. दक्षिणी अंचल : यूटीआई हाउस, 29, राजाजी सालै, चेन्नई-600001. दूरध्वनि : 517101. उत्तरी अंचल : जीवन भारती, 13वीं मंजिल, टावर II, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, दूरध्वनि : 3329860।

पश्चिमी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

अहमदाबाद : वी जे हाउस, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009, दूरध्वनि : 6423043. बड़ौदा : मेघधनुष, चौथी और पांचवीं मंजिल, ट्रान्सपेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390015, दूरध्वनि : 332481. भोपाल : पहली मंजिल, गंगाजमुना कमर्शियल काम्प्लैक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल 1, स्कीम 13, हबीब गंज, भोपाल-462001, दूरध्वनि : 558308. इन्दौर : सिटी सेन्टर, दूसरी मंजिल, 570, एम जी मार्ग, इन्दौर-452001, दूरध्वनि : 22796. मुम्बई : (1) यूनिट सं. 2, ब्लाक 'बी', गुलमोहर क्रास रोड नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-4000049, दूरध्वनि : 6201995. मुंबई : (2) पर्सीपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आंध्र बैंक के ऊपर, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई-400703, दूरध्वनि : 7672607. मुंबई : (3) लोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा रोड, बैकबे रिक्लमेशन, मुंबई-400020. दूरध्वनि : 2850821. मुंबई : (4) श्रद्धा शापिंग आर्केड, पहली मंजिल, एस वी रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई-400092, दूरध्वनि : 8020521. मुंबई : (5) सागर बोनांजा, पहली मंजिल, खोत लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई-400086, दूरध्वनि : 5162256. कोल्हापुर : अयोध्या टावर्स, सी एस नं. 511, केएच-1/2, ई वार्ड, दाभोलकर कार्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416001. दूरध्वनि : 657315. नागपुर : श्री मोहिनी काम्प्लैक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, नागपुर-440001. दूरध्वनि : 536893. नासिक : सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम. जी. रोड, नासिक-422001, दूरध्वनि : 72166. पणजी : ई. डी. सी. हाउस, भूतल, डा. ए बी मार्ग, पणजी, गोवा-403001, दूरध्वनि : 222472. पुणे : सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183 फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे-411005, दूरध्वनि : 325954. राजकोट : ललुभाई सेन्टर, चौथी मंजिल, लखाजी राज रोड, राजकोट-360001, दूरध्वनि : 35112. सूरत : सैफी बिल्डिंग, डच रोड, ननपुरा, सूरत-395001. दूरध्वनि : 434550. ठाणे : यूटीआई हाउस, स्टेशन रोड, ठाणे (पश्चिम)-400601. दूरध्वनि : 5400905।

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : ओसीएचसी बिल्डिंग, पहली और दूसरी मंजिल, 24, जनपथ खारवेला नगर, राम मंदिर के समीप, भुवनेश्वर-751001, दूरध्वनि : 410995. कलकत्ता : 2, फेयरली प्लेस, कलकत्ता 700001, दूरध्वनि : 2209391. दुर्गापुर : तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण. सिटी सेन्टर, दुर्गापुर 713216, दूरध्वनि : 546136. गुवाहटी : हिन्दुस्तान बिल्डिंग, पहली मंजिल, एम एल नेहरू रोड, पानबाजार, गुवाहाटी 781001, दूरध्वनि : 543131. जमशेदपुर : 1-ए, राममंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंजिल, जमशेदपुर-831001. दूरध्वनि : 425508. पटना : जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवीं मंजिल, एक्जिबिशन रोड, पटना-800001, दूरध्वनि : 235001. सिलीगुड़ी : जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सारनी, सिलीगुड़ी-734401. दूरध्वनि : 424671.

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : रहेजा टावर्स, 26-27, 12वीं मंजिल, पश्चिमी स्कन्ध, एम जी मार्ग, बंगलोर-560001, दूरध्वनि 5595691. कोचीन : जीवन प्रकाश, पांचवी मंजिल, एम जी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682011, दूरध्वनि : 362354. कोयम्बतूर : चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्ट्स कालेज रोड, कोयम्बतूर-641018, दूरध्वनि : 214973.

हुबली : कुलबर्गी मेन्शन, 4थी मंजिल, लेमिंगटन रोड, हुबली-580020. दूरध्वनि : 363963. हैदराबाद : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद-500001. दूरध्वनि : 511095. चेन्नई : यू.टी.आई.हाउस, 29, राजाजी सलाई, चेन्नई-600001. दूरध्वनि : 517101. मदुराई : तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परनकुन्द्रम रोड, मदुराई-625001. दूरध्वनि : 38186. मंगलोर : सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, बाल-मत्ता रोड, मंगलोर-575001. दूरध्वनि : 426258. तिरुअनंतपुरम : स्वस्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम. जी. रोड, तिरुअनंतपुरम-695001. दूरध्वनि : 331415. त्रिची : 104, सलाई रोड, वोरेयूर, तिरुचिरापल्ली-620003. दूरध्वनि : 760060. त्रिचूर : 28/700, वेस्ट पीलखाभाम बिल्डिंग, करुणाकरण नंबियार रोड, राउंड नार्थ, त्रिचूर-680020. दूरध्वनि : 331259. विजयवाड़ा : 27-37-156, बन्दर रोड, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा-520002. दूरध्वनि : 74434. विशाखापट्टनम् : रत्ना आर्केड, तीसरी मंजिल, 47/15/6; स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापट्टनम-530016. दूरध्वनि : 548121.

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा-282002. दूरध्वनि : 54408. इलाहाबाद : यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद-211003. दूरध्वनि : 400521. अमृतसर : श्री द्वारकाधीश काम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, क्विन्स रोड, अमृतसर-143001. दूरध्वनि : 210367. चंडीगढ़ : जीवन प्रकाश, एलआईसी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017. दूरध्वनि : 703683. देहरादून : दूसरी मंजिल, 59/3, राजपुर रोड, देहरादून-248001. दूरध्वनि : 746720. फरीदाबाद : बी-614-617, नेहरू ग्राउंड, एन आई टी, फरीदाबाद-121001. दूरध्वनि : 219156. गाजियाबाद : 41, नवयुग मार्केट, सिहानी गेट के पास, गाजियाबाद-201001. दूरध्वनि : 790366. जयपुर : आनंद भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर-302001. दूरध्वनि : 365212. कानपुर : 16/79ई, सिविल लाईन्स, कानपुर-208001. दूरध्वनि : 317278. लखनऊ : रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ-226001. दूरध्वनि : 238591. लुधियाना : सूर्यकिरण फेस-2, 92, दि माल, लुधियाना-141001. दूरध्वनि : 441264, नई दिल्ली : गुलाब भवन, दूसरी मंजिल, 6, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002. दूरध्वनि : 3318638. शिमला : फ्लैट नं. 401, 402, 403, 405 मुकेश अपार्टमेन्ट्स, फिंगास्क एस्टेट, होटल शील के नजदीक; शिमला-171002. दूरध्वनि : 257803. वाराणसी : पहली मंजिल, डी/58/2ए-1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी-221001. दूरध्वनि : 358606.

मुम्बई, दिनांक 7 जनवरी 1998

शुद्धि पत्र

सं० यू टी/सी—332 4 ए/स्टाफ—151/97—98.—दिनांक 6 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र (भाग III खण्ड—4) में पृष्ठ संख्या 2873 एवं 2874 पर प्रकाशित दिनांक 15 जुलाई, 1997 की अधिसूचना संख्या यू टी/सी—197ए/स्टाफ 151/97—98 में निम्नलिखित सुधार करें।

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	स्तम्भ सं०	मद सं०	सुधार
1.	2873	2	—	36वीं पंक्ति में शब्द 'खंड (उ)' को 'खंड (ल)' से सुधारें।
2.	2874	1	1	6वीं पंक्ति में शब्द 'विलियप सं' को 'विनियम सं०' से सुधारें।
3.	2874	1	1	8वीं पंक्ति में शब्द 'निम्नुसार' को 'निम्नानुसार' से सुधारें।

एम० सुन्दरराजन
उप महाप्रबंधक
(कार्मिक एवं प्रशासन)

मुंबई, दिनांक 22 जनवरी 1998

सं० यू टी/डीबीडीएम/आर-95/एस पी डी/71 एस०/97-98—भारतीय यूनिट ट्रस्ट, अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1) (8) (सी) के अन्तर्गत बनाए गए मासिक आय प्लान 1997 (V) का पेशकश दस्तावेज, जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत बनाई गई मासिक आय योजना 1997 (V) के सम्बन्ध में है और जिसे 30-9-1997 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

एन० जी० जोशी,
महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
मासिक आय प्लान 1997 (V)
पेशकश (ऑफर) दस्तावेज

पेशकश 17 नवंबर 1997 से 31 दिसंबर 1997 तक खुली है

मासिक आय प्लान 1997 (V) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 (1963 का 52) की धारा 19 (1)(8)(सी) के अंतर्गत बनाया गया है जो कथित अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा बनाई गई यूनिट योजना, मासिक आय योजना 1997 (V) के संबंध में है।

- **प्लान के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अनुसार तैयार किए गए हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है।**

प्लान का उद्देश्य

यह एक आयोन्मुख प्लान है। प्लान का उद्देश्य या तो मासिक/वार्षिक आधार पर नियमित आय प्रदान कर अथवा 5 वर्षों की अवधि के दौरान निवेश की संवृद्धि को उपलब्ध करा कर निवेशकों की आवश्यकताओं को पूरा करना है।

विशिष्टताएं

- यह पांच वर्ष का नियत कालिक प्लान है।
- निवासी और अनिवासी वयस्क व्यक्तियों/मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों/अवयस्कों/हिंदू अविभक्त परिवारों/न्यासों/समितियों/पंजीकृत सहकारी समितियों/कंपनियों एवं बैकों सहित निगमित निकायों/विदेशी निगमित निकायों (ओसीबी)/सेना/नौसेना/वायुसेना/पैरा मिलिट्री निधियों/भागीदारी फर्म के लिए खुला है।
- इस प्लान के तहत तीन विकल्प हैं : i) मासिक आय विकल्प ii) वार्षिक आय विकल्प एवं iii) संचयी विकल्प।
- **ट्रस्ट प्लान के सभी 5 वर्षों के लिए मासिक आय विकल्प के तहत 11.75% प्र.व. की दर से मासिक रूप से देय (प्राप्ति 12.40%) एवं वार्षिक आय विकल्प के तहत 12.40% प्र.व. की दर से वार्षिक रूप से देय आश्वासित आय का भुगतान करेगा।**
- **मासिक आय विकल्प के अन्तर्गत, मार्च 1998 तक की अवधि के लिए आय वितरण वारंट सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के साथ भेजे जाएंगे। तदुपरांत, प्रत्येक जनवरी-दिसंबर अवधि के लिए आय वितरण वारंट दिसंबर में भेजे जाएंगे। पूरे वर्ष के लिए आय वितरण प्राप्त होने हेतु निवेशक को पूरे वर्ष के लिए यूनिटें धारण करनी होंगी।**

वार्षिक आय विकल्प के अंतर्गत जनवरी, 1998 से दिसंबर, 1998 (दिनांकित 1 जनवरी, 1999) तक की अवधि के लिए आय वितरण वारंट माह दिसंबर, 1998 में भेजे जाएंगे। तदुपरांत, प्रत्येक जनवरी-दिसंबर अवधि के लिए आय वितरण वारंट दिसंबर में भेजे जाएंगे। फिर भी, निवेश की तिथि पर निर्भर करते हुए, चेक के ज़रिए, मासिक आय विकल्प के अन्तर्गत सदस्यों पर लागू सीमा में, 11.75% प्र.व. की दर से 31 दिसंबर, 1997 तक की अवधि तक के लिए, निवेशक की क्षतिपूर्ति की जाएगी । चेक सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के साथ भेजा जाएगा ।

- संचयी विकल्प के अंतर्गत रु. 10,000/- परिपक्वता पर कम से कम रु. 17,940/- हो जाएंगे (प्राप्ति 12.40%)। तथापि, वर्ष में रु.10,000/- से अधिक आय पर, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार स्रोत पर कर काटा जाएगा ।
- सभी तीनों विकल्पों के अन्तर्गत पुनर्खरीद की अनुमति 1 जनवरी 2001 से एनएवी आधारित पुनर्खरीद मूल्य पर होगी ।
- अभिदान के बंद होने के छ: माह के भीतर योजना को एनएसई के थोक ऋण खंड पर सूचीबद्ध कराया जाएगा ।
- यह गारंटी दी जाती है कि योजना में निवेशित पूंजी परिपक्वता पर सुरक्षित रहेगी अर्थात् यूनिटें सम-मूल्य से नीचे विमोचित नहीं की जाएंगी । समयपूर्व पुनर्खरीद के लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं है तथा ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य प्रचलित शुद्ध आस्ति मूल्य के अनुसार होगी।
- निवेश का एक भाग इक्विटियों मे होने से पूंजी वृद्धि की संभावना है।
- आय और पुनर्खरीद/प्रतिदान प्राप्तियां एनआरआई तथा ओसीबी के लिए पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय हैं जहां निवेश विदेशों में विप्रेषण के माध्यम से या एनआरई खाते को नामे करके अथवा एफसीएनआर जमाओं की राशि से चेक/ड्राफ्ट जारी करके किया जाता है।
- वितरित आय और पूंजी वृद्धि से पूंजीगत अभिलाभ पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 एल एवं धारा 48 तथा 112 के अंतर्गत कर लाभ।
- आयकर अधिनियम 1961 की धारा 54ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर से छूट, बशर्ते अवरुद्ध अवधि स्वीकृति तिथि से तीन वर्ष की हो।

निवेशकों का ध्यान आय वितरण, पुनर्खरीद और सूचीबद्धता की विशिष्टताओं की तरफ विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है जिन्हें उपर्युक्त पैराग्राफ में मोटे अक्षरों में दर्शाया गया है ।

जोखिम के तत्व

- समयपूर्व पुनर्खरीद का कोई आश्वासन नहीं है तथा ऐसे मामलों में पुनर्खरीद मूल्य शुद्ध आस्ति मूल्य पर निर्भर होगा ।
- प्लान के यूनिटों में निवेशों पर बाजार का जोखिम होता है और प्लान के शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का ऊपर या नीचे जाना बाजार की शक्तियों का प्लान के पोर्टफोलियो पर प्रभाव के ऊपर निर्भर करता है।
- पूर्व योजनाओं/प्लानों का कार्यनिष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है।
- मासिक आय प्लान 1997 (V) केवल प्लान का नाम है और यह किसी भी प्रकार से प्लान की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है। निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि इस प्लान में निवेश करने से पहले वे पेशकश की शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।

प्रबंधन के विचार से जोखिम के तत्व

ट्रस्ट 33 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और इसने 5 करोड़ से अधिक निवेशकों से लगभग 58,000/- करोड़ रुपये की निधियों के प्रबंधन में निपुणता हासिल की है। यूटीआई पिछले आश्वासित आय योजनाओं के अन्तर्गत आश्वासित आय प्रदान करने में कभी भी असफल नहीं हुई है। यूटीआई भविष्य में ऐसे आश्वासित आय प्रदान करने हेतु अपनी संसाधनों की पर्याप्तता से संतुष्ट है। ट्रस्ट द्वारा अब तक आरंभ किए हुए सैंतीस मासिक आय प्लानों का कार्यनिष्पादन पृष्ठ संख्या 41-43 पर दिया गया है।

यूटीआई की स्थापना

यूटीआई अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होनेवाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी। इसने 1 जुलाई, 1964 से कार्य करना आरंभ किया।

यूटीआई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है, जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है।

मंडल के अलावा, एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी होते हैं। यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर कार्य करने के लिए सक्षम है।

न्यासी मंडल

1.	श्री जी.पी. गुप्ता	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2.	डॉ पी.जे. नायक	कार्यपालक न्यासी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
3.	श्री आर.वी. गुप्ता	उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
4.	श्री एस.एच. खान	अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
5.	श्री एन.एस. सेखसरिया	प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेन्ट्स लि.
6.	श्री पी.आर. खन्ना	सनदी लेखाकार
7.	श्री जी. कृष्णमूर्ति	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
8.	श्री एम. एस. वर्मा	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
9.	श्री एन. वाघुल	अध्यक्ष, आईसीआईसीआई लि.
10.	श्री रशीद जिलानी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब नेशनल बैंक

मासिक आय योजना 1997 (V) का ब्यौरा [एमआईएस '97 (V)]

I. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरंभ :

(1) यह योजना मासिक आय योजना 1997(V) [एमआईएस '97(V)] कही जाएगी।

(2) यह योजना पांच वर्षों के लिए अर्थात् 1 जनवरी 1998 से 31 दिसंबर 2002 तक के लिए होगी।

(3) यूनिटों की बिक्री 17 नवंबर, 1997 से 31 दिसंबर 1997 तक 45 दिनों के लिए होगी, बशर्ते यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टाक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक-आर्थिक कारणों से अखबारों में 7 दिनों की नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं।

II. परिभाषाएं :

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "स्वीकृति तिथि" का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;

(ख) "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है;

(ग) "वैकल्पिक आवेदक" का अर्थ नाबालिग के मामले में माता-पिता के अलावा उस माता-पिता से है जिन्होंने नाबालिग की ओर से आवेदन किया हो।

(घ) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान में शामिल होने के लिए पात्र होगा, जो अवयस्क नहीं होगा और आवेदन पत्र में उल्लिखित वैकल्पिक आवेदक सहित जब मानसिक विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिटों की बिक्री की गयी हो और प्लान के खण्ड III के अंतर्गत आवेदन करता हो।

(ङ) "पात्र संस्था" का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 में यथापरिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है।

(च) "फर्म", "भागीदार" और "भागीदारी" के अर्थ भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) में दिए गए अर्थ हैं, परंतु अभिव्यक्त भागीदार में कोई भी व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है, जो नाबालिग हो और जिसे भागीदारी के लाभ प्राप्त करने के लिए शामिल किया गया हो।

(छ) "सूचीबद्धता" का अर्थ एनएसई के थोक ऋण खंड पर व्यवसाय करने के प्रयोजन से यूनिटों का सूचीबद्ध किया जाना है।

(ज) योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में "सदस्य" के रूप में प्रयुक्त अभिव्यक्ति का अर्थ और इसमें शामिल उस आवेदक से है, जिसे इस योजना में यूनिट आबंटित किए गए हों।

(झ) "मानसिक विकलांग व्यक्ति" का अर्थ वह व्यक्ति, जो ऐसी मानसिक अक्षमता से ग्रस्त हो, जो उसे जीवन के सामान्य कार्य करने से वंचित रखती हो।

(ञ) "अनिवासी भारतीय (एनआरआई)" का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीयता/मूल के अनिवासियों से है। जैसा कि मूलत: अधिनियमित भारत सरकार अधिनियम, 1935 में परिभाषित है, किसी भी व्यक्ति को "भारतीय मूल का व्यक्ति" माना जाएगा यदि वह या उसके माता-पिता या पितामह-पितामही में से कोई भी, श्रेणी अथवा पूर्वज के रूप में कितना ही बड़ा क्यों न हो, चाहे पितृपक्ष या मातृपक्ष से हो, भारत में जन्मा हो/जन्मी हो।

(ट) "जारी समझे जानेवाले यूनिटों की संख्या" का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की कुल संख्या है।

(ठ) "विदेशी निगमित निकाय" (ओसीबी) के अंतर्गत विदेशी कंपनियां, भागीदारी फर्म, समितियां और अन्य निगमित निकाय जिनका कम से कम 60% तक की सीमा का स्वामित्व प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के बाहर रहने वाले भारतीय राष्ट्रीयता अथवा मूल के व्यक्तियों का हो तथा विदेशी ट्रस्ट जिनमें कम से कम 60% लाभप्रद हित अप्रतिसंहरणीय रूप से ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित हो, शामिल हैं।

(ड) "व्यक्ति" में ऊपर यथापरिभाषित पात्र संस्था शामिल है।

(ढ) "रजिस्ट्रार" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी सेवाएं ट्रस्ट द्वारा योजना के अंतर्गत समय-समय पर रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए ली जा सकें।

(ण) "विनियमावली" का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनी भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है।

(त) "सेबी" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड।

(थ) "समिति" का अर्थ समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्थापित समिति या फिलहाल प्रवृत्त राज्य या केन्द्रीय विधि के अन्तर्गत स्थापित अन्य कोई समिति है।

(द) "ट्रेडींग" का तात्पर्य यूनिटों के पहले आबंटन के बाद राष्ट्रीय शेयर बाजार (एनएसई) के थोक ऋण खंड के जरिए यूनिटों के खरीद अथवा बिक्री में व्यवहार से है।

(ध) "यूनिट" का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है।

(न) "यूनिट पूंजी" का तात्पर्य फिलहाल यूनिट योजना के अंतर्गत निर्गत और शेष यूनिटों के अंकित मूल्य के योग से है।

(प) "यूनिट ट्रस्ट" या "ट्रस्ट" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है।

(फ) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियमावली में दिये गये हैं।

(ब) एक वचन वाले शब्दों में बहुवचन शामिल हैं और सभी पुल्लिंग संदर्भों में स्त्रीलिंग तथा एक में दूसरे के विपर्यय शामिल हैं। इस योजना के अन्य उपबंध पृष्ठ सं. 25 से पृष्ठ सं. 33 में दिए गए हैं।

मासिक आय योजना 1997 (V) [एमआईएस '97 (V)] के अंतर्गत बनाये गए मासिक आय प्लान 1997 (V) [एमआईएस '97 (V)] के ब्योरे यहां नीचे दिए जाते हैं :

I. परिभाषाएं :

शब्द जो प्लान में परिभाषित नहीं किये गये हैं तथा योजना और अधिनियम/विनियमों में परिभाषित किए गए हैं उनके अपने-अपने अर्थ योजना/अधिनियम/विनियमों में दिए गए अर्थ हैं।

II. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य :

इस योजना के अंतर्गत जारी किए गए प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये होगा।

III. यूनिटों के लिए आवेदन :

(1) यूनिटों के लिए आवेदन निवासियों और अनिवासियों द्वारा भी किये जा सकते हैं।

निवासी

(क) व्यक्ति, एकल या अन्य व्यक्ति के साथ या दो व्यक्तियों तक संयुक्त।

(ख) नाबालिग निवासी की ओर से माता-पिता, सौतेले माता-पिता या अन्य विधिक अभिभावक। बालिग और नाबालिग संयुक्त रूप से आवेदन नहीं कर सकते हैं।

(ग) योजना में यथापरिभाषित पात्र संस्था, जिसमें अप्रतिसंहरणीय और लिखत द्वारा निर्मित निजी न्यास शामिल है।

(घ) मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिये कोई व्यक्ति।

(ड.) योजना में यथापरिभाषित कोई समिति।

(च) पंजीकृत सहकारी समिति।

(छ) कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत निर्मित कंपनी सहित अन्य निगमित निकाय एवं बैंक।

(ज) हिन्दू अविभक्त परिवार।

(झ) सेना/नौसेना/वायु सेना/पैरामिलिट्री निधियां।

(ञ) भागीदारी फर्म।

अनिवासी द्वारा पूर्णतया प्रत्यावर्तनीय आधार पर :

(क) अनिवासी वयस्क व्यक्ति या तो एकल या अन्य व्यक्ति के साथ या दो व्यक्तियों तक संयुक्त ।

(ख) नाबालिग अनिवासी की ओर से पिता/माता/सौतेले माता-पिता/विधिक अभिभावक।

(ग) अनिवासी हिंदू अविभक्त परिवार।

(घ) अनिवासी कंपनी/विदेशी निगमित निकाय जिनमें अनिवासी भारतीयों का स्वत्वाधिकार कम से कम 60% तक हो।

(2) भागीदारी फर्म द्वारा आवेदन, फर्म के अनधिक तीन सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए तथा ट्रस्ट सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए प्रथम नामित सदस्य को ही सदस्य के रूप में मान्यता देगा।

(3) आवेदन ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित फार्म में किए जायेंगे।

IV. न्यूनतम निवेश राशि :

सभी तीनों विकल्पों के अंतर्गत आवेदन न्यूनतम रु. 10,000/- के लिए किया जाना चाहिए। कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी। यदि निवेश रु. 10-/- के गुणकों में नहीं है तो यूनिटों का आबंटन भिन्नांक में दशमलव के बाद तीन अंकों तक किया जाएगा। रु. 50,000/- और उससे अधिक निवेश के मामले में, निवेशक को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पीएएन/जीआईआर संख्या है तो वह उसे तथा संबंधित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करें।

V. एकत्र की जानेवाली न्यूनतम लक्ष्य राशि

योजना के अंतर्गत एकत्र की जानेवाली लक्ष्य राशि 100 करोड़ रुपए होगी। अत्यभिदान, यदि कोई हो, तो उसे पूरी तरह ट्रस्ट द्वारा रखा जाएगा।

यदि 100 करोड़ रुपये की लक्ष्य राशि का अभिदान न हो, तो योजना के अंतर्गत एकत्र की गई सम्पूर्ण राशि को यूनिटों की बिक्री बंद होने की तिथि से छ: सप्ताह के भीतर ट्रस्ट द्वारा खाते में देय चेक/प्रत्यर्पण आदेश द्वारा धन वापस किया जाएगा।

उक्त अनुबद्ध अवधि के भीतर राशि वापस न करने की स्थिति में बिक्री बंद होने की तिथि से छ: सप्ताहों की समाप्ति पर ट्रस्ट आवेदक को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा।

VI. खर्चों पर सीमा

योजना के अंतर्गत एकत्र निधि का निर्गम पूर्व व्यय 6% से अधिक नहीं होगा। योजना के प्रारंभिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :

व्यय	%
मुद्रण और डाक	1.50
प्रचार और मार्केटिंग	1.75
एजेंटों को कमीशन	1.50
रजिस्ट्रारों का प्रभार	0.50
बैंक प्रभार	0.25
स्टाम्प शुल्क	0.50
योग	6.00

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपये में से कम से कम 94 पैसे का इस योजना में निवेश किया जाएगा।

आरंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा। अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार हैं :

व्यय	%
प्रशासनिक व्यय	0.90
अभिरक्षण शुल्क	0.50
विकास प्रारक्षित निधि	0.25
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.10
रजिस्ट्रारों के लिए शुल्क	0.50
योग	2.25

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्तविक रूप से किए गए व्ययों के साथ परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं। फिर भी, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अनुसार कुल आरंभिक निर्गम व्ययों के रूप में कुल व्यय एकत्र निधि की 6% की सीमा के भीतर होंगे।

योजना का कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, आरंभिक निर्गम व्ययो एवं प्रतिदान व्ययों को छोड़कर परंतु प्रशासनिक व्ययों, विकास प्रारक्षित निधि और कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान को सम्मिलित करते हुए निम्नलिखित सीमा के अधीन होंगे :

(i)	प्रथम 100 करोड़ रुपये की औसत मासिक शुद्ध आस्तियों पर	- 2.25%
(ii)	अगले 300 करोड़ रुपये की औसत मासिक शुद्ध आस्तियों पर	- 2.00%
(iii)	अगले 300 करोड़ रुपये की औसत मासिक शुद्ध आस्तियों पर	- 1.75%
(iv)	आस्तियों के शेष पर	- 1.50%

प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान एवं कर्मचारी कल्याण न्यास में अंशदान, सेबी (एमएफ) विनियम, 1996 के विनियम 52 के खण्ड 2 के अंतर्गत उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं होंगे। नामत:

i) योजना के लिए प्रत्येक लेखा वर्ष में बकाया मासिक औसत शुद्ध आस्तियों का 1.25%, जब तक कि शुद्ध आस्तियाँ 100 करोड़ से अधिक नहीं हो जातीं, और

ii) 100 करोड़ से ऊपर की अतिरिक्त राशि का एक प्रतिशत, जहाँ इस प्रकार परिगणित शुद्ध आस्तियाँ 100 करोड़ से अधिक हों।

सेबी (म्यूचुअल फंड) अधिनियम, 1996 के अनुसार, यूटीआई निवेश प्रबंधन एवं परामर्श शुल्क पर कोई प्रभार नहीं लेता है। तथापि, यूटीआई द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्गम पूर्व व्यय एवं वार्षिक आवर्ती व्यय सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के विनियम 52 के अंतर्गत दर्शाए गए सीमा के भीतर ही होंगे।

VII. भुगतान विधि :

(1) (i) किसी आवेदक द्वारा आवेदित यूनिटों के लिए भुगतान आवेदन पत्र के साथ नकद, चेक या ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा। यदि आवेदन यूटीआई के शाखा कार्यालयों में जमा किए जाएं, तो चेक या ड्राफ्ट उसी शहर में स्थित बैंकों की शाखा पर आहरित किए जाएं, जिस शहर में स्थित शाखा कार्यालय में आवेदन जमा किया जाता है।

लेकिन, जहां आवेदक ट्रस्ट के शाखा कार्यालय/संग्रहण केंद्र/विशेष अधिकृत कार्यालय वाले स्थान से भिन्न स्थान से आवेदन करना चाहे तो आवेदित यूनिटों के लिये आवेदन पत्र के साथ देय बैंक ड्राफ्ट के लिये देय बैंक प्रभार घटाकर भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देश के अनुसार बैंक ड्राफ्ट ट्रस्ट को भेजते हुए ऐसा कर सकता है। संग्रहण केन्द्रों/विशेष बिक्री कार्यालयों को, स्थानीय देय चेक अथवा उन स्थानों में जहां तक योजना विकेन्द्रीकृत है, देय मांग पत्र के साथ, जिसमें आवेदक, भारतीय बैंक संघ के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रभार कम कर सकता हो, आवेदन स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि आवेदन राशि रु.10,000/- है तथा बैंक ड्राफ्ट प्रभार इस राशि के लिए रु.20/- है। इस तरह, ड्राफ्ट रु.9,980/- (रु.10,000/- में से रु. 20/- घटाकर) के लिएं बनवाया जा सकता है। ड्राफ्ट कमीशन प्रभार प्लान के आरंभिक निर्गम व्ययों का एक अंश होगा।

किंतु, जहां ट्रस्ट का कार्यालय/संग्रहण केंद्र/विशेष बिक्री कार्यालय है और आवेदन स्थानीय बैंक ड्राफ्ट के साथ मिला है तो बैंक ड्राफ्ट कमीशन निवेशक को ही वहन करना होगा।

(ii) यदि भुगतान चेक द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र द्वारा चेक प्राप्ति की तिथि होगी, बशर्ते चेक की वसूली हो।

यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया जाए तो स्वीकृति तिथि, ऐसे ड्राफ्ट की निर्गम तिथि होगी, बशर्ते ड्राफ्ट की वसूली हो। लेकिन, आवेदन ट्रस्ट के शाखा कार्यालय या प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र में ड्राफ्ट जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाए। यदि इस प्लान के अंतर्गत आवेदन राशि न्यूनतम निवेश से कम है, तो सम्पूर्ण राशि ट्रस्ट द्वारा यथोचित रीति से आवेदक को उसके खर्चे पर वापस लौटा दी जाएगी।

(iii) प्रत्यावर्तन लाभों के साथ निवेश की विधि :

एनआरआई/ओसीबी द्वारा किए गए निवेश पर प्रत्यावर्तन का अधिकार निवेशित पूंजी और उस पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) पर तब तक होगा जब तक निवेशक भारत के बाहर का निवासी बना रहेगा। इन स्थितियों में निवेश निम्नलिखित विधियों में से किसी एक के माध्यम से किया जा सकता है।

(क) विदेशी मुद्रा में ड्राफ्ट

(ख) विदेशी बैंकों/विनिमय गृह द्वारा यूटीआई के पक्ष में रुपये में जारी किया गया ड्राफ्ट जो उनके भारतीय संपर्ककर्ता बैंकों पर आहरित हो।

(ग) भारत स्थित बैंक में निवेशक द्वारा कायम रखे गए एनआरई खाते पर आहरित चेक द्वारा।

(घ) एफसीएनआर जमाओं की राशि से जारी किए गए चेक/ड्राफ्ट द्वारा।

रुपये के अलावा, नेपाल और भूटान की मुद्राओं में अदायगी स्वीकार नहीं की जाती है। यूनिटों में निवेश रुपये में किया जाता है, विदेशी मुद्रा के सभी ड्राफ्टों को उस दर पर रुपये में परिवर्तित किया जाता है जो परिवर्तन के समय प्रचलित हो।

यदि कोई कमी पड़ती हो, तो उसे एनआरआई निवेशक द्वारा विप्रेषित किया जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए यह सलाह दी जाती है कि एनआरआई/ओसीबी निवेशक उपर्युक्त (ख) और (ग) में उल्लिखित लिखतों के द्वारा अदायगी करें।

(iv) प्रत्यावर्तन लाभों के बिना निवेश विधि :

जहां एनआरओ खाते में धारित निधियों का उपयोग यूनिटों की खरीद के लिए किया जाता है तो इस प्रकार निवेश की गई निधियां और उन पर अर्जित आय तथा पूंजी वृद्धि (यदि लागू हो) भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के लिए योग्य नहीं होगी।

तथापि भा.रि. बैंक के दिनांक 19 अगस्त, 1994 के परिपत्र ए.डी. (एम.ए.श्रृंखला) सं. 18 के अनुसार वित्तीय वर्ष 1996-97 के दौरान और उसके उपरांत अर्जित सम्पूर्ण आय पूर्ण प्रत्यावर्तन के योग्य होंगी।

जबकि इन मामलों में यूटीआई-एनआरओ खाते में जमा करने के लिए रुपये में अदायगी करेगा, निवेशकों को यह सूचना दी जाती है कि यदि वे यूनिटों पर आय का प्रेषण प्राप्त करना चाहते हों तो अपने बैंक/कर सलाहकार से संपर्क करें।

(2) (क) <u>आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार :</u>

ट्रस्ट को यह अधिकार होगा कि वह अपने विवेक के अनुसार योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में यूनिट जारी करने के लिए आवेदन स्वीकृत और/या अस्वीकृत कर सके। ट्रस्ट निम्नलिखित परिस्थितियों में यूनिटें जारी करने हेतु आवेदन अस्वीकृत कर सकता है :

i. यदि आवेदन रु. 10,000/- की न्यूनतम निवेश राशि से कम के लिए प्राप्त हुआ हो,

ii. यदि आवेदन पहले आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित न हो और

iii. यदि आवेदक, योजना में निवेश करने के लिए पात्र न हो। योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में आवेदन करने के संबंध में किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के बारे में ट्रस्ट का निर्णय अंतिम होगा।

(ख) <u>अपूर्ण आवेदन अस्वीकृत किये जा सकते हैं :</u>

आवेदन अपूर्ण पाये जाने पर, अस्वीकृत कर दिया जाएगा और बिना किसी ब्याज या अन्य राशि के, चाहे जो भी हो, आवेदन राशि ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र वापस कर दी जाएगी।

अपेक्षित परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताएं पूरी होने के बाद राशि वापस की जाएगी।

(3) <u>यूनिट जारी होने के पहले आवेदक को योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा :</u>

योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान में यूनिटों के लिए आवेदन करनेवाले व्यक्तियों पर, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं जैसे न्यासों से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में ट्रस्ट विलेख, प्रबंध समिति का यूनिटें खरीदने संबंधी संकल्प, नाबालिग की ओर से प्राप्त आवेदन पत्र के मामले में जन्म प्रमाणपत्र, भागीदारी फर्म की ओर से आवेदन के मामले में भागीदारी विलेख की सत्यापित प्रति आदि जो निवेशक की श्रेणी पर निर्भर करेगा। ऐसी अपेक्षाएं पूरी करने या नहीं करने के प्रति ट्रस्ट की संतुष्टि उसके अपने विवेक पर निर्भर होगी।

गलत घोषणा करके यूनिट रखने वाला व्यक्ति अपनी सदस्यता के निरस्तीकरण का भागी होगा और उसका नाम सदस्यों की पंजी से काट दिया जाएगा।

ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ऐसी स्थिति में 25% दण्ड के तौर पर घटाने के बाद सममूल्य पर या ट्रस्ट द्वारा निर्धारित मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद करे और गलती से भुगतान किये गये आय वितरण की वसूली पुनर्खरीद राशि से करे और शेष वापस करे।

पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि भेजने में ट्रस्ट को जो भी समय लगेगा उसके लिये राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

VIII. यूनिटों की बिक्री :

पेशकश की अवधि के दौरान यूनिटों की बिक्री सममूल्य पर होगी। ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री-संविदा, स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी। बिक्री-संविदा पूर्ण होने पर ट्रस्ट यथाशीघ्र सदस्य को उनके विकल्प के अनुसार सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा। ट्रस्ट द्वारा पात्र संस्था फर्म या निगमित निकाय को जारी सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र पात्र संस्था/फर्म/निगमित निकाय के नाम से जारी करेगा। इस प्रकार प्रेषित सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के खो जाने, क्षतिग्रस्त हो जाने, गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा।

ट्रस्ट प्लान के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री की समाप्ति तिथि से 6 हफ्तों के भीतर सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र भेजने का प्रयास करेगा।

IX. यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) प्लान के आरंभ होने के तीन वर्ष के बाद अर्थात् 1 जनवरी, 2001 से प्लान के सभी तीनों विकल्पों के अंतर्गत पुनर्खरीद आरंभ होगी। योजना और उसके अंतर्गत बनाए प्लान के अंतर्गत पहले तीन वर्ष के दौरान मृत्यु संबंधी दावों के निपटान के मामले छोड़कर कोई पुनर्खरीद नहीं की जाएगी। पुनर्खरीद मूल्य यूनिटों के एनएवी पर (पूर्ववर्ती आधार पर) आधारित होगा और उसे प्लान के आरंभ होने की तारीख से छ: माह पश्चात् अर्थात् 01.07.1998 को तथा उसके बाद 31.12.2000 तक त्रैमासिक आधार पर समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा। 01.01.2001 से एक माह के अनधिक अंतराल पर पुनर्खरीद मूल्य की घोषणा की जाएगी। किसी माह के लिए मान्य पुनर्खरीद मूल्य पिछले माह के आखिरी मूल्यांकन दिवस पर तय किए गए एनएवी पर आधारित है।

इसके अतिरिक्त, निवेश का एक भाग इक्विटी में होने के कारण पूंजी वृद्धि की संभावना है।

(2) मासिक आय विकल्प :

ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान के आरंभ होने की तारीख के तीन वर्ष के बाद से यूनिटों की पुनर्खरीद की पेशकश करेगा। पुनर्खरीद पूर्ववर्ती एनएवी पर आधारित होगा और प्लान के प्रारंभ होने के छ: माह के पश्चात् अर्थात् 01.07.98 को तथा उसके पश्चात् 31.12.2000 तक त्रैमासिक आधार पर समाचार

पत्रों में प्रकाशन के लिए जारी करेगा। 01.01.2001 से एक माह के अनधिक अंतराल पर पुनर्खरीद मूल्य की घोषणा की जाएगी। पुनर्खरीद मूल्य परिकलित करते समय ट्रस्ट को प्रशासकीय व्यय और अन्य प्रभार, जो प्रति यूनिट एनएवी के 5% से अधिक न हों, की कटौती करने की स्वतंत्रता होगी। पुनर्खरीद, सदस्यता सूचना एवं सादे कागज पर अनुरोध पत्र के साथ जो सभी सदस्यों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो, एवं अन्य व्यक्ति, जिसका नाम, पेशा और पता दिया गया हो, के साक्ष्य सहित, सदस्यता सूचना/विधिवत् उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, प्रभावी होगी। आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति होगी, बशर्ते सदस्य द्वारा न्यूनतम शेष रु.10,000/- (अंकित मूल्य) कायम रखा जाए। पुनर्खरीद के लिए आवेदन करते समय सदस्य को पुनर्खरीद माह सहित तथा उसके बाद के महीनों के बचे हुए शेष अनभुनाए हुए आय वितरण वारंट ट्रस्ट को सौंपने होंगे।

पूर्ण रूप से पुनर्खरीद की स्थिति में, ट्रस्ट पुनर्खरीद के अनुरोध पत्र सहित सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र विधिवत् उन्मोचित प्राप्त होने पर भावी महीने के लिए यूनिट पर आय वितरण का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही पुनर्खरीद की प्राप्तियों पर कोई ब्याज देय होगा।

प्राप्त सभी दस्तावेज और अदत्त आय वितरण वारंट, यदि हों, निरस्तीकरण के लिये ट्रस्ट द्वारा रख लिये जाएंगे।

आंशिक पुनर्खरीद की स्थिति में अपने पास रखे जानेवाले यूनिटों की संख्या पर निर्भर करते हुए सदस्य को नयी सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र और स्वीकृति माह सहित शेष अवधि के लिए आय वितरण वारंटों का नया सेट जारी किया जाएगा। पुनर्खरीद राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(3) पूर्ववर्ती उप-खण्डों में अन्तर्विष्ट किसी बात के बावजूद, ट्रस्ट यूनिट की पुनर्खरीद करते समय, सदस्य द्वारा उस समय तक बकाया आय वितरण वारंटों को अभ्यर्पित नहीं करने की स्थिति में ट्रस्ट ऐसे आय वितरण वारंटों की भविष्य में देय राशि पुनर्खरीद मूल्य में से घटाकर सदस्य को शेष राशि का भुगतान करने के लिए स्वतंत्र होगा। ट्रस्ट को सदस्यता सूचना और पुनर्खरीद का अनुरोध पत्र/यूनिट प्रमाणपत्र विधिवत् उन्मोचित प्राप्त हो जाने के बाद तथा पूर्ण पुनर्खरीद की स्थिति में सदस्य को स्वीकृति माह के आय वितरण सहित भावी आय वितरण प्राप्त करने का अधिकार नहीं रह जायेगा और ऐसे बकाया आय वितरण की राशि का दावेदार ट्रस्ट होगा।

(4) मासिक आधार पर प्रदत्त पूरे वर्ष के आय वितरण के हकदार बनने के लिए सदस्य को यूनिट पूरे वर्ष तक रखने होंगे। वर्ष के किसी भाग के लिये यूनिट रखनेवाला सदस्य केवल धारण अवधि के लिये, जो हमेशा पूर्ण अंग्रेजी कैलेन्डर मास की होगी, आनुपातिक आय वितरण प्राप्त करने का हकदार होगा और माह के भाग को, चाहे वह कितने भी दिन का क्यों न हो, हमेशा छोड़ दिया जाएगा।

(5) सदस्य की मृत्यु हो जाने की स्थिति में विधिक प्रतिनिधि या नामिती द्वारा सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र, पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र और बकाया अदत्त आय वितरण वारन्ट ट्रस्ट को सौंपे जाने के बाद वह (ट्रस्ट) दावे की मान्यता संबंधी निर्धारित आवश्यकता पूरी होने पर अपने नियमों और दिशा-निर्देशों के अनुसार इसमें ऊपर उपखण्ड (2) और (3) में यथावर्णित रूप में यूनिट की पुनर्खरीद करेगा और दावे की निपटान तिथि तक के बकाया मासिक आय वितरण का आनुपातिक भुगतान करेगा।

(6) **वार्षिक एवं संचयी विकल्प**

संचयी विकल्प के अंतर्गत जारी यूनिटों के मामले में ट्रस्ट और योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान के आरंभ होने की तारीख से तीन वर्ष के बाद अर्थात् 1 जनवरी, 2001 से यूनिटों के पुनर्खरीद की पेशकश करेगा। पुनर्खरीद मूल्य यूनिटों के एनएवी पर (पूर्ववर्ती आधार पर) आधारित होगा और उसे प्लान के आरंभ होने की तारीख से 6 माह पश्चात अर्थात 01/07/98 को तथा उसके बाद 31/12/2000 तक त्रैमासिक आधार पर समाचार-पत्र में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा। 01/01/2001 से एक माह के अनधिक अंतराल पर पुनर्खरीद मूल्य की घोषणा की जाएगा। पुनर्खरीद मूल्य परिकलित करते समय ट्रस्ट प्रति यूनिट एनएवी के 5% तक प्रशासकीय व्यय और अन्य प्रभार काटने के लिए स्वतंत्र होगा।

आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति होगी, बशर्ते सदस्य द्वारा न्यूनतम शेष रु. 10,000/- (अंकित मूल्य) कायम रखा जाए।

(7) ट्रस्ट द्वारा कटौती, यदि कोई हो, करने के बाद पुन:खरीदे गए यूनिटों के लिए भुगतान, सदस्यता सूचना के साथ पुनर्खरीद हेतु अनुरोध पत्र/विधिवत् रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र तथा लाभांश वारंट, यदि कोई हो, के प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर ऐसे केन्द्र पर किया जाएगा जहां पुनर्खरीद अनुरोध संसाधित किए जाते हैं।

आवेदक को देय राशि पर किसी भी कारण से कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा ट्रस्ट द्वारा प्रेषित चेक या ड्राफ्ट का प्रेषण (डाक खर्च सहित) या वसूली खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा।

(8) अनिवासी निवेशकों के मामले में पुनर्खरीद राशियां निवेश के स्रोत पर निर्भर रहते हुए निम्नानुसार प्रेषित की जाएंगी :

(क) जब यूनिट विदेश से भेजी गई विदेशी मुद्रा/सदस्य की एफसीएनआर जमाओं की राशियों से या सदस्य के भारत में रखे अनिवासी (बाह्य) खाते में रखी निधियों से जारी चेक/ड्राफ्ट द्वारा खरीदे गए हों तो सदस्य को राशियां विदेशी मुद्रा में (विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का वहन सदस्य को करना होगा) प्रेषित की जा सकती हैं या सदस्य के भारत स्थित संबंधी को सदस्य के अनिवासी (बाह्य) खाते में जमा करने के लिए भेजी जा सकती हैं बशर्ते सदस्य विदेश में रह रहा हो। यदि सदस्य चाहे तो इन राशियों को उसके अनिवासी (सामान्य) खाते में जमा करने के लिए भी भेजा जा सकता है।

(ख) जब यूनिट सदस्य के अनिवासी (सामान्य) खाते में रखी निधियों से खरीदे गए हों तो राशियां सदस्य के भारत स्थित संबंधी को सदस्य के अनिवासी (सामान्य) खाते में जमा करने के लिए भेजी जाएंगी।

X. यूनिटों की पुनर्खरीद पर प्रतिबंध :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होने के बावजूद ट्रस्ट यूनिट की पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा :

(i) ऐसे दिन, जो कार्य-दिवस नहीं हों; और

(ii) ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित किसी भी उद्देश्य के लिए सदस्यों की पंजी बंद हो, ऐसी (ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित) अवधि के दौरान।

स्पष्टीकरण : इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ शब्द "कार्य दिवस" का अर्थ वह दिन है, जो न तो

(i) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 के अंतर्गत अधिसूचित हो और न ही

(ii) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि उस दिन ट्रस्ट का कार्यालय बंद रहेगा।

XI. सूचीबद्धता :

अभिदान बंद होने की तारीख से छ: माह के भीतर इस योजना के अंतर्गत जारी यूनिट एनएसई के थोक ऋण खंड पर सूचीबद्ध किए जाएंगे। सेबी से योजना का अनुमोदन प्राप्त होने के तुरंत बाद सेबी (म्यूचुअल फंड) अधिनियम, 1996 के विनियम 32 के अनुसार एनएसई को सूचीबद्धता के लिए आवेदन किया जाएगा।

XII. सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र :

ट्रस्ट आवेदक को सदस्य के विकल्प पर, सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा।

यूनिट प्रमाणपत्र अंतरणीय है जबकि सदस्यता सूचना नहीं। हालांकि, निवेशक के प्लान में शामिल होने के संबंध में दोनों समान रूप से वैध साक्ष्य हैं। निवेशक, आवेदन पत्र में उपयुक्त स्थान पर निशान लगा करके सदस्यता सूचना या यूनिट प्रमाणपत्र में से कोई एक प्राप्त करने का चयन कर सकते हैं। सामान्यतया, ऐसे निवेशक जो योजना के सूचीबद्ध होने पर शेयर बाजारों में लेन-देन करना चाहते हैं वे यूनिट प्रमाणपत्र हेतु अपना विकल्प दे सकते हैं। तथापि, यदि आवेदन पत्र में कोई वरीयता न दी गई हो तो निवेशक को सदस्यता सूचना भेजी जाएगी।

अनिवासी भारतीय सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के प्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसी एक तरीके का चयन कर सकता है :

(क) आवेदक के भारतीय/विदेशी पते पर

या

(ख) आवेदक के भारत में स्थित रिश्तेदार के पते पर

XIII. सदस्यता सूचना और यूनिट प्रमाणपत्र तैयार करने की रीति :

सदस्यता सूचना और यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट के कार्यपालक निदेशक द्वारा निर्णीत रूप के अनुसार होगी।

जैसा बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करेगा, यूनिट प्रमाणपत्र उत्कीर्ण या लिथोग्राफ या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा, ट्रस्ट की ओर से हस्ताक्षरित होगा। ऐसा प्रत्येक हस्ताक्षर, स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी यांत्रिक विधि से लगाया गया होगा। जब तक यूनिट प्रमाणपत्र इस रूप में हस्ताक्षरित नहीं होगा, तब तक वह वैध नहीं होगा। इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र वैध और बाध्यकारी होगा भले ही उसके जारी होने से पहले कोई व्यक्ति जिसका हस्ताक्षर उस पर है, ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति न रहा हो।

किंतु यदि इस रूप में तैयार किए गए यूनिट प्रमाण पत्र में किसी प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं जो प्रमाणपत्र जारी होने के समय मृत है तो ट्रस्ट किसी तरीके से जिसे वह सर्वोत्तम समझता है, प्रमाणपत्र पर विद्यमान उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर को निरस्त कर सकता है और उस पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर करवा सकता है। इस रूप में जारी यूनिट प्रमाणपत्र भी वैध होंगे।

XIV. <u>सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र का विनिमय और सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के कट-फट जाने, विरूपित हो जाने, खो जाने आदि की स्थिति में प्रक्रिया</u> :

सदस्यता सूचना

योजना और इसके अन्तर्गत बने प्लान में सदस्य उक्त प्रयोजनार्थ ऐसे नियमों/दिशा-निर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करेंगे और ऐसे दस्तावेजों का निष्पादन करेंगे, जो समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा बनाये जाएंगे/अपेक्षित होंगे।

यूनिट प्रमाणपत्र

(1) यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र कट-फट जाता है या घिसपिट या विरूपित हो जाता है तो ऐसे मामले में ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जिसके यूनिटों की कुल संख्या उतनी ही होगी जितनी कि कटे-फटे, विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र की थी। यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र खो जाता है, चुराया जाता है या नष्ट हो जाता है तो ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार स्वत्वाधिकारी व्यक्ति को उसके बदले में नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा।

कोई नया यूनिट प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक -

(i) मूल यूनिट प्रमाणपत्र के कटे-फटे होने, टूटने, विरूपित होने, खो जाने, चुरा लिए जाने या नष्ट हो जाने के संतोषजनक साक्ष्य ट्रस्ट को प्रस्तुत नहीं करता।

(ii) तथ्यों की जाँच के संबंध में सभी खर्चों का भुगतान नहीं करता।

(iii) (कटे-फटे या घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र के मामले में), ट्रस्ट को ऐसे कटे-फटे, घिसे-पिटे या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत और अभ्यर्पित नहीं करता और

(iv) ट्रस्ट को आवश्यक क्षतिपूर्ति बंध पत्र प्रस्तुत नहीं करता।

इस खण्ड के प्रावधान के अंतर्गत ट्रस्ट सद्भावना के आधार पर उक्त प्रमाणपत्र जारी करने का उत्तरदायित्व नहीं लेगा।

(2) इस खण्ड के प्रावधान के अंतर्गत कोई प्रमाणपत्र जारी करने से पहले ट्रस्ट चाहेगा कि आवेदक इसके द्वारा निर्गत प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र पर पांच रुपये का भुगतान करे। साथ ही ट्रस्ट के मतानुसार किन्हीं प्रभारों या करों के लिए पर्याप्त धन राशि या डाक पंजीकरण खर्च सहित जो उक्त प्रमाणपत्र को जारी करने और प्रेषित करने के संबंध में देय हो, उसे भी जमा करेगा।

उपरोक्त के बावजूद, योजना के अंतर्गत सदस्य को ऐसे नियमों/दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं का पालन करना होगा तथा ऐसे दस्तावेज निष्पादित करने होंगे जो समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा प्रतिपादित/अपेक्षित होंगे।

XV. **सदस्यों की पंजी :**

सदस्यों के पंजीकरण के सम्बंध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :

(1) ट्रस्ट द्वारा सदस्यों की पंजी रखी जाएगी और अन्य बातों के साथ-साथ पंजी में निम्नलिखित दर्ज किए जाएंगे;

(क) सदस्यों के नाम और पते;

(ख) सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्रों की संख्या और हरेक ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित यूनिटों की संख्या; और

(ग) जिस तिथि को ऐसा व्यक्ति अपने नाम के यूनिटों का धारक हो गया।

(2) सदस्य की ओर से उसके नाम और पते के परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जाएगी। ट्रस्ट ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और यथापेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर तदनुसार पंजी में परिवर्तन करेगा। किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग हो, के लाभ के लिये यूनिटों हेतु आवेदन के रूप में होनेवाले परिवर्तन की प्रविष्टि पंजी में तदनुसार की जाएगी।

(3) केवल पंजी बंदी को छोड़कर, इसमें इसके बाद अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कामकाज के समय के दौरान (ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत समुचित प्रतिबंधों के साथ प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घंटे के लिये पंजी के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी) सदस्य द्वारा उसके स्वयं के निवेश के संबंध में नि:शुल्क निरीक्षण के लिए पंजी खुली रहेगी।

(4) ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित समय और अवधि के लिये पंजी बन्द रहेगी, लेकिन एक वर्ष में 45 दिन से अधिक समय के लिये बन्द नहीं रहेगी। ट्रस्ट समाचार पत्रों में या अन्य माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऐसी बन्दी की सूचना देगा।

(5) किसी यूनिट से संबंधित कोई स्पष्ट निहित और रचनात्मक सूचना पंजी में दर्ज नहीं की जाएगी।

XVI. पात्र संस्थाओं, नाबालिगों और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति आदि के लाभ के लिये किसी आवेदक का आवेदन और पंजीकरण :

(1) पात्र संस्थाएं, निगमित निकाय और समितियां (सहकारी समितियों के साथ) सदस्य के रूप में पंजीकृत की जाएंगी।

(2) कोई भी वयस्क, जो किसी नाबालिग का माता-पिता हो, सौतेला माता-पिता हो या विधिक अभिभावक हो, अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2ए), के अनुसार और उपबंधित सीमा तक यूनिट रख सकता है और क्रय-विक्रय कर सकता है। अपेक्षानुसार ऐसा वयस्क ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से नाबालिग की उम्र और नाबालिग की ओर से यूनिट रखने तथा क्रय-विक्रय करने की क्षमता का प्रमाणपत्र ट्रस्ट के समक्ष पेश करेगा। आवेदन में ऐसे वयस्क द्वारा किये गये कथन के अनुसार बिना किसी अतिरिक्त प्रमाण के ट्रस्ट को कार्य करने का अधिकार होगा।

(3) जहां किसी अन्य व्यक्ति, जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिये किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाए वहां ट्रस्ट प्रस्तुत कथन के आधार पर कार्य करेगा और ऐसा करने में यह समझा जाएगा कि ट्रस्ट सद्भावपूर्वक कार्य कर रहा है। ट्रस्ट को हक होगा कि वह केवल आवेदक के साथ व्यवहार करे और उसकी मृत्यु की स्थिति में सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करे तथा उक्त आवेदक या वैकल्पिक आवेदक को ट्रस्ट द्वारा यूनिट के सम्बंध में किया गया भुगतान ट्रस्ट के लिए सही उन्मोचन माना जाएगा।

(4) पात्र संस्थाओं, निगमित निकायों या समितियों से जब कभी अपेक्षा की जाएगी, उन्हें यूनिट में निवेश करने की आवेदक की क्षमता से संबंधित सभी दस्तावेज, जैसे संस्था के अंतर्नियम और अधिनियम उप-विधियां आदि, प्रबंध निकाय द्वारा पारित संकल्प की प्राधिकृत प्रति और अपेक्षित मुख्तारनामा की प्रति ट्रस्ट के समक्ष पेश करनी होगी।

(5) फर्म को सदस्य के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र फर्म के नाम से बनाया जाएगा।

XVII. ट्रस्ट के उन्मोचन करने के लिये सदस्य द्वारा रसीद :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के यूनिटों के संबंध में सदस्य को प्रदत्त राशि के लिये उसके द्वारा दी गई रसीद ट्रस्ट के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा।

XVIII. सदस्यों द्वारा नामांकन :

(1) नामांकन सुविधा केवल अपनी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्तियों अर्थात् एकल या संयुक्त रूप से दो तक के लिए उपलब्ध है। आवेदक एक व्यक्ति को नामित कर सकते हैं । अवयस्क तथा अनिवासी भारतीय भी नामित किए जा सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गये दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवासी भारतीय नामित किए जा सकते हैं। प्लान के चालू रहने के दौरान आवेदक किसी भी समय नामांकन में परिवर्तन कर सकता है।

(2) सदस्यों को, जो नाबालिग की ओर से माता-पिता हों या विधिक अभिभावक हों तथा पात्र संस्था, समिति, निगमित निकाय और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिए यूनिट हेतु आवेदन करने वाले आवेदक को नामांकन करने का अधिकार नहीं होगा।

अन्य प्रावधान विनियमों में उपलब्ध कराई गई सीमा तक रहेंगे।

XIX. सदस्य की मृत्यु :

(1) यूनिट के संयुक्त सदस्यों में किसी एक की मृत्यु हो जाने पर ट्रस्ट द्वारा जीवित व्यक्ति को ही योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के यूनिटों के हकदार होने या उनके हिताधिकारी होने की मान्यता दी जाएगी।

लेकिन इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात उक्त यूनिटों के संदर्भ में ऐसे जीवित व्यक्ति के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति के किसी अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

(2) किसी एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में नामिती को यूनिटों के संबंध में ट्रस्ट द्वारा देय राशि के हकदार व्यक्ति के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जाएगी।

(3) किसी एकल सदस्य द्वारा वैध नामांकन नहीं किये जाने की स्थिति में मृत व्यक्ति का निष्पादक या प्रशासक या भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (1925 का 39) के भाग 10 के अन्तर्गत जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र का धारक ही वह व्यक्ति होगा, जिसे यूनिटों के हकदार के रूप में ट्रस्ट द्वारा मान्यता दी जा सकती है।

(4) किसी सदस्य/सदस्यों की मृत्यु के परिणामस्वरूप यूनिट के हकदार हो जानेवाले व्यक्ति को, ट्रस्ट द्वारा उसके हक के लिये पर्याप्त समझे गये साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के बाद तथा दावेदार द्वारा दावा संबंधी सभी औपचारिताएं पूरी करने के बाद मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

(5) यदि नामिती/विधिक उत्तराधिकारी यूनिट रखने का पात्र है तो उक्त नामिती/विधिक उत्तराधिकारी को उसकी इच्छा के अनुसार मृत व्यक्ति के खाते में जमा सभी यूनिटों का पुनर्खरीद मूल्य प्राप्त करने के बदले उसको सदस्य के रूप में यूनिट रखने और पंजीकृत सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति

दी जाएगी तथा जितने यूनिट वह रखना चाहेगा, न्यूनतम यूनिट रखने की शर्तों पर उतने यूनिटों का उल्लेख करते हुए उसके नाम से सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(6) जिस आवेदक ने मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिये यूनिटों हेतु आवेदन किया है, उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट वैकल्पिक आवेदक के साथ व्यवहार करेगा, मानो वही आवेदक हो। इसके अलावा आवेदक या वैकल्पिक आवेदक की मृत्यु की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, मौजूदा आवेदक अपने वैकल्पिक आवेदक के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करेगा।

(7) अवरुद्ध अवधि में एकल सदस्य की मृत्यु की स्थिति में ट्रस्ट आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दावे का निपटान करेगा और संबंधित खण्ड में दिये गये ब्योरे के अनुसार या ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत अन्य रीति से कानूनी वारिस/नामिती को भुगतान करेगा।

(8) अ-निवासी सदस्य(सदस्यों) की मृत्यु के मामले में यूनिटों की पुनर्खरीद राशि का विप्रेषण अ-निवासी नामिती अथवा विधिक वारिस/वारिसों को किया जा सकता है बशर्ते :

(क) यूनिटें भारत के बाहर से विप्रेषित निधि में से, भारत में अ-निवासी (ई) खाते में धारित निधि में से अथवा एफसीएनआर जमा-राशि में से खरीदी गई हों और

(ख) नामिती भारत के बाहर निवास कर रहा हो/विधिक वारिस भारत के बाहर रहता हो/रहते हों।

जहां यूनिटें एनआरओ खातों में धारित निधि से खरीदी गई हों, वहां अ-निवासी नामिती अथवा विधिक वारिस(वारिसों) के मामले में, पुनर्खरीद राशि भारत के बाहर प्रत्यावर्तन के योग्य नहीं होगी।

जहां नामिती नामांकन के समय निवासी था परंतु बाद में अ-निवासी बन गया हो, ऐसे दावों के मामले में, राशि के विप्रेषण की विधि हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक की राय लेनी होगी।

XX. आय वितरण एवं आय का संचय :

सदस्य को 1) मासिक आय 2) वार्षिक आय या 3) संचयी विकल्प में भाग लेने के विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार होगा।

यह योजना में निवेश के समय किया जाएगा और एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। आवेदक द्वारा प्रयोग किए गए किसी निर्दिष्ट विकल्प के अभाव में उसे मासिक आय विकल्प समझा जाएगा।

प्लान के अंतर्गत सुनिश्चित प्रतिलाभ एवं परिपक्वता पर निवेशित पूंजी की सुरक्षा की गारंटी ट्रस्ट की विकास प्रारक्षित निधि द्वारा दी गई है।

योजना एवं उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रावधान दोनों विकल्पों के लिए लागू होंगे और जहां प्रावधानों में हेरफेर है, वहां संबंधित ब्यौरे तदनुसार दिए गए हैं।

(1) **मासिक आय विकल्प**

इस विकल्प के अंतर्गत, ट्रस्ट 11.75% प्र.व. की दर से सुनिश्चित लाभांश प्लान के पाँचों वर्षों के लिए उत्तर दिनांकित मासिक वारंटों द्वारा अदा करेगा।

निवेश उद्देश्यों और प्लान की प्रचलित नीतियों तथा लिखतों से अनुमानित लाभ, जिनमें योजना की निधियों का निवेश किया जाएगा, के आधार पर योजना को प्लान के अंतर्गत 11.75% प्रति वर्ष की दर से मासिक रूप से देय न्यूनतम लक्षित आय अदा करने के लिए पर्याप्त आय प्राप्त हो सकेगी।

(2) प्रत्येक माह के लिये आय वितरण अगले महीने के प्रारंभ में देय होगा और पूर्व भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत ट्रस्ट द्वारा भुगतान ट्रस्ट द्वारा विनिर्दिष्ट बैंक की शाखाओं पर सममूल्य पर देय आय वितरण वारंट या किसी लिखत के माध्यम से किया जाएगा।

ऐसे यूनिट जिनकी बिक्री किसी महीने की 15 तारीख को या उसके पहले ट्रस्ट द्वारा स्वीकृत आवेदन के अंतर्गत की जा चुकी है, पूरे महीने के आय वितरण के पात्र होंगे और जो यूनिट महीने की 15 तारीख के बाद बेचे गए हों वे उस आधे महीने के आय वितरण के पात्र होंगे।

आय की हकदारी निम्न रूप से होगी :

17.11.1997 से 30.11.1997	-	आधे महीने की आय
01.12.1997 से 15.12.1997	-	पूरे महीने की आय
16.12.1997 से 31.12.1997	-	आधे महीने की आय

(3) निवेश की तिथि पर निर्भर करते हुए 31 मार्च 1998 (दिनांकित 1 फरवरी '98) तक की अवधि के लिए एक आय वितरण वारंट सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ भेज दिए जाएंगे।

उसके बाद के वर्षों के लिए आय वितरण वारंट, कर-कानूनों में हुए परिवर्तनों पर निर्भर करते हुए, प्रत्येक वष मार्च/अप्रैल महीने में जारी किया जाएगा और उसे अग्रिम रूप से भेजा जाएगा। उसके बाद के वर्षों के लिए वारंटों का प्रेषण निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगा :

अवधि	वारंटों का प्रेषण
01.04.1998 से 31.03.1999	मार्च-अप्रैल 1998 तक
01.04.1999 से 31.03.2000	मार्च-अप्रैल 1999 तक
01.04.2000 से 31.03.2001	मार्च-अप्रैल 2000 तक
01.04.2001 से 31.03.2002	मार्च-अप्रैल 2001 तक
01.04.2002 से 31.12.2002	मार्च-अप्रैल 2002 तक

प्रत्येक वर्ष मार्च माह के लिए आय वितरण वारंट पर तारीख 31 मार्च होगी।

(4) उप खण्ड (3) के उपबंधों के अधीन मासिक आधार पर आय वितरण के भुगतान के लिए वारन्ट सदस्य को अग्रिम रूप से भेजे जाएंगे।

वारन्ट को इस प्रकार दिनांकित किया जाएगा कि सदस्य भुगतान के लिए परिपक्व होने पर प्रत्येक वारन्ट को भुना सके। हरेक वारंट तीन महीने के लिए वैध रहेगा। वैध अवधि पूरी होने के पहले सदस्य के पास कोई वारंट नहीं पहुंचने या उनके पुराने हो जाने की स्थिति में ट्रस्ट ब्याज का भुगतान करने के लिये बाध्य नहीं होगा।

(5) पुनर्खरीद की स्थिति में अदत्त वारंटों को अभ्यर्पित नहीं करने पर सदस्य अगले महीने देय और परिपक्वता तिथि को सदस्य की अभिरक्षा में शेष वारंटों को भुनाने का हकदार होगा और ऐसे आय वितरण वारंट की राशि पुनर्खरीद की राशि से काट ली जाएगी।

(6) सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, यदि एकमात्र नामिती/विधिक उत्तराधिकारी यूनिट रखने का पात्र है और आगे भी यूनिट रखना चाहता है, तो ऐसा नामिती/विधिक उत्तराधिकारी आवश्यक सुधार के लिए भावी महीनों के अनभुनाए सभी वारन्ट वापस करने के लिए बाध्य होगा।

तथापि, आगे यूनिट रखने के इच्छुक नामिती/विधिक उत्तराधिकारी मृत सदस्य के पक्ष में पहले से जारी वारन्ट को सुधार करके नये प्रविष्ट सदस्य के पक्ष में करने में लगनेवाले समय के लिये कोई ब्याज या मुआवजा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(7) किसी आवेदक की मृत्यु की स्थिति में, जहां मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के लाभ के लिये आवेदक द्वारा आवेदन किया जाए, वहां वैकल्पिक आवेदक को आवश्यक सुधार के लिये भावी महीनों के अनभुनाए सभी आय- वितरण वारंट वापस करने होंगे। लेकिन, ऐसा वैकल्पिक आवेदक मृत आवेदक के पक्ष में पहले से जारी वारंट को सुधार करके नये प्रविष्ट आवेदक के पक्ष में करने में लगनेवाले समय के लिये कोई ब्याज या मुआवज़ा प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(2) <u>वार्षिक आय विकल्प</u>

i) इस विकल्प के अंतर्गत, सभी 5 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से देय 12.40% प्र.व. कर दर से आश्वासित आय का भुगतान करेगी ।

ii) पहला आय वितरण वारंट जनवरी, 1998 से दिसंबर 1998 (दिनांकित 1 जनवरी 1999) की अवधि के लिए दिसंबर 1998 में भेजा जाएगा । बाद के आय वितरण वारंट, प्रतिवर्ष जनवरी -दिसंबर की अवधि के लिए निम्नलिखित सूची के अनुसार भेजे जाएँगे । हालाँक निवेश की तिथि पर निर्भर करते हुए, निवेशकों को मासिक आय विकल्प के सदस्यों पर लागू सीमा तक 11.75% प्र.व. की दर से 31 दिसंबर, 1997 तक की अवधि के लिए सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र के साथ भेजे जानेवाले चैक के जरिए मुआवजा अदा किया जाएगा ।

अवधि	**वारंटों के प्रेषण**
01.01.1999 से 31.12.1999	दिसंबर, 1999
01.01.2000 से 31.12.2000	दिसंबर, 2000
01.01.2001 से 31.12.2001	दिसंबर, 2001
01.01.2002 से 31.12.2002	दिसंबर, 2002

(3) **संचयी विकल्प**

इस विकल्प के अन्तर्गत कोई आय वितरित नहीं की जाएगी। प्रतिलाभ 12.40% प्र.व की दर से संचयित किया जाएगा ताकि इस विकल्प के अंतर्गत निवेशित रु. 10,000/-, पाँच वर्षों के बाद प्रतिदान के समय कम से कम रु. 17,940/- हो जाएं। तथापि, निवेश की तिथि पर निर्भर करते हुए ,मासिक आय विकल्प के अंतर्गत सदस्यों को लागू सीमा तक, निवेशक को 11.75% प्र.व.की दर से 31दिसंबर, 1997 तक मुआवजा दिया जाएगा और उसे चेक के माध्यम से यूनिट प्रमाणपत्रों/सदस्यता सूचना के साथ भेजा जाएगा।

प्लान के अंतर्गत 11.75% प्र.व. प्रतिलाभ का औचित्य

मान लीजिये कि यह योजना 100 करोड़ रुपये एकत्रित करती है । आरंभिक व्यय 2% हैं और उन्हें 3 वर्षों की अवधि के पश्चात् बट्टे खाते में डाला है (यह इसलिए कि 3 वर्षों के बाद पुनर्खरीद शुरू हो जाती है)। पहले वर्ष में उपलब्ध निवेश योग्य निधियां 98 करोड़ रुपये होंगी ।

फंड ऋण लिखतों में 75%, एमएमआई में 5%, एवं इक्विटी में 20% का निवेश करेगा। योजना, ऐसे डिबेंचर/बॉण्ड में निवेश करेगी, जिसका जोखिम तत्व न्यून से मध्यम हो। इन लिखतों में वाईटीएम 12.90% से 16.40% की सीमा में हैं। इसका अर्थ है कि ऋण लिखतों की औसत भारित आय 13.92% होगी।

इक्विटी पर वार्षिकीकृत प्रतिलाभ, लाभांश आय, मूल्य वृद्धि/मूल्यह्रास और अंकित लाभ के अनुसार करीब 15% होगी।

एमएमआई की वार्षिकीकृत आय करीब 6% होगी।

लिखतें	पोर्टफोलियो का प्रतिशत	निवेश योग्य निधि	आय प्रतिशत
डिबेंचर	75	73.50	13.92
इक्विटी	20	19.60	15.00
एमएमआई	5	4.90	6.00

पोर्टफोलियो पर औसत भारित आय =

$$\frac{73.50 * 13.92 + 19.60 * 15 + 4.9 * 5}{100.00} = 13.46\%$$

वार्षिक व्यय एवं प्रावधानों को 1% मानते हुए, वितरण के लिए उपलब्ध आय 12.46% होगा। यह मासिक रूप से 11.75% प्र.व. की दर से देय, वार्षिकीकृत आय 12.40% के भुगतान के लिए पर्याप्त होगा।

उपरोक्त निदर्शी है और प्लान के शुरूआत के समय बाजार की स्थितियों पर आधारित है।

निवेशकों के बैंक विवरण

इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा :

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने समाशोधन गृह के जरिए एक नई अवधारणा इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) आरंभ की है जिससे कागज के लिखतों को जारी करने तथा उनको संभालने की आवश्यकता का निराकरण किया जाए और इस प्रकार ग्राहक सेवा में सुधार करके उसे सुविधाजनक बनाया जा सके। ट्रस्ट द्वारा यह मुख्य रूप से कलकत्ता/चेन्नई/मुंबई/नई दिल्ली में ऐसे निवेशकों की सहायता करने हेतु आरंभ किया गया है जिनकी लाभांश से होनेवाली आय एक एकल लिखत के अनुसार रु.50,000/- से कम है।

इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशक से अपेक्षित है कि वह ईसीएस हेतु अपना अधिदेश आवेदन पत्र में दिए गए प्रारूप के अनुसार उसमें सभी विवरण पूरा करके प्रस्तुत करें। इससे ट्रस्ट को निवेशक के संबंधित बैंक खाते में आय की राशि अतिशीघ्र जमा करने में सहायता मिलेगी तथा आय वारंट के मुद्रण एवं प्रेषण संबंधी कार्य नहीं रहेंगे और वह निवेशकों को बेहतर सेवा प्रदान कर सकेगा। बैंक शाखा सदस्य के खाते में क्रेडिट करेगी तथा पासबुक/खाता विवरण में क्रेडिट प्रविष्टि को "ईसीएस" से निर्दिष्ट करेगी। जो आवेदक यह सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं वे आवेदन पत्र में अपने बैंक का नाम और पता, खाते का प्रकार और नंबर, 9 अंकों वाली बैंक एवं शाखा कूट संख्या इत्यादि भरें।

यद्यपि इस सुविधा का लाभ प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

यदि इस सुविधा पर मिली प्रतिक्रिया इसके संचालन हेतु पर्याप्त नहीं है या कोई अन्य कारण से इसका संचालन नहीं किया जा सके तो "ईसीएस" के अंतर्गत आय का भुगतान करने के बजाय ट्रस्ट उपरोक्तानुसार आय वारंट जारी करके आय की अदायगी कर सकता है।

आय वितरण वारंटों के खो जाने/गलत स्थान पर पहुंचने के कारण उनके संभावित कपटपूर्ण नकदीकरण के विरुद्ध सावधानी के तौर पर उपरोक्त सुविधा का लाभ नहीं उठाने वाले तथा कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई एवं नई दिल्ली - नगरों से बाहर रहने वाले आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे रिकार्ड के लिए आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर तथा पावती रसीद वाले भाग पर अपने बैंक खाते का पूरा विवरण (अर्थात् खाते का प्रकार एवं खाता संख्या, बैंक का नाम) दें। तब आय वितरण वारंट इस प्रकार से निर्दिष्ट किए गए उनके खाते में जमा करने के लिए बैंक के पक्ष में तैयार कर उन्हें भेजे जाएंगे। सदस्य कथित बैंक में अपने खाते में जमा (क्रेडिट) करने हेतु उस आय वितरण वारंट को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि बैंक संबंधी पूरा विवरण नहीं दिया जाता है तो आय वितरण वारंट सदस्य के नाम से जारी किया जाएगा।

अनिवासी भारतीय निवेशक को आय वितरण

प्लान के अंतर्गत आय मुद्रा नियंत्रण विनियमों के अनुसार अदा की जाएगी। आय के भुगतान की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

i) वारंट निवेशक के नाम जारी किया जा सकता है तथा सदस्य के **एनआरई/एनआरओ** खाते में जमा करने के लिए उसके किसी ऐसे रिश्तेदार को भेजा जा सकता है जो भारत का निवासी हो।

अथवा

ii) वारंट किसी ऐसे रिश्तेदार के नाम जारी किया जा सकता है जो भारत का निवासी हो तथा उसे भेजा जा सकता है ताकि वह अपने खाते में जमा कर सके।

मासिक आय योजना 1997 (V) [एमआईएस '97 (V)] का ब्यौरा जारी

III. इस योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन :

(1) अवरुद्ध अवधि के अधीन वाले निवेशों सहित उधृत निवेशों का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तारीख को बाजार में बंद मूल्य पर या मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल ही की उपलब्ध दर पर किया जाता है। यदि मूल्यांकन की तारीख से साठ दिन पूर्व की अवधि हेतु कोई भाव उपलब्ध नहीं है तो उसे अनोधृत निवेश माना जाता है।

(2) उधृत डिबेंचरों और बॉण्डों के मामले में, बाजार दर, जो ब्याज सहित है उसे ब्याज तत्त्व, यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाता है।

(3) अनोधृत/गैर-व्यापारिक इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्तियों के पूंजीकरण और बही मूल्य (विश्लेषित मूल्य) के औसत में से 10% घटाकर किया जाता है।

(4) अनोधृत डिबेंचर, बॉण्ड और अंतरणीय नोट परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित हो, मूल्यांकित किए जाते हैं।

(5) अनोधृत वारंट, पड़े हुए शेयरों की बाजार दर पर, आय तत्त्व, यदि कोई हो, के लिए बट्टा काटकर तथा देय प्रायोगिक मूल्य से कम करके, लिए जाते हैं। जिन मामलों में इस तरह लिए गए मूल्य से प्रायोगिक देय मूल्य ज्यादा हो, वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है।

(6) परिवर्तनीय डिबेंचर और बॉण्ड, जहां मिश्र बाजार भाव उपलब्ध न हो, वहां परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, संबंधित इक्विटी शेयरों, जिनमें लाभांश तत्त्व, यदि कोई हो, के लिए बट्टा काट कर किया जाता है। ऐसे डिबेंचरों एवं बॉण्डों का अपरिवर्तनीय भाग, यदि कोई हो, का मूल्यांकन; परिपक्वता पर प्रतिफल के आधार पर, जैसा कि ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित हो, किया जाता है। जहां परिवर्तनीय भाग के लिए परिवर्तन की शर्तें विनिर्दिष्ट न हों, वहां उन्हें लागत पर लिया जाता है।

(7) मुद्रा बाजार लिखतों का मूल्यांकन एक से अधिक डीलर या दलाल से प्राप्त भाव के आधार पर किया जा सकता है।

(8) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, प्रचलित बाजार दरों पर आधारित, परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) आधार पर किया जाएगा।

(9) उपरोक्त पैरा (1) से (8) तक के अनुसार यथासंगणित निवेशों के सकल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामी मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को राजस्व लेखे से प्रभारित किया जाता है।

IV. शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का परिकलन और प्रकटीकरण :

योजना के अंतर्गत जारी यूनिटों के शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के उपचयों और उपबंधों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा। योजना का एनएवी मासिक आय विकल्प, वार्षिक आय विकल्प और संचयी विकल्प के लिए अलग-अलग निर्धारित किया जाएगा। प्लान के आरंभ होने के छः माह के बाद और उसके बाद मासिक आधार पर शुद्ध आस्ति मूल्य (पूर्ववर्ती आधार पर) समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा।

(क) निवेश उद्देश्य :

योजना का निवेश उद्‌दश्य मुख्यतः ग्राहक को नियमित मासिक आय उपलब्ध कराना तथा योजना की आवश्यकता पर ग्राहक की पूजी में वृद्धि के लिए प्रयत्न करना भी है।

योजना के अंतर्गत संग्रहीत निधियों का सभी प्रारंभिक परिचालन पूर्व और परिचालनगत खर्चों का प्रावधान करने के बाद सामान्यतः निम्न रूप में निवेश किया जाएगा :

(i) निधियों का कम से कम 75% ऋण लिखतों में निवेश किया जाएगा। निवेश का जोखिम तत्व न्यून से मध्यम होगा।

(ii) निधियों का 20% से अनधिक इक्विटी और इक्विटी संबंधी लिखतों में निवेश किया जाएगा। जोखिम तत्व इक्विटी निवेश में उच्च हो सकता है।

(iii) निधियों का 10% से अनधिक मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश किया जाएगा। निवेश का जोखिम तत्व न्यून से मध्यम होगा।

पूर्वोक्त के बावजूद, बाजार की स्थितियों एवं निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों पर निर्भर करते हुए निधि प्रबंधक के स्वविवेक के अनुसार निवेश का अनुपात घट-बढ़ सकता है।

ऊपर बताए गए निवेश उद्देश्यों के अनुसार योजना की निधियों के प्रतिभूतियों में विनियोजन किए जाने तक ट्रस्ट योजना की निधियों का निवेश अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अल्पावधि जमाओं में कर सकता है।

(ख) निवेश नीतियां

(i) सभी ऋण लिखतें जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाता है, उनके निवेश दर्जे का निर्धारण समय-समय पर मान्यता प्राप्त किसी क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी द्वारा किया जाएगा, बशर्ते यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा।

(ii) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिये जाएंगे।

(iii) इस योजना से दूसरी योजना/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब

(क) उधृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पॉट आधार पर किए गए हों।

(ख) ऐसी अंतरित प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनमें ऐसे अंतरण किए जाते हैं।

(ग) प्लान की असूचीबद्ध या उधृत न किए गए निवेशों का ट्रस्ट की अन्य योजना/प्लान में अंतरण यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

(iv) योजना ट्रस्ट या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड की किसी अन्य योजना/प्लान में कोई शुल्क प्रभारित किए बिना निवेश कर सकती है, बशर्ते ट्रस्ट की सभी योजनाओं द्वारा किया गया कुल अन्तरयोजना निवेश या किसी दूसरी आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा प्रबंधित योजनाओं में किया गया निवेश ट्रस्ट के शुद्ध आस्ति मूल्य के 5% से अधिक न हो।

(v) ट्रस्ट प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय सुपुर्दगियों के आधार पर करेगा और खरीद के सभी मामलों में संबंधित प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लेगा और बिक्री के सभी मामलों में प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी करेगा और किसी भी मामलों में खुद को ऐसी स्थिति में नहीं डालेगा जिससे इसे मंदड़िया बिक्री करनी पड़े या सौदे का वायदा (कैरी फारवर्ड) करना पड़े या बदला वित्त में लिप्त होना पड़े ।

(vi) जब भी निवेश दीर्घावधि प्रकृति के होने वाले हों, ट्रस्ट योजना की ओर से प्रतिभूतियों की खरीद या अंतरण ट्रस्ट के नाम से करवाएगा।

(vii) योजना यूनिटों की पुनर्खरीद, प्रतिदान या ब्याज की अदायगी या सदस्यों को आय अदा करने के लिए नकदी की अस्थाई जरूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने के सिवा उधार नहीं लेगी। परन्तु उधार योजना की शुद्ध आस्ति के 20% से अधिक नहीं लिया जाएगा और इस तरह के उधार की अवधि छ: माह से अधिक नहीं होगी।

प्लान की प्रतिभूतियों के लेन देन के लिए शेयर-दलाली फर्म और यूटीआई की सहायक संस्था यूटीआई सिक्योरिटीज एक्सचेंज लिमिटेड (यूटीआई-एसईएल) की सेवाएं ली जा सकती हैं जो नीतियों के अनुसार हों और ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा तय की गई सीमाओं के अधीन हों। यूटीआई एसईएल 1994 में स्थापित की गई थी। यह निवेशकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित, पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करने वाली उच्च तकनीकी कंपनी है। इसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है।

(ग) तथापि, ऊपर खण्ड III, IV और V (ख) के संबंध में किसी भी बात के होते हुए, आस्तियों का मूल्यांकन, शुद्ध आस्ति मूल्य का अभिकलन, पुनर्खरीद मूल्य और उनके प्रकटीकरण का अंतराल सेबी द्वारा समय-समय पर जारी सेबी (एमएफ) विनियमों के प्रावधानों/दिशा निर्देशों/ निदेशों के अनुसरण में होगा ।

VI. योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना :

(1) जो व्यक्ति सदस्य के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा सदस्य के रूप में मान्य होगा और चूंकि ऐसे यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिये ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और इस योजना से संबंधित यूनिटों के हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता देने के लिए यहां स्पष्ट रूप से किए गए प्रावधान या किसी सक्षम प्राधिकार वाले न्यायालय के आदेश को छोड़कर किसी विपरीत नोटिस या किसी न्यास के निष्पादन पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

(2) जब कोई व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति जो मानसिक रूप से विकलांग है, के लाभ के लिये आवेदन करता है और ट्रस्ट द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है तो यह नहीं माना जाएगा कि ट्रस्ट ने किसी विश्वास को ध्यान में रखा है। ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के अंतर्गत सभी प्रयोजनों के लिये आवेदक या आवेदक की मृत्यु होने पर आवेदन पत्र में वैकल्पिक आवेदक के रूप में उल्लिखित व्यक्ति के साथ व्यवहार करेगा।

VII. यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखा जाना/समनुदेशन :

इस योजना के अंतर्गत जारी यूनिटें निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतरणीय/गिरवी रखे जाने योग्य/समनुदेशनीय होंगी :

(क) इस योजना के प्रावधानों के अनुसार जारी यूनिट प्रमाणपत्र (सदस्यता सूचना नहीं) परक्राम्य है और जैसा कि इस प्लान के प्रावधानों के खण्ड III में उल्लेख किया गया है इसे व्यक्तिगत, व्यक्त या अन्य श्रेणियों को अंतरित किया जा सकता है।

(ख) यूनिटधारण करने की क्षमता रखनेवाले अंतरणकर्ता और अंतरिती के द्वारा और बीच अंतरण प्रभावकारी होगा। किसी अन्य अंतरण को मान्यता देने के लिए ट्रस्ट बाध्य नहीं होगा।

(ग) संबंधित यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ अंतरण दस्तावेज और अंतरण माह सहित और तक अनभुनाये गए वारंट (मासिक आय विकल्प के मामले में) तथा ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क इस कार्य हेतु नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(घ) ट्रस्ट के किसी भी कार्यालय में प्रस्तुत या कार्यालय द्वारा स्वीकृत अंतरण संलेख नजदीक के रजिस्ट्रार के कार्यालय में अग्रेषित किए जाएंगे।

(ड.) प्रत्येक अंतरण लिखत पर अंतरणकर्ता तथा अंतरिती के हस्ताक्षर होंगे और रजिस्ट्रार द्वारा अंतरिती का नाम धारकों के रजिस्ट्रार में दाखिल करने तक अंतरण कर्ता को ही यूनिट का धारक समझा जाएगा।

(च) अंतरणकर्ता के स्वत्त्वाधिकार या उसके यूनिटों का अंतरण करने के अधिकार के समर्थन में रजिस्ट्रार ऐसा कोई सबूत मांग सकते हैं जो उन्हें आवश्यक लगे।

(छ) यदि यूनिट प्रमाणपत्र खो गया हो, चुरा लिया गया हो, नष्ट हो गया हो तो कुछ अपेक्षाओं, जिन्हें रजिस्ट्रार जरुरी समझे, को पूरा करने के बाद मूल यूनिट प्रमाणपत्र की प्रस्तुति के संबंध में रजिस्ट्रार छूट देंगे।

(ज) यूनिटों के अंतरण का पंजीकरण होने पर अंतरण के सभी लिखत और यूनिट प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार के पास रहेंगे।

(झ) अंतरण को मान्यता देने वाले तथा पंजीकृत करनेवाले रजिस्ट्रार, उक्त अंतरण एवं प्रमाणपत्रों तथा वारंटों को जारी करने के संबंध में देय प्रभारों की अदायगी तथा वसूली के बाद, मूल या नया यूनिट प्रमाणपत्र और आय वितरण वारंट, यदि कोई हों (मासिक आय विकल्प के मामले में) अंतरिती को जारी करेंगे।

(ञ) यदि कोई अंतरिती अधिकारिक क्षमता के कारण विधि के परिचालन से या गिरवी लागू होने पर अनुसूचित बैंक यूनिटों का धारक बन जाता है तो इच्छुक अंतरिती यूनिटों के धारण के लिए अन्यथा पात्र होने पर रजिस्ट्रार ऐसे साक्ष्य जिसे पर्याप्त समझें, के प्रस्तुतीकरण के अधीन अंतरण प्रभावी करेंगे।

(ट) इसमें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट अंतरण को पंजीकृत करेगा और यूनिट प्रमाणपत्र दाखिल करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अंतरिती को आय वारंट, यदि कोई हो, सहित यूनिट प्रमाणपत्र अंतरण संबंधी सभी लिखतों के साथ वापस करेगा।

VIII. <u>विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान</u> :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.25% ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा।

डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारणा के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके। इस निधि का उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट के छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों, तथा ट्रस्ट की किसी भी योजनाओं में दिए गए आश्वासित प्रतिफल की दर में कमी होने पर, उनकी पूर्ति करने के लिए भी किया जा सकता है।

IX. <u>कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान</u> :

प्रत्येक वर्ष मासिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा। ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं।

X. **लेखों का प्रकाशन :**

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के छ: सप्ताह के भीतर यथाशीघ्र सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से विज्ञापन के माध्यम से लेखों को प्रकाशित करेगा, जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि के दौरान बनाई गई योजना और उसके अन्तर्गत बने प्लान के कार्यों का विवरण होगा। ट्रस्ट अर्धवार्षिकी की समाप्ति अर्थात् 31 दिसंबर से 2 महीने के भीतर अपरीक्षित लेखा परिणाम प्रकाशित करेगा। ट्रस्ट सेबी को विधिवत् रूप से परीक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियां और राजस्व लेखा, अपरीक्षित अर्ध वार्षिक लेखों और एनएवी में हुए उतार चढ़ाव का एक तिमाही पोर्टफोलियो विवरण पिछली अवधि में हुए परिवर्तनों सहित भेजेगा। ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में हो और जिनका सूचित किया जाना आवश्यक हो। ट्रस्ट, सदस्य से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर, उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों की एक प्रति भेजेगा।

XI. **योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन और संशोधन :**

बोर्ड समय-समय पर इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किये गये परिवर्धन/संशोधन की अधिसूचना सरकारी राजपत्र में की जाएगी। किसी संशोधन के मामले में सेबी का पूर्व अनुमोदन लिया जाएगा।

जब योजना की मूल विशेषताओं या ट्रस्ट या शुल्क या देय प्रभारों में या अन्य कोई ऐसा परिवर्तन किया जाना हो जिससे योजना परिवर्तित हो जाए या सदस्यों के हितों पर प्रभाव पड़े तो ऐसे परिवर्तन करने के लिए कम से कम तीन-चौथाई सदस्यों की सहमति ली जाएगी :

परन्तु यह कि तब तक ऐसा कोई परिवर्तन न किया जाए जब तक तीन-चौथाई सदस्यों ने अपनी सहमति न दे दी हो और जो अपनी सहमति न दें उन्हें योजना से अपनी धारिताएं मोचित करने की अनुमति है।

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "मूल विशेषताओं" का अर्थ है निवेश उद्देश्य, तथा योजना की शर्तें ।

XII. **योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति :**

(क) प्लान 31-12-2002 को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा, सदस्यों के बकाया यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी और सदस्यों को उनके यूनिटों के मूल्य की अदायगी उक्त अवधि के दौरान अंतिम पुनर्खरीद के लिए निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी। निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के अलावा बाद की किसी अवधि के लिए पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या आय के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा। फिर भी, ट्रस्ट, सेबी की पूर्व अनुमति से इस योजना को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में सदस्यों को विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे यूनिटों को वापस ट्रस्ट को बेच दें अथवा इस योजना में बने रहें। ट्रस्ट द्वारा निवेशक को यह विकल्प भी दिया जा सकता है कि वह पुनर्खरीद की राशि को आरंभ की गई अथवा उस समय परिचालन में रहने वाली किसी भी योजना में परिवर्तित कर सके।

(ख) ट्रस्ट योजना और उसके अंतर्गत बनाए गए प्लान को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :

i) प्लान के पांच वर्ष पूरे होने पर अर्थात् 31दिसंबर, 2002 को अथवा 5 वर्ष के आगे ऐसी तारीख की समाप्ति पर जो ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित हो।

ii) कोई ऐसी घटना घटित होने पर जिससे ट्रस्ट की राय में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति आवश्यक हो, या

iii) योजना के 75% सदस्यों द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर, या

iv) सदस्यों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निर्देश दें।

(ग) जहां उपर्युक्त उप खण्ड (ख) के अनुसरण में योजना की समाप्ति की जाती है, तो ट्रस्ट को योजना को समाप्त करने वाले कारणों की सूचना, समापन के कम से कम एक सप्ताह पहले सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होनेवाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और मुंबई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देनी होगी।

(घ) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट -

(i) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा।

(ii) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को उत्पन्न और रद्द करना बंद करेगा।

(iii) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा।

(ङ.) न्यासी मंडल सदस्यों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवश्यक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

परन्तु यदि योजना परिपक्वता अवधि के पूरा होने पर समाप्त की जाती है तो बैठक आवश्यक नहीं होगी।

(च) (i) न्यासी मंडल या योजना के उप खंड (ङ.) के अन्तर्गत प्राधिकृत व्यक्ति योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के सदस्यों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा।

(ii) ऊपर दिए गए खण्ड (च)(i) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टान्त में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने वाली तिथि को योजना की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

(छ) समाप्ति पूरी होने पर, ट्रस्ट सेबी और सदस्यों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितियां, जिनके कारण योजना समाप्त हुई, समाप्ति से पूर्व आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए की गई योजना का व्यय, सदस्यों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों के विवरण और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र भेजेगा।

(ज) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, सेबी [म्यूचुअल फंड] विनियम 1996 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे।

(झ) खण्ड XII (छ) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट हो जाती है कि योजना समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है तो योजना समाप्त हो जाएगी।

(ञ) ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीद के लिए अनुरोध पत्र के साथ सदस्यता सूचना/विधिवत् रूप से उन्मोचित यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर यथाशीघ्र पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा। सदस्यता सूचना/यूनिट प्रमाणपत्र पुनर्खरीद के लिए प्राप्त अनुरोध पत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हों, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए रख लिए जाएंगे।

(ट) **अनिवासी निवेशकों के मामले में पुनर्खरीद/परिपक्वता राशि निवेश के स्रोत पर निर्भर करते हुए निम्नानुसार विप्रेषित की जाएगी :**

(i) जब यूनिटों की खरीद विदेश से विप्रेषित विदेशी मुद्रा से की गई हो अथवा सदस्य की एफसीएनआर जमाओं की राशि से की गई हो अथवा सदस्य के भारत में स्थित अनिवासी (बाह्य) खाते में धारित निधियों से की गई हो तो प्राप्तियां, सदस्य को विदेशी मुद्रा में विप्रेषित की जा सकती हैं।

(ii) जब यूनिटों की खरीद सदस्य के अनिवासी (सामान्य) खाते में धारित निधियों से की गई हो तो परिपक्वता चेक भारत में निवेशक के रिश्तेदार को प्रेषित किया जाएगा, जिसे सदस्य के एनआरओ लेखा में जमा किया जाएगा ।

XIII. प्रावधानों के अर्थ निर्धारण का अधिकार :

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार होगा। ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालनेवाला या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा। इसके अंतर्गत बने योजना के प्रावधान और प्लान के प्रावधान, जैसे योजना में कहा गया है, एक दूसरे के साथ पढ़े जाएं।

XIV. प्रावधानों में ढील :

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के निर्बाध और सहज संचालन के लिए योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के किसी भी उपबंध में सेबी को सूचित करते हुए ढील दे सकता है, बशर्ते किसी सदस्य या सदस्य वर्ग के लिए ऐसा करना समीचीन हो।

पेशकश दस्तावेज के प्रावधानों में कोई परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन के बाद एवं विनियमों की शर्तों के अनुसार ही किया जाएगा ।

XV. **योजना और उसके अंतर्गत बना प्लान सदस्यों के लिये बाध्यकारी होगा :**

इस योजना और इसके अंतर्गत बने प्लान की शर्तों के साथ समय-समय पर इनमें किये गये संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक सदस्य और उसके माध्यम से दावा करनेवाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिये इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानो वह इसके लिए सहमत हो कि योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिये बाध्य हो।

XVI. **सदस्यों को लाभ :**

योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति के समय पूंजी, प्रारक्षित निधि और अधिशेष के संबंध में योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान में उपचित सभी लाभ केवल उन्हीं सदस्यों को प्राप्त होंगे जो योजना और उसके अंतर्गत बने प्लान की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिये यूनिट के धारक रहे हों।

प्लान के सदस्यों का अनुमोदन निम्नलिखित परिस्थितियों में मांगा जाएगा :

(i) सदस्यों के हित में जब कभी सेबी द्वारा ऐसा किया जाना अपेक्षित हो; या

(ii) प्लान के तीन-चौथाई सदस्यों द्वारा जब कभी मांग करने पर ऐसा किया जाना आवश्यक हो;

(iii) जब न्यासियों ने बहुमत से समाप्त करने का निर्णय लिया हो या यूनिटों का समयपूर्व प्रतिदान किया जाए ; या,

(iv) जब कोई परिवर्तन योजना के खण्ड XI में उल्लिखित मूलभूत विशिष्टताओं में या शुल्क और देय व्यय में किया जाना हो या अन्य कोई परिवर्तन जिससे प्लान संशोधित होता हो या सदस्यों का हित प्रभावित होता हो, तो ऐसा प्रस्तावित परिवर्तन तब तक न किया जाए जब तक तीन-चौथाई सदस्यों की सहमति न ले ली जाए।

कर मार्गदर्शक

कर रियायतें

प्लान के अंतर्गत आय और पूंजी वृद्धि पर कराधान प्रचलित कर कानूनों के अधीन होगा। वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार "एमआईपी-97 (V)" सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं के अंतर्गत सभी निवासियों और अनिवासियों (यदि यूनिटों की खरीद अनिवासी खाते से अदायगी के जरिए की गई हो, व्यक्तियों एवं एचयूएफ को हुई आय से हो) को यूनिटों से प्राप्त आय पर आयकर अधिनियम, 1961की धारा 80 एल के अंतर्गत रु. 15,000/- तक की कुल सीमा तक आय से कटौती उपलब्ध होगी।

इस प्लान के अंतर्गत होने वाला कोई भी दीर्घावधि पूंजी अभिलाभ आयकर अधिनियम 1961 की धारा 48 और 112 में दिए गए निर्देशों के अधीन होगा।

इस प्लान के अंतर्गत यूनिटों में किए गए निवेश का मूल्य धनकर से मुक्त है।

धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट

दीर्घावधि पूंजीगत आस्तियों के अंतरण से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण या आंशिक शुद्ध राशि का एमआईपी-97 (V) में किया गया निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 ईए के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ कर छूट के लिए पात्र होगा, बशर्ते पुनर्खरीद/अंतरण/गिरवीकरण, यूनिटों की आबंटन तिथि से तीन वर्षों के बाद किया जाए/रखे जाएं।

पात्र ट्रस्टों के लिए

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(2)(बी) के अंतर्गत यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं। अत: यूनिटों में निवेश कर रहे पात्र ट्रस्ट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 और 13 के अंतर्गत आय और निधि के लिए आवश्यक कर छूट के योग्य होंगे।

स्रोत पर कर की कटौती

निवासी

वर्तमान कराधान कानूनों के अनुसार धारा 194के, के अधीन ट्रस्ट द्वारा इस प्लान के मासिक आय विकल्प के अंतर्गत व्यक्तिगत सदस्यों/एचयूएफ/भागीदारी फर्मों और अन्य निवेशक जो कंपनी नहीं हों को देय आय पर 15% की दर से स्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी बशर्ते, तीनों विकल्पों के अन्तर्गत यह आय रु. 10,000/- से अधिक हो।

इसी प्रकार, कंपनियों को देय आय से स्रोत पर 20% की दर से कर की कटौती की जाएगी यदि यह आय वित्तीय वर्ष के दौरान रु.10,000/- से अधिक हो।

अनिवासी

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 196ए को अनिवासी द्वारा यूटीआई की किसी भी योजना के यूनिटों के संदर्भ में प्राप्त आय पर 20% की दर से स्रोत पर कर की कटौती किए जाने हेतु प्रतिस्थापित कर दिया गया है जिन्हें उन्होंने अनिवासी (सामान्य) खाते से अदायगी करके अर्जित किया हो।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, द्वारा जारी दिनांक 24 जनवरी, 1996 के परिपत्र सं. 734 एफ सं. 500/4/96-एफटीडी के अनुसार यूएई में रहने वाले अनिवासी सदस्यों को दोहरे कराधान से बचाव हेतु, जहां निधि का स्रोत एनआरओ खाता है, स्रोत पर 15% की रियायती दर से कर कटौती की जाएगी।

कर कटौती नहीं

निवासी :

सदस्य (कंपनी या फर्म को छोड़कर) जो स्रोत पर कर की कटौती के बिना आय चाहते हैं उन्हें ट्रस्ट को लिखित रूप से निर्धारित फार्म सं. 15 एच पर दो प्रतियों में घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए और उसे

इस आशय की निर्धारित रीति से सत्यापित किया जाना चाहिए कि उसकी गत वर्ष की अनुमानित कुल आय पर कर "शून्य" होगा। स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने संबंधी निर्धारित फार्म आवेदन पत्र के साथ तथा उत्तरवर्ती वर्षों के लिए आय वितरण वारंटों के भेजे जाने के कम से कम तीन माह पूर्व प्रस्तुत किए जाने चाहिए, ऐसा न करने पर प्रचलित कराधान कानूनों के अनुसार कर कटौती की जाएगी।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 अथवा 12 अथवा 10(22) अथवा 10(22ए) अथवा 10(23) अथवा 10 (23एए) अथवा 10(23सी) के अंतर्गत आनेवाले पात्र ट्रस्टों द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रारूप में घोषणा किए जाने के आधार पर उन पर कर की कटौती नहीं की जाएगी।

अनिवासी

अनिवासियों के मामले में, यदि यूनिटों की खरीद सीधे विदेशी मुद्रा के विप्रेषण के जरिए अथवा भारत में रखे गए अनिवासी (बाह्य) खाते के जरिए अथवा एफसीएनआर जमाओं की राशि से की गई है तो ऐसे यूनिटों से प्राप्त आय पूर्णतया आयकर से मुक्त है।

उपरोक्त मामले में यूटीआई स्रोत पर कर की कटौती नहीं करेगा, भले ही आय की राशि कितनी भी हो।

आयकर/धन-कर/उपहार-कर/पूंजीगत अभिलाभ कर, अनिवासी भारतीयों/ओसीबी/एफआईआई द्वारा किए गए निवेशों के संबंधित प्रकटीकरण प्रचलित आयकर अधिनियम, फेरा और रिज़र्व बैंक के निदेशों और अनुमतियों के अनुरूप हैं।

सदस्यों के अधिकार :

1. प्लान के अधीन सदस्यों को प्लान की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा प्लान द्वारा घोषित आय में समानुपातिक अधिकार है।
2. सदस्यों को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव रखती हो तथा सदस्यों को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे।
3. सदस्यों को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन प्वाइंट, मुंबई -400 021 में स्थित है।

अभिरक्षकों से यह अपेक्षा है कि वे ट्रस्ट की योजनाओं/फंडों/प्लानों की सभी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी लें और उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखें। अभिरक्षक प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करेंगे। जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद,

अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी और विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा।

अभिरक्षक सभी सूचनाएं रिपोर्ट अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/फंडों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं निरीक्षण और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेंगे।

लेखा परीक्षक

मेसर्स एस के कपूर एण्ड कं.16/98, एलआईसी बिल्डिंग, दी माल, कानपुर-208001 और मेसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, 60 बेंटिक स्ट्रीट, कलकत्ता 700 069। योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है, और वे प्रत्येक वर्ष बदले जाने के अधीन हैं।

निवेशकों की शिकायतें.

01.10.96 से 30.09.97 तक की अवधि के लिए प्राप्त शिकायतों की संख्या, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, उन्हें नीचे दिया गया है :

योजना का नाम	शिकायतों की संख्या			कुल प्राप्त में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
सीसीसीएफ	945	880	65	6.88%
सीजीजीएफ	8854	8454	400	4.52%
सीजीएस-83	601	513	88	14.64%
सीजीयूएस-91	4431	4408	23	0.52%
सीआरटीएस	344	334	10	2.91%
डीआईपी-91	3433	3379	54	1.57%
डीआईयूपी-93	620	609	11	1.77%
डीआईयूपी-95	1847	1817	30	1.62%
डीआईयूएस-90	1947	1917	30	1.54%
डीआईयूएस-91	3109	3061	48	1.54%
डीआईयूएस-92	2556	2510	46	1.80%
ईओएफ	1209	1201	8	0.66%
जीसीजीआई	35305	33992	1313	3.72%
जीएमआईएस-91	18463	18149	314	1.70%
जीएमआईएस-92	10944	9594	1350	12.34%
जीएमआईएस-92(II)	1058	897	161	15.22%
जीएमआईएस-बी-92	893	869	24	2.69%
जीएमआईएस-बी-92 (II)	2384	2333	51	2.14%
ग्रैंडमास्टर-93	1858	1846	12	0.65%
गृहलक्ष्मी यूनिट प्लान	1255	1182	73	5.82%
आवास यूनिट योजना	300	275	25	8.33%
आईआईएसएफयूएस	3	3	0	0.00%
मास्टरगेन-92	169535	166983	2552	1.51%

मास्टरग्रोथ-93	8988	8940	48	0.53%
मास्टरप्लस-91	14010	13245	765	5.46%
मास्टरशेयर-86	22133	19783	2350	10.62%
एमईपी-91	4551	4360	191	4.20%
एमईपी-92	22187	21291	896	4.04%
एमईपी-93	67170	66454	716	1.07%
एमईपी-94	46830	45510	1320	2.82%
एमईपी-95	8988	8970	18	0.20%
एमईपी-96	3622	3598	24	0.66%
एमईपी-97	749	707	42	5.61%
एमआईपी-93	2403	2398	5	0.21%
एमआईपी-94(I)	3036	2977	59	1.94%
एमआईपी-94(II)	2969	2905	64	2.16%
एमआईपी-94(III)	7843	7796	47	0.60%
एमआईपी-95	7642	7544	98	1.28%
एमआईपी-95(II)	7958	7863	95	1.19%
एमआईपी-95(III)	6921	6803	118	1.70%
एमआईपी-96	6075	5957	118	1.94%
एमआईपी-96(II)	5462	5352	110	2.01%
एमआईपी-96(III)	6662	6518	144	2.16%
एमआईपी-96(IV)	13430	12665	765	5.70%
एमआईपी-97	6019	4999	1020	16.95%
एमआईपी-97(II)	3693	3139	554	15.00%
एमआईपी -97(III)	590	463	127	21.53%
एमआईएस-बी-93	4714	4656	58	1.23%
एमआईएसजी-90(I)	4463	3176	1287	28.84%
एमआईएसजी-90(II)	2131	2035	96	4.50%
एमआईएसजी-91	2366	2337	29	1.23%
ओमनी-प्लान	68	60	8	11.76%
प्राइमरी इक्विटी फंड	451	364	87	19.29%
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	3589	3447	142	3.96%
सेवानिवृत्ति लाभ प्लान	1821	1640	181	9.94%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	721	599	122	16.92%
यूजीएस-2000	8176	7631	545	6.67%
यूजीएस-5000	5370	5131	239	4.45%
यूलिप	8883	7756	1127	12.69%
यूएस -64	133079	127182	5897	4.43%
यूएस -92	8041	7791	250	3.11%
यूएस-95	2	2	0	0.00%
कुल	735700	709250	26450	3.60%

शिकायतें लंबित रहने के कारण :

(1) संग्रहण कर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना।

(2) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना।

(4) मार्ग में ही खो जाना।

(5) डाक सेवा में विलंब

(6) अंतरण/मृत्यु दावों/पुनर्खरीद के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना।

(7) शिकायतें भेजते समय अपूर्ण ब्यौरा

(8) कमीशन प्राप्त न होना/विलंब से प्राप्त होना

(9) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना।

सभी निवेशक अपनी शिकायतें निवेश संबंधी पूर्ण विवरण देते हुए सम्बंधित निवेशक संपर्क कक्ष को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं :

पश्चिमी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष, कामर्स सेंटर 1, 28वीं मंजिल,
विश्व व्यापार केंद्र, जी डी सोमानी मार्ग,
कफ परेड, मुंबई-400 005
टेली : 218 0172/218 1600

पूर्वी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
2, फेयरली प्लेस, 2री मंजिल,
कलकत्ता-700 001
टेली : 243 4581

दक्षिणी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
यूटीआई हाऊस, 29, राजाजी सालै,
चेन्नई-600 001
टेली : 517101 विस्तारित : 360/364

उत्तरी अंचल :
भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
हेरॉल्ड हाऊस, 2री मंजिल,
5ए, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली 110 002
टेली : 332 9860

रजिस्ट्रार

यूटीआई निवेशक सेवा लिमिटेड को रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है।

यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि रजिस्ट्रार के पास आवेदन पत्रों, अंतरण फार्मों एवं पुनर्खरीद आग्रहों की प्रोसेसिंग करने, सदस्यता सूचनाओं/यूनिट प्रमाणपत्रों एवं आय वारंटों को निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशक की शिकायतों को दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की पर्याप्त क्षमता है।

आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात् सेवाएं रजिस्ट्रार की निम्नलिखित शाखाओं द्वारा प्रदान की जाएंगी :

पश्चिमी अंचल : प्लॉट नं 369, मरोल मरोशी रोड,मरोल मरोशी बस डिपो के समीप, विजय नगर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 059.

पूर्वी अंचल : 2, फेयरली प्लेस, पहली मंजिल, पी.बी. नं 60, कलकत्ता 700 001.

दक्षिणी अंचल : जस्टिस बशीर अहमद सैयद बिल्डिंग, 45, दूसरी लाइन बीच, चेन्नई 600 001.

उत्तरी अंचल (उत्तर प्रदेश को छोडकर) : कंचनजंगा बिल्डिंग, ऊपरी भूतल, 18, बाराखंभा रोड,नई दिल्ली.

लखनऊ (केवल उत्तर प्रदेश राज्य के लिए) : शॉप नं.8 एवं 9, 2री मंज़िल, सरण चेम्बर्स नं.5, पार्क रोड, लखनऊ - 226 001.

निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केंद्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट द्वार नं. 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुंबई-400 020 में उपलब्ध रहेंगे :

- यूटीआई अधिनियम
- सामान्य विनियम
- अभिरक्षक, रजिस्ट्रार और संग्रहणकर्ता बैंकों के साथ किए गए करार
- पेशकश दस्तावेज एमआईपी 97(V) की प्रति

यूटीआई के पिछले पाँच मासिक आय प्लानों का विवरण

प्लान	एमआईपी `96 (IV)	एमआईपी `97	एमआईपी`97(II)	एमआईपी `97(III)	एमआईपी `97(IV)
आरंभ होने की तिथि	01.01.1997	01.05.1997	01.07.1997	01.09.1997	01.11.1997
समाप्ति की तिथि	31.12.2001	30.04.2002	30.06.2002	31.08.2002	31.10.2002
मासिक आय संचयी विकल्प	पहले वर्ष के लिए 15% प्र.व. —	सभी पाँच वर्षों के लिए 14% प्र.व रु. 2,000/- कम से कम बनते हैं रु.4,012/-	सभी पाँच वर्षों के लिए 14% प्र.व रु. 2,000/- कम से कम बनते हैं रु.4,012/-	सभी पाँच वर्षों के लिए 13% प्र.व रु.5,000/- कम से कम बनते हैं रु.9,543/-	सभी पाँच वर्षों के लिए 12.5% प्र.व रु.10,000/- कम से कम बनते हैं रु.18,622/-
संग्रह की गई राशि	रु.827.38 करोड़	रु.1142.30 करोड़	रु.1495.93 करोड़	रु.794.49 करोड़*	रु.843.81 करोड़*
आवेदनों की संख्या	3,26,839	3,25,649	4,12,238	1,88,634*	62,624*

* दिनांक 31.10.1997 तक

सारणी

क्र. सं.	प्लान	वार्षिक आय प्रदत्त /देय मासिक	आश्वासित परिपक्वता पर पूंजी वृद्धि (%)		बोनस (%) प्रदत्त/देय
			आश्वासित	वास्तविक	
1	2	3	4	5	6
परिपक्व योजनाएं					
1.	एमआईएस-1	12% प्र.व.	-	6	-
2.	एमआईएस-2	12% प्र.व.	-	7	-
3.	एमआईएस-3	12% प्र.व.	-	8	-
4.	एमआईएस-4	12% प्र.व.	-	8	-
5.	एमआईएस-5	12% प्र.व.	-	10	-
6.	एमआईएस-6	12% प्र.व.	2	5.5	1.5
7.	एमआईएस-7	12% प्र.व.	2	6	1.5
8.	एमआईएस-8	12% प्र.व.	2	7	1.5
9.	एमआईएस-9	12% प्र.व.	2	9	1.75
10.	एमआईएस-10	12% प्र.व.	2	9	2.00
11.	एमआईएस-11	12% प्र.व.	2	11	2.25
12.	एमआईएस-12	12% प्र.व.	2	28	2.25
13.	एमआईएस-13	12% प्र.व.	2	40	3.00
14.	जीएमआईएस 92	पहले 3 वर्षों के लिए 14.5% प्र.व.और अंतिम 2 वर्षों के लिए 15% प्र.व.	मासिक आय विकल्प के मामले में न्यूनतम 2% परिपक्वता पर संचयी विकल्प	5.6	
15.	एमआईएसजी'90	12% प्र.व.	--	8	1%, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर देय
16.	जीएमआईएस'92 (II)	पहले 3 वर्षों के लिए 14.5% प्र.व. और अंतिम 2 वर्षों के लिए 15% प्र.व.	मासिक आय विकल्प के मामले में न्यूनतम 2% परिपक्वता पर	5	
17.	एमआईएसजी '90 (II)	13% प्र.व.		2	2%, 3 रे वर्ष की समाप्ति पर घोषित और अतिरिक्त 2% बोनस 5 वें वर्ष की समाप्ति पर घोषित.
प्रचलित योजनाएं					
18	एमआईएस जी' 91	13% प्र.व.			3%, तीसरे वर्ष की समाप्ति पर घोषित और अतिरिक्त 3% बोनस लाभांश पांचवीं वर्ष की समाप्ति पर देय

19	जीएमआईएस '91 (31.12.2001 तक एमआईपी 96 (IV) के रूप में आवर्तित)	14.5% प्र.व. पहले 3 वर्षों के लिए और 15% प्र.व. अंतिम 2 वर्षों के लिए	मासिक आय विकल्प के मामले में परिपक्वता पर न्यनतम 2% संचयी विकल्प	3.7 1.7	
20.	जीएमआईएसबी '92	14.5% प्र.व. पहले 3 वर्षों के लिए और 15% प्र.व. अंतिम 2 वर्षों के लिए	मासिक आय विकल्प के मामले में न्यूनतम 2% परिपक्वता पर		2% बोनस लाभांश घोषित और परिपक्वता पर देय
21.	जीएमआईएसबी '92 (II)	14% प्र.व. पहले 2 वर्षों के लिए और 14.5% प्र.व. अंतिम 3 वर्षों के लिए	- वही -		2%, 3 रे वर्ष की समाप्ति पर घोषित और परिपक्वता पर देय
22.	एमआईएसबी '93	14% प्र.व.	- वही -		3 रे वर्ष की समाप्ति पर शून्य बोनस घोषित किया गया।
23.	एमआईपी '93	13.5% प्र.व.	- वही -		2 रे वर्ष की समाप्ति पर शून्य बोनस घोषित किया गया। 4 थे वर्ष की समाप्ति पर बोनस घोषित किया जा सकता है और वह परिपक्वता पर देय होगा।
24.	एमआईपी '94	पहले 2 वर्षों के लिए अर्थात् फरवरी '96 तक 13% प्र.व. और मासिक आय विकल्प के अंतर्गत 13.5% प्र.व. की दर से और संचयी विकल्प के अंतर्गत 1.3.96 से 28.2.98 * की अवधि के लिए 14% प्र.व. की दर से			
[illegible]	[illegible] (II)	[illegible] प्र.व. पहले 2 वर्षों के लिए मासिक आधार पर देय [illegible] अगले 3 वर्षों के लिए मासिक आधार पर देय *			
[illegible]	[illegible] (III)	[illegible] प्र.व. [illegible] वर्ष के लिए और 13% प्र. व. 2 रे वर्ष के लिए देय। 1.1.1997 से 31.3.1997 तक की अवधि के लिए 13% प्र.व. 1.4.1997 से 31.3.1998* तक के लिए 13% प्र.व.			

27.	एमआईपी '95	13% प्र.व. 1 ले वर्ष के लिए और 14% प्र.व. दूसरे वर्ष के लिए 1.7.1997 से 31.3.1998* तक के लिए 14% प्र.व.	-	-	-
28.	एमआईपी '95 (II)	13.5% प्र.व. 1 ले वर्ष के लिए और 14% प्र.व. दूसरे वर्ष के लिए, 1.4.1997 से 31.3.1998 * तक के लिए 14% प्र.व.	-	-	-
29.	एमआईपी '95 (III)	14% प्र.व. 1 ले वर्ष के लिए। 1.1.1997 से 31.3.1997 तक की अवधि के लिए 14% 1.4.1997 से 31.3.1998* तक के लिए 14%	-	-	-
30.	एमआईपी '96	14.5% प्र.व. 1 ले वर्ष के लिए। 1.5.1997 से 31.3.1998* तक के लिए 14.5%	-	-	-
31.	एमआईपी '96(II)	15% प्र.व. 1 ले वर्ष के लिए। 1.7.1997 से 31.3.1998* तक के लिए 15%	-	-	-
32.	एमआईपी '96(III)	15% प्र.व. 1 ले वर्ष के लिए। 1.10.1997 से 31.3.1998* तक के लिए 15%	-	-	-
33.	एमआईपी '96(IV)	15% प्र.व. 1 ले वर्ष के लिए। 1.1.1998 से 31.3.1998* तक के लिए 15%	-	-	-
34.	एमआईपी '97	14% प्र.व. सभी 5 वर्षों के लिए	-	-	-
35.	एमआईपी '97(II)	14% प्र.व. सभी 5 वर्षों के लिए	-	-	-
36.	एमआईपी '97(III)	13% प्र.व. सभी 5 वर्षों के लिए	-	-	-
37	एमआईपी `97 (IV)	12.5%प्र.व.सभी 5 वर्षों के लिए	-	-	-

* बाद के वर्षों के लिए आय दर पिछले वर्ष की समाप्ति पर या उसके पहले घोषित की जाएगी।

पूर्ववर्ती आंकड़े - मासिक आय योजनाएं

	1993-94							1994-95							
पूर्ववर्ती साख्यिकी	एमआईएस पूल	एमआईएसजी 90 पूल	जीएमआईएस पूल	जीएमआईएसजी 92 पूल	एमआईएसजी 93 पूल	एमआईपी 94	एमआईपी 94 (II)	एमआईएसजी 93 पूल	जीएमआईएस पूल	जीएमआईएसजी 92 पूल	एमआईएसजी 93 पूल	एमआईपी 94	एमआईपी 94 (II)	एमआईपी 94 (III)	एमआईपी 95
(क) शुद्ध आस्ति मूल्य, प्रति यूनिट	14.86	11.36	13.00	11.71	10.96	10.06	10.10	10.91	13.03	11.49	10.78	9.87	9.58	9.47	10.05
(ख) सकल आय प्रति यूनिट में विभक्त,															
(i) निवेशों की बिक्री पर लाभ के अतिरिक्त आय, प्रति यूनिट	1.99	1.44	1.53	1.63	0.90	0.55	0.05	1.40	1.72	1.61	1.24	0.96	0.67	0.17	1.06
(ii) निवेश के अंतर योजना बिक्री/अंतरण पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	3.26	--	0.35	—	0.10	--	--	—	0.03	0.17	0.08	—	--	0.03	-
(iii) तृतीय पक्ष को निवेशों की बिक्री पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	0.17	0.02	0.04	0.07	0.05	—	—	0.04	0.05	—	--	0.01	0.01	-0.03	—
(IV) पिछले वर्ष के आरक्षित से पुनरस्व लेखे में अंतरण, प्रति यूनिट															
(ग) कुल व्यय अधिलिखित, परिशोधन एवं प्रभार, प्रति यूनिट	0.10	0.03	0.05	0.05	0.07	0.06	0.04	0.05	0.36	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.01
(घ) शुद्ध आय, प्रति यूनिट	5.33	1.44	1.88	1.64	0.97	0.49	0.02	1.40	1.74	1.74	1.36	0.90	0.60	[illegible]	0.05
(ड) निवेशों के मूल्य में अप्राप्त मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास, प्रति यूनिट	-0.12	0.80	1.71	1.00	0.86	0.04	0.09	0.28	1.00	0.05	[illegible]	-0.42	-0.40	-0.44	-0.02
(च) बाजार मूल्य															
उच्चतम															
न्यूनतम															
पुनर्खरीद मूल्य															
उच्चतम															
न्यूनतम															
बिक्री मूल्य															
उच्चतम															
न्यूनतम															
लाभ उपार्जन अनुपात															
(छ) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट व्यय का अनुपात प्रतिशत में	0.65	0.23	0.36	0.45	0.65	0.57	0.35	0.46	0.49	0.56	0.55	0.66	0.76	0.69	0.14
(ज) औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट सकल आय का अनुपात प्रतिशत में (गत वर्ष के आरक्षित से पुनरस्व लेखे में अंतरण को छोड़कर परंतु अप्राप्त निवेशों में बढ़ोतरी को सम्मिलित करते हुए)	36.49	19.95	28.01	23.03	17.41	5.45	1.42	15.49	21.51	16.06	15.47	1.73	2.84	-2.87	0.42
(झ) प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य	14.86	11.36	13.00	11.71	10.96	10.06	10.10	10.91	13.03	11.49	10.78	9.87	9.58	9.47	10.05

पूर्ववर्ती आंकड़े - मासिक आय योजनाएं

पूर्ववर्ती अवधि		1995-96											
		एमआईएसजी 90 मूल	डीएमआईएस मूल	डीएमआईएसजी 92 मूल	एमआईएसजी 93 मूल	एमआईपी 94	एमआईपी 94 (II)	एमआईपी 94 (III)	एमआईपी 95	एमआईपी 95(II)	एमआईपी 95(III)	एमआईपी 96	एमआईपी 96(II)
(क)	शुद्ध आस्ति मूल्य, प्रति यूनिट	10.89	13.95	12.57	11.44	10.44	9.76	9.61	10.35	10.89	10.98	10.29	9.96
(ख)	सकल आय प्रति यूनिट में विभक्त,												
(i)	निवेशों की बिक्री पर लाभ के अतिरिक्त आय, प्रति यूनिट	1.40	1.74	1.65	1.45	1.60	1.15	1.20	1.38	1.19	0.83	0.27	0.05
(ii)	निवेश के अंतर योजना विक्रय/अंतरण पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	—	0.05	0.10	0.02	0.11	0.01	0.02	—	--	0.01	0.01	—
(iii)	तृतीय पक्ष को निवेशों की बिक्री पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	0.06	0.51	0.12	0.03	0.08	0.06	0.03	0.02	0.11	0.02	—	—
(iv)	पिछले वर्ष के प्रावधान से राजस्व लेखे में अंतरण, प्रति यूनिट	—	—	0.04	—	-0.01	--	—	—	—		—	—
(ग)	कुल व्यय, अपलिखित, परिशोधन एवं प्रभार, प्रति यूनिट	0.04	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.06	0.04	0.03
(घ)	शुद्ध आय, प्रति यूनिट	1.43	2.22	1.64	1.43	1.70	1.15	1.17	1.33	1.22	0.79	0.24	0.02
(ङ)	निवेशों के मूल्य में अप्राप्त मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास, प्रति यूनिट	0.26	0.72	0.41	0.40	-0.39	-0.42	-0.49	0.06	0.55	0.8[illegible]	0.43	0.07
(च)	बाजार मूल्य												
	उच्चतम												
	न्यूनतम												
	पुनर्खरीद मूल्य												
	उच्चतम												
	न्यूनतम												
	बिक्री मूल्य												
	उच्चतम												
	न्यूनतम												
	लाभ उपार्जन अनुपात												
(छ)	औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट आय का अनुपात प्रतिशत में	0.34	0.54	0.60	0.60	0.80	0.73	0.75	0.71	0.81	0.58	0.44	0.28
(ज)	औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट सकल आय का अनुपात प्रतिशत में (गत वर्ष के प्रावधान से राजस्व लेखे में अंतरण को छोड़कर परंतु अप्राप्त निवेशों में कटौती को सम्मिलित करते हुए)	15.82	22.39	19.30	17.09	17.55	12.61	13.06	14.33	16.97	15.21	6.89	1.16
(झ)	प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य	10.89	13.95	12.57	11.44	10.44	9.76	9.61	10.35	10.89	10.98	10.29	9.96

01-07-1996 से 31-12-1996 तक

पूर्ववर्ती कार्यनिष्पादन		एमआईएसजी 90 मूल	बीएसआईएस मूल	बीएमआईएसजी 92 मूल	एमआईएसजी 93 मूल	एमआईपी 94	एमआईपी 94 (II)	एमआईपी 94 (III)	एमआईपी 95	एमआईपी 95(II)	एमआईपी 95(III)	एमआईपी 96	एमआईपी 96(II)	एमआईपी 96(III)	एमआईपी 96(IV)
(क)	शुद्ध आस्ति मूल्य, प्रति यूनिट	10.59	13.35	12.51	11.18	10.34	9.58	9.47	10.46	11.01	10.84	10.37	10.26	9.99	10.09
(ख)	सकल आय प्रति यूनिट में विभक्त ;														
(i)	निवेशों की बिक्री पर लाभ के अतिरिक्त आय, प्रति यूनिट	0.69	1.67	0.84	0.62	0.47	0.41	0.41	0.72	0.74	0.72	0.66	0.51	0.31	0.10
(ii)	निवेश की अंतर योजना बिक्री/अंतरण पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	–	0.30	0.01	–	–	–	--	–	–	0.02	0.02	–	--	–
(iii)	तृतीय पक्ष को निवेशों की बिक्री पर लाभ से आय, प्रति यूनिट	0.01	0.34	–	0.01	0.02	0.03	0.03	-0.02	0.03	0.04	-0.02	-0.02	–	--
(iv)	पिछले वर्ष के प्रावधान से समान लेखे में अंतरण, प्रति यूनिट	0.04	–	0.05	–	0.10	0.17	0.13	–	–	–	--	–	–	–
(ग)	कुल व्यय, अपलिखित, परिशोधन एवं प्रभार, प्रति यूनिट	0.02	0.07	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.01
(घ)	शुद्ध आय, प्रति यूनिट	0.71	2.24	0.86	0.59	0.55	0.58	0.54	0.67	0.72	0.73	0.61	0.44	0.27	0.08
(ङ)	निवेशों के मूल्य में अप्राप्त मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास, प्रति यूनिट	-0.01	0.09	0.02	-0.05	-0.58	-0.70	-0.74	–	0.44	0.50	0.43	0.44	0.27	--
(च)	क्रय मूल्य														
	उच्चतम														
	न्यूनतम														
	पुनर्क्रय मूल्य														
	उच्चतम														
	न्यूनतम														
	बिक्री मूल्य														
	उच्चतम														
	न्यूनतम														
	लाभ उपार्जन अनुपात														
(छ)	औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट व्यय का अनुपात प्रतिशत में	0.21	0.54	0.29	0.30	0.35	0.35	0.34	0.29	0.44	0.45	0.51	0.50	0.37	0.15
(ज)	औसत शुद्ध आस्तियों पर प्रति यूनिट सकल आय का अनुपात प्रतिशत में (एक वर्ष के आरक्षित से समान लेखे में अंतरण को छोड़कर परंतु अप्राप्त निवेशों में मूल्यवृद्धि को सम्मिलित करते हुए)	6.78	18.24	7.63	5.69	5.84	6.39	6.04	6.81	11.18	10.56	9.54	8.70	11.52	2.06
(झ)	प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य	10.59	13.35	12.51	11.18	10.34	9.58	9.47	10.46	11.01	10.84	10.37	10.26	9.99	10.09

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग (न्यू मरीन लाईन्स), मुंबई-400 020. दूरध्वनि : 206 8468.

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल : कामर्स सेंटर -1, 28 वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005. दूरध्वनि : 218 1600. **पूर्वी अंचल :** 2, फेयरली प्लेस, दूसरी मंज़िल, कलकत्ता-700 001. दूरध्वनि :220 9391. **दक्षिणी अंचल :** यूटीआई हाऊस 29, राजाजी सलई, चेन्नई-600 001. दूरध्वनि : 517 101. **उत्तरी अंचल :** जीवन भारती, 13 वीं मंज़िल, टावर II, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110 001. दूरध्वनि : 332 9860/332 9858.

पश्चिमी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

अहमदाबाद : बी जे हाऊस, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 009. दूरध्वनि : 642 3043. **बड़ौदा :** मेघधनुष, चौथी और पांचवीं मंजिल, ट्रान्स्पेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390 015. दूरध्वनि : 332 481. **भोपाल :** पहली मंजिल, गंगा जमुना कमर्शियल काम्प्लेक्स, प्लाट नं. 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल -1, स्कीम-13, हबीब गंज, भोपाल-462 001. दूरध्वनि : 558 308. **इन्दौर :** सिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, 570, एम. जी. रोड, इन्दौर-452 001. दूरध्वनि : 22796, **मुंबई :(1)** यूनिट सं. 2, ब्लाक `बी' गुलमोहर क्रॉस रोड नं. 9, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - 400 049. दूरध्वनि : 620 1995. **(2)** पर्सेपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आंध्रा बैंक के ऊपर, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई-400 703. दूरध्वनि : 767 2607. **(3)** लोटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा रोड, बैकबे रिक्लमेशन, मुंबई-400 020. दूरध्वनि : 285 0821. **(4)** श्रद्धा शॉपिंग आर्केड, पहली मंजिल, एस.वी. रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई-400 092. दूरध्वनि 802 0521. **(5)** सागर बोनांज़ा, पहली मंजिल, खोत लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई- 400 086. दूरध्वनि : 516 2256. **कोल्हापुर :** अयोध्या टावर्स, सी एस नं. 511, केएच-1/2,`ई' वार्ड, दाभोलकर कार्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416 001. दूरध्वनि : 657 315. **नागपुर :** श्री मोहिनी काम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, नागपुर-440 001. दूरध्वनि: 536893. **नासिक :** सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम.जी. रोड, नासिक-422 001. दूरध्वनि: 72166. **पणजी :** ई.डी.सी. हाऊस, भूतल, डॉ. ए बी मार्ग, पणजी, गोवा-403 001. दूरध्वनि: 222472. **पुणे :** सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183 फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे -- 411 005. दूरध्वनि : 325954. **राजकोट :** लल्लूभाई सेन्टर, चौथी मंजिल, लखाजी राज रोड, राजकोट-360 001. दूरध्वनि : 35112. **सूरत:** सैफी बिल्डिंग, डच रोड, ननपुरा, सूरत-395 001. दूरध्वनि : 434 550. **ठाणे :** यूटीआई हाऊस, स्टेशन रोड, ठाणे (प.) -400 601. दूरध्वनि :540 0905.

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : ओसीएचसी बिल्डिंग, 1ली एवं 2री मंजिल 24, जनपथ, खारवेला नगर, राम मंदिर के समीप, भुवनेश्वर - 751 001. दूरध्वनि: 410 995. **कलकत्ता :** 2, फेयरली प्लेस, कलकत्ता 700 001. दूरध्वनि : 220 9391. **दुर्गापुर :** तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंज़िल, आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर 713 216. दूरध्वनि : 546 136. **गुवाहाटी :** हिन्दुस्तान बिल्डिंग, 1ली मंजिल, एम एल नेहरू रोड, पानबाजार, गुवाहाटी 781 001. दूरध्वनि : 543 131. **जमशेदपुर :** 1-ए, राम मंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंज़िल, बिस्तूपुर, जमशेदपुर 831 001. दूरध्वनि: 425508. **पटना :** जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवीं मंज़िल, एक्ज़िबिशन रोड, पटना 800 001. दूरध्वनि : 235 001. **सिलीगुड़ी :** जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सरणी, सिलीगुड़ी - 734 401. दूरध्वनि : 424671.

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : रहेजा टावर्स, 26-27, 12वीं मंजिल, पश्चिम विंग, एम.जी.रोड, बंगलोर 560 001. दूरध्वनि :559 5091. **कोचीन :** जीवन प्रकाश, पांचवीं मंजिल, एम जी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन 682 011. दूरध्वनि : 362 354. **कोयम्बतूर :** चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्टस् कालेज रोड, कोयम्बतूर 641 018. दूरध्वनि : 214 973. **हुबली :** कालबुर्गी मेंशन, 4थी मंजिल, लेमिंगटन रोड, हुबली 580 020. दूरध्वनि : 363 963. **हैदराबाद :** पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद 500 001. दूरध्वनि : 511 095 **चेन्नई :** यू.टी.आई. हाऊस, 29, राजाजी सलई, चेन्नई 600 001. दूरध्वनि : 517 101. **मदुराई :** तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परनकुन्द्रम' रोड, मदुराई 625 001. दूरध्वनि : 38186. **मंगलोर :** सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, बाल-मत्ता रोड, मंगलोर-575 001. दूरध्वनि : 426 258. **तिरुअनंतपुरम :** स्वस्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम.जी रोड तिरुअनंतपुरम 695 001. दूरध्वनि : 331 415. **त्रिची :** 104, सलई रोड, वोरेयूर, तिरुचिरापल्ली 620 003. दूरध्वनि : 760060. **त्रिचूर :** 28/876/77, वेस्ट पल्लिथामाम बिल्डिंग, करुणाकरण नंबियार रोड, राउंड नॉर्थ, त्रिचूर 680 020. दूरध्वनि : 331 259. **विजयवाड़ा :** 27-37-156, बन्दर रोड, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा 520 002. दूरध्वनि: 571134. **विशाखापट्टनम् :** रत्ना आर्केड, तीसरी मंजिल, 47/15/6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापट्टनम 530 016. दूरध्वनि : 548 121.

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा - 282 002. दूरध्वनि : 54408. **इलाहाबाद :** यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद. 211 003 दूरध्वनि: 400521. **अमृतसर :** श्री द्वारकाधीश काम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, क्विन्स रोड, अमृतसर-143 001. दूरध्वनि : 64388. **चंडीगढ़ :** जीवन प्रकाश, एलआईसी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160 017. दूरध्वनि: 703 683. **देहरादून :** दूसरी मंजिल, 59/3, राजपुर रोड, देहरादून 248 001. दूरध्वनि: 746720. **फरीदाबाद :** बी-614-617, नेहरु ग्राउंड, एनआईटी, फरीदाबाद-121 001. दूरध्वनि : 219156. **गाजियाबाद :** 41, नवयुग मार्केट, सिंघानी गेट के समीप, गाजियाबाद 201 001. दूरध्वनि : 790366. **जयपुर :** आनंद भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर 302 001. दूरध्वनि: 365 212. **कानपुर :** 16/79इ, सिविल लाईन्स, कानपुर 208 001. दूरध्वनि: 317 278. **लखनऊ :** रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ 226 001. दूरध्वनि : 238599. **लुधियाना :** सोहन पैलेस, 455, दि माल, लुधियाना 141 001. दूरध्वनि: 441264. **नई दिल्ली :** गुलाब भवन, दूसरी मंजिल, 6, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110 002. दूरध्वनि: 331 8638. **शिमला :** फ्लैट नं.401,402, मुकेश एपार्टमेन्टस्, फिंगस्क एस्टेट, होटल शील के पास, शिमला 171 001. दूरध्वनि: 257803. **वाराणसी :** पहली मंजिल, डी-58/2ए-1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी 221 001. दूरध्वनि: 358606.

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Department of Government and Bank Accounts, Mumbai

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt. Act, 1944 and published in the Gazette of the 20th April, 1946 (as amended under the Notification No. F. (8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990) the following list for the month ended December 1997 is hereby advertised of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and that the claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with the Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt. Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts : List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" the list of securities previously advertised.

LIST 'A'

No. of Securities	Value in Rs./Grams	In whose named issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		6.50% Loan 2002 (CALCATTA CIRCLE)			
CA-000108	Rs. 13,000/-	Reserve Bank of India	Interest paid upto 20th half year	Trs. The Chlorido Pension Fund	File No. 1-2523 General Manager's Order dated 26-12-1997 Vide Dy. No. LCO-85 dated 26-12-1997
CA-001300	Rs. 25,000/-	—do—	—do—	—do—	—do—
CA-001847	Rs. 10,000/-	—do—	—do—	—do—	—do—
		9% Relief Bond 1993 (NEW DELHI CIRCLE)			
DH-000021	Rs. 2,50,000/-	Roshan Lal	Since issued (Being Cummulative)	Roshan Lal	LN-15/97 dated 3-1-1998

LIST 'B'

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the Claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NDGB 1980 'A' Series (CHENNAI CIRCLE)			
MS 001626	22 gms.	K. N. Gopala Kammath	20-01-1966	D. Narasimha Kamath	G. M. Diary No. 65 dated 16-10-1997
		5 1/2% Loan 2000 (CALCUTTA CIRCLE)			
CA 010064	Rs. 25,000/-	Reserve Bank of India	interest upto 22nd half year has been paid	Tantia Charitable Trust	File No. I-2526 General Manager's Order Dated 5-12-97 vide Dy. No. LCO-74/97-98 dated 5-12-1997.

N. A. AHALEY
D. Chief General Manager
00 01-1998

THE INSTITUTE OF COST AND WORKS ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta, the 12th May, 1997

No. 11-CWR(163)/97:—In pursuance of sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificate of Practice granted to Shri P. Gopala Krishna Murthy, BCOM, ACS, AICWA, Plot No. 8, New Bakaram, S.B.I. Officers Colony, Hyderabad-500 380 (Membership No. 2648) is cancelled from 1st February 1997 to 30th June, 1997 at his own request.

S.R. ACHARYYA,
Secy.

The 18th June, 1997

No. 16-CWR(1222-1224)/97:—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of (1) Shri Kailash Nath Gupta, BCOM (HONS), FICWA, 3440, Kutub Road, Sadar Bazar, Delhi-110 006, (Membership No. 2885) with effect from 9th May 1997 (2) Shri D.D. Kulkarni, MCOM, AICWA, A-203, Krishnakamal Hsg. Soc., Govind Nagar Main Road, Borivli West, Mumbai-400 092 (Membership No. 4034) with effect from 11th August 1996 and (3) Shri Amar Nath Adhikari, BA, AICWA, 107/3/1, Sheikhpara Lane, Howrah-711 104 (Membership No. 5238) with effect from 19th March 1997, on account of death.

S.R. ACHARYYA, Secy.

The 24th July, 1997

No. 18-CWR (319-320)/97:—It is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has restored to the Register of Members, the names of (1) Shri Nand Kishore Garg, MCOM, AICWA, 269, Sector II, Shaktinagar, Bhopal-462 024 (Membership No. 3023) with effect from 30th May, 1997 and (2) Shri Prakritish Basu, BEE, AICWA, 13A, Jogesh Mitra Road, Calcutta-700 025 (Membership No. 5042) with effect from 8th July, 1997.

S.R. ACHARYYA, Secy.

Calcutta, the 4th August, 1997

No. 16-CWR (1225-1226)/97—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1) (a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of (1) Shri H R. Srinivasan, MA, FCA (ENG & WALES), FCA, ACS, AICWA, No. 88 (New No. 13), 2 Cross, Victoria Layout, Bangalore-560 047 (Membership No. 327) with effect from 14th June, 1997 (2) Shri Shamsunder Ranganath Bankapur, BA (HONS), B.COM, AICWA, G 9/5, Jan Kalyan Society, Bangur Nagar, Goregaon (West), Mumbai-400 090 (Membership No. 4146) with effect from 9th May, 1997, on account of death.

S. R. ACHARYYA, Secy.

Calcutta, the 11th September 1997

No. 16-CWR(1227-1228)/97—In pursuance of Regulation 16 of the Cost and Work Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that in exercise of powers conferred by sub-section (1)(a) of Section 20 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, the Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India has removed from the Register of Members, the names of (1) Shri S Mahadevan, B.COM, LLB, FCS, FBIM, AICWA, 64A Dr Rangachari Road, Abhiramapuram, Chennai-600 018 (Membership No. 848) with effect from 4th April, 1997 and (2) Shri Y. Satyamurthi, BSC, MBA FICWA, 6, South Beach Apts., 23, 4th Seaward Road, Valmiki Nagar, Thiruvanmiyur, Chennai-600 041 (Membership No. 530) with effect from 23rd July, 1997, on account of death.

S.R. ACHARYYA, Secy.

No. 11-CWR(164-166)/97—In pursuance of Sub-Regulation (3) of Regulation 11 of the Cost and Works Accountants Regulations, 1959, it is hereby notified that the Certificates of Practice granted to (1) Shri Rajiv Agarwal, M.COM, ACS, AICWA, G-62A, Kalkaji, New Delhi-110 019 (Membership No. 8231) is cancelled from 20th June, 1997 to 30th June, 1997 at his own request, (2) Shri Mithilesh Prasad Nirala, BCOM(HONS), LLB, AICWA, 10/C/1, U.K. Dutta Road, Dum Dum Cantonment, Calcutta-700 028 (Membership No. 13168) is cancelled from 30th June, 1997 at his own request and (3) Shri V. Ramakrishna Raju, M.COM, LLB, ACS, AIIMM, FICWA, 102, Sriven Towers, 8-3-222/1/A/1, Madhura Nagar, Yousuf Guda Main Road, Hyderabad-500 038 (Membership No. 10546) is cancelled from 4th July, 1997 to 30th June, 1998 at his own request.

S.R. ACHARYYA, Secy.

Calcutta, the 13th February 1998

No. 13-CWA/98.—In pursuance of Sub-section (1) of Section 13 of the Cost and Works Accountants Act, 1959, it is hereby notified that Shri A. N. Raman, B.Com., FICWA, Mathangi, 39/2, Third Street, Abhiramapuram, Chennai-600018. (Membership No. 5379), elected to the Thirteenth Council of the Institute of Cost and Works Accountants of India, from the Southern India Regional Constituency comprising the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala Pondicherry and the Union Territory of Lakshadweep has resigned from the seat of the Council for the term 1995-98. It shall take effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

DR. D. JAGANNATHAN, Secy.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Calcutta-700071, the 15th January 1998

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA/5/3/97-98—With reference to the Institute's Notification Nos. 3ECA/4/11/86-87 dated 31-3-87 and 3ECA/4/2/96-97 dated 20-12-96, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Reulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulation, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the date mentioned against their names, the names of the following persons,

S. No.	MRN	Member Name & Address	Rest. Date
1	2	3	4
1.	016674	Mr. Sengupta Kumar Sankar ACA 11C, Northern Avenue Calcutta-700037	1-04-97
2.	017230	Mr. Verma Deepak Kumar, FCA, Flat No, 401, Block 'A' Bhubaneshwar Apartments 36 Palm Avenue Calcutta-700019	01-04-97
3.	054526	Mr. Das Rup Kumar ACA 12R Tagore Avenue A-Zone, Durgapur-713 204	01-10-96

ASHOK HALDIA,
Secretary

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 9th January 1998

No. U-16/53/1/94-Med.II(Kerala).—In pursuance of the Resolution passed by E. S. I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E. S. I. (General) Regulation 1950 and such powers having further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I hereby authorise the following doctors to function as Medical authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. the dates given below for one year, or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centres as stated below for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (South Zone) Kerala for the purpose of medical examination of the

insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt :—

Sl. No.	Name of Doctors	Period	Name of Centre
1.	Dr. A.N, Radhakrishnan	17-12-97 to 16-12-98	Ernakulam
2.	Dr. V.R, Rajamma	29-12-97 to 28-12-98	Alleppey & Kottayam

DR. (MRS.) S. SINGH
Medical Commissioner

The 12th January 1998

No. U-16/53/91-Med.II(A.P.).—In pursuance of the resolution passed by E. S .I. Corporation at its meeting held on 25-4-1951 conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the ECI (General) Regulation 1950 and such powers having been further delegated to me vide Director Generla's Order No. 1024(G) dated 23-5-1983, I, hereby authorise Jt. Director I. M. S. Cuddapah to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with the norms w.e.f. 16-11-97 to 15-11-98 for one year. or till a full-time Medical Refree joins, whichever is earlier, for Cuddapah Centre, for areas to be allocated by Regional Dy. Medical Commissioner (South East Zone) Bhubaneswar for the purpose of medical examination of the insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificates is in doubt.

DR. (MRS.) S. SINGH
Medical Commissioner

New Delhi, the 14th January 1998

No. N-15/13/16/2/94-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) , read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st January, 1998 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Haryana Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Haryana namely :—

S. No.	Name of Revenue Village	Had Bast No.	District
1	2	3	4
1.	Kabal Bagh	10	Panipat
2,	Bagh Sher Afgan	13	Panipat
3.	Ugra Kheri	19	Panipat
4.	Gadi Wara	30	Panipat
5.	Nizam pur	03	Panipat
6.	Bhainswal	07	Panipat
7.	Kheri Nangal	31	Panipat
8	Sarai Bachhra	04	Panipat

R. C. SHARMA. Dy. Dir. (P&D)

MINISTRY OF LABOUR
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(CENTRAL OFFICE)
New Delhi-110066, the

No. 2/1959/DLI/Exemp./89 Pt.II/3726.—WHEREAS M/s. Tata Engineering & Locomotive Company Ltd., Jamshedpur-(BR/5) have applied for exemption under sub-section (2A) of section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

AND WHEREAS THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Life Cover Scheme of the said establishment in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said scheme).

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section 2(A). of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour/CPFC Notification No. 2 (1959)/DLI/Exem/89/Pt.I dated 26-9-95 and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt the above scheme for a further period with effect from 1-3-96 to 28-2-99 upto and inclusive of the 29-2-96.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may, from time to time, direct under clause(a) sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Life Cover Scheme including maintenance of accounts submission of returns, inspection charges etc shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Life Cover Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer, shall immediately admit him as a member of the Life Cover Scheme.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employers under the Life Cover Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Life Cover Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Life Cover Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the nominee(s)/Legal heir(s) of the Employee as compensation

8. No amendment of the provisions of the Life Cover Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee. The Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employee of the said establishment do not remain covered under the Life Cover Scheme of the said establishment as already adopted by the said establishment of the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. The responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for the grant of this exemption shall be that of the employer.

11. Upon the death of the member covered under the Life Cover Scheme the employer in relation to the establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. BHATTACHARJEE
Regional Provident Fund Commissioner (HQ)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

INSURANCE DIVISION

New Delhi, the February 1998

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA (STAFF) AMENDMENT REGULATIONS, 1998

F-2 (11) Ins. III/97.—In exercise of the powers conferred by sub section (2) of Section 49 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Life Insurance Corporation of India hereby makes with the previous approval of the Central Government the following regulations to amend the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations, 1960, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Life Insurance Corporation of India (Staff) Amendment Regulations, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Gazette of India.

2. In the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulation 1960, in regulation 7, in sub-regulation (3), the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that for promotion of Development Officers, the Corporation may fix such criteria for determining suitability as it deems fit having regard to the duties performed by Development Officers".

Sd/- (ILLEGIBLE)
MANAGING DIRECTOR
Life Insurance Corporation of India.

Foot Note :

The Principal rules were notified vide notification dated 23-7-1960 in Part IV of Gazette of India.

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Incorporated under the Architects Act, 1972)

New Delhi-110003, the 6th February 1998

ANNUAL REPORT OF THE COUNCIL OF ARCHITECTURE (INCORPORATED UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972) FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH, 1997 (01-04-1996 TO 31-03-1997).

Ref. No. CA/1/98.

The Council of Architecture (Incorporated under the Architects Act, 1972) has pleasure in presenting herewith its Annual Report together with the Audited Statement of Accounts reviewing the progress for the year ending 31st March, 1997.

I. COUNCIL OF ARCHITECTURE

The Council of Architecture met once on 20th November, 1996 at New Delhi and took decisions on the following importatnt issues :

1. Approved the Annual Report and the Audited Statement of Accounts for the year ending March 31, 1996.

2. Decided to delete sub-heading (ii) & (iii) of Resolution No 222 of the 28th meeting of the Council which states to incorporate the amendment in the Council of Architecture Regulations, 1982 by incorporating an honorarium of Rs 500/- per day to be paid to the experts being appointed by the Executive Committee of the Council for undertaking inspection of various Schools of Architecture in the country.

3. Decided to reprimand S/Shri B K Gupta, R S Bhatnagar, P C Dhairyawan and R R Chawla from Mumbai, for the lapses on their part in not taking any action on their own when discharging their responsibilities as architects for their respective projects in particular, on the question of areas of the plot under development.

4. Considered the report of the Advisory Committee (Appeals) and decided to register Shri Pawan Kumar Jain as architect under section 25(b) of the Architects Act, 1972.

5. Decided to recommend to the Central Government for amendment of "Council of Architecture Regulations 1982" by incorporating a clause at appropriate place for charging an inspection fee of Rs. 5,000/- from each institution imparting architectural education leading to award of recognised qualifications, intended to be inspected.

6. Authorised the Executive Committee to finalise the document on "Recruitment and Promotion Rules".

II. EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee of the Council met twice, on 20th September, 1996 at New Delhi and on 27th February, 1997 also at New Delhi. The Executive Committee discussed in detail on various matters as listed below and also made recommendations wherever necessary to the Council for its decision :

1. Approved the Annual Report and the Audited Report of Accounts for the period ending 31st March, 1996 for placing before the Council.

2. Appointed Shri Vinod Kumar, Deputy Administrative Officer as Acting Registrar-Secretary and given powers to discharge the statutory powers as envisaged under the Architects Act, 1972

3. Complimented the staff for the special efforts put in by them to recover a large amount or arrears of renewal/restoration fees from the architects who were defaulters for many years.

4. Decided to refer the case of Shri Sures Vishnu Bilaye, Registration No. CA/80/5978 to the Council for establishing a prima facie case on the basis of papers available regarding forgery and meddling with the Original Certificate of Registration.

5. Authorised the Chairman to constitute a Committee of 5 members which may include 2 nominees of IIA to go through the existing documents on professional practice including Guidelines of Architectural Competitions and amend the same based upon ground realities and consistent with the present day conditions. It was also decided that the mandatory regulations be separated from general guidelines so that the competitions are held strictly in accordance with the mandatory provisions of the Guidelines laid down by the Council.

6. Accepted the report of the Departmental Promotion Committee and promoted the employees of the Council to the next higher grade of the post except the promotion of Shri Vinod Kumar as Administration Officer. The Committee decided to create a new post as Deputy Administraitve Officer in the Pay Scale of Rs. 2900-100-3500-125-4400/- and offered the same to Shri Vinod Kumar in recognition of his long association and contribution to the Council.

7. Decided to constitute a Committee consisting of Prof. S. A. Tungare and Prof. Gurunath V. Dalvi to submit a report on the state of architectural education.

8. Congratulated Shri K. Gopala Krishna Bhat for having successfully completing LL.B degree course from University of Delhi.

9. Decided to recommend the Budget estimates for the financial year 1997-98 amounting to Rs. 34,20,000/- (recurring) and Rs. 65,000/- (non-recurring) to the Council.

10. Decided to recommend to the Council for revising the fee prescribed under the Council of Architecture Rules, 1973 as follows :

(i) the Registration Fee be raised from Rs. 200/- to Rs. 300/-

(ii) the Renewal Fee be raised from Rs. 100/- to Rs. Rs. 200/-;

(iii) the Registration Fee be raised from Rs. 200/- to Rs. 300/- due to non-payment of Renewal Fee by the prescribed date; and

(iv) Duplicate Certificate Registration Fee be raised from Rs. 40 to Rs. 100/-.

III DISCIPLINARY COMMITTEE

The Disciplinary Committee held one sitting on 2nd November, 1996 at Mumbai. At this meeting, for Committee considered cases referred by the Council for detailed investigations. The Disciplinary Committee completed investigations in respect of S/Shri Sauleh M. U. Mistry, Vilas Joshi, Lucio S. De Miranda and M/s. V. S. Vaidya & Co. The Disciplinary Committee is continuing the investigations/hearing on the remaining 5 cases referred to it by the Council.

IV. The Council received 1623 applications during the year under report. 1605 appliactions were received under section 25(a) and 18 applications were received under section 25(b) of the Architects Act, 1972. Under section 25(a) 1565 persons and 1 person under section 25(b) have been registered. 12 applications were rejected as these applicants were not found eligible for registration either under section 25(a) or under section 25(b). The remaining applications are in various stages of scrutiny. The Original Certificates of Registration were issued to all the 1566 persons registered during the year under report. The total number of architects registered as on 31-03-1997 are 21290.

V. RENEWAL/RESTORATION

There was a good response for collection of renewal for from architects registered with the Council for retention of their names in the Register of Architects. The Council also arranged collection of renewal fee at Indian Institute of Architects, Mumbai and PEATA, Mumbai from the architects based in Mumbai and near about places. The Council also received renewal fee in advance in some cases from architects registered with the Council at their own request.

VI. COUNCIL MEMBERS

The following persons were duly nominated during the year under report as members on the Council of Architecture by their respective State Governments :

1. Shri A. P. Tyagi, Govt. of Uttar Pradesh.
2. Shri Gokul Das, Govt. of Orissa.
3. Shri M. B. Saxena, Union Territory of Lakshadweep.
4. Shri B. S. Duggal, C. P. W. D., Govt. of India.
5. Shri B. P. Malhotra, Govt. of Himachal Pradesh.
6. Shri K. Raghunanda, Govt. of Andhra Pradesh.
7. Shri Ashok Kumar Bhargava, Govt. of Rajasthan.

The Institution of Engineers (India) nominated Shri G. P. Lal, Patna and Shri N. D Patel Mumbai as their nominees on the Council of Architecture.

Ministry of Human Resource Development (Department of Education), Govt. of India appointed the following five architects elected by the Indian Institue of Architects from amongst its members to be the members of the Council of Architecture :

(1) Ar. Madhav Ganesh Deobhakta, Mumbai; (2) Ar. Premender Raj Mehta, New Delhi; (3) Ar. Srikrishna Laxman Chitale, Chennai; (4) Ar. Rajendra L. Sutaria, Ahmedabad and (5) Ar. Kunju Bihari Mohapatra, Cuttack.

VII. LIABILITY

The Council has a liability of Rs. 1,50,000/- in the repayment of the interest free loan to the Government of India.

VIII. CA NEWS

The Council of Architecture published two issues of CA News during the period under report, with a view to keep members informed of the important activities and seek members interaction as to the issues involved. These three issues were sent to members of the Council, Schools of Architecture and all the registered architects around 19800 and others interested in the activities of the Council. Most architects have appreciated the efforts of the Council in bringing out 'CA News'. The Council received sponsorship from M/s. Gujarat Guardian Limited, New Delhi which facilitate the publication of CA News as the Council is not in a position to meet its cost out of its meagre resources

IX. ALL INDIA BOARD OF ARCHITECTURAL EDUCATION (AICTE) UNDER MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN COA AND AICTE

The COA has signed a Memorandum of Understanding with AICTE to compliment each other in ensuring the implementation of their respective Acts. AICTE has Constituted an All India Board of Architectural Education. The All India Board of Architectural Education of the AICTE had recommended through circulation, the following proposals for starting undergraduate architectural education:

(1) Vastu Kala Academy, School of Architecture Interior Designing, New Delhi; (2) Sri Venkateswara College of Architecture, Hyderabad; and (3) CSI Institute of Technology Secunderabad

The AICTE on the recommendations of the Board accorded approval to the above proposals for starting undergraduate architectural education from the academic year 1996-97.

The Board met once on 29th February 1997 at New Delhi and discussed various matters and also made recommendations where necessary to the All India Council for Technical Education.

X. AMENDMENTS TO THE ARCHITECTS ACT, 1972

As reported in the last report, the Council of Architecture has initiated action in suggesting amendments to he Architects Act, 1972. A Sub-Committee has been constituted which has yet to submit its report to the Council for approval.

XI. LITIGATION

As reported in the last report, the following cases are pending before various Courts for seeking registration u/s 25(b) of the Architects Act, 1972 :

(i) C. W. P. No. 414/89 filed in the Tis Hazari Court, Delhi by Shri S. P. Jain Vs. COA.

(ii) C. W. P. of 1991 filed in the High Court of Allahabad by Shri A. N. Chakravorti against COA.

(iii) COA Vs. Shri R. R. Nagpal filed in the Court of Shri Bharat Prashar, Metropolitan Magistrate, Tis Hazari Court, Delhi.

The above litigation cases are in progress.

XII. COUNCIL OF ARCHITECTURE (MINIMUM STANDARDS OF ARCHITECTURAL EDUCATION) REGULATIONS FOR FULL-TIME AND PART-TIME DEGREE COURSE

The documents as finalised by the Council of Architecture for full-time as well as for part-time B. Arch. degree course have been forwarded by the All India Council for Technical Education after their approval to the Central Government for approval, and the approval is still awaited. On receipt of approval from the Central Government, further action will be taken for publishing the same in the Official Gazette for its implementation.

XIII. MISCELLANEOUS

1. The Council of Architecture successfully conducted a Common Aptitude Test for three Schools of Architecture i.e. TVB School of Habitat Studies, New Delhi; Sushant School of Art & Architecture, Sushant Lok, Gurgaon (Haryana); and Vastu Kala Academy, School of Architecture & Interior Designing, New Delhi. All staff of the Council were deputed for the said purpose and the Test was conducted maintaining full secrecy, confidentiality and impartiality. Our representative also assisted Govt. of Punjab, Maharashtra and Tamil Nadu in conducting the Aptitude Tests.

2. The Council continues to attend to a large number of enquiries by the clients from Private, Govt. and Semi-Govt. Organisations in regard, to the appointments of architects, conditions of engagement and scale of fees etc.

3. The Council also continues to receive complaints from the general public/Govt. agencies/architects for alleged professional misconduct against the registered architects with COA.

4. The Council of Architecture in association with Practising Engineers, Architects and Town Planners Association (PEATA) organised a one day National Workshop on Professional Practice for Architects in Mumbai on Saturday, the 15th March, 1997. The Workshop was attended by approx. 250 practising architects and others connected with built environment. The Workshop was informative and highlighted the difficulties faced by the architectural profession. At its sessions were well attended and panellists made good representations.

5. Inspection of Schools of Architecture

The Chairman, Executive Committee of the Council of Architecture appointed Expert Committees for inspecting various Schools of Architecture/Departments of Architecture, to assess the architectural course being run in confirmity with the regulations relating to education and the standards laid down by the Council of Architecture. The reports of the Expert Committees wherever received have been forwarded to the authorities concerned for taking remedial measures.

6. The Council is grateful to the following organisations for extending their facilities in connection with the work of the Council and also for holding the meetings of the Council/Committees of the Council :

(a) Indian Institute of Architects, Bombay;

(b) PEATA, Bombay;

(c) Indian Education Society's College of Archiecture, Mumbai;

(d) Housing & Urban Development Corporation Ltd., New Delhi;

(e) M/s. Stein, Doshi, Bhalla, New Delhi;

7. The Council is thankful to all the Schools of Architecture inspected during the year under report for their cooperation during the course of inspection. The Council is also thankful to the expert who have inspected the Schools of Architecture during the year under report.

8. The Council records its thanks to the retiring members of the Council and its Committees/Sub-Committees as well as special invitees for their valuable contribution and assistance in the affairs of the Council during their tenure.

9. The Council would like to record its thanks to the Ministry of Human Resource Development (Department of Education), Govt. of India, Shastri Bhawan, New Delhi for their cooperation in the enforcement of the Architects Act, 1972.

10. The Council would like to record its thanks to the authorities of the All India Council for Technical Education for their cooperation in the enforcement of the Architects Act, 1972.

11. The Council would also like to place on record its appreciation to M/s. Ravi K. Tandon & Co., Chartered Accountants, New Delhi for the year under report.

VINOD KUMAR
Acting Registrar.

RAVI K. TANDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Phones : Offi. 3263066, 3263197, 3253688, Resi. 4622942

Ravi K. Tandon
F. C. A. A. M. I. M. A.

Fax: 91-11-3263197
98110-25783

New Delhi-110006, dated

FORM NO. 10-B
(See Rule 17-B)

AUDIT REPORT UNDER SECTION 12-A (b) OF THE INCOME TAX ACT, 1961, IN THE CASE OF CHARITABLE OR RELIGIOUS TRUST OR INSTITUTIONS,

We have examined the Balance Sheet of COUNCIL OF ARCHITECTURE, India Habitat Centre, Zone 6—A 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi-110003 as at 31st March, 1997 and the Income & Expenditure A/C or the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained by the said trust :

We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In our opinion proper books of account have been kept by the

council of Architecture so far as appears from our examination of such books subject to the comments given below :—

In our opinion and to the best of our information, and according to information given to us, the said accounts give a true and fair view :—

(i) In the case of the Balance Sheet of the State of affairs of the above named trust as at 31st March, 1997 and

(ii) In the case of the Income & Expenditure Account, of the excess of Income over expenditure of its accounting year ending on 31st March, 1997,

The prescribed particulars are annexed here to,

For RAVI K. TANDON & CO.
Chartered Accountants

ANNEXURE

STATEMENT OF PARTICULARS

I, APPLICATION OF INCOME FOR CHARITABLE OR RELIGIOUS PURPOSES

1. Amount of income of the previous year applied to charitable or religious purposes in India during that year — NIL

2. Whether the trust/Institutions has exercised the option under clause (2) of the explanation to section 11(i)? If so, the details of the amount of income deemed to have been applied to charitable or religious purposes in India during the previous year — NIL

3. Amount of income accumulated or set / finally set apart apart for the application to charitable or religious purposes, to the extent it does not exceed 25 percent of the income derived from property held under trust wholly by for such purposes,

in part only — NIL

4. Amount of income eligible for exemption under section 11(i) (c) give details, — Income of trust for exempting u/s 10 (23-A) applied for and notification awaited,

5. Amount of income, in addition to the amount referred to in item 3 above, accumulated or set apart for specified purposes under section 11 (2) — NIL

6. Whether the amount of income mentioned in item 5 above has been invested or dedosited in the manner laid down in section 11 (2) (b) if so, the details there of — NIL

7. Whether any part of the income in respect of which an option was exercised under clause (2) of the explanation to section 11 (1) in any earlier year is deemed to be income of previous year under section 11 (1-B) ? If so, the details thereof, — NIL

8. Whether, during the previous year any part of income accumulated or set apart for specified purposes under section 11 (2) in any earlier year, — NIL

(a) has been applied for purposes other than charitable or religious purposes or has ceased to be accumulated or set apart for application thereto, or — NIL

(b) has ceased to remain invested in any security referred to in sec. 11 (2) (b) (1) or deposited in any account referred to in section 11 (2) (b) (11) or section 11 (2) (b) (111), or : — NIL

(c) has not been utilised for purposes for which it was accumulated or set apart during the period for which it was to be accumulated or set apart, or in the year immediately following the expiry thereof ? If so, the details thereof, — NIL

for RAVI K. TANDON & CO.
Chartered Accountants

(RAVI K, TANDON)
Prop.

Place : DELHI,
Dated : 22 July, 1997

II. APPLICATION OR USE OF INCOME OR PROPERTY FOR THE BENEFIT OF PERSONS REFERRED TO IN SECTION 13 (3)

1. Whether any part of the income or property of the trust/institution was lent, or continues to be lent, in the previous year to any person referred to in section 13(3) (hereinafter referred to in this Annexure as such person) ? If so, give details of the amount, rate of interest charged and the nature of security, if any ? : NIL

2. Whether any land, building or other property of the trust/institution was made, or continued to be made, available for the use of any such person during the previous year ? If so, give details of the property and the amount of rent or compensation charged, if any ? : NIL

3. Whether any payment was made to any such person during the previous year by way of salary, allowance or otherwise ? If so, give details, : NIL

4. Whether the Services of the trust/institution were made available to any such person during the previous year ? If so, give details thereof together with remuneration or compensation received, if any ? NIL

5. Whether any share, security or other property was purchased by or on behalf of the trust/institution during the previous year from any such person ? If so, give details thereof together with the consideration paid, : NIL

6. Whether any share, security or other property was sold by or on behalf of the trust/institution during the previous year to any such person ? If so, give details thereof together with the consideration received, : NIL

7. Whether any income or property of the trust/institution was diverted during the previous year in favour of any such person ? If so, give details thereof together with the amount of income or value of property so diverted, : NIL

8. Whether the income or property of the trust/institution was used or applied during the previous year for the benefit of any such person in any other manner ? If so, give details. : NIL

For RAVI K. TANDON & CO,
Charetered Accountants

(RAVI K. TANDON)
Prop.

Place : DELHI
Dated : 22 July 1997

III. INVESTMENT— HELD AT ANY TIME DURING THE PREVIOUS YEAR(S) IN CONCERNS IN WHICH PERSONS REFERRED TO IN SECTION 13(3) HAVE A SUBSTANTIAL INTEREST

S. No.	Name & Address of the concern	Whether the concern is a Co. No. & class of shares held	Nominal value of the investment	Income from the invest.	Whether the amt. in Col. 4 exceed 5 percent of the capital of the concern during the P. Year. say Yes/No.
	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
TOTAL NIL	. . . . . .	NIL	NIL	NIL	NIL

For RAVI K. TONDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
RAVI K. TANDON
Prop.

Place : Delhi
Dated : 22 July 1997

AUDITOR'S REPORT

We have audited the annexed Balance Sheet of "COUNCIL OF ARCHITECTURE", India Habitat Centre, Zone 6-A, Ist Floor, Lodhi Road, New Delhi-110003, as on 31st March, 1997 and also Income & Expenditure Account for the year ended on 31st March, 1997, with the books of account and vouchers as produced to us, we do hereby report as follows :—

1. We have obtained all information and explanation which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

2. In our opinion a proper books of account as required by law have been kept by the Council so for as appears from our examination of such books :

3. The Balance Sheet and Income & Expenditure Account dealt with report are in agreement with the books of account;

4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us the said statement of account give a true and fair view :—

(a) in case of Balance Sheet of the state of affairs of the Council as at 31st March, 1997 and

(b) in the case of Income & Expenditure Account of the excess of income over expenditure for the year ended on that date.

For RAVI K. TANDON & CO.
Chartered Accountants

(Ravi K. TANDON)
Prop.

Place : Delhi
Dated : 22 July 1997

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Incorporated under the Architects Act, 1972)

INDIA HABITAT CENTRE, ZONE 6-A, IST FLOOR : LODHI ROAD : NEW DELHI-110003.

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 1997

Previous Year	LIABILITIES		AMOUNT	Previous Year	ASSETS		AMOUNT
11296867.59	GENERAL RESERVE				FIXED ASSETS		
	Balance as on 1-4-96	11296867.59		4208795.30	Building (Office Premises at I.H.C. Building Complex)		4208795.30
	Add : Excess of Income over Expenditure	833058.25			Add : Addition during the year	—	—
	Add : Amt. tfd. from Building Fund	—	12129925.84	688508.57	OTHER ASSETS (As per Schedule attached)		800390.83
				Nil	INVESTMENTS		
48410.00	C.A. NEWS LETTERS (Subscription) FUND				Building (allotted at I.H.C., Lodhi Road, New Delhi)		Nil
	Balance as on 1-4-96	48410.00					
	Add : Addition during the year	500.00	48910.00	5680000.00	FIXED DEPOSIT RECEIPTS		6280000.00
Nil	BUILDING FUNDS			39791.00	LOANS & ADVANCES (As per annexure 'A')		53717.99
	Indian Habitat Centre	—			CASH & BANK BALANCES		
	Less : Amt. tfd. to General Reserve	—	—	853689.14	S.B.I. New Delhi Main Branch A/c No. 22/65334	1181073.23	
150000.00	LOANS			34480.16	Syndicate Bank, Super Bzr, Connaught Circus, N. Delhi A/c. No. 3370	31212.16	
	Loan from Govt. of India		150000.00				
10304.62	OTHER LIABILITIES Seminar (Unspent)		10304.62				
3276.05	UNSPENT EVALUATION FEES		224849.05	1400.00	Cash in Hand	8800.00	1221085.39
11508858.96			12563989.51	11508858.26			12563989.51

PLACE : New Delhi
DATED : 22 July, 1997

IN TERMS OF OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE,
for RAVI K. TANDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

PRESIDENT

for AND ON BEHALF OF THE COUNCIL OF ARCHITECTURE

ACTG. REGISTRAR

RAVI K. TANDAN
PROP.

COUNCIL OF ARCHITECTURE
(Incorporated under the Architects Act, 1972)
INDIA HABITAT CENTRE : ZONE 6-A, Ist FLOOR : LODHI ROAD : NEW DELHI-110003.
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 1997.

Previous Year	PARTICULARS	AMOUNT	Previous Year	PARTICULARS	AMOUNT
937937.43	To Pay & Establishment	924392.70		By FEES RECEIVED :	
5970.00	To Gratuity Provision	45254.00	276400.00	Registration Fee (Net)	334000.00
112802.51	To Printing & Stationery	85968.18	2049543.00	Renewal Fee (Net)	1808275.00
69060.00	To Notification charges	—	345760.00	Restoration Fee (Net)	263550.00
80034.81	To Postage (Net)	64486.60	6520.00	Duplicate Registration Certificate Fee (Net)	7880.00
93172.00	To Travelling Allowance	86311.00	60.00	Additional Qualification Fee	50.00
30400.20	Conveyance Hire charges	35832.50	455.00	Others Fees	—
34648.50	Telephone Exp, (Net)	52909.50	75152.00	Entrance Exam./Apt. Test (Fee & Ex.,—(Net)	89516.50
1548.37	To Cleaning Materials	1050.25	102950.00	Directory Printing & Publicity (Net)	74561.82
17263.60	To Refreshment charges	20305.00	59620.00	Sale of Directory of Architects	—
15652.56	To Electricity charges	29741.00	1220.00	Packing & Forwarding charges (Net)	—
2067.00	To Electricals goods	2442.50	5790.00	Sale of Publications	7350.00
21274.62	To Misc, Expenses (Net)	537.65	519579.00	Interest on F.D.R. (Gross)	697680.00
—	To Rent	—	43304.30	C.A. News Letters (Advt. & Ex., Net)	7644.20
32300.00	To Legal Expenses	16690.00	—	Profit on Sale of Building at Madame Bhikaji Cama Bhawan.	—
4000.00	To Audit Fees	4500.00			
6094.15	To News Papers & Periodicals	6342.60			
1210.00	To Office Books	2104.00			
15821.00	To Repairs & Maintenance	26172.80			
183039.00	To Income Tax (A.Y, 1997-98)	332348.00			
8691.00	To Insurance Premium	10022.00			
—	To C,A News Letter (Net)	—			
2455.50	To Bank Commission (Net)	1748.00			
2500.00	To Consultation Fees	—			
—	To Directory of Architects (Advt) & Ptg.	—			
—	To Brokerage Paid	—			
—	To Honorarium	2790.00			
—	To Honorarium to Inspectors	12000.00			
—	To Office Maintenance	3521.75			
114.00	To Sanitation goods	—			
67920.00	To Advertisement charges	11121.00			
200000.00	To Maintenance charges	325000.00			
24908.00	To Property Tax	232670.00			
56188.96	To Depreciation on Fixed Assets (As per chart)	122188.24			
1459280.09	To Excess of Income over Expenditure tfd, to General Reserve	833058.25			
3486352.30		3290507.52	3486353.30		3290507.52

for and on behalf of the Council of Architecture,

DATED : 22 July 1997
PLACE : New Delhi.

PRESIDENT

IN TERMS OF OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE
for RAVI K. TANDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

COUNCIL OF ARCHITECTURE

SCHEDULE OF FIXED ASSETS AS ON 31ST MARCH, 1997

Sl. No.	Particulars	Qty.	Rate of Dep.	W.D.V. as on 1-4-96	Additional during the year	Sold during the year	Total Value as on 31-2-97-	Dep. as on 31-3-97	W.D.V. as on 31-3-97
	Plant & Machinery		25%						
1.	Typewriters	6		5781.85	—	—	5781.85	1445.45	4336.40
2.	Duplicating Machine	1		249.52	—	—	249.52	62.38	187.14
3.	Fans	3		1249.04	—	—	1249.04	312.26	936.78
4.	Cooling System	1		186.97	—	—	186.97	46.74	140.23
5.	Heater	1		2.54	—	—	2.54	0.64	1.90
6.	Postal Franking Machine	1		325.02	—	—	325.02	81.26	243.76
7.	Postal Weighting Machine	1		10.07	—	—	10.07	2.52	7.55
8.	Calculator	4		410.77	—	—	410.77	102.70	308.07
9.	Fire Extinguishers	3		179.26	—	—	179.26	44.82	134.44
10.	Refrigerator	4		696.06	—	—	696.06	174.00	522.06
11.	Voltas Stablizer	1		60.59	—	—	60.59	15.15	45.44
12.	Clocks	2		126.92	—	—	126.92	31.73	95.19
13.	Exhaust Fans	2		174.03	—	—	174.03	43.50	130.53
14.	Others			33.12	—	—	33.12	8.28	24.84
15.	Gas Cylinder	1		813.75	—	—	813.75	203.44	610.31
16.	Telephone Instruments	4		2100.00	—	—	2100.00	525.00	1575.00
17.	Computers	1+2		97422.50	133640.50 (10-2-97 13-3-97)	—	231063.00	41060.70	190002.30
18.	Printers	1+2		22610.00	59500.00 (7-2-97 13-2-97)	—	82110.00	13090.00	69020.00
19.	U.P.S. Smart-600	1		20207.91	—	—	20207.91	5051.98	15155.93
20.	U.P.S.	1+2		7883.75	40280.00 (18-12-96 20-3-97)	—	48163.75	7005.94	41157.81
21.	Printer Sharer device	1	12.5%	—	650.00 (7-02-97)	—	650.00	81.25	568.75
	Total :			160523.67	234070.50	—	394594.17	69389.74	325204.43

COUNCIL OF ARCHITECTURE

SCHEDULE OF FIXED ASSETS AS ON 31st MARCH, 1997

Sl. No.	Particulars	Qty.	Rate of Dep.	W.D.V. as on 1-4-96	Addition during the year	Sold during the year	Total Value as on 31-3-97	Dep. as on on 31-3-97	W.D.V. as on 31-3-97
	Furniture & Fixtures								
1.	Steel Almirahs	7	10%	1275.82	—	—	1275.82	127.58	1148.24
2.	Filing Cabinets	8		2230.84	—	—	2230.84	223.08	2007.76
3.	Tabular Tables	13		37443.17	—	—	37443.17	3744.32	33698.85
4.	Chairs	50		113619.76	—	—	113619.76	11361.98	102257.78
5.	Steel Safe (Box)	1		97.06	—	—	97.06	9.71	87.35
6.	Steel Racks	10		1806.42	—	—	1806.42	180.64	1625.78
7.	Collapsible Gate	2		427.82	—	—	427.82	42.78	385.04
8.	Steel Stand	1		118.53	—	—	118.53	11.85	106.68
9.	Steel Stool	1		32.88	—	—	32.88	3.28	29.60
10.	Curtains			448.28	—	—	448.28	44.83	403.45
11.	Others			145.35	—	—	145.35	14.54	130.81
12.	Fixtures			40223.36	—	—	40223.36	4022.34	36201.02
13.	Fixtures			920.30	—	—	920.30	92.03	828.27
14.	Fixtures			4423.72	—	—	4423.72	442.37	3981.35
15.	Fixtures			50908.60	—	—	50908.60	5090.86	45817.74
16.	Fixtures			15091.70	—	—	15091.70	1509.17	13582.53
17.	Vista Venetion blinds	16 pcs		16082.26	—	—	16082.26	1608.23	14474.03
18.	Writing Desks	17		101590.72	—	—	101590.72	10159.07	91431.65
19.	Side Units	7		66116.96	—	—	66116.96	6611.70	59505.26
20.	Drawer Boxes	14		26068.00	—	—	26068.00	2607.00	23471.00
21.	Sick Cabinet	1		5852.00	—	—	5852.00	585.00	5267.00
22.	Low High Partition	1		43061.35	—	—	43061.35	4306.14	38755.21
				527984.90			527984.90	52798.50	475186.40
	Grand Total 'A' + 'B'			688508.57	234070.50	—	922579.07	122182.24	800390.83

for RAVI K. TANDON & CO,
Chartered Accountants

For and on behalf of Council of Architecture

(RAVI K. TANDON)
Prop.

Place : New Delhi
Dated : 22 July, 97

President

Acting Registrar

COUNCIL OF ARCHITECTURE

SCHEDULE OF F.D.R. AS ON 31st MARCH, 1997

2	Name of Bank	Date of Issue/Renewal	Date of Maturity	Amount	Interest	Rate of Intt.	Purchased/ Renewal during the year	Matured during the year	As on 31-3-97
TDA-19-314306	State Bank of India,	6-4-95	6-4-98	100000.00	11000.00	11%	—	—	100000.00
TDA-19-314307	New Delhi Main Branch,	6-4-95	6-4-98	100000.00	11000.00	11%	—	—	100000.00
TDA-19-314279	Parliament Street, New Delhi	18-3-95	18-3-98	100000.00	11000.00	11%	—	—	100000.00
TDA-19-314280		18-3-95	18-3-98	100000.00	11000.00	11%	—	—	100000.00
TDA-19-314294		27-3-95	27-3-98	100000.00	11000.00	11%	—	—	100000.00
TDA-19-314293		27-3-95	27-3-98	100000.00	11000.00	11%	—	—	100000.00
TDA-19-314295		27-3-95	27-3-98	100000.00	11000.00	11%	—	—	100000.00
TDA-19-314312		8-4-95	8-4-98	60000.00	6600.00	11%	—	—	60000.00
TDA-19-314398		24-4-95	24-4-97	100000.00	12000.00	12%	—	—	100000.00
TDA-19-314399		24-4-95	24-4-97	100000.00	12000.00	12%	—	—	100000.00
TDA-19-314400		24-4-95	24-4-97	100000.00	12000.00	12%	—	—	100000.00
TDA-25-103652		25-8-95	25-8-97	200000.00	24000.00	12%	—	—	200000.00
TDA-25-103653		25-8-95	25-8-97	300000.00	36000.00	12%	—	—	300000.00
TDA-25-103654		31-8-95	31-8-97	500000.00	60000.00	12%	—	—	500000.00
TDA-25-103655		31-8-95	31-8-97	500000.00	60000.00	12%	—	—	500000.00
TDA-25-103656		31-8-95	31-8-97	500000.00	60000.00	12%	—	—	500000.00
TDA-25-103657		31-8-95	31-8-97	500000.00	60000.00	12%	—	—	500000.00
TDA-25-103684		26-9-95	26-9-97	60000.00	7200.00	12%	—	—	60000.00
TDA-25-103685		26-9-95	26-9-97	60000.00	7200.00	12%	—	—	60000.00
TDA-25-103686		1-10-95	1-10-97	350000.00	42000.00	12%	—	—	350000.00
TDA-25-103687		1-10-95	1-10-97	350000.00	42000.00	12%	—	—	350000.00
TDA-25-103688		1-10-95	1-10-97	350000.00	42000.00	12%	—	—	350000.00
TDA-25-103689		1-10-95	1-10-97	350000.00	42000.00	12%	—	—	350000.00
TDA-25-112413		6-3-96	6-3-99	200000.00	26000.00	13%	—	—	200000.00
TDA-25-112414		6-3-96	6-3-99	200000.00	26000.00	13%	—	—	200000.00
SD-A/20/632465		7-3-95	7-3-97	100000.00	21840.00	10%	—	100000.00	—
SD-A/20/632466		7-3-95	7-3-97	100000.00	21840.00	10%	—	100000.00	—
TDA-29-994599		7-3-97	7-3-2000	—	—		100000.00	—	100000.00
TDA-29-994600		7-3-97	7-3-2000	—	—		100000.00	—	100000.00
SDA-29-435231		18-9-96	18-9-97	—	—		300000.00	—	300000.00
SDA-29-435232		18-9-96	18-9-97	—	—		300000.00	—	300000.00
	Total			5680000.00	697680.00		800000.00	200000.00	6280000.00

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Incorporated under the Architects Act, 1972)

DETAILS OF LOAN & ADVANCES AS ON 31-3-1997

Particulars	Amount
Festival Advance	2880.00
Postage Advance	7124.99
Scooter Advance	20525.00
Telephone Deposit	8000.00
Computer Software Advance	2750.00
T.A. Advance	12438.00
Total	53717.99

for AND ON BEHALF OF COUNCIL OF ARCHITECTURE

AUDITOR'S REPORT

We have audited the annexed Balance Sheet of "ALL INDIA BOARD OF ARCHITECTURAL EDUCATION" India Habit at Centre, zone 6-A, 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi-110003 with the books of accounts and vouchers produced to us and we report as follows:-

1. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

2. In our opinion proper books of account as required by law have been kept by the 'Council of Architecture' in respect of "All India Board of architectural Education" so far as it appears from our examination of such books;

3. The Balance Sheet and Receipts and payments Account dealtwith report are in agreement with the books of account;

4. In our opinion and to the best of our informations and according to the explanations given to us, the said statement of account gives a true and fair view in the case of Balance. Sheet of the state of affairs as at 31st March 1997.

For RAVI. K. TANDON & CO.
Chartered Accountant

(RAVI K. TANDON)
Prop,

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(Incorporated under the Architects Act, 1972)

INDIA HABITAT CENTRES : ZONE 6-A, Ist FLOOR : LODHI ROAD, : NEW DELHI-110003,

ALL INDIA BOARD OF ARCHITECTURAL EDUCATION BALANCE SHEET AS ON 31st March 1997

Previous Year	LIABILITIES	AMOUNT	Previous Year	ASSETS	AMOUNT
207815.88	GENERAL RESERVE			FIXED ASSETS	
	Amount tfd. from Fixed Assets :	204539.83	204539.83	(As per List 'A')	154640.47
	Add : Balance from Receipts & Payment A/c	174949.69	3276.05	UNSPENT BALANCES	
				Balance tfd. to Council of Architecture	224849.05
207815.88		379489.52	207815.88		379489.52

for and on Behalf of A.I.B.A.E.

IN TERMS OF OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE
for RAVI K. TANDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(RAVI K. TANDON
PROP

PLACE : New Delhi,
DATED : 22 July 1997

CHAIRMAN MEMBER SECRETARY

ALL INDIA BOARD OF ARCHITECTURAL EDUCATION RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT AS ON 31st MARCH, 1997

Previous Year	PARTICULARS	AMOUNT	Previous Year	PARTICULARS	AMOUNT
21417.00	To Pay & Establishment	31570.00	33515.45	by Last year's Unspent Balance of evaluation Fees	3276.05
36504.00	To Honorarium	—	75000.00	By Evaluation Fees	325000.00
16588.00	To travel'ng Allowance	22078.00		(As per List 'B')	
15167.00	To Conveyance Hire charges	4018.00	25804.00	By Travelling Allowance	
7327.00	To Telephone Exp.	22358.00		(Reimbursed by AICTE)	
18378.40	To Printing & Stationery	8560.50	63073.35	By Balance c/d to Gen. Reserve	—
5646.00	To Repair & Maintenance	11191.00			
4190.00	To Refreshment Charges	2151.00			
—	To Misc. Expenses	—			
170.00	To Generator Maintenance Charges	—			
—	To Service Maintenance	—			
1695.00	To Electricity charges	—			
1500.00	To Audit Fees	1500.00			
—	To Electricals goods	—			
1261.00	To Medical Expenses	—			
1200.00	To Consultation Fees	—			
66349.40	To Depreciation	49899.36			
—	To Balance c/d to Gen. Reserve	174949.69			
197392.80		328276.05	197392.80		328276.05

IN TERMS OF OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE
for RAVI K. TANDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
(RAVI K. TANDON)
PROP.

for and on Behalf of A.I.B.A.E.

PLACE : New Delhi,
DATED : 22 Jul. 1997

CHAIRMAN MEMBER SECRETARY

LIST 'A'

COUNCIL OF ARCHITECTURE
(Incorporated under the Architects Act, 1972)
ALL INDIA BOARD OF ARCHITECTURAL EDUCATION SCHEDULE OF FIXED ASSETS AS ON 31st MARCH, 1997

Particulars	Qty.	Rate of Dep.	W.D.V. as on 1-4-96	Addition during the year	Deductions	Total	Depreciation	W.D.V. as on 31-3-97
Equipments								
1. Automatic Plain Paper Copier	1	25%	99000.00	—	—	99000.00	24750.00	74250.00
2. Stabilizer	1		3203.44	—	—	3203.44	800.86	2402.58
3. Desert Cooler	1		1012.50	—	—	1012.50	253.13	759.37
4. Generator	1		6440.62	—	—	6440.62	1610.16	4830.46
5. Calculator	1		180.56	—	—	180.56	45.14	135.42
6. Electronic Typewriter	1		4218.75	—	—	4218.75	1054.69	3164.06
7. Printer	1		7382.81	—	—	7382.81	1845.70	5537.11
8. Computer	1		19743.75	—	—	19743.75	4935.94	14807.81
9. Fax Machine	1		16242.19	—	—	16242.19	4060.55	12181.64
10. Lamination Machine	1		23667.00	—	—	23667.00	5916.75	17750.25
11. Binding Machine	1		14088.75	—	—	14088.75	3522.19	10566.66
12. Anti Virus Package	1		1122.00	—	—	1122.00	280.50	841.50
Total 'A'			196302.37	—	—	196302.37	49075.61	147226.76
Furniture & Fixtures								
1. Tables	2	10%	3341.25	—	—	3341.25	334.13	3007.12
2. Chairs	6		2114.34	—	—	2114.34	211.43	1902.91
3. Wooden Racks	2		1066.29	—	—	1066.29	106.63	959.66
4. Trolly	1		124.74	—	—	124.74	12.47	112.27
5. Steel Stool	1		176.98	—	—	176.98	17.70	159.28
6. Ped. Fan & Table Lamp	2		1413.86	—	—	1413.86	141.39	1272.47
Total 'B'			8237.46			8237.46	823.75	7413.71
Grand Total 'A'+'B'			204539.83			204539.83	49899.36	154640.47

For and on behalf of A.I.B.A.E.

COUNCIL OF ARCHITECTURE
(Incorporated under the Architects Act, 1972)

INDIA HABITAT CENTRE: ZONE 6-A, Ist FLOOR: LODHI ROAD : NEW DELHI

ALL-INDIA BOARD OF ARCHITECTURAL EDUCATION RECEIPTS & PAYMENTS AS ON 31ST MARCH, 1997

Previous Year	RECEIPTS	AMOUNT	Previous Year	PAYMENT	AMOUNT
33515.45	To Opening Balance	3276.05	—	By Capital Expenditure Evaluation Exp.	—
75000.00	To Evaluation Fees (As per List 'B')	325000.00	21417.00	By By Pay & Establishment	31570.00
25804.00	To Travelling Allowance (Reimbursed by AICTE)	—	36504.00	By Honorarium	—
			15167.00	By Conveyance Hire charges	4018.00
			16588.00	By Travelling Exp.	22078.00
			18378.40	By Printing & Stationery	8560.50
			—	By Service Maintenance Charges	—
			—	By Postage	—
			4190.00	By Refreshment charges	2151.00
			1695.00	By Electricity charges	—
			7327.00	By Telephone Exp.	22358.00
			170.00	B3 Generator Maintenance	—
			1500.00	By Audit Fees	1500.00
			—	By Misc. Exp.	—
			—	By Electrical Goods	—
			5646.00	By Repair & Maintenance	11191.50
			1200.00	By Consultation Fees	—
			1231.00	By Medical Exp.	—
			3276.05	By Unspent Balance c/f to Balance Sheet	224849.05
134319.45		328276.05	134319.45		328276.05

PLACE : NEW DELHI

DATED: 22 July 1997

for and on Behalf of A.I.B.A.E.
CHAIRMAN

MEMBER-SECRETARY

IN TERMS OF OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE
for RAVI K. TANDON & CO,
Chartered Accountant
(RAVI TANDON)
PROP.

COUNCIL OF ARCHITECTURE

INDIA HABITAT CENTRE

ZONE 6-A. IST FLOOR, LODHI ROAD, NEW DELHI-110003

ALL INDIA BOARD OF ARCHITECTURAL EDUCATION

DETAILS OF FEE RECEIVED DURING THE F. Y. 1996—1997

Date	Receipt No.	Narration	Gross Amount
8 April	Recpt No. A-12651	Apeejay Educational Society, 54 Tughlakabad Institutional Area, Mahrauli Badarpur Road, New Delhi-110062,	25,000 .00 Cr.
	Recpt No. A-12643	Shri Bhagwan Mahavir Jain Education & Cultural Trust, 285 Eshwari Mansions, 2nd Floor, Bangalore	25000 .00 Cr.
12 April	Recpt No. A-12716	Backward Class Youth Relief Committe, Rajvilla, Khasala Road, Nagpur,	25,000 .00 Cr.
26 April	Recpt No. A-12943	Church of South India, Dioceson Office, Old Lancer Lines, Secunderabad,	25,000 .00 Cr.
8 May	Recpt No. A-13060	The Maratha Mandal 1007, Nai Maruti Extn,. Opp, Police Parade Ground, Belgaun,	25,000 .00 Cr.
13 May	Recpt No. A-13112	Surabhi Educatinoal Society, 86, Madhapur, Jvbilee Hills, R. R. Distt. Hyderabad,	25,000 .00 Cr.
24 May	Recpt No. A-13248	Mallekayathi Educational Trust. No. 9. Dr. Thirumurthy Nagar, Main Road, Nungasbakkam, Chennail.	25,000 .00 Cr.
6 July	Recpt No. ,A-13821	D. Y. Pattil College, Pinpri	25,000 .00 Cr.
16 July	Recpt No. A-13878	Institute for Social Education, Vastu Kala Academy, Secular House, 9/1, Institutional Area, Aruna Asaf Ali Marg, New Delhi-110067,	25,000 .00 Cr.
05 Dec.	Recpt No. A-15411	KLS Gogte Inst, of Technology. Udyanbag, Belgaum	25,000 .00 Cr.
18 Dec.	Recpt No. A-15651	Model Institute of Education & Research, B. C. Road, Jammu.	25,000 .00 Cr.
26 Dec.	Recpt No. A-15869	Reginal Engineering College, Hamirpur, (H.P.)	25,000 .00 Cr.
3 Mar.	Recpt No. A-18559	Ajay Binay Instt, of Technology, Pillo Mody College of Architecture, Cuttack,	25,000 .00 Cr.
		TOTAL Rs,	325,000 .00 Cr.

We have audited the annexed Balance sheet of 'COUNCIL OF ARCHITECTURE' "CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND" ACCOUNT India Habitat Center, Zone 6-A, Ist Floor, Lodhi Road, New Delhi-110003 and the books of accounts and vouchers produced to us and we do hereby report as follows:

1. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit:

2. In our opinion books of account as required by law have been kept by the Council of Architecture contributory Provident Fund Account so far as appears form our examination of such books;

3. The Balance Sheet is in agreement with the books of accounts; and

4. In our opinion and to the best of our information and according to the Explanations given to us, the said statement of accounts give a true and fair view in the case of Balance Sheet of the state of affairs as at 31st March, 1997,

For RAVI K, TANDON & CO,
Chartered Accountant
Sd/-
(RAVI K, TANDON)
Prop,

COUNCIL OF ARCHITECTURE—CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND ACCOUNT

(Incorporated under the Architects Act, 1972)

INDIA HABITAT CENTRE: ZONE 6-A, Ist FLOOR, LODHI ROAD,

NEW DELHI-110003

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 1997

Previous Year	LIABILITIES		AMOUNT
299559.00	**COUNCIL OF ARCHITECTURE:**		
	C.P.F. Contribution	299559.00	
	Add: Contribution during the year	19087.00	
	Add: Intt. on C.P.F. Contribution tfd. from Reserve Fund	35596.00	354242.00
278056.00	**C.P.F. SUBSCRIPTION:**	278056.00	
	Add: Subscription during the year	19996.00	
	Add: Int. on CPF Advance	822.00	
	Add: Intt. on CPF Subscription (tfd. from Reserve Fund)	31408.00	
		330282.00	
	Less: Payments made during the year	62617.00	267665.00
423149.71	**RESERVE FUND:**		
	Opening Balance	423149.71	
	Add: Intt. on S.B. A/c	3923.00	
	Add: Intt. on F.D.R.	86075.00	
	Add: Intt. on Spl. Deposit Scheme	75095.00	
		588242.71	
	Less: Intt. on CPF Contribution tfd. to Contribution	35596.00	
	Less: Intt. on CPF Subscription tfd. to CPF subscription	31408.00	521238.71
1000764.71			1143145.71

Previous Year	ASSETS		AMOUNT
	INVESTMENT		
222000.00	Fixed Deposit Receipts with Syndicate Bank		250000.00
90000.00	With State Bank of India		210000.00
17604.00	**LOANS & ADVANCE**		
	C.P.F. Advance		6996.00
31160.71	**CASH & BANK BALANCES**		
	Syndicate Bank— S.B. A/c No, 30554	9562.71	
	State Bank of India Main Branch, Parliament Street. N. Delhi SB A/c No. 807/803	26587.00	36149.71
	SPECIAL DEPOSIT SCHEME		
640000.00	With State Bank of India (Sds A/c No. 55)		640000.00
1000764.71			1143145.71

for and on behalf of Council of Architecture

PLACE : New Delhi
DATED: 22 July 1997

Sd./-
(J.R. BHALLA)
PRESIDENT

Sd./-
(VINOD KUMAR)
ACTING REGISTRAR

IN TERMS OF OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE

for RAVI K. TANDON & CO.
(Chartered Accountants)
Sd./-
(RAVI K. TANDON)
(PROP.)

COUNCIL OF ARCHITECTURE
(Incorporated under the Architects Act, 1972)

INDIA HABITAT CENTRE: ZONE 6-A, 1st FLOOR, LODHI ROAD, NEW DELHI

CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING ON 31st MARCH, 1997

Previous Year	RECEIPTS		AMOUNT
	OPENING BALANCE		
11332.71	With Syndicate Bank A/c No. 30554		9314.71
9759.00	With State Bank of India A/c No. 807/803		21846.00
	CONTRIBUTION		
19063.00	Employees' Subscription		19996.00
18602.00	Council's Contribution		19087.00
12175.00	Recovery of Advance		10608.00
114189.00	Intt. on F.D.R.		
	Recd. during the year (Gross)	85402.00	
	Refund of TDS on Intt. by Bank	673.00	86075.00
5450.00	Interest on Saving Bank A/c		3923.00
831.00	Interest on C.P.F. Advance		822.00
244100.00	Fixed Deposit (Matured during the year)		222000.00
48759.00	Interest on Special Deposit Scheme		75095.00
—	Intt. of C.P.F.'s Subscription		31408.00
—	Intt. on C.P.F Contribution		35596.00
484260.71			535770.71

Previous Year	PAYMENTS		AMOUNT
90000.00	**FIXED DEPOSITS**		
	Purchased & Renewed during the year.		370000.00
—	*Payment made during the year		62617.00
13100.00	C.P.F. Advance paid		—
350000.00	Special Deposit Scheme		—
31160.71	**CASH & BANK BALANCES**		
	With Syndicate Bank A/c No. 30554	9562.71	
	With State Bank of India A/c No. 807/803	26587.00	36149.71
	C.P.F. SUBSCRIPTION A/c		
—	Intt. on C.P.F. Subscription		31408.00
	C.P.F. CONTRIBUTION A/C		
—	Intt. on C.P.F. Contribution		35596.00
484260.71			535770.71

for and on behalf of Council of Architecture

IN TERMS OF OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE

PLACE : New Delhi
DATED: 22 July, 1997

Sd.,
(J.R. BHALLA)
PRESIDENT

Sd./-
(VINOD KUMAR)
ACTING REGISTRAR

for RAVI K. TANDON & CO.
(CHARTERED ACCOUNTANTS)
Sd./-
(RAVI K. TANDON)
PROP.

NOTE: *Payments include Rs 55000/- as non-refundable withdrawal and Rs 7617/- as payment made after resignation tendered.

COUNCIL OF ARCHITECTURE

SCHEDULE OF VIKAS CASH CERTIFICATES AS ON 31st MARCH, 1997 (CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND) A/C.

V.C.C. No.	Name of the Bank	Date of issue/Renew	Date of Matured	Amount as on 1-4-1996	Interest	Purchased/Renewal during the year	Matured during the year	Amount as on 31-3-97
F-192509	Syndicate Bank Super Bzr. Connaught Circus, New Delhi	15-4-93	15-4-96	21300.00	8194.00	—	21300.00	—
F-192510	Do.	15-4-93	15-4-96	21300.00	8194.00	—	21300.00	—
F-192512	Do.	13-4-93	13-4-96	36000.00	13849.00	—	36000.00	—
F-192513	Do.	13-4-93	13-4-96	36000.00	13849.00	—	36000.00	—
F-192514	Do.	1-4-93	1-4-96	35800.00	13772.00	—	35800.00	—
F-192515	Do.	1-4-93	1-4-96	35800.00	13772.00	—	35800.00	—
F-192516	Do.	1-4-93	1-4-96	35800.00	13772.00	—	35800.00	—
F-572413	Do.	1-4-96	1-7-98	—	—	50000.00	—	50000.00
572414	Do.	1-4-96	1-7-98	—	—	50000.00	—	50000.00
572415	Do.	1-4-96	1-7-98	—	—	50000.00	—	50000.00
572469	Do.	13-4-96	13-7-98	—	—	50000.00	—	50000.00
572470	Do.	13-4-96	13-7-98	—	—	50000.00	—	50000.00
			Total 'A'	222000.00	85402.00	250000.00	222000.00	250000.00
SD-A-24-801216	State Bank of India, New Delhi Main Branch, Sansad Marg	2-5-95	2-5-1997	20000.00	—	—	—	20000.00
SD-A-24-801217	Do.	2-5-95	2-5-1997	20000.00	—	—	—	20000.00
TD-A-25-103867	Do.	27-10-95	27-10-1997	25000.00	—	—	—	25000.00
TD-A-25-103868	Do.	27-10-95	27-10-1997	25000.00	—	—	—	25000.00
SD-A-29-444040	Do.	27-3-97	27-6-2000	—	—	40000.00	—	40000.00
SD-A-29-444041	Do.	27-3-97	27-6-2000	—	—	40000.00	—	40000.00
SD-A-29-444042	Do.	27-3-97	27-6-2000	—	—	40000.00	—	40000.00
			Total 'B'	90000.00	—	120000.00	—	210000.00
			Grand Total 'A'+'B'	312000.00	85402.00	370000.00	222000.00	460000.00

For and on Behalf of Council of Architecture

Sd./-
(J. R. BHALLA)
PRESIDENT

Sd./-
(VINOD KUMAR)
ACTING REGISTRAR

COUNCIL OF ARCHITECTURE
(CONTRIBUTORY PROVIDENT FUND ACCOUNT)

(Incorporated under the Architects Act, 1972)
Detail of C.P.F. Advance as on 31st March 1997

Name of the Employee	Amount
Shri Vinod Kumar	190.00
Shr Balraj Kumar	Nil
Shri Raj Kumar Oberoi	4725.00
Shri Matbar Singh	2081.00
Total : Rs.	6996.00

For and on Behalf of Council of
Architecture
(VINOD KUMAR)

AUDITOR'S REPORT

We have audited the annexed Balance sheet of "COUNCIL OF ARCHITECTURE EMPLOYEES' GROUP GRATUITY SCHEME", India Habitat Center, Zone 6-A, Ist Floor, Lodhi Road, New Delhi-110003 with the books of accounts and vouchers produced to us and we report as follows:

1. We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

2. In our opinion books of account as required by law have been kept by the "COUNCIL OF ARCHITECTURE EMPLOYEES' GROUP GRATUITY SCHEME" so far as appears from our examination of such books;

3. The Balance Sheet and Receipts and Payments Account dealt with report are in agreement with the books of account;

4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said statement of account gives a true and fair view in the case of Balance Sheet of the state of affairs as at 31st March, 1997.

for RAVI K. TANDON & CO.
Chartered Accountants
Sd./-
(RAVI K. TANDON)
PROP.

Dated : 22 July 1997.

COUNCIL OF ARCHITECTURE EMPLOYEES' GROUP GRATUITY SCHEME

(CREATED VIDE TRUST DEED AND TRUST RULES DATED THE 10TH FEBRUARY, 1995)

INDIA HABITAT CENTRE : ZONE 6-A, 1st FLOOR : LODHI ROAD : NEW DELHI-110003

BALANCE SHEET AS ON 31st MARCH, 1997

Previous Year	LIABILITIES		AMOUNT	Previous Year	ASSETS		AMOUNT
72554.67	GRATUITY FUND			7500.00	INVESTMENT		
	Opening Balance	72554.67			F.D.R. with Syndicate Bank No. G.746713 (period 13-7-95 to 12-7-97)		7500.00
	Add : Contribution during the year	45254.00			CASH & BANK BALANCES		
		117808.67		1536.67	Syndicate Bank Saving Bank A/c No. 35584	2216.67	
	Add : Interest on Saving Bank A/c.	105.00		63418.00	Group Gratuity Scheme with LIC	98484.00	[illegible]
		117913.67					
	Less : Payment made during the year	9713.00	108200.67				
72554.67			108200.67	72554.67			108200.67

PLACE : New Delhi,
DATED : 22 July 1997

for and on Behalf of Council of Architecture
Employees' Group Gratuity Scheme

Sd/-
(J. R. BHALLA)
CHAIRMAN-TRUSTEE

Sd/-
(K. GOPALAKRISHNA BHAT)
SECRETARY-TRUSTEE

IN TERMS OF OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE

for RAVI K. TANDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/-
(RAVI K. TANDON)
PROP.

81—469 GI/97

COUNCIL OF ARCHITECTURE EMPLOYEES' GROUP GRATUITY SCHEME
(CREATED VIDE TRUST DEED AND TRUST RULES DATED THE 10th FEBRUARY, 1995)
INDIA HABITAT CENTRE : ZONE 6-A, Ist FLOOR : LODHI ROAD, NEW DELHI 110003
RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31st MARCH, 1997

Previous Year	RECEIPTS		AMOUNT
	OPENING BALANCES		
8586.67	With Syndicate Bank	1636.67	
57448.00	Group Gratuity Scheme with LIC	63418.00	
550.00	Interest on Saving Bank	105.00	
—	Interest on F.D.R.	—	
—	F.D.R. (Matured during the year)	—	
			65159.67
5970.00	GRATUITY FUND		
	Contribution during the year (As per contra)		45254.00
72554.67			110413.67

Previous Year	PAYMENTS		AMOUNT
	GRATUITY FUND		
—	Payment made during the year		9713.00
	F.D.R.		
7500.00	Purchased during the year		—
	CLOSING BALANCES		
1636.67	With Syndicate Bank		2216.67
63418.00	Group Gratuity Scheme with LIC	63418.00	
	Add : Contribution during the year (As per contra)	45254.00	
		108672.00	
	Less : Withdrawal during the year	10188.00	98484.00
72554.67			110413.67

for and on Behalf of Council of Architecture Employees' Group Gratuity Scheme
Sd./-
(J. R. BHALLA)
CHAIRMAN-TRUSTEE

Sd./-
(K. GOPALAKRISHNA BHAT)
SECRETARY-TRUSTEE

DATED : 22 July 1997
PLACE : New Delhi.

IN TERMS OF OUR SEPARATE REPORT OF EVEN DATE
for RAVI K. TANDON & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS
Sd./-
(RAVI K. TANDON)
PROP.

The 5th December 1997

No. UT/DBDM/SPD-71 O, 89B/R-94/97-98. — In our corrigenda nos. UT/DBDM/R-10/SPD 71-O/97-98 & UT/DBDM/R-10/SPD 69-B-97-98 published in the Gazette of India (Part III—Sec. 4) dated October 11, 1997 the following shall be corrected:

MONTHLY INCOME PLAN 1997 (II)

Sr. No.	Page No.	Correction
1.	3382	Under the heading CORRECTION against item no. 9 the fifth word "value" should be replaced by "vaule".
2.	3382	In the 1st line the word "I" under the heading CORRECTION against item no. 17 should be replaced by 'In'.
3.	3382	Under the heading CORRECTION against item no. 20 "Application," should be replaced by " 'Application' ".
4.	3382	Under the heading CORRECTION item no. 24 should be read as "In the third line ' , ' be inserted between 'loss' and 'theft'.
5.	3383	Under the heading CORRECTION item no. 30 should be read as "In the third line ' , ' be inserted after the word 'sufficient' ".
6.	3383	Under the heading CORRECTION item no. 32 should be read as "In the table, against 'The weighted average yield of the portfolio' in the numerator, the figure '91, 70' be corrected as '9.70'.
7.	3383	In the 1st line the word 'I' under the heading CORRECTION against item no. 34 should be replaced by 'In'.
8.	3384	The 3rd word 'Registrars' in the second line under the heading CORRECTION against item no. 52 be corrected as 'Regisrtars'.
9.	3384	In the 1st line under the heading CORRECTION against item no. 53 the word 'Schemes' be corrected as 'Sehemes'.
10.	3384	In the 3rd line under the heading CORRECTION against item no 64 the 5th word 'profit' be corrected as 'profitf'.

INSTITUTIONAL INVESTOR'S SPECIAL FUND UNIT SCHEME (IISFUS 97)

Sr. No.	Page No.	Correction
1.	3386	Under the heading CORRECTION against item no. 5 the third word 'requirements' in the 2nd line be corrected as 'requirments'.
2.	3386	Under the heading CORRECTION against item no. 9 the word 'disclosures' in the 1st line be corrected as 'disclousers'.
3.	3386	Under the heading CORRECTION against item no. 10 the word 'approval' in the 1st line be corrected as 'approval.'
4.	3386	Under the heading CORRECTION against item no. 12 the word 'also' in the 1st line be corrected as 'aslo'.
5.	3386	Under the heading CORRECTION item no. 13 be read as 'In the fifth & sixth lines ' , ' be inserted after the word 'up'.
6.	3386	Under the heading CORRECTION item no. 14 be read as 'Under the heading 'Approval of unit holders......the following circumstances' in the second line of item (iii) the word 'unts' be corrected as 'units'.
7.	3386	Under the heading CORRECTION against item no. 16 the word 'consideration' in the 2nd line be corrected as 'consideratain'.

Sd/-
A. G. JOSHI
General Manager
Business Development & Marketing

The 15th December 1997

No. UT/DBDM/R-59/SPD-77/97-98.—In our corrigenda Nos. UT/DBDM/R-997/SPD-77/96-97 and UT/DBDM/R-997/74-E/96-97 dated 9th May, 1997 and UT/DBDM/R-1012/SPD-185/96-97 dated 16th May, 1997 published in the Gazette of India (Part III—Sec. 4) dated June 28, 1997 the following shall be corrected.

GRAND MASTER UNIT SCHEME 1993

Sr. No.	Page No.	Correction
1.	2062	In the 1st line of corrigenda in the corrigenda number 'UT/DBDM/ /SPD/96-97' should be corrected as 'UT/DBDM/R-997/SPD-77/96-97'.
2.	2063	Against item 20 in the 2nd line under the heading 'Corrections' the word 'words' should be corrected as 'word'.
3.	2063	' l. ' appearing in the 2nd line against item 29 under the heading 'Corrections' should be replaced by ' / '.
4	2063	'%' appearing in the 1st line against item 34 under the heading 'Corrections' should be deleted.

MASTER EQUITY PLAN 1997

Sr. No.	Page No.	Correction
1.	2064	In the 1st line of corrigenda in the corrigenda number 'UT/DBDM/SPD/96-97' should be corrected as 'UT/DBDM/R-997/SPD 74-E/96-97'.
2.	2064	In the 5th line figure '1977' should be replaced by the figure '1997'.
3.	2064	Against item 12 in the 2nd line under the heading 'Corrections' '22-11-'96' should be replaced by '22.11.'96'.

CAPITAL GROWTH UNIT SCHEME 1992 (MASTER GAIN 92)

Sr. No.	Page No.	Corrections
1.	2067	1) In the 2nd line against item 28 under heading 'Corrections' ' ' should be inserted between the sign ' '.

Sd/-

(A. G. JOSHI)

General Manager

Business Development and Marketing

The 26th December 1997

No. UT/DBDM/R-58/SPD 93/97-98 — In our notification Nos. UT/DBDM/SPD-93/R-223/96-97 and UT/DBDM/R-224/SPD-96/96-97 dated 24th June, 1997 published in the Gazette of India (Part III Sec. 4) dated July 26, 1997 the following shall be corrected;

OFFER DOCUMENT OF UTI MONEY MARKET FUND

Sr. No.	Page No.	Column No.	Clause/ Sub-clause	Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2249	1		In the 4th line of the 2nd paragraph of the offer document the word 'unit should be replaced by the word 'units'.
2.	2249	1		In the 5th line of 2nd paragraph of the offer document the eighth word 'for' should be corrected as 'or'.
3.	2249	1	Highlights	The word 'strat' in the 2nd line of the 2nd paragraph should be corrected as 'start'.
4.	2249	1	Highlights	In the 4th line of the 6th paragraph the word 'not' should be inserted between the words 'will' and 'be'.
5.	2251	2	X (2)	The word 'regular' in the 8th line should be corrected as 'regulation'.
6.	2252	1	XV (4)	The word 'mey' in the 2nd line should be corrected as 'may'.
7.	2252	1	XV(4)	The word 'sufficient' in the 4th line should be corrected as 'sufficient'.
8.	2252	2	II (ii)(a)	The word 'quota' in the 2nd line should be corrected as 'quoted'.
9	2252	2	IV (i)	The word 'maney' in the 1st line should be corrected as 'money'.
10.	2252	2	IV (iv)	' , ' should be inserted between the words 'CPs' and 'CDs' in the 1st line.
11.	2252	2	IV(iv)	The word 'quota' in the 3rd line should be corrected as 'quoted'.
12.	2252	2	IV(iv)	The word 'quotas' should be replaced by the word 'quotes'.
13.	2253	1	IV(v)	The word 'an' in the 7th line of the 1st paragraph should be replaced by the word 'and'.
14.	2253	1	IV(v)	The word 'outtright' in the 3rd line of the 2nd paragraph should be corrected as 'outright'.
15.	2253	1	V	The word 'provision' in the 5th line of the 1st paragraph should be corrected as 'provisions'.
16.	2253	1	V	The word 'be' should be inserted between the words 'shall' and 'calculated' in the 6th line of the 1st paragraph.
17	2253	1	VIII	The word 'T ust' should be inserted between the words 'the' and 'to' in the 2nd line of the 2nd paragraph.
18.	2253	2	XI	In the 6th line the word 'or' should be inserted between the words 'prejudi ial' and 'contraiy.
19.	2253	2	XI	The word 'formulative' in the 9th line should be corrected as 'formulated'.
20.	2253	2	XI	The word 'thereunder' in the 9th line should be replaced by the word 'hereunder'.
21.	2253	2	XIV(b)	The word 'Scehme' in the 3rd line should be corrected as 'Scheme'.
22.	2253	2	XIV(d)	The word 'step' in the 5th line should be corrected as 'steps'.
23.	2254	1	XIV(g)	The word 'Regulationtions' in the 2nd - 3rd line should be corrected as 'Regulations'.
24.	2254	1	XIV(g)	The word 'years' in the 3rd line should be replaced by the word 'yearly'.

OFFER DOCUMENT OF UTI-INDEX EQUITY FUND

Sr. No.	Page No.	Column No.	Clause/ Sub-clause	Corrections
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2255	1		The word 'scripts' in the 7th line under 'Scheme Objective' should be corrected as 'scrips'.
2.	2255	2		In the 2nd line of the 5th item under the heading 'Board of Trustees' the word 'Cement' should be corrected as 'Cements'.
3.	2256	1		The heading 'Short Title and Commencement' should be numbered as '1' instead of '1'.
4.	2256	1	I(3)	In the 3rd line the word 'Trustee' should be corrected as 'Trustees'.
5.	2259	1	XIV(b)	The word 'relative' should be corrected as 'relative's'.
6.	2259	2	XVII(1)(a)	The word 'address' should be corrected as 'addresses'.
7.	2259	2	XVII(2)	In the 3rd line the word 'beoing' should be corrected as 'being'.
8.	2260	1	XX(2)	The word 'recognuised' in the 5th line should be replaced by the word 'recognised'.
9.	2260	1	XX(3)	In the 6th line ' ; ' appearing after the word 'claimant' should be replaced by ' . '.
10.	2261	1	XXII(3)	The word 'share' in the 1st line should be corrected as 'shares'.
11.	2262	2	XXVII	In the 9th line of 3rd paragraph ' , ' should be inserted between the words 'Training' and 'Surveys'.
12.	2262	2	XXX	The word 'three-fourth' in the 5th line of the 2nd paragraph should be corrected as 'three-fourths'.
13.	2262	2	XXXI(a)	The word 'extent' in the 10th line should be corrected as 'extend'.
14.	2262	2	XXXI(a)	The space between the words 'in' and 'to' in the 14th line should be deleted.
15.	2263	1	XXXI(d)(ii)	The word 'created' should be corrected as 'create'.
16.	2263	1	XXXI(f)(ii)	The word 'dicharge' in the 3rd line should be replaced by the word 'discharge'.
17.	2263	1	XXXI(k)(i)	The word 'foriegn' in the 2nd line should be corrected as 'foreign'.
18.	2263	2	XXXI(k)(ii)	The 'word' purchase in the 1st line should be corrected as 'purchased'.
19.	2263	2	XXXIII	In the 7th line of the 1st paragraph the word 'unitholdres' should be replaced by the word 'unitholders'.
20.	2264	1	Tax Guide	The word 'of' in the 3rd line under the heading 'Capital Gains Tax Exemption under Section 54EB' should be replaced by the word 'for'.
21.	2264	2	Tax Guide	The word 'OCTs' in the 2nd line of the 3rd paragraph under the heading 'Non Residents' should be corrected as 'OCBs'.
22.	2264	2		In the 4th line of the 3rd paragraph under the heading 'Custodians the word 'Plants' should be replaced by the word 'Plans'.
23.	2265			The following should be inserted before 'ANNEXURE I'. **'Investor Complaints** Complaints received, redressed and pending for the period 01-02-96 to 31-01-97 are given below'.
24.	2265			The word 'ANNEXURE I' appearing as a heading of the Table should be deleted.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25.	2265			In the 2nd line of the 5th column the figure '2.30%' should be replaced by the figure '2.36%'.
26.	2265			In the 28th line of the 5th column the figure '3.1%' should be replaced by the figure '3.01%'.
27.	2265			In the 30th line of the 5th column the figure should be read as '1.22%'.
28.	2265			In the 43rd line of the 2nd column the figure should be read as '3992'.
29.	2266			The words 'rong officwe' in the 9th item under 'Reasons for pending complaints are:' should be replaced by the words 'wrong office'.
30.	2267		Historical Data	In the third of item (iii) of (B) under 'Historical Statistics' the word 'per' should be inserted between the words 'party' and 'unit'.
31.	2267		Historical Data	In columns 2 to 10 the figures '0 10', '0 12', '0 10', '0 03', '0 11', '0 11', '0 08', '0 03' & '0 05' be replaced by '0.10', '0.12', '0.10' '0.03', '0.11' '0 11', '0.08', '0.03, and '0 05' respectively.
32.	2267		Historical Data	In column 11 of item (C) the figure '0.3' should be replaced by '0.03'.
33.	2267		Historical Data	In column 8 of item (F) the figure '15.3'
34.	2269	1		In the 8th line under the heading 'BRANCH WHERE APPLICATIONS CAN BE TENDERED' the word 'Florr' should be corrected as 'Floor'.
35.	2269	1		In the 16th line under the heading 'BRANCH WHERE APPLICATIONS CAN BE TENDERED' the word 'Borivilli' should be corrected as 'Borivili'.
36.	2269	1		In the 18th line under the heading 'BRANCH WHERE APPLICATIONS CAN BE TENDERED' the word 'Kolhapu' should be corrected as 'Kolhapur'.
37.	2269	2		' , ' appearing in the third line of the 1st paragraph between the words 'LIC' and 'Bldg.' should be deleted.
38.	2269	2		In the 7th line of the 1st paragraph Telephone No. '2100 010' should be replaced by '210 010'.
39.	2269	2		The word 'Visakhapatnam' in the 21st line under the heading 'BRANCH OFFICE UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION' should be corrected as 'Vishakhapatnam'.
40.	2269	2		The word 'nager' in the 23rd line under the heading 'BRANCH OFFICE UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION should be corrected as 'nagar'.

A. G. JOSHI
GENERAL MANAGER
Business Development and Marketing.

The 26th December 1997

No. UT/DBDM/R-60/SPD 71-O/97-98—In our corrigenda No. UT/DBD/MR-4/SPD 71-O/97-98 dated 5th August, 1997 published in the Gazette of India (Part III Sec. 4) dated August 30, 1997 the following shall be corrected :

MONTHLY INCOME PLAN 1997

Sr. No.	Page No.	Corrections
1.	2815	In the 1st line of corrigenda in the notification number '/' appearing after the word 'SPD-71' should be deleted.
2.	2816	In the 2nd line against the item no. 5 under column 4 the word 'Risi, k' should be corrected as 'risk'.
3.	2816	In the 2nd line against the item no. 6 under column 4 the word 'of' should be deleted.
4.	2816	'II(k)' appearing in the 4th column of item no. 15 should be replaced by 'II(w)'.
5.	2817	Against item no. 39 under column 4 'III(1)' should be replaced by 'III(1)'.
6.	2819	In the 2nd line against item no. 75 '92(i) 'should be replaced by '92(ii)'.
7.	2819	In the 2nd line under column 5 against item no. 81 the number '-001' should be replaced by '0.01'.
8.	2819	In the 2nd line under column 5 against item no. 83 the number '0.00608375' should be replaced by the number '0.00608374'.
9.	2819	The word 'correcte' in the 2nd line against item no. 84 under column 5 should be corrected as 'corrected'.
10.	2819	In the 1st line against item no. 85 under column 5 the word 'colum' should be corrected as 'column'.

A. G. JOSHI
GENERAL MANAGER
Business Development and Marketing

The 9th October, 1997

No. UT/DBDM/R-60/SPD 184/97-98—In our corrigenda No. UT/DBDM/R4/SPD 184/97-98 dated 5th August, 1997 published in the Gazette of India (Part III Sec. 4) dated August 30, 1997 the following shall be corrected. :

HOUSING UNIT SCHEME 1992

Sr. No.	Page No.	Corrections
1.	2820	In the 2nd line under the heading 'Correction' against Sr. No. 1 the word 'Notwith standing' should be replaced by the word 'Notwithstanding'.
2.	2820	In the 3rd line under the heading 'Correction' against Sr. No. 1 the space between the words 'Notwith' and 'standing' should be deleted.
3.	2820	The Sr. No. '1' appearing for the 2nd item should be corrected Sr. No. '2'.
4.	2820	Under the heading 'correction' the 2nd item should be read as under the heading 'ANNEXURE' in the seventh line the word 'such' be added before the word price(s).

A. G. JOSHI
GENERAL MANAGER
Business Development and Marketing.

December 28, 1997

No. UT/DBDM/SPD-71Q/R-93/96-97.—Following are the corrections in our notification No. UT/DBDM/SPD-71Q/R-2/96-97 dt. 24-07-97 on Offer Document of Monthly Income Plan 97 (III) Published in the Gazette of India (Part III Sect-4) dt. 23-08-97.

Sr. No.	Page No.	Column No.	Clause/ Sub-Clause No.	Correction
1	2	3	4	5
1.	2678	1	—	SPD-71O to be correted as SPD-71Q in the first line of the notification.
2.	2678	1	—	Section 31 to be corrected as Section 21 in the fifth line of notification.
3.	2678	2		Under the heading Highlights in the first line the word "years" be corrocted at "year".
4.	2678	2		Under the heading Highlights in the third line the word "person" be corrected as "persons".
5.	2679	1		Under the heading 'Management's perception of Risk Factors' in the fourth line 'full stop' be inserted between 'vestor' and 'Table' 'is given on page number 18' in the sixth line be corrected as 'are given on page numbers 2693 to 2695'.
6.	2679	2		Under the heading Board of Trustees under item 8 'Goverdhan' be corrected as 'Govardhan'.
7.	2679	2	II(d)	In the first line the word 'mean' be corrected as 'means'.
8,	2680	2	II(w)	In the fourth & fifth lines 'page no. 11 to page no. 16' be corrected as 'page no. 2686 to page no. 2690.
9.	2681	1	V	In the fourth line the word 'be' be corrected as 'by'
10.	2681	1	VI	In the first table under the heading 'Expenses' the item 'Publicity & Marketing' be shifted to the second place after 'Printing & Postage' In the same table the item 'Commission of Agents' be corrected as 'Commission to agents'.
11.	2681	1	VI	In the last line the word 'Unit' be corrected as 'UTI'.
12.	2681	2	VII(ii)	In the fifth line of the second paragraph the word 'of' be corrected as 'or'.
13.	2681	2	VII(iii) (c)	In the second line the word 'of' be corrected as 'in'.
14.	2682	2	IX(3)	In the third line the word 'membre' be corrected as 'member'.
15.	2683	1	IX(7)	In the fifth line the word 'divident' be corrected as 'dividend'.
16.	2683	2	XII	In the ninth line the word 'for' be inserted between 'opt' and 'Unit Certificate'.
17.	2684	1	XV(1)(a)	The word 'addrtsses' be corrected as 'addresses'.
18.	2684	1	XV(2)	In the fourth line the word 'after' be corrected as 'alter'.
19.	2684	2	XIX(1)	In the second line of the second paragraph the word 'person' be inserted between 'other' and 'may'.
20.	2685	1	XIX(5)	In the first line 'of' be replaced by 'the'.
21.	2685	1	XIX(7)	In the third line the last word 'h' may be corrected as 'heir'.
22.	2685	1	XIX(8)	In the first line the last word 'th' be corrected as 'the'.
23.	2685	1	XX(2)	In the fifth line the word 'endashable' be corrected as 'encashable'.
24.	2685	2	XX(3)	The fifth line under the heading Period '30-08-2002' be corrected as '31-08-2002'.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25.	2686	1	XX(8)	In the illustration the word 'She' be corrected as 'The'.
26.	2686	1	—	The seventh line in the first paragraph under heading Electronic Clearing Service 'on" be corrected as 'one'.
27.	2686	1	—	In the third line of the last para the word 'in' be correct as 'the'.
28.	2686	2	III(3)	In the first line the word 'value' be corrected as 'valued'.
29.	2686	2	III(7)	In the second & fifth lines the word 'covertible' & 'cenvertible' respectively be corrected as 'convertible'.
30.	2686	2	III(8)	In the last line the word 'of' be corrected as 'or'.
31.	2687	2	V(d)	In the second line of the para the word 'GIMS' be corrected as 'GMIS',
32.	2687	2	VI(i)	In the third last line of the para the word 'recognised' be corrected as 'recognise'.
33.	2688	1	VII	In the heading insert space between words 'Assignment' and 'of'.
34.	2688	1	VIII	Add 'full stop' after the word 'contribution' in the heading
35.	2688	2	XII(a)	In the third line the word 'ber epurchased' be corrected as 'be repurchased' and in the sixth line the word 'perod' be corrected as 'period' and in the tenth line the word 'reserve' be corrected as 'reserves'.
36.	2689	2	XII(j)	The last word of the para 'concellation' be corrected as 'cancellation'.
37.	2690	1	—	Under the heading Deduction of Tax at source and sub heading Non-Residents the word 'NR is' in the fourth line be correctd as 'NRIs'.
38.	2693			The heading of the table 'Details of....' the word 'income' be corrected as 'Income'.
39.	2694	6		In the table against item no 23 the word 'on' in the fifth line be corrected as 'of'.
40.	2695	3		In the table against the item no 24'@3.5 p.a.' be corrected as '@13.5 p.a.'.
41.	2695	1		The serial no. '28' against MIP'95 (II) be corrected as '29'.
42.	2696			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' in the second line against column no. 5 'B 98' be corrected as 'B 92'.
43.	2696			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' in the third line against column no. 8 '(ii)' be corrected as '(II)'.
44.	2696			In the table on HISTORICAL D[illegible]-MONTHLY INCOME SCHEMES' in the second line aga[illegible] column no. 14 '94(ii)' be corrected as '94(II)'
45.	2696			In the table on HISTORICAL [illegible]A-MONTHLY INCOME SCHEMES' in the second line ag[illegible] column no. 15 '94(iii)' be corrected as '94(III)'.
46.	2696			In the table on HISTORICA[illegible]A-MONTHLY INCOME SCHEMES' the item no. B(iv[illegible]d as 'Transfer to revenue account from past year's reser[illegible]nit'.
47.	2697			In the table on HISTORICA[illegible]A-MONTHLY INCOME SCHEMES' the figure '9 87' [illegible] column 13 and against item no. (I) be corrected as '[illegible]

1	2	3	4	5
48.	2698			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' in the first line against column no. 7 'MIP94(ii)' be corrected as 'MIP94(II)'.
49.	2698			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' in the first line against column no. 8 'MIP94(iii)' be corrected as 'MIP94(III)'
50.	2698			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' in the first line against column no. 10 'MIP95(ii)' be corrected as 'MIP95(II)'.
51.	2698			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' in the first line against column no. 11 'MIP95 (iii)' be corrected as 'MIP95(III)'.
52.	2698			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' in the first line against column no. 13 'MIP96(ii)' be corrected as 'MIP96(II)'.
53.	2698			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' against item A the word 'Assets' be corrected as 'Asset'.
54.	2698			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' the figure '0 43' under the column 12 and against item no. (E) be corrected as '0 .43'.
55.	2698			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' against item (F) the word 'Sal' be corrected as 'Sale'.
56.	2699			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' against item no (H) under column 1 '15 82' be corrected as '15 .82'.
57.	2699			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMSE' item no. (i) be corrected as (I).
58.	2699			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' against item no (I) under column no. 1 '10 89' be corrected as '10 .89'.
59.	2700			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES against item (B) the word 'Gro s' be corrected as 'Gross'.
60.	2700			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' against item (B)(ii) the word 'sch me' be corrected as 'scheme'.
61.	2700			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' against item (B)(iii) the word 'thied' be corrected as 'third'.
62.	2700			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' against item (B)(iii) & under MIP95(III) '- .04' be corrected as '0 .04'.
63.	2700			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' against item (E) & under GMIS POOL '0 .00' be read as '0 .09'.
64.	2700			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' against item (E) & under MIP 94 '-0 .8' be read as '-0 .58'.
65.	2700			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' against item (G) & under MIP-96(IV) '0 15' be read as '0 .15'.
66.	2700			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' against item (H) the word 'averag' be corrected as 'average'.

1	2	3	4	5
67.	2700			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' against item (H) & under GMIS POOL '18 24' be read as '18 .24'.
68.	2700			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' against item (I) & under MIP95(III) '.0 .84' be read as '10 .84'.
69.	2700			In the table on HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES' against item (I) & under MIP96 '.0 .37' be read as '10 .37'.
70.	2701			In the sixteenth line under the heading BRANCH WHERE APPLICATIONS CAN BE TENDERED the word 'Borivilli' be corrected as 'Borivili'.

A.G. JOSHI
General Manager
Business Development & Marketing

UNIT TRUST OF INDIA

(CORRIGENDUM)

Mumbai, the 28th December, 1997

No. UT/DBDM/R-93/SPD 52/97-98.—In our notification No. UT/DBDM-R-82/SPD-52/97-98 dated 24th July 1997 published in the Gazette of India (Part III—Sec. 4) dated August 23, 1997 the following shall be corrected.

UNIT LINKED INSURANCE PLAN 1971

Sr. No.	Page No.	Column No.	Clause/Sub Clause No.	Correction
1.	2702	1	New Item 1 may be inserted	The following may be inserted as a second sentence in sub paragraph (b) of paragraph 1 'A minor is eligible for participation provided he has regular income of his own.'
2.	2702	1	Item 1	In the first line of the second last paragraph the word "privided" should be corrected as "provided".
3.	2702	1	Item 2	In the third line the figure "6000/-" should be replaced by the figure "60,000/-".
4.	2702	1	Item 3	Item 3 should be deleted.
5.	2702	1	Item 4	In the first line the figure "7,500/-" should be replaced by the figure "6,000/-".
6.	2702	1	Item 4(a)	(1) In the second line the figure "67.500/-" should be replaced by the figure "69,000/-" (2) In the third line the figure "73,500/-" should be replaced by the figure "74,000/-". (3) In the third line, between "Rs. 73,500/-" and "to reach" the words "and wishes" should be inserted. (4) In the fourth line after the word "balance" 'should be deleted and the word "and" should be inserted.
7.	2701	1	Item 4(b)	(1) In the 2nd line the figure "67,500/-" should be replaced by the figure "69,000/-". (2) In the 4th line the word "evailing" should be corrected as "availing"

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development and Marketing

UNIT TRUST OF INDIA

Bombay, the 31st December 1997

No. UT/DBDM/R-97/SPD 57/98.—The amendments to the provisions of the Omni Unit Plan 1991 made under section 19(1)(8)(c) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) in relation to the Omni Unit Scheme 1991 made under section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 approved by the Executive Committee in the meeting on 18th November, 1997 is published herebelow.

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development and Marketing

ANNEXURE

Amendments to provisions of the Omni Unit Scheme 1991

1. The following is inserted as sub clause (ba) in clause II titled 'Definitions'.

"Non Resident Indian (NRI)", means Non Residents of Indian nationality/origin. A person shall be deemed to be "person of Indian origin" if he/she or either of his parents or any of the grand parents, howsoever high in degree or ascent, whether of paternal side or maternal side, was born in India, as defined in the Government of India Act, 1935, as originally enacted.

2. Sub clause (4) of clause IV titled 'Application of units' viz. ' The number of units applied for shall in all cases, be a multiple of 100.' is deleted.

3. Sub clause (6) of clause IV titled 'Application for units' is amended as follows :

Applications shall be made in such form as may be approved by the Chairman of the Trust and the minimum investment and multiple investments, if any, shall confirm to that of the scheme/plan in which a person desires to participate.

4. The second sentence of sub clause (7) of clause IV titled Application for units' is amended as follows :

If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft provided the application is received by the Trust, within a period of 7 days from the date of the draft.

5. The following is inserted as a new sub clause (5) in clause XIV titled 'Death or bankruptcy of a unitholder'.

In case of death of non-resident unitholder(s) the repurchase proceeds of the units can be remitted to the non-resident nominee or legal heir(s) provided :

(a) units were bought out of funds remitted from outside India, from funds held in non-resident (E) account in India or from proceeds of FCNR deposits and

(b) the nominee continues to be residing outside India/ the legal heir(s) reside outside India.

Where units have been purchased from funds held in NRO accounts the repurcase proceeds in case of non-resident nominee or legal heir(s) will not qualify for repatration out of India. Cases of claims where nominee was resident at the time of nomination but subsequently become non-resident have to be referred to RBI for mode of remittance of proceeds.

6. The first sentence of clause XVIII titled 'Income Distribution' is amended as :

The rate at which income is distributed by the Trust shall be the Bank rate minus two percentage points.

Amendments to the provisions of the Omni Unit Plan 1991

1. The following is inserted as sub clauses in clause I titled 'Eligibility' :

(d) Non resident adult individuals either singly or with another individual on joint/either or survivor basis.

(e) Father/Mother/Step-parent/Lawful Guardian on behalf of non-resident minor.

2. Clause 2 titled 'Face value of each unit' is amended as follows :

The face value of each unit shall be Rs. 10/-. The minimum investment and multiple investments, if any, shall conform to that of the scheme/plan in which a person desires to participate.

3. The fourth sentence of sub clause (a) of clause 3 titled 'Payment' is amended as follows :

If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft provided the application is received by the Trust, within a period of 7 days from the date of the draft.

4. The following is inserted as a new clause (d) in clause 8 titled 'Death of a person'.

In case of death of the person under the plan, the repurchase proceeds of the units can be remitted to the non-resident nominee or legal heir(s) provided :

(a) units were bought out of funds remitted from outside India, from funds held in non-resident (E) account in India or from proceeds of FCNR deposit and

(b) the nominee continues to be residing outside India/the legal heir(s) reside outside India.

Where units have been purchased from funds held in NRO accounts the repurchase proceeds in case of non-resident nominee or legal heir(s) will not qualify for repatriation out of India. Cases of claims where nominee was resident at the time of nomination but subsequently became non-resident have to be referred to RBI for mode of remittance of proceeds.

5th January 1998

No. UT/DBDM/R96/SPD74F/97-98.—The Offer Document of the Master Equity Plan 1998 formulated under section 19(1)(8)(c) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) in relation to the unit scheme, the Equity Linked Saving Scheme 1998 made under section 21 of the said Act approved by circulation on 16th October, 1997 is published herebelow.

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development and Marketing

UNIT TRUST OF INDIA

MASTER EQUITY PLAN 1998

OFFER DOCUMENT

Offer open from November 24, 1997 to March 31, 1998

The Master Equity Plan 1998 has been formulated under Section 19 (1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963), in relation to the unit scheme, the Equity Linked Savings Scheme 1998 made under section 21 of the said Act by the Board of Trustees of UTI.

The Plan particulars have been prepared in accordance with the Government of India notification on ELSS schemes and also Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations 1996, and the units offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.

Plan Objective

The Plan formulated in accordance with Govt. Guidelines on Equity Linked Savings Scheme, aims at providing unitholders twin benefits of income-tax rebate on amount of

investment as well as reasonable growth of the said amount over a period of time.

Highlights

- A ten year Plan.

  Open to resident adult individuals/minors/HUFs/Association of Persons or Body of individuals consisting, in either case, only of husband and wife governed by the system of community of property in force in the state of Goa and Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

- Investment made in the Plan will qualify for Income tax rebate @ 20% on investment upto 10,000/- within overall limit of Rs. 60,000/- under Section 88 of the Income Tax Act 1961.

- Repurchase allowed after an initial lock-in-period of 3 years from the date of allotment.

  Investors will be paid compensation @ 4.5% 3.5% 2.5%, 1.5% and 1% on investments made in November-97, December-97, January-98, February-98 and upto March 15, '98 respectively.

- Tax benefits U/S 48 & 112 of income Tax Act, 1961 on capital appreciation.

- Capital gains tax exemption under sections 54 EA and 54 EB of the Income Tax Act, 1961 subject to lock-in for three/seven years respectively from the date of acceptance. However, investor availing tax exemption under Section 54EA/54EB will not be eligible to get tax rebate under Section 88 of Income Tax Act, 1961.

Risk Factors

- Invenstments in units of the Plan are subject to market risks and the NAV of the Plan may go up or down depending on the influence of market forces on the Plan's portfolio.

- Performance of the previous Schemes/Plans or UTI is not necessarily an indication of future results. There can be no assurance that the objective of the Plan will be achieved.

- Master Equity Plan 1998 is only the name of the Plan and does not in any manner indicate the quality of the Plan. Investors are urged to study the terms of the offer carefully before they invest in the Plan.

Management's perception of Risk Factors

UTI has been in operation for over 33 years and has built up expertise in managing funds of around Rs. 58,000 crores from over 50 million investors.

Table below indicates the performance of previous Master Equity Plans launched by the Trust:

	1996-97		1995-96		1994-95	
	NAV (High)	NAV (Low)	NAV (High)	NAV (Low)	NAV (High)	NAV (Low)
MEP-1991	29.26 (03-07-96)	1997 (04-12-96)	31.10 (19-06-96)	23.10 (24-01-96)	41.92 (14-09-94)	27.35 (03-05-95)
MEP-1992	17.90 (25-06-97)	12.80 (04-12-96)	18.25 (19-06-96)	13.08 (24-01-96)	22.84 (14-09-94	15.04 (03-05-95)
MEP-1993	16.61 (25-06-97)	11.20 (04-12-96)	16.99 (19-06 96)	12.61 (24-01-96)	22.5[illegible] (17-08-94)	14.32 (03-05-95)
MEP-1994	9.27 (17-07-96)	6.52 (04-12-96)	9.82 (19-06-96)	7.24 (24-01-96)	8.[illegible]2 (24-05-95)	8.32 (28-06-95)
MEP-1995	11.24 (10-07-96)	8.16 (04-12-96)	11.90 (19-06-96)	8.68 (24-01-96)		—
MEP-1996	12.07 (25-06-97)	08.73 (04-12-96)	—	—		—
MEP-1997	11.71 (25-06-97)	10.46 (25-05-97)	—	—		—

Constitution of UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under UTI Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accruing to UTI from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of UTI are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India. Besides the Board there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees

1. Shri G P Gupta—Chairman, Unit Trust of India.
2. Dr. P J Nayak—Executive Trustee Unit Trust of India.
3. Shri R V Gupta—Deputy Governor, Reserve Bank of India.
4. Shri S H Khan—Chairman, Industrial Development Bank of India.
5. Shri N S Sekhsaria—Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
6. Shri P R Khanna—Chartered Accountant.
7. Shri G Krishnamurthy—Chairman, L.I.C.
8. Shri M S Verma—Chairman, S.B.I.
9. Shri N Vaghul—Chairman, ICICI Ltd.
10. Shri Rashid Jilani—Chairman & Managing Director, Punjab National Bank.

DETAILS OF THE EQUITY LINKED SAVINGS SCHEME 1998 (ELSS '98)

I. Short Title and Commencement :

(1) This scheme shall be called the Equity Linked Saving Scheme 1998 [ELSS '98]

(2) The scheme and the plan made there under shall be for a period of ten years i.e. from 1st April 1998 to 31st March, 2008.

(3) Units shall be on sale from 24th November 1997 to 31st March, 1998.

Provided, however the Executive Committee of the Board of Trustees of the Unit Trust/Chairman may suspend the sale of units under the scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspaper or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

(4) The Plan has been drawn up pursuant to the guidelines issued by the Central Government as mentioned in the Equity Linked Saving Scheme 1992 and Section 88 of the Income Tax Act, 1961.

II. Definitions :

In the scheme and the plan made thereunder unless the context otherwise requires :

(a) "Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same.

(b) The "Act' means the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963).

(c) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and the plan made thereunder who is not a minor and makes an application under Clause III of the Plan.

(d) "Lock-in-period" shall be a period of 3 years from the date of allotment of units during which the applicant will be required to keep the units and not tender them for repurchase.

(e) "Number of units deemed to be in issue" means the aggregate of the number of units sold and remaining outstanding.

(f) "Registrars" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrars under the scheme from time to time.

(g) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43(1) of the Act.

(h) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992. (15 of 1992).

(i) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(j) "Unit Capital" means the aggregate of the face value of units sold under the scheme and outstanding for the time being.

(k) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(l) all other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations.

(m) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa.

DETAILS OF THE MASTER EQUITY PLAN 1998 (MEP '98) FORMULATED UNDER THE EQUITY LINKED SAVINGS SCHEME 1998 ARE GIVEN HERE BELOW

I. Definitions :

The words not defined in the Plan and defined in the scheme and Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them in the Scheme/Act/Regulations.

II. Face vaue of each unit :

The face value of each unit issued under the scheme shall be ten rupees.

III. Application for units:

(1) Application for units may be made by residents only viz.

(a) A resident adult individual singly or with another individual on joint/either or survivor basis.

(b) a parent step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor.

(c) Hindu Undivided Family.

(d) An Association of Persons or a Body of Individuals consisting, in either case, only of husband and wife governed by the system of community of property in force in the state of Goa and Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

(2) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman of the Trust.

IV. Minimum amount of investment :

Application shall be made for a minimum of 50 units and thereafter in multiplus of 50 units. There will be no maximum limit.

In case of investment of Rs. 50,000/- and above, the investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I T Circle address if he/she is having so.

V. Limitation on expenses :

Initial issue expenses may not exceed 6% of the funds raised under the Plan. Initial issue expenses of the Plan is estimated to be as under.

Expenses	%
Printing & Postage	1.50
Publicity & Marketing	1.75
Commission to agents	1.50
Stamp Fees	0.50
Registrars Charges	0.50
Bank Charges	0.25
Total	6.00

Thus for every Rupee invested by an investor not less than 94 paise will be invested in the scheme. In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the scheme on a recurring basis. Estimated recurring expenses are as under :

Expenses	%
Administrative Expenses	0.90
Custodial/Fees	0.50
Development Reserve Fund	0.25
Staff Welfare Trust	0.10
Registrars Fees	0.50
Total	2.25

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issues expenses in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

The total recurring expenses of the scheme excluding initial issue expenses and redemption expenses but including administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and Staff Welfare Trust shall be subject to the following limits. :

(i) On the first Rs. 100 crores of the average weekly net assets—2.50%.

(ii) On the next Rs. 300 crores of the average weekly net assets—2.25%.

(iii) On the next Rs. 300 crores of the average weekly net assets—2.00%.

(iv) On the balance of the assets—1.75%.

Administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to the Staff Welfare Trust will not exceed the limits specified under clause 2 of regulation 52 of SEBI (MFs) Regulations, 1996. UTI does not charge any investment management and advisory fees as provided in the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996. However, UTI will ensure that the initial issue expenses and the annual recurring expenses shall remain within the limits specified under regulation 52 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

VI. Mode of Payment

(1) (i) The payment for the units applied for by an applicant shall be made by him along with the application in cash, cheque or draft. Where applications are submitted at the branch offices of the Trust, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the branch office at which the application is tendered is situated. Provided however that the applicant who wishes to apply for units from a place other than where the Trust has its branch office/collection centre/franchise office may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with the bank draft for number of units applied for after deducting therefrom charges payable for bank draft as per the guidelines of the Indian Banks Association. The collection centres/franchise offices are authorised to accept applications alongwith cheque payable locally or demand draft payable at places upto which the scheme is decentralised in which case the applicant may deduct charges as per the guidelines of Indian Banks Association. e.g. if the application amount is Rs 10,000/- the bank draft charges for this amount is Rs 20/-. Thus the draft can be prepared for Rs 9,980/- (i.e. Rs. 10,000/- less Rs 20/-). The draft commission charges will form a part of the initial issue expenses of the plan.

However in case of applications received along with local bank draft where UTI has its branch office/collection centre/franchise office bank draft commission will have to be borne by the investor.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre.

If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre within 7 days from the date of issue of the draft. If the amount tendered by way of payment for the units applied for is not sufficient to cover the amount payable for the units applied for, the applicant shall be issued such lower number of units subject to the minimum as could be issued under the scheme, the balance due to him shall be refunded at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(2) (a) Right of the Trust to accept or reject application: The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the scheme and plan made thereunder. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the scheme and the plan made thereunder shall be final.

(b) Incomplete Application Liable For Rejection.

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum. Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(3) Applicant to comply with requirement under the scheme and plan made thereunder before being issued units :

Persons applying for units under the scheme and the plan made thereunder shall satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust, such as Birth Certificate in case of minor, Affidavit in case of AOP/HUF etc. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust. Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the unitholding cancelled and the name deleted from the register of unitholders.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

VII Sale of Units :

The offer of units under the Plan shall remain open from November 24, 1997 to March 31, 1998 (both days inclusive).

Applications received after the close of business hours of 31st March, 1998 and subsequently at any of the offices of UTI shall be deemed invalid and rejected.

Sale price of units during the period of offer shall be at par. The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale the Trust shall as soon thereafter as possible issue to the applicant Unit Certificate evidencing that he has been admitted as a unitholder in the scheme and the plan made thereunder. The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the Unit Certificate so sent. The Trust shall send the Unit Certificate within 6 weeks from the date of closure of sale of units under the Plan.

VIII. Compensation to investors :

Depending on the date of joining the plan, investors will be paid compensation on the amount of investment as given below :

From	To	
24-11-97	30-11-97	4.5%
01-12-97	31-12-97	3.5%
01-01-98	31-01-98	2.5%
01-02-98	28-02-98	1.5%
01-03-98	15-03-98	1.0%

The amount of compensation will be paid by means of cheque which will be despatched alongwith the unit certificate. The compensation paid for early investments is not an incentive or any special benefit offered by UTI to investors. This compensation will be met within the "initial issue expenses" and also the income generated by the fund during the pre-allotment period i.e. till the closure of subscription period.

IX. Allotment of Units :

Units will be allotted as on 31st March, 1998.

X. Lock in period :

The investment made by a unitholder under the Plan will be required to be kept for a minimum period of 3 years from the date of allotment of units i.e. upto 31st March 2001. This three year period is called the Lock-in-period.

There shall be no repurchase during these three years of the Plan. However, in the event of death of a unitholder, the legal heirs or the nominee registered in the books of UTI under the Plan shall be able to offer the units for repurchase standing to the credit of the deceased only after the completion of one year from the date of allotment of units.

XI. Repurchase of Units :

(1) The Trust shall announce the repurchase price one year after the date of allotment of units (i.e. from 1st April, 1999) and thereafter on a weekly basis.

(2) The repurchase price at which a unit will be repurchased will be NAV based (historic) declared from time to time. NAV will normally be determined as on the closing market prices of assets every wednesday and the Repurchase price valid for a particular week (Monday-Sunday) will be based on the NAV as of the previous Wednesday. While calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charges not exceeding 30% of the NAV of the unit under the Plan.

(3) Repurchase shall be effected on receipt of the Unit Certificate duly discharged.

(4) The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date.

(5) The unitholder shall be under no obligation to offer its units for repurchase as provided in sub-clause (1) above and he will be free to hold them as long as he desires during the currency of the Scheme.

(6) The repurchased units will not be reissued.

(7) Payments for units repurchased by the Unit Trust shall be made not later than 10 working days after the acceptance date. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant, and the cost of remittance (including postage) or of realisation of chaque or draft sent by the Unit Trust shall be borne by the applicant and shall form part of the annual recurring expenses only.

XII. Restrictions on repurchase of units :

Notwithstanding anything contained in any provision of the Plan, the Trust shall not be under any obligation to repurchase units :

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Trust) when the register of unitholders is closed for any purpose as notified by the Trust.

Explanation :

For the purpose of this scheme and the plan made thereunder the term "working day" shall mean a day which has not been either

(i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its offices; or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

XIII. Publication of repurchase price :

The Trust shall as early as possible after determining the repurchase price issue it to the press for publication.

XIV. Form of Unit Certificate :

Unit Certificates shall be in such form as may be decided by the Executive Director of the Trust. Each Unit Certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the Certificate and the name of the unitholder.

XV. Manner of preparation of Unit Certificate :

The Unit Certificate may be engraved or lithographed or printed as the Board may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Unit Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No Unit Certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit Certificates so signed shall be valid and binding not withstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign Unit Certificates on behalf of the Unit Trust.

Provided that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate, the Unit Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.

XVI. Procedure when the Unit Certificate is mutilated, defaced, lost etc. :

(1) Subject to the provisions of this Plan, every unitholder shall be entitled to exchange any or all of his Unit Certificates for one or more certificates of such denominations as he may require, representing the same aggregate number of units. While applying for such exchange, the unitholder shall surrender to the Trust the Unit Certificate or Certificates to be exchanged and shall pay to the Trust all monies (if any payable thereunder) in respect of the issue of the new Unit Certificate or Certificates.

(2) In case any Unit Certificate shall be mutilated or worn out or defaced, the Unit Trust in its discretion, may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same number of units as the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate. In case any Unit Certificate should be lost, stolen or destroyed, the Unit Trust may, at its discretion, issue to the person entitled a new Unit Certificate in lieu thereof. No such new Unit Certificate shall be issued unless the applicant shall previously have :—

(i) furnished to the Unit Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, de-

7. Money Market instruments may be valued on the basis of quotations obtained from more than one dealer or broker.

8. Government Securities are valued at yield to maturity (YTM) based on the prevailing market rates.

9. The aggregate value of investments as computed in accordance with (1) to (8) above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account.

V. Computation and disclosure of Net Asset Value (NAV) :

The Net Asset Value of the units issued under the scheme shall be calculated by determining the value of the scheme's assets and subtracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the units under the scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. This NAV (on historic basis) shall be issued to the press for publication six months from the commencement of the scheme i.e. on 1st October '98 and thereafter on a weekly basis.

V. Trusts not to be admitted and recognised for the purpose of the scheme and the plan made thereunder :

The person who is registered as the unitholder and in whose name a Unit Certificate has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the unitholder and as having any right, title or interest in or to such units; and the Trust may recognise such unitholder as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any Trust or equity or other interst affecting the title to any units represented in the scheme.

VI Transfer/Pledge/Assignment of units :

Transfer/Pledge/Assignment of units shall be allowed under the scheme after the lock in period of three years from the date of allotment of units. In the event of the division and/or disintegration of unitholding pertaining to HUF, AOP, BOI during the lock-in-period or thereafter but before the termination of the scheme, nothing contained herein above shall be a bar to the applicability for the relevant law with respect to the said division or disintegration except otherwise specifically agreed to or stated and which are not contrary to the said law, if any. The distribution of their income and the division of the unit among the members of HUF, AOP, BOI shall always be governed by the relevant law, if any, in force from time to time.

VII. Transfer of units subsequent to issue :

All units issued under the Scheme and outstanding are freely transferable after a period of 3 years from the date of allotment (i.e. from 1st April, 2001) subject to the following terms :

(a) The unit certificate issued in accordance with the provisions of the scheme is negotiable and can be transferred to the individuals, expressed and such other categories as are mentioned in Clause III of the provisions of the plan.

The acceptance of the Transfer Deed and the admittance of the transferee as a unitholder under the scheme will be at the sole discretion of the Trust.

(b) Transfers may be effected only by and between transferors and transferees who are capable of holding units. The Scheme shall not be bound to recognise any other transfer.

(c) Transfer instruments with the relative unit certificates accompanied by such fee as may be prescribed from time to time by the Scheme shall be lodged with any of the offices of the Registrars appointed for the purpose.

(d) Any transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Trust shall be forwarded to the nearest office of the Registrar.

(e) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of holder by the Registrars.

(f) The Registrars may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of the transferor or his right to transfer units.

(g) The Registrars may subject to compliance with such requirements as they deem necessary dispense with the production of the original unit certificate, should it be lost, stolen or destroyed.

(h) Upon registration of a transfer of units all instruments of transfer and the unit certificate may be retained by the Registrars.

(i) The Registrars recognising and registering a transfer may issue the original or fresh unit certificate or certificates to the transferee upon payment and realisation of such charges as are payable in connection with the transfer and issue of such a certificate or certificates.

(j) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity, by operation of law or a scheduled bank upon enforcement of a pledge then the Registrars shall subject to production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(k) Subject to the provisions contained hereinabove the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificate to the transferee within 30 days from the date of lodgement of Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.

II. Investment Objective and Policies :

(a) The funds collected under the Scheme shall be invested in equities, cumulative convertible preference shares and fully convertible debentures and bonds and warrants of companies. Investment may also be made in partly convertible issues of debentures and bonds including those issued on rights basis will be made subject to the condition that as far as possible the non-convertible portion of the debentures so acquired or subscribed shall be disinvested within a period of twelve months.

(b) It shall be ensured that funds of the Scheme shall remain invested to the extent of at least 80% in securities specified in clause (a). The Unit Trust shall strive to invest for funds in the manner stated above within a period of six months from the date of closure of sale of units. In exceptional circumstances, this requirement may be dispensed with by the Trust in order that the interests of the unitholders are protected.

(c) Pending investment of funds in the above required manner, the Trust shall invest the funds in short term money market instruments or other liquid instruments or both.

(d) After three years of the date of allotment of the units, the Trust may hold upto 20% of net assets of the Scheme in short term money market instruments and other liquid instruments to enable them to repurchase units of those unitholders who could be seeking to tender the units for repurchase.

(i) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have beeen rated as investment grade by a credit rating agency which may be recognised from time to time;

Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(ii) No term loans will be advanced by this scheme.

(iii) Transfer of investments from this scheme to another Scheme/Plan of the Trust shall be done only if :—

(a) such transfer are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

(b) The securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the scheme/plan to which such transfers have been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the plan to another scheme/plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(iv) The scheme may invest in another scheme/plan of the Trust or any other mutual fund without charging any fees, provided that aggregate interscheme investment made by all schemes of the Trust or in schemes under the management of any other asset management company shall not exceed 5% of the net asset value of the Trust.

(v) The Trust shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance.

(vi) The Trust shall, get the securities purchased or transferred in the name of the Trust.

(vii) The scheme shall not borrow except to meet temporary liquidity needs of the scheme for the purpose of repurchase, redemption of units or payment of interest or income to the unitholders.
Provided that the scheme shall not borrow more than 20% of the net asset of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed a period of six months.

The services of UTI Securities Exchange Limited (UTI SEL) a stock-broking firm and subsidiary of UTI may be utilised for securities transactions of the plan as per the policies and subject to the limits laid down by the Board of Trustees of the Trust. UTI SEL was set up in 1994. It is a high technology company offering fair, transparent and efficient services to suit investors requirements. Its registered office is at Mumbai.

However, notwithstanding anything contained in clauses III, IV and VIII above, the valuation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency, of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MFs) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.

IX. Development Reserve Fund (DRF) contribution

0.25% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.

DRF contribution will be part of recurring expenses.

The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new Schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular Scheme itself. Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific Scheme and Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities and for meetnig the shortfall, if any, in the assured rate of return of any of the schemes of the Trust.

X. Staff Welfare Trust Contribution

0.10% of weekly average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Trust.

The Trust has instituted the Staff Welfare Trust for the welfare of its employees which shall include relief in any distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

XI. Publication of Accounts

The Trust shall as soon as may be but not later than six months from the 30th June of each year publish annual accounts in the manner specified by SEBI showing the working of the scheme and the plan made thereunder during the period ending as of that date. The Trust shall before the expiry of two months from the date of close of the half year i.e. on 31st December publish its unaudited financial results. The Trust shall furnish to SEBI copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and the revenue accounts as also unaudited half yearly accounts and the quarterly statement of movements in NAV and a quarterly portfolio statement including changes from the pervious periods.

The Trust shall make such disclosures to the investors as are essential to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments. The Trust shall, on request in writing received from a unitholder, furnish him a copy of the accounts and statements so published.

XII. Additions and Amendments to the schame and the plan made thereunder

The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and the plan made thereunder and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

When any change in the fundamental attributes of the scheme or the trust or fees and expenses payable or any other change which would modify the scheme or affect the interest of the unitholders is proposed to be carried out the consent of not less than three fourths of the unitholders shall be obtained.

Provided that no such change shall be carried out unless three fourths of the unitholders have given their consent and who do not give their consent are allowed to redeem their holdings in the scheme.

Explanation : For the purposes of this clause "fundamental attributes" means the investment objective and terms of the scheme.

XIII Termination of the scheme and the plan made thereunder

(a) The scheme and the plan made thereunder shall stand finally terminated on 31-03-2008, i.e. at the closed of the tenth year from the year in which the allotment of units is made under the plan.

(b) If 90% or more of the units under the Plan are repurchased before completion of 10 years, the Trust may at its discretion terminate the Plan even before the stipulated period of ten years and redeem the outstanding units at the final repurchase price to be fixed by it. Where the Plan is wound up in pursuance of Sub-clause (b) above the Trust shall given notice thereof to SEBI and in two daily newspapers having all India circulation and in a vernacular newspaper in Mumbai at least a week before the date of termination.

(c) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall—

(i) cease to carry on any business activities in respect of the Scheme.

(ii) cease to create and cancel units in the Scheme.

(iii) cease to issue and redeem units in the Scheme.

(d) The Board of Trustees shall call a meeting of the unitholder to consider and pass necessary resolution by simple majority of the unitholders present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the Scheme.

(e) (i) The Board of Trustees shall dispose of the assets of the scheme in the best interest of the unitholders of the Scheme.

(ii) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause(e) (i) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the Scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the unitholders in proportion to their respective interest in the assets of the Scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(f) On the completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the unitholders a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the unitholders and a certificate from the auditors of the scheme.

(g) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 in respect of
disclosures of half yearly reports and annual report shall continue.

(h) After the receipt of the report referred to in clause XII (f) of the scheme, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist.

(i) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Unit Certificate duly discharged has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Unit Certificate duly discharged and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

XIV. Power to construe provisions :

If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of the scheme and the plan made thereunder, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the scheme and the plan made thereunder, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the scheme and the plan made thereunder and such decision shall be conclusive, binding and final.

The provisions of the scheme formulated hereunder and the provisions of the plan as stated in the scheme shall be read in conjunction to each other.

XV. Relaxation of provisions :

Only Chairman, and if one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the scheme and the plan made thereunder, relax any of the provisions of the scheme and the plan made thereunder in case of any unitholder or class of unitholders upon such terms as may be deemed expedient under intimation to SEBI.

Any changes in the provisions of the offer document shall be with prior approval of SEBI and in accordance with the terms of the regulations.

XVI. Scheme and plan made thereunder to be binding on unitholders :

The terms of this scheme and the plan made thereunder, including any amendments, changes thereto form time to time, shall be binding on each unitholder and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contrary contained in the provisions of the scheme and plan made thereunder.

XVII. Benefits to the unitholders :

All benefits accruing under the scheme and the plan made thereunder in respect of capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the scheme and the plan made thereunder shall be available only to the unitholders who hold the units for the full term of the scheme and plan made thereunder till its closure.

Approval of unitholders of the scheme shall be sought in the following circumstances :

(i) whenever required to do so by SEBI in the interest of the unitholders; or

(ii) whenever required to do so on the requisition made by three-fourths of the unitholders of the scheme.

(iii) when the majority of the trustees decide to wind up or prematurely redeem the units; or

(iv) when any change in the fundamental attributes detailed in clause XII of the scheme of fees and expenses payable or any other change which would modify the plan or affect the interest of the unitholders is proposed to be carried out unless the consent of not less than three fourths of the unitholders is obtained.

Tax laws applicability

Under Section 88 of the Income Tax Act, 1961 investment made in the units of MEP '98 will qualify for tax rebate of 20% of the amount invested (subject to a maximum of Rs. 10,000/-) In other words, 20% of the amount invested (subject to maximum of Rs. 10,000/-) will be deductible from the tax payable, if any, by the investor. However, in case of an investor, whose income, derived from the exercise of his profession as a author, playwright, artist, musician, actor or sports person (including an athlete) is 25% or more of his total income, 25% of the amount invested not exceeding Rs. 10,000/-, (i.e. upto Rs. 2500/-) is eligible for deduction from the tax liability of the investor.

Any other income or capital gain from the units will be chargable to tax as per prevalent tax law. Currently, income from units under all schemes of the Trust including MEP '98 will enjoy deduction from income upto an overal limit of Rs. 15,000/- under section 80L of Income Tax Act, 1961 and long term capital gains arising out of the Plan will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of Income Tax Act, 1961.

Value of investment in the scheme is fully exempt from Wealth Tax.

Deduction of Tax at Source, if any, will be as per the prevalent Tax laws.

Capital Gains Tax Exemption under Section 54EA

Investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term capital assets in MEP '98 will be eligible for capital gains tax exemption under section 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to availability of repurchase/transfer/pledge only after three years from the date of acceptance of the application.

Capital Gains Tax Exemption under Section 54 EB

Investment of entire or part of capital gains arising out of transfer of long term capital assets in MEP '98 will be eligible for capital gains tax exemption under section 54EB of the Income Tax Act, 1961, subject to availability of repurchase/transfer/pledge only after seven years from the date of acceptance of the application.

However, investor availing tax exemption under Section 54EA/54EB will not be eligible to get tax rebate under Section 88 of Income Tax Act, 1961.

Rights of unitholders :

1. Unitholders under the Plan have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the divident declared, if any by the Plan.
2. The unitholders have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the unitholders.
3. The unitholders are entitled to have the income distribution warrants sent to them within 42 days of the date of declaration of the income, if any.
4. Unitholders have the right to get the units transferred within a period of 30 days.
5. The unitholders have the right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection".

Custodians

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B- Wing, Nariman Point, Mumbai-400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreemet entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all securities belonging to Scheme/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration.

The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for dis-charge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and other detailings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust. Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/Funds/Plans of the Trust.

Auditors

M/s. S. K. Kapoor & Co., 16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur 208 001 and M/s. Chaturvedi & Co., Chartered Accountants, 60, Bentik Street, Calcuta-700 069 have been appointed as the auditors by the IDBI. The auditors are subject to change from year to year.

Investor Complaints

Complaints received, redressed and pending schemewise for the period 01-10-96 to 30-09-97 are given below :

Scheme Name	No. of complaints			Pending to Total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
CCCF	945	880	65	6.88%
CGGF	8854	8454	400	4.52%
CGS-83	601	513	88	14.64%
CGUS-91	4431	4408	23	0.52%
CRTS	344	334	10	2.91%
DIP-91	3433	3379	54	1.57%
DIUP-93	620	609	11	1.77%
DIUP-95	1847	1817	30	1.62%
DIUS-90	1947	1917	30	1.54%
DIUS-91	3109	3061	48	1.54%
DIUS-92	3556	2510	46	1.80%
E.O.F.	1209	1201	8	0.66%
GCGI	35305	33992	1313	3.72%
GMIS-91	18463	18149	314	1.70%
GMIS-92	10944	9594	1350	12.34%
GMIS-92 (II)	1058	897	161	15.22%
GMIS-B-92	893	869	24	2.69%
GMIS-B-92(II)	2384	2333	51	2.14%
GRANDMASTER-93	1858	1846	12	0.65%
GRIHALAXMI UNIT PLAN	1255	1182	73	5.82%
HOUSING UNIT SCHEME	300	275	25	8.33%
IISFUS	3	3	0	0.00%
MASTER GAIN-92	169535	166983	2552	1.51%
MASTER GROWTH-93	8988	8940	48	0.53%
MASTERPLUS-91	14010	13245	765	5.46%
MASTERSHARE-86	22133	19783	2350	10.62%
MEP-91	4551	4360	191	4.20%
MEP-92	22187	21291	896	4.04%

1	2	3	4	5
MEP-97	749	707	42	5.61%
MIP-93	2403	2398	5	0.21%
MIP-94(I)	3036	2977	59	1.94%
MIP-94(II)	2969	2905	64	2.16%
MIP-94(III)	7843	7796	47	0.60%
MIP-95	7642	7544	98	1.28%
MIP-95(II)	7958	7863	95	1.19%
MIP-95(III)	6921	6803	118	1.70%
MIP-96	6075	5957	118	1.94%
MIP-96(II)	5462	5352	110	2.01%
MIP-96(III)	6662	6518	144	2.16%
MIP-96 (IV)	13430	12665	765	5.70%
MIP-97	6019	4999	1020	16.95%
MIP-97(II)	3693	3139	554	15.00%
MIP-97 (III)	590	463	127	21.53%
MIS-B-93	4714	4656	58	1.23%
MISG-90(I)	4463	3176	1287	28.84%
MISG-90(II)	2131	2035	96	4.50%
MISG-91	2366	2337	29	1.23%
OMNI PLAN	68	60	8	11.76%
PRIMARY EQUITY FUND	451	364	87	19.29%
RAJLAKSHMI UNIT PLAN	3589	3447	142	3.96%
RETIREMENT BENEFIT PLAN	1821	1640	181	9.94%
SENIOR CITIZEN UNIT PLAN	721	599	122	16.92%
UGS-2000	8176	7631	545	6.67%
UGS-5000	5370	5131	239	4.45%
ULIP	8883	7756	1127	12.69%
US-64	133079	127182	5897	4.43%
US-92	8041	7791	250	3.11%
US-95	2	2	0	0.00%
TOTAL	735700	709250	26450	3.60%

Reasons for pending complaints are :

(1) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.

(2) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.

(3) Change of address of investor not informed/not updated.

(4) Loss in transit.

(5) Postal delay.

(6) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(7) Incomplete details while forwarding the complaints.

(8) Non-receipt/Delayed receipt of commission.

(9) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars.

Depending on the nature of complaints/objections the Trust writes to investors/banks/Registrars to resolve the same.

All Investors could refer their grievance giving full particulars of investment to the concerned Investors' Relation Cell at the following addresses :

Western Zone :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell,
Commerce Centre 1, 28th Floor,
World Trade Centre, G D Somani Marg,
Cuffe Parade, Mumbai-400005
Tel. . 2180172/2181600

Eastern Zone :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell,
2, Fairlie Place,
2nd Floor, Calcutta-700001
Tel. : 2434581

Southern Zone :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell.
UTI-House, 29, Rajaji Salai,
Chennai-600 001
Tel. : 517101 Ext. 360/364

Northern Zone :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell,
Herald House, 2nd floor,
5A, Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi-110 002.
Tel. : 3329860

Registrars

M/s MCS Ltd. have been appointed to work as Registrars :

It has been ascertained that the Registrars have adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, despatch of certificates within the prescribed time frame and handle investor complaints. Processing of applications and after sales services will be handled from the following branches of the Registrars :

West Zone (excluding Gujarat) : Sri Padmavathy Bhavan, Plot No. 93, Road No. 16, MIDC Area, Andheri (East). Mumbai 400 093 Tel. No. 8201785, 8205741.

For the state of Gujarat only : 101 Shatdal Complex, 1st Floor, Ashram Road, Navrangpura, Ahmedabad 380 009, Tel. No. 442878.

East Zone : Sri Venkatesh Mangalam, 24/26 Hemanta Basu Sarani, Calcutta 700 001. Tel. No. 2102805/6.

South Zone : Sri Venkatesh Bhavan, 35 Armenian Street, Chennai 600 001, Tel. No. 5240116, 5231849.

North Zone : Shree Venkatesh Bhavan, 212A, Shahpur Jat, New Delhi 110 049. Tel. No. 6213830/1.

Documents available for inspection

The following documents will be available for inspection at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400 020.

*The UTI Act

*The General Regulations

*The aggrements with the custodians, registrars and collecting banks

*Copy of Offer Document of MEP '98.

Details of Five Previous Master Equity Plans of UTI

Plan	MEP'93	MEP'94	MEP'95	MEP'96	MEP'97
Date of Commencement	01-04-1993	01-04-1994	01-04-1995	01-04-1996	01-04-1997
Date of Termination	31-03-2003	31-03-2004	31-03-2005	31-03-2006	31-03-2007
Amount Collected	Rs. 392 Cr.	Rs. 735 Cr.	Rs. 1162 Cr.	Rs. 190 Cr.	Rs. 72.91 Cr.
No. of Applications	5,59,224	9,85,511	14,72,918	2,33,867	91041

HISTORICAL

MASTER

Historical Statistics	1993-94				1994-95				
	MEP91	MEP92	MEP93	MEP94	MEP91	MEP92	MEP93	MEP94	MEP95
Net Asset Value, per unit Gross income per unit broken up into :	37.87	21.54	19.64	10.99	28.01	15.44	14.48	8.21	9.61
Income other than profit on sale of investment, per unit	0.40	0.19	0.20	0.07	0.49	0.22	0.24	—1.81	—0.36
Income from profit on inter scheme sales/transfer of Investment, per unit	3.60	0.06	0.14	0.00	7.05	0.00	0.00	0.02	0.00
Income from profit on sale of investment to third party, per unit	0.28	0.09	0.01	0.03	4.03	0.69	0.02	0.01	0.00
Transfer to revenue account from past year's reserve per unit	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aggregate of expenses, write off amortisation and charges, per unit	0.07	0.05	0.07	0.06	0.29	0.10	0.06	0.05	0.03
Net Income, per unit	4.19	0.29	0.28	0.04	11.28	0.81	0.21	—1.82	—0.39
Unrealised appreciation/depreciation in value of investments, per unit	24.60	11.03	8.80	0.95	13.77	4.53	3.43	—1.93	—0.47
Market price									
Highest	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowest	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Repurchase Price									
Highest	34.35	—	—	—	39.80	15.95	—	—	—
Lowest	33.10	—	—	—	25.35	14.30	—	—	—
Sale price									
Highest	—	—	—		—	—	—	—	—
Low	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PE Ratio									
Per unit, ratio of expenses to average net assets by percentage,	0.24%	0.26%	0.43%	0.56%	0.89%	0.55%	0.33%	0.50%	0.65%
Per unit, ratio of gross income to average net assets by percentage, (excluding transfer to revenue account from past year's reserve but including unrealised appreciation on investments)	91.90%	56.05%	60.36%	9.82%	76.92%	29.47%	21.65%	—18.50%	—7.54%
Per Unit NAV	37.87	21.54	19.64	10.99	28.01	15.44	14.48	8.21	9.61

DATA

EQUITY PLANS

1995-96						1996-97						
MEP91	MEP92	MEP93	MEP 94	MEP95	MEP96	MEP91	MEP92	MEP93	MEP94	MEP95	MEP96	MEP97
30.26	17.59	16.50	9.51	11.57	12.00	28.92	18.53	17.14	9.51	11.34	12.59	12.09
0.59	0.37	0.45	1.31	0.73	0.20	0.46	0.34	0.34	0.40	0.18	0.19	0.15
0.34	0.00	0.00	—0.01	0.00	0.00	0.60	0.21	0.24	0.30	—0.01	0.00	0.00
2.02	2.35	0.94	0.05	0.00	0.00	1.26	1.01	0.35	—0.71	0.01	0.04	0.03
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.11	0.17	0.13	0.05	0.05	0.07	0.13	0.14	0.15	0.07	0.05	0.09	0.08
2.85	2.54	1.27	1.30	0.68	0.13	2.19	1.43	0.78	—0.09	0.14	0.14	0.11
14.96	5.19	4.72	—0.82	1.28	1.87	12.86	5.38	5.11	—0.62	0.93	2.32	1.99
	—	—	—	—	—	—	—	17.00	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	9.00	—	—	—	—
29.45	21.90	—	—	—	—	27.75	17.01	15.78	8.79	—	—	—
17.00	12.45	—	—	—	—	18.98	12.16	10.64	7.64	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0.37%	1.03%	0.81%	0.55%	0.50%	1.23%	0.43%	0.77%	0.89%	0.78%	0.42%	0.74%	0.64%
61.50%	47.86%	39.48%	5.97%	19.01%	34.55%	51.31%	38.46%	35.87%	—6.68%	9.70%	20.70%	3.08%
30.26	17.59	16.50	9.51	11.57	12.00	28.92	18.53	17.14	9.51	11.34	12.59	12.09

UNIT TRUST OF INDIA

CORPORATE OFFICE

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai 400020

Tel. 2068468

ZONAL OFFICES

Western Zone : Commerce Centre-1, 28th Flr., World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005, Tel. 218 1600.

Eastern Zone : 2, Fairlie Place, 2nd Flr., Calcutta-700 001. Tel. : 220 9391. Southern Zone : UTI-House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001. Tel. : 517 101. Northern Zone : Jeevan Bharati, 13th Flr., Tower II, Connought Circus, New Delhi-110 001. Tel. : 332 9860.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE JURISDICTION

Ahemedabad : B. J. House, 2nd, 3rd & 4th Flr., Ashram Marg, Ahemedabad-380 009. Tel : 642 3043. Baroda : 'Meghdhanush', 4th & 5th Flr., Transpek Circle, Race Course Marg, Baroda-390 015. Tel : 332 481. Bhopal : 1st Flr., Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone-I, Scheme-13, Habeeb Ganj, Bhopal-462 001. Tel. : 558 308. Indore : City Centre, 2nd Flr., 570, M. G. Marg, Indore-452 001. Tel. : 22796. Mumbai : (1) Unit No. 2, Block 'B', Gulmohar Cross Marg No. 9, Andheri (W), Mumbai-400 049. Tel. : 620 1995. (2) Persepolis Bldg., 3rd Flr., Above Andhra Bank, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai-400 703. Tel. : 7-672607. (3) Lotus Court Bldg., 196, Jamshedji Tata Marg, Backbay Reclamation, Mumbai-400 020. Tel. : 285 0821. (4) Shraddha Shopping Arcade, 1st Flr., S. V. Marg, Borivili (W). Mumbai-400 092. Tel. : 802 0521. (5) Sagar Bononza, 1st Flr., Khot Lane, Ghatkopar (W), Mumbai-400 086. Tel. : 516 2256. Kolhapur : Ayodhya Towers, C. S. No. 511, KH-1/2 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Marg, Kolhapur-416 001. Tel. : 657 315. Nagpur : Shree Mohini Complex, 3rd Flr., 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg, Nagpur-440 001. Tel. : 536 893. Nasik : Sarda Sankul, 2nd Flr., M. G. Marg Nasik-422 001. Tel. : 72166. Panji : E.D.C. House, Ground Flr., Dr. A. B. Marg, Panji, Goa, 403 001. Tel : 222 472. Pune : SadaShiv Vilas, 3rd Flr., 1183, Fergusson College Marg, Shivaji Nagar, Pune-411 005. Tel. : 325 954. Rajkot : Sadabhai Centre, 4th Flr., Lakhaji Rai Marg, Rajkot-360 001. Tel. : 35112. Surat : Saifee Bldg., Dutch Marg, Nanupura, Surat-395 001. Tel : 434 550. Thane : UTI House, Station Marg, Thane (W)-400 601. Tel. : 540 0905.

BRANCH OFFICES UNDER EASTERN ZONE JURISDICTION

Bhubaneshwar : OCHC Bldg., 1st & 2nd Flr., 24 Janpath, Khervela Nagar, Nr. Ram Mandir, Bhubaneshwar-751 001. Tel. : 410 995. Calcutta : 2, Fairlie Place, Calcutta-700 001. Tel. : 220 9391. Durgapur : 3rd Administrative Bldg., 2nd Flr., Asansol Durgapur Development Authority, City Centre, Durgapur-713 216. Tel : 546136. Guwahati : Hindustan Bldg., 1st Flr., M. L. Nehru Marg, Pan Bazar, Guwahati-781 001. Tel. : 543131. Jamshedpur : 1-A, Ram Mandir Area, Gr & 2nd Flr., Bistupur, Jamshedpur-831 001. Tel. : 425 508. Patna : Jeevan Deep Bldg., Gr. & 5th Flr., Exhibition Marg, Patna-800 001. Tel. : 235 001. Siliguri : Jeevan Deep, Ground Flr., Gurunanak Sarani, Siliguri-734 401. Tel : 424671.

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

Bangalore : Raheja Towers, 26-27, 12th Flr., West Wing, M. G. Marg, Bangalore-560 001. Tel : 5595691. Cochin : Jeevan Prakash, 5th Flr., M. G. Marg, Ernakulam-682 011. Tel. : 362 354. Coimbatore : Cheran Towers, 3rd Flr., 6/25 Arts College Marg, Coimbatore-641 018. Tel : 214973 Hubli : Kalburgi Mansion, 4th Flr., Lamington Marg, Hubli-580 020. Tel : 363 963. Hyderabad : 1st Flr., Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad-500 001. Tel. : 511 095. Chennai : UTI House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001. Tel. : 517 101. Madurai : Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Thirupparakundram Marg, Madurai-625 001. Tel : 38186. Mangalore : Siddharth Bldg., 1st Flr., Bal-Matta Marg, Mangalore-575 001. Tel : 426 258. Thiruvananthapuram : Swastik Centre, 3rd Flr., M. G. Marg, Thiruvananthapuram-695 001. Tel : 331415. Trichy : 104, Salai Marg, Woraiyur, Tiruchirapalli-620 003. Tel. : 760060. Trichur : 28/700 West Pallithamam Bldg., Karunakaram Nambiar Marg, Round North, Trichur-680 020. Tel : 331259. Vijaywada : 27-37-156, Bunder Marg, Next to Hotel Manarama, Vijaywada-520 002. Tel. : 74434. Vishakhapatnam : Ratna Arcade, 3rd Flr., 47/15/6, Station Marg, Dwarkanagar, Vishakhapatnam-530 016. Tel. : 548121.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

Agra : Ground Flr., Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Marg, Agra-282 002. Tel : 54408. Allahabad : United Towers, 3rd Flr., 53, Leader Marg, Allahabad-211 003. Tel : 400521. Amritsar : Shri Dwarkadhish Complex, 2nd Flr., Queen's Marg, Amritsar-143 001. Tel : 210367. Chandigarh : Jeevan Prakash, LIC Bldg., Sector 17-B Chandigarh-160 017. Tel. : 703683. Dehradun : 2nd Flr., 59/3, Raipur Marg, Dehradun-248 001. Tel : 746720. Faridabad : B-614-617, Nehru Ground, NIT, Faridabad-121 001. Tel. : 219156. Ghazibad : 41, Navyug Market, Near Singhani Gate, Ghaziabad-201 001. Tel : 790366. Jaipur : Anand Bhavan, 3rd Flr., Sansar Chandra Marg, Jaipur-302 001. Tel. : 365 212. Kanpur : 16/79-E. Civil Lines, Kanpur-208 001. Tel. : 317 278. Lucknow : Regency Plaza Building, 5, Park Marg, Lucknow-226 001. Tel. : 238591. Ludhina : Surya Kiran Phase II, 92, The Mall, Ludhina-141 001. Tel. : 441264. New Delhi : Gulab Bhavan, 2nd Flr. 6, Bahadurshah Jafar Marg New Delhi-110-002 Tel. : 3318038. Shimla : Flat No. 401, 402, 403, 405 Mukesh Apts., Fingask Estate, Near Hotel Sheel Shimla-171 002. Tel. : 257803. Varanasi : 1st Flr. D-58/2A-1, Bhawani Market Rathyatra, Varanasi-221 001 Tel. : 358606.

UNIT TRUST OF INDIA

Mumbai, the 5th January 1998

UT/DBDM/2. 96/SPD89C/97-98.—The Offer Document of the Institutional Investors' Special Fund Unit Scheme '97 (II) formulated in accordance with section 21 of the Unit Trust of India Act 1963 (52 of 1963) approved in the Executive Committee Meeting held on 30th September 1997 is published hereunder.

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development and Marketing

UNIT TRUST OF INDIA

INSTITUTIONAL INVESTORS' SPECIAL FUND UNIT SCHEME 1997 (II) [IISFUS '97 (II)]

OFFER DOCUMENT

OFFER OPEN FROM 24TH NOVEMBER 1997

TO 7TH JANUARY 1998

This unit scheme has been formulated in accordance with section 21 of the Unit Trust of India Act 1963, (52 of 1963) by the Board of Trustees of UTI.

The scheme particulars have been prepared in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, and the units offered for subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.

OBJECTIVE OF THE SCHEME

This is a five year close ended income oriented scheme which allows exit at NAV based price. The scheme is for institutional investors who want to invest large amounts in an exclusive schame.

HIGHLIGHTS

- Minimum investment is Rupees Ten Lakhs with no maximum limit. Face value of unit is Rs. 10/-.

- Open to eligible Trusts including Charitable and Religious Trusts, Societies registered under Societies Registration Act, 1860. Any other body either established or controlled by or under a State or Central Act, Army/Air Force/Navy/Paramilitary Fund, any other institution/Corporate Body (including companies)/Public Sector Undertakings, Regional Rural Banks, Urban Co-operative banks and other Commercial Banks/Partnership Firms.
- The Trust shall pay an assured income of 12.75% p.a. payable annually for all the five years of the scheme. In the event of any shortfall in meeting the assured return the same will be met out of the Development Reserve Fund.
- Option for re-investment of income at the prevailing NAV (without any sales load).
- The units of the scheme shall be listed on wholesale debt segment of NSE within six months from the date of commencement of the scheme.
- Repurchase allowed after three years from the date of commencement of the scheme i.e. from 1st February 2001 at NAV based price.
- It is guaranteed that the capital invested in the scheme will be protected on maturity i.e. units will not be redeemed below par. There is no such guarantee for premature repurchases and the repurchase price in such cases will be based on the prevailing NAV.
- Capital gains tax exemption under section 54 EA of the Income Tax Act, 1961.

RISK FACTORS

- There is no guarantee that capital will be protected for premature repurchases and the repurchase price in such cases will be based on the prevailing NAV.
- Investments in units of the scheme are subject to market risks and the NAV of the scheme may go up or down depending on the influence of market forces on the schemes portfolio.
- Performance of the previous schemes/plans of the Trust is not necessarily an indication of future results.
- Institutional Investors' Special Fund Unit Scheme 1997 (II) is only the name of the scheme and does not in any manner indicate the quality of the scheme. Investors are urged to study the terms of the offer carefully before they invest in the scheme.

MANAGEMENT'S PERCEPTION OF RISK FACTORS

- The Trust has been in operation for over 33 years and has built up expertise in managing funds of around Rs. 58,000 crores from over 50 million investors. UTI has never failed to meet the return assured in the previous assured return schemes. UTI is satisfied about the sufficiency of resources available to meet such assured return in future.

CONSTITUTION OF UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under UTI Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accuring to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

MANAGEMENT OF UTI

The Management of the affairs and business of UTI are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India. Besides the Board there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. The Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

BOARD OF TRUSTEES

1. Shri G. P. Gupta,
Chairman,
Unit Trust of India.

2. Dr. P. J. Nayak,
Executive Trustee,
Unit Trust of India.

3. Shri E. V. Gupta,
Deputy Governor,
Reserve Bank of India.

4. Shri S. H. Khan,
Chairman,
Industrial Development
Bank of India.

5. Shri N. S. Sekhsaria,
Managing Director,
Gujarat Ambuja Cements Ltd.

6. Shri P. R. Khanna,
Chartered Accountant.

7. Shri G. Krishnamurthy,
Chairman, L. I. C.

8. Shri M. S. Verma,
Chairman, S. B. I.

9. Shri N. Vagul,
Chairman, ICICI Ltd.

10. Shri Rashid Jilani,
Chairman & Managing Director,
Punjab National Bank.

THE DETAILED FEATURES OF THE SCHEME ARE AS GIVEN BELOW :

I. Short title and commencement

(i) This Scheme shall be called the Institutional Investors' Special Fund Unit Scheme 1997 (II) [II SFUS '97(II)].

(ii) It shall come into force on the 24th November 1997.

(iii) The scheme shall be for a period of five years i.e. from 1st February 1998 to 31st January 2003.

(iv) Units will be on sale from 24th November 1997 to 7th January 1998 for 45 days. Provided, however the Executive Committee of Board of Trustees of the Trust, Chairman may suspend the sale of units under the scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

II. Definitions

In this Scheme, unless the context otherwise requires :

(1) "Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Unit Trust for sale or repurchase of units by the Unit Trust means the day on which the Unit Trust after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(2) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963);

(3) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and who makes an application under Clause IV of the scheme;

(4) "Eligible Trust" means a Trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.

(5) "Firm", "partner" and "partnership" have the meanings assigned to them in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932), but the expression partner shall also include any person who being a minor is admitted to the benefits of the partnership.

(6) "Listed" means the listing of units issued under the scheme for the purpose of trading on the whole sale debt segment of NSE.

(7) "Number of units in issue" means the number of units sold and outstanding.

(8) "Person" shall include an eligible trust as defined above.

(9) "Regulations" means the Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43 (1) of the Act;

(10) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

(11) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees Ten in the unit capital pertaining to this Scheme;

(12) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(13) All other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations.

II. Face value of each unit

The face value of each unit shall be ten rupees.

IV. Application for units

(1) Applications for units under this Scheme may be made by :

(i) All Eligible Trusts including Charitable and Religious Trusts.

(ii) Societies registered under Societies Registration Act, 1860.

(iii) Any other body either established or controlled by or under a State or Central Act.

(iv) Army/Air Force/Navy/Paramilitary Fund.

(v) Any other Institution/Corporate body (including companies).

(vi) Public Sector Undertakings.

(vii) Regional Rural Banks and Urban Co-operative banks.

(viii) Otheer Commercial banks

(ix) Patnership Firms.

(2) An application by a partnership firm shall be made by not more than three members of the firm and the first named person shall be recognised by the Trust for all practical purposes as the member.

(3) Applications shall be made in such form as may be approed by the Chairman/Executive Trustee of the Unit Trust.

(4) Eligible Institutions, bodies corporate, partnership firms or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Memorandum and Articles of Association, certified copy of partnership deed in case of application on behalf of partnership firms, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.

V. Minimum amount of investment

The minimum investment under the scheme is Rupees Ten lakhs with no maximum limit. For investments not in multiple of Rs. 10/-, unts will be alloted in fractions upto three places after the decimal.

The investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I.T. Circle Office address if they are having so.

VI. Mode of Payment

1. (i) All payments shall be made by the applicant along with the application by way of draft (bank draft commission to be borne by the investor), cheque, inclusive of the cost of realising the cheque or draft. Cheques and drafts should be drawn only on branches of bank within the city where the branch Office of the Trust at which the application is tendered is situated.

(ii) If payment is made by cheque, the acceptance date will be the date of realisation of the cheque. If payment is made by draft, the acceptance date will subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust within 7 days from the date of issue of the draft. If the amount tendered is not sufficient to cover the minimum amount payable under the scheme and other charges payable, the entire amount shall be refunded to the applicant at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

2. (a) Right of the Trust to accept or reject application :

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the Scheme. The Trust shall reject an application for issue of units in the following circumtances :

1. the application is received with less than the minimum investment of Rs. Ten lakhs.

2. the application has not been signed by the authorised signatories and

3. the applicant is not eligible to invest in the scheme.

Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme shall be final.

(b) Incomplete Application liable for rejection

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum. Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

3. Applicant to comply with requirements under the scheme before being issued units :

Institution applying for units under the scheme shall satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust such as Trust deed, Resolution by the Managing Body to buy units in case of application from Trusts, Bye-Laws, resolution by the Managing Committee etc. in case of application by societies and certified copy of partnership deed in case of application on behalf of partnership firm etc. depending on the category of the investors. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole descretion of the Trust.

An institution who holds units under a false declaration shall be liable to have the unitholding cancelled and the name deleted from the register of Unitholders.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest, irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

VII. Minimum target amount to be raised :

Amount of Rs. 20 crores is targeted to be raised under the scheme. Oversubscription, if any will be retained by the Trust in full. The Trust shall by A/c payee cheque/refund order refund not later than six weeks from the date of closure of the sale of units under the scheme, the entire amount collected under the scheme, if the said targeted amount is not subscribed.

In the event of failure to refund the amount within the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay interest @ 15% p.a. on the expiry of six weeks from the date of closure of the sale of unts under the scheme.

VIII. Limitation on Expenses.

Initial issue expenses may not exceed 3.5% of the funds raised under the scheme. Initial issue expenses of the Scheme are estimated to be as under :

Expense head	%
Printing and postage	0.75
Publicity	0.75
Marketing expenses	1.00
Stamp fees	0.50
Processing charges	0.50
Total	3.50

Thus for every rupee invested by an investor not less than 96.5 paise will be invested in the scheme.

In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the Scheme on a recurring basis which shall not exceed 2% of the average weekly net asset value during any accounting year. Estimated recurring expenses are as under :

Expense head	%
Administrative Expenses	0.90
Custodial Fees	0.50
Development Reserve Fund	0.25
Staff Welfare Trust	0.10
Audit Fees,Fees & Expenses of Trustees, brokerage & Transaction cost etc.	0.25
Total	2.00

The above expenses are estimates and are subject to change inter-se as per actual expenses incurred. However, the total expenses would be within the limit of 3.5% of the funds collected for initial issue expenses and 2% of the weekly average net asset value during any accounting year for recurring expenses, in accordance with the SEBI Mutual Funds) Regulations 1996.

The total recurring expenses of the scheme excluding initial issue expenses and redemption expenses but including administrative expenses contribution, to Development Reserve Fund and Staff Welfare Trust shall be subject to the following limits :

(i) On the first Rs. 400 crores of the average weekly net assets—2.00%.

(ii) On the next Rs. 300 crores of the average weekly net assets—1.75%.

(iii) On the balance of the assets—1.50%.

Expenses under the head 'Administrative expenses', Contribution to DRF and Contribution to the Staff Welfare Trust will be subject to the following namely : (i) One and a quarter of one percent of the weekly average net assets outstanding in each accounting year for the Scheme as long as the net assets do not exceed Rs. 100 crores, and (ii) One percent of the excess amount over Rs. 100 crores, where net assets so calculated exceed Rs. 100 crores. UTI does not charge any investment management and advisory fees as provided in the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

However, UTI will ensure that the initial issue expenses and the annual recurring expenses shall remain within the limits specified under regulation 52 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

IX. Sale of Units :

The sale price of units during the period of offer shall be at par.

The contract for sale of units by the Unit Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. The Unit Trust shall thereafter issue Unit Certificates in lots of 50,000 units each. For units not in multiples of 50,000 a single certificate shall be issued. The Unit Trust will not incur any liability for the loss, damage, mis-delivery or non-delivery of the unit certificates, so sent.

A unit certificate issued by the Unit Trust to a Trust/Society/Body Corporate shall be made out in the name of such Trust/Society/Body Corporate.

The Unit Trust shall endeavour to send the unit certificate as soon as possible but not later than six weeks from the date of closure of sale of units under the scheme.

X. Repurchase of units :

(1) (i) There shall be no repurchase of units during the first three years of the scheme i.e. upto 31st January 2001. Repurchase price shall be at a dicount not exceeding 5% to the historic weekly NAV. The repurchase price valid for Monday to Sunday of a week is based on the NAV of the previous Wednesday. The repurchase price shall be declared once every week commencing from 1st February 2001. It is guaranteed that the capital invested in the scheme will be protected on maturity i.e. units will not be redeemed below par. There is no such guarantee for premature repurchase and the repurchase price in such cases will be based on the prevailing NAV.

Partial repurchase shall be allowed provided that the unitholder maintains a minimum balance of Rupees Ten Lekhs (face value).

(ii) The unitholder shall be under no obligation to offer its units for repurchase as provided in sub-clause 1(i) above and it will be free to hold them as long as it desires during the currency of the Scheme.

(2) The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date.

(3) Repurchase shall be effected on receipt of the Unit Certificate with the form of repurchase duly filled in. Repurchase proceeds shall be despatched within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the application at the Mumbai Main Branch Office of the Trust where the repurchase requests are processed and in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant, and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Unit Trust shall be borne by the applicant.

XI. Restrictions on sale and repurchase of units :

Notwithstanding anything contained in any provision of this Scheme, the Unit Trust shall not be under an obligation to sell or repurchase units—

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Unit Trust) when the register of unitholders is closed for any purpose as notified by the Trust.

Explanation : For the purposes of this Scheme, the term "working day" shall mean a day which has not been either (i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Unit Trust has its Offices: or (ii) notified by the Unit Trust in the Gazette of India as a day on which the Office of the Unit Trust will be closed.

XII. Sale or repurchase to be as on the acceptance date :

Every sale or repurchase of units by the Unit Trust shall be as on the acceptance date at the respective prices prevailing on that day.

XIII. Publication of repurchase price .

The Unit Trust shall, after the determination of the repurchase price, issue it to the press for publication on a weekly basis.

XIV. Listing :

The units issued under the scheme shall be listed on the whole sale debt segment of NSE within six months from the date of commencement of the scheme. An application for listing shall be made to NSE immediately on receipt of the approval of the scheme from SEBI as per Regulation 32 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

XV. Valuation of assets pertaining to this Scheme :

(1) Quoted investments including those under lock-in-period are valued at the closing market rates on the valuation date or the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date. the same is treated as unquoted investment.

(2) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same is adjusted for the interest element, if any.

(3) Unquoted/non-traded equity shares are valued at the average of capitalisation of earning and the book value (break-up value) minus 10%.

(4) Unquoted debentures, bonds and transferable notes are valued at yield to maturity, based on the rating of the instrument as determined by the Board of Trustees of the Trust.

(5) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil.

(6) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discounted for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonds are valued at yield to maturity, as determined by the Board of Trustees of the Trust. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is valued at cost.

(7) Money Market instruments may be valued on the basis of quotations obtained from more than one dealer or broker.

(8) Government Securities are valued at yield to maturity (YTM) based on the prevailing market rates.

(9) The aggregate value of investments as computed in accordance with (1) to (8) above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account.

XVI. Computation and disclosure of Net Asset Value (NAV) :

The Net Asset Value of the units issued under the Scheme shall be calculated by determining the value of the Scheme's assets and subtracting the liabilities of the Scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the Scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. This NAV (on historic basis) shall be issued to the press for publication within six months from the commencement of the scheme and on a weekly basis thereafter.

XVII. (a) Investment Objectives :

Not more than 20% of the funds mobilised under the Scheme will be invested in equities and equity based instruments and the remaining in fixed income securities and money market instruments. Risk profile of fixed income securities will be low to medium. Risk profile of equity investments could be high. Investments in money market instruments will be consistent with guidelines issued by SEBI in this regard from time to time.

Notwithstanding the aforesaid, the proportion of investment as indicated above could be varied at the discretion of the fund manager depending on the market conditions and the investment avenues available. Any variation in the proportion of investment shall be consistent with the investment objective of the scheme.

Pending deployment of funds of the scheme in securities in terms of the investment objective stated above the Trust may invest the funds of the scheme in short term deposits of scheduled commercial banks.

(b) Investment Policies

(i) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grade by a credit rating agency which may be recognised from time to time :

Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(ii) No term loans will be advanced by this scheme.

(iii) Transfers of investments from this scheme to another scheme/plan of the Trust shall be done only if :—

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the scheme to another scheme/plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(iv) The scheme may invest in another scheme/plan of the Trust or any other mutual fund without charging any fees, provided that aggregate inter scheme investment made by all schemes of the Trust or in schemes under the management of any other asset management company shall not exceed 5% of the net asset value of the Trust.

(v) The Trust shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance.

(vi) The Trust shall, get the securities purchased or transferred in the name of the Trust.

(vii) The scheme shall not borrow except to meet temporary liquidity needs of the scheme for the purpose of repurchase, redemption of units or payment of interest or income to the unitholders. Provided that the scheme shall not borrow more than 20% of the net assets of the scheme and the duration of

such a borrowing shall not exceed a period of six months.

The services of UTI Securities Exchange Limited (UTISEL) a stock broking firm and subsidiary of UTI may be utilised for securities transactions of the scheme as per the policies and subject to the limits laid down by the Board of Trustees of the Trust. UTISEL was set up in 1994. It is a high technology company offering fair transparent and efficient services to suit investors requirements. Its registered office is at Mumbai.

However, notwithstanding anything contained in respect of clauses XV, XVI and XVII (b) above, the valuation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.

XVIII. Form of Unit Certificate :

Unit Certificates shall be in such form as may be decided by the Executive Director of the Trust. Each Unit Certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the Certificate and the name of the unitholder.

XIX. Manner of preparation of Unit Certificate :

The Unit Certificate may be engraved or lithographed or printed as the Board may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Unit Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No Unit Certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign Unit Certificates on behalf of the Unit Trust. Provided that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate, the Unit Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valled.

XX. Procedure when the Unit Certificate is mutilated, defaced, lost etc. :

(1) In case any Unit Certificate shall be mutilated or worn out or defaced, the Unit Trust in its discretion, may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same number of units as the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate. In case any Unit Certificate should be lost, stolen or destroyed, the Unit Trust may, at its discretion, issue to the person entitled a new Unit Certificate in lieu thereof. No such new Unit Certificate shall be issued unless the applicant shall previously have :—

(i) furnished to the Unit Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement, loss theft or destruction of the original Unit Certificate,

(ii) paid all expenses in connection with the investigation of the facts;

(iii) (in case of mutilation or wearing out or defacement) produced and surrendered to the Unit Trust the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate; and

(iv) furnished to the Unit Trust such indemnity as it may require. The Trust shall not incur any liability for issuing such Unit Certificate in good faith under the provisions of this clause.

(2) Before issuing any Unit Certificate under the Provisions of this clause, the Unit Trust may require the applicant for the Unit Certificate to pay a fee of Rupees five per Unit Certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover any charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue and despatch of such Unit Certificate. Notwithstanding the above, the unitholder under the scheme shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

XXI. Register of unitholders :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of unitholders :—

(1) A register of the unitholders shall be kept by the Unit Trust and there shall be entered in the register inter alia :

(a) the names and addresses of the unitholders;

(b) the number of units held by every such unitholder; and

(c) the date on which such unitholder became the holder of the units standing in its name.

(2) Any change of name or address on the part of any unitholder shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly.

(3) Except when the register is closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Unit Trust may impose but so that no less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any authorised representative of the unitholder, without charge and in connection with their own investment.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Unit Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 45 days in any one year. The Unit Trust shall give notice of such closure by advertisement in newspapers or other media.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive, and no lien shall be entered in the register in respect of any unit relating to any person other than the unitholder.

XXII. Receipt by unitholder to discharge Unit Trust :

The receipt of the unitholder for any moneys paid to it in respect of the units represented by the Unit Certificate shall be a good discharge to the Unit Trust.

XXIII. Transfer/Pledge/Assignment of units :

Transfer/pledge/assignment shall be allowed subject to the following terms :

(1) Every unitholder shall be entitled to transfer the units or any of the units held by it by an instrument in writing in a form approved by the Chairman of the Trust provided that no transfer shall be registered if the registration thereof would result in the transferor or the transferee having an investment of less than Rupees Ten Lakhs (face value) in the Scheme.

Provided that no transfer shall be made except to the persons in the classes mentioned in Clause IV.

(2) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to remain the holder of the units transfered until the name of the transferee is entered in the register in respect thereof.

(3) Transfer instruments with the relative Unit certificates shall be lodged with any of the branches of Unit Trust.

(4) Every instrument of transfer shall be duly stamped (if under the law it requires to be stamped) and left with the Trust for registration along with the relative Unit Certificate or Certificates and such other evidence as the Unit Trust may require in support of the title of the transferor or its right to transfer the units. The Trust may dispense with the production of any Unit Certificate(s) which shall have become lost, stolen or destroyed, upon compliance by the transferor with the like requirements to those arising in the case of an application by him for the replacement thereof.

(5) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity or by operation of law then the Trust, shall subject to production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(6) When the units are issued in the official name, they shall be deemed to be transferred without any instrument of transfer from each holder of the office to the succeeding holder of the office on and from the date on which the latter takes charge of the office.

(7) When the holder of the office transfers the units so held to a person not being his successor in office the transfer shall be made by an instrument of transfer signed by the holder of the office and in the name of the office.

(8) All instruments of transfer, which may be registered, shall be retained by the Trust for such period as may be necessary keeping in view procedural and operational requirements.

(9) The Trust shall endorse the details of the transferee on the reverse of the Unit Certificate in the space provided for the purpose.

(10) Subject to the provisions contained hereinabove the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificate to the transferee within 30 days from the date of lodgement of the Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.

XXIV. Application and transfer forms signed by attorneys :

If any application or transfer form is signed by a person holding a power of attorney empowering him to do so, the original power of attorney or a notarially certified copy of the same should be submitted along with the application or the transfer form, as the case may be unless the power of attorney has already been registered in the books of the Trust.

XXV. Rate of income distribution :

The Trust proposes to pay an assured return of 12.75% p.a., for all the five years of the scheme. In the event of any shortfall in meeting the assured return the same shall be met out of Development Reserve Fund. The income for the first year will be calculated on a day to day basis depending on the date of acceptance and paid in July 1998. The income distribution for the subsequent years will be paid in July each year and for the balance period from 1st July 2002 to 31st January 2003 the income distribution will be paid in January 2003.

XXVI. Payment to unitholders :

(1) The Trust shall pay income @ 12.75% p.a. for all the five years of the scheme. For the first year income is payable on a pro rata basis in July 1998. The income for the subsequent years will be paid in July each year and for the balance period from July 2002 to January 2003 it will be paid in January 2003. Income distribution warrants will be despatched within 42 days of closure of the year for which it is due.

Based on low marketing and servicing costs and the investment objective and policies of the Scheme as also prevailing and likely yields from the instruments in which funds of the scheme will be invested, the scheme would generate sufficient returns to pay the assured return of 12.75% p.a. for all the five years of the scheme.

Justification for the return of 12.75% p.a. under the scheme :

Assume the scheme collects Rs. 100 crores. The initial expenses are 0.5% and are written off over a period of 3 years (this is because repurchase opens after 3 years). The investible funds available in the first year would be Rs. 99.5 crores.

The funds will invest 75% in debt instruments, 5% in MMI and 20% in equity. The scheme will invest in debentures/bonds with risk profile low to medium. The YTM on these instruments are in the range of 12.90% to 16.40%. This means the weighted average yield on debt instruments would be 13.92%.

The annualised return on equity by way of dividend yield, appreciation/repreciation and profits booked would be around 15%.

The annualised yield on MMI would be around 6% Instruments

The annualised yield on MMI would be around 6%.

Instruments	% of Portfolio	Investible Funds	Yield %
Debentures	75	74.62	13.92
Equity	20	19.60	15.00
MMI	5	4.75	6.00

Weighted Avg. Yield on Portfolio—

$$\frac{74.625^{*}\ 13.92+19.90^{*}\ 15+4.975^{*}6}{100.00} = 13.66$$

Taking annual expenses and provisions as 0.75%, the income available for distribution would be 12.91%. This would be sufficient to pay income @ 12.75% p.a. payable annually.

The above is illustrative and based on market conditions at the time of launch of the scheme.

(2) It shall be lawful for a unit holder to receive and retain any income declared by the Trust in respect of units of which it is such holder, notwithstanding that the units have already been transferred by it for consideration unless the transferee who claims the income from the transferor has within fifteen days of the date on which the income became due, lodged the Certificate and all other documents relating to the transfer which may, under the provisions or otherwise, be required by the Trust, for being registered in its name.

Explanation : The period specified in this sub-clause shall be extended :—

(i) in case of loss of the transfer deed by theft or any other cause beyond the control of the trasferee by the actual period taken for the replacement thereof; and

(ii) in case of delay in the lodging of any Certificate and other documents relating to the transfer connected with the transit through the post, by the actual period of the delay.

(3) Nothing contained hereinabove shall effect the right of the Trust to pay to the unit holder any income which has become due, in respect of units of which it is such a holder.

(4) No interest shall be payable by the Trust on such income distributable among the unit holders. However, the Trust, depending upon the reserves built under the Scheme and if circumstances permit, shall compensate the unitholder to the extent possible in such form and manner as approved by the Executive Committee on any delayed claim of income by the unit holder.

(5) The income distribution among the unitholders shall be paid by cheque or warrant drawn on the Unit Trust's bankers, or, at the option of the unitholder, by a bank draft the charges for such bank draft being borne by the unitholder.

As a matter of precaution against possible fraudulent encashment of Income Distribution Warrants due to loss/misplacement, applicants are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature and number of account, name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgement receipt portion for record. Income Distribution Warrants will then be made out in favour of the bank for crediting their account so specified and sent to them. Unitholders may deposit the Income Distribution Warrants in the bank for credit of their account. In case the complete bank particulars are not given, Income Distribution Warrants will be issued in the name of the unitholder.

XXVII. Reinvestment of income distribution in further units :

The unitholder shall while applying for units or thereafter have the option to reinvest the income receivable in respect of the units so held in further units. In the event of an exercise of such an option the whole of the income distributable instead of being paid to the unitholder in the manner provided in Clause XXVI hereof shalll, after deduction of tax, if any, be reinvested in further units at NAV (without sales load) prevailing in the first week of July. A statement detailing the income distributable, tax deducted, if any, and the units allotted in lieu thereof shall be forwarded to the unitholder. No unitholder shall be entitled to call for the issue of a Unit Certificate in respect of the units so allotted. A unitholder who has opted for the reinvestment facility as aforesaid shall on an application in writing and on surrender of the last statement issued be permitted to have the units to its credit repurchased at the repurchase price prevailing then. A unitholder who has repurchased the reinvested units may continue to avail of the reinvestment facility in respect of the income distributable for the subsequent years. The units allotted under the reinvestment facility under this clause are not subject to the conditions and stipulations governing the parent units in respect of the minimum holding, repurchase and other matters.

XXVIII. Development Reserve Fund (DRF) contribution :

0.25% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards DRF of the Trust every year. DRF contribution will be part of recurring expenses.

The Unit Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional and developmental work not related to or linked with any particular scheme itself. The Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific scheme and Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities and for meeting the shortfall, if any, in the assured rate of return of any of the schemes of the Trust.

XXIX. Star Welfare Trust Contribution :

0.10% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution to the Staff Welfare Trust every year.

The Staff Welfare Trust was instituted by the Trust for the welfare of its employees which shall include relief in any distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

XXX. Trusts not to be admitted and recognised for the pupose of the scheme.

The person who is registered as the Unitholder and in whose name a Unit Certificate has been issued shall be the only person to be recognized by the Trust as the unitholder and as having any right, title or interest or to such units; and the Trust may recognise such unitholder as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the ontrary or to take any notice of the execution of any Trust save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any Trust or quity or other interest offecting the title to any units repreented in the scheme.

XXXI. Publication of Accounts :

The Trust shall as soon as may be but not later than six nonths from the 30th June of each year publish through n advertisement, accounts in the manner specified by SEBI howing of the scheme during the period ending as of that ate. The Trust shall before the expiry of two months from he close of the half year that is on 31st December, publish its unaudited financial results. The Trust shall furnish to he SEBI and others connected copies of duly audited annual ccounts including the balance sheet and revenue accounts s also unaudited half yearly accounts and the quartely statement of movements in NAV and a quarterly portfolio tatement including changes from the previous periods. The rust shall make such disclosures to the investors as are ssential to keep them informed about any information which nay have an adverse bearing on their investments.

The Trust shall, on request in writing received from a unitholder, furnish him a copy of the accounts and statements o published.

XXXII. Additions and Amendments to the Scheme :

The Board may from time to time add to or otherwise mend this scheme and any amendment/addition thereof vill be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

When any change in the fundamental attributes of the scheme or the trust or fees and expenses payable or any other change which would modify the scheme or affect the interest of the unitholders is purposed to be carried out the consent of not less than three fourth of unitholders shall be obtained.

Provided that no such change shall be carried out unless three fourth of the unitholders have given their consent and the unitholders who do not give their consent are allowed to redeem their holdings in the scheme.

Explanation : For the purposes of this clause "fundamental attributes" means the investment objective and terms of the scheme.

XXXIII. Termination of the Scheme :

(a) The scheme shall stand finally terminated on 31st January 2003 the outstanding units of the unitholders shall be repurchased ond the unitholders shall be paid the value of their units at the repurchage price fixed for the final repurchase during the above period.

Besides receiving the repurchase price determined, no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of income distribution for any subsequent period shall accrue. However the Trust reserves the right, with the prior approval of SEBI in writing to extend the scheme beyond five years. In such an event the unitholders will be given an option to either sell back the units to the Trust or to continue in the scheme. The Trust could also give the investor the option to autometically convert the repurchase proceeds into any other scheme launched or in operation at that time.

(b) the Trust may wind up the scheme under the following circumstances :

(i) on the expiry of five years of the scheme i.e. on 31st January, 2003 or on the expiry of such date as may be decided by the Trust.

(ii) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the Scheme to be wound up, or

(iii) if 75% of the unitholders pass a resolution that the scheme be wound up or

(iv) if the SEBI so directs in the interest of the Unitholders.

(c) Where the scheme is wound up in pursuance of sub clause (b) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a varnacular newspaper circulating in Mumbai at least before a week the termination is effected.

(d) On and from the date of advertisement of the termination the Trust shall :—

(i) cease to carry on any business activities in respect of the scheme.

(ii) cease to create and cancel units in the scheme.

(iii) cease to issue and redeem units in the scheme.

(e) The Board of Trustees shall call a meeting of the unitholders to consider and pass necessary resolutions by simple majority of the unitholders present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the Scheme.

(f) (i) The Board of Trustees shall dispose of the assets of the Scheme in the best interest of the Unitholders of the Scheme.

(ii) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (f) (i) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the Scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the Unitholders in proportion to their respective interest in the assets of the Scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(g) On the completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the unitholders a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the unitholders and a certificate from the auditors of the Scheme.

(h) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue.

(i) After the receipt of the report referred to in clause XXXIII (g), if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the Scheme have been completed, the Scheme shall cease to exist.

(j) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Unit Certificate along with the form of repurchase duly completed has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Unit Certificate and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

XXXIV. Benefits to the unitholders

All benefits accruing under the scheme in respect of the capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the scheme shall be available only to the unitholders who hold the units for the full term of the scheme till its closure.

XXXV. Power to construe provisions :

If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of the scheme, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and such decision shall be conclusive, binding and final.

XXXVI. Relaxation of provisions :

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Scheme relax any of the provisions of the Scheme. Any such relaxation would not be contradictory to clause XXXII and shall not be discriminatory and would apply to all unitholders on a uniform basis.

Any changes in the provisions of the offer document shall be made only with prior approval of SEBI and in accordance with the termsof the regulations.

XXXVII. Scheme to be binding on Unitholders :

The terms of the scheme including any amendments, changes thereto from time to time shall be binding on each unitholder and every other person claiming through it as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contrary contained in the provisions of the Scheme.

Approval of unitholders of the scheme shall be sought in the following circumstances :

(i) Whenever required to do so by SEBI in the interest of the unitholders; or

(ii) Whenever required to do so on the requisition made by three-fourths of the unitholders of the scheme.

(iii) When the majority of the trustees decide to wind up or prematurely redeem the units; or

(iv) When any change in the fundamental attributes detailed in clause XXXII of the schemo or fees and expenses payable or any other change which would modify the scheme or affect the interest of the unitholders is proposed to be carried out unless the

consent of not less than three-fourths of the unit-holders is obtained.

Rights of unitholders :

1. Unitholders under the scheme have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of the scheme and to the income declared by the scheme.
2. The Unitholders have a right to ask the Trustees about any information which may have an advance bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the unitholders.
3. The Unitholders have the right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection".
4. The unitholders are entitled to have the income warrants despatched to them within 42 days of the closure of the year for which it is due.
5. Subject to conditions stated in Clause XXIII on "Transfer/Pledge/Assignment of units" the Trust shall register the transfer and return the unit certificate to the transferee within 30 days from the date of lodgement of the unit certificates together with the relevant instrument of transfer.

TAX GUIDE :

Tax Exemption

Under the present taxation laws in those cases where the investing institutions are :

(i) Charitable and Religious Trusts :

The income of Charitable and Religious Trust in any year is totally exempt from tax if atleast 75% of the Trust's income is spent towards any of the objectives of the Trust in the year in which it is earned (Section 11 of Income Tax Act). Thus a Charitable and Religious Trust can set apart upto 25% of a year's income for application to charitable and religious purposes in future years, without attracting income tax. If the income so set apart in a year is in excess of 25% of that year's income, such excess would attract income tax. However, such excess income will be exempt from income tax if it is invested in "approved securities" mentioned in Section 11(2)(b) of the Income Tax Act. Units of UTI are one of the approved securities. A Charitable and Religious Trust investing its "excess" funds in units qualifies for exemption from Income Tax.

In terms of Section 13 of the Income Tax Act, one of the conditions of eligibility for exemption under Section 11 of Income Tax Act is that the corpus and other funds of the Trust should be invested in approved securities. Units of UTI are one of the approved securities.

(ii) Any Regimental Fund referred to in Section 23 AA/ Other Institutions It will be in accordance with prevalent tax laws.

No deduction of Tax at source

No deduction of tax will be made for institutions which are covered under Section 11 or 12 or 10(22) or 10(22A) or 10(23) or 10(23AA) or 10(23C) of Income Tax Act, 1961 on the basis of a simple declaration in the format provided in the application form.

In respect of Institutions other than above deduction of income tax at source from the income will be in accordance with prevalent tax laws.

Wealth Tax Financial Assets like shares and units of Unit Trust of India and Mutual Funds are excluded for the purpose of assessing wealth tax liability.

NOTE : In respect of Statutory Corporations viz. IDBI and similar other organisations, the tax benefits/exemptions under the Income Tax Act and Wealth Tax Act may be governed, inter alia, in accordance with the provisions of their Special Acts, if any, governing them.

Any long term capital gains arising out of investment in the scheme will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961.

Capital Gains Tax Exemption under Section 54 EA

Investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term assets in IISFUS '97 (II) will be eligible for capital gains tax exemption under Section 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to availability of repurchase/transfer/pledge only after three years from the date of acceptance of the application.

Disclosures regarding income tax/wealth tax/gift tax/capital gains tax are in conformity with the prevalent Income Tax Act.

Custodians

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B Wing, Nariman Point, Mumbai-400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all properties belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration. The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust. Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/Funds/Plans of the Trust.

Auditors

M/s. S. K. Kapoor & Co., 16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur-208 001 and M/s. Chaturvedi & Company, Chartered Accountants, 60, Bentik Street, Calcutta-700 069. The auditors of the scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

Investor Complaints

Complaints received, redressed and pending for the period 01-10-96 to 30-09-97 are given below :

Scheme Name	No. of complaints			Pending to total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
1	2	3	4	5
CCCF	945	880	65	6.88%
CGGF	8854	8454	400	4.52%

1	2	3	4	5
CGS-83	601	513	88	14.64%
CGUS-91	4431	4408	23	0.52%
CRTS	344	344	10	2.91%
DIP-91	3433	3379	54	1.57%
DIUP-93	620	609	11	1.77%
DIUP-95	1847	1817	30	1.62%
DIUS-90	1947	1917	30	1.54%
DIUS-91	3109	3061	48	1.54%
DIUS-92	2556	2510	46	1.80%
E O F	1209	1201	8	0.66%
GCGI	35305	33992	1313	3.72%
GMIS-91	18463	18149	314	1.70%
GMIS-92	10944	9594	1350	12.34%
GMIS-92 (ii)	1058	897	161	15.22%
GMIS-B-92	893	869	24	2.69%
GMIS-B-92 (ii)	2384	2333	51	2.14%
GRANDMASTER-93	1858	1846	12	0.63%
GRIHALAXMI UNIT PLAN	1255	1182	73	5.82%
HOUSING UNIT SCHEME	300	275	25	8.33%
IISFUS	3	3	0	0.00%
MASTERGAIN-92	169535	166983	2552	1.51%
MASTER GROWTH-93	8988	8940	48	0.53%
MASTERPLUS-91	14010	13245	765	5.46%
MASTERSHARE-86	22133	19783	2350	10.62%
MEP-91	4551	4360	191	4.20%
MEP-92	22187	21291	896	4.04%
MEP-93	67170	66454	716	1.07%
MEP-94	46830	45510	1320	2.82%
MEP-95	8988	8970	18	0.20%
MEP-96	3622	3598	24	0.66%
MEP-97	749	707	42	5.61%
MIP-93	2403	2398	5	0.21%
MIP-94 (i)	3036	2977	59	1.94%
MIP-94 (ii)	2969	2905	64	2.16%
MIP-94 (iii)	7843	7796	47	0.60%
MIP-95	7642	7544	98	1.28%
MIP-95 (ii)	7958	7863	95	1.19%
MIP-95 (iii)	6921	6803	118	1.70%
MIP-96	6075	5957	118	1.94%
MIP-96 (ii)	5462	5352	110	2.01%
MIP-96 (iii)	6662	6518	144	2.16%
MIP-96 (iv)	13430	12665	765	5.70%
MIP-97	6019	4999	1020	16.95%
MIP-97 (ii)	3693	3139	554	15.00%
MIP-97 (iii)	590	463	127	21.53%

1	2	3	4	5
MIS-B-93	4714	4656	58	1.23%
MISG-90 (i)	4463	3176	287	28.84%
MISG-90 (ii)	2131	2035	96	4.50%
MISG-91	2366	2337	29	1.23%
OMNI-PLAN	68	60	8	11.76%
PRIMARY EQUITY FUND	451	364	87	19.29%
RAJLAKSHMI UNIT PLAN	3589	3447	142	3.96%
RETIREMENT BENEFIT PLAN	1821	1640	181	9.94%
SENIOR CITIZEN UNIT PLAN	721	599	122	16.92%
UGS-2000	8176	7631	545	6.67
UGS-5000	5370	5131	239	4.45%
ULIP	1883	7756	1127	1269%
US-64	13,3079	127182	5897	4.43%
US-92	8041	7791	250	3.11%
US-95	2	2	0	0.00%
TOTAL :	735700	709250	26450	3.60%

Reasons for pending complaints are :

(1) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.

(2) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.

(3) Change of address of investor not informed/not updated.

(4) Loss in transit.

(5) Postal delay.

(6) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(7) Incomplete details while forwarding the complaints.

(8) Non-receipt/Delayed receipt of commission.

(9) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars.

Depending on the nature of complaints/objections the Trust writes to investor/bank/Registrars to resolve the same.

All Investors could refer their grievance giving full particulars of investment to concerned Investors' Relation Cell at the following addresses :

WESTERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Commerce Centre 1, 28th Floor,
World Trade Centre,
G. D. Somani Marg,
Cuffe Parade, Mumbai-400 005
Tel : 218 0172/218 1600

EASTERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
2, Fairlie Place, 2nd Floor,
Calcutta-700 001,
Tel : 243 4581.

SOUTHERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
UTI-House, 29, Rajaji Salai,
Madras-600 001.
Tel : 517101 Ext. 360/364.

NORTHERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Herald House, 2nd floor,
5A, Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi-110 002.
Tel : 332 9860.

Registrars

The processing of applications and after sales services will be handled by the Mumbai Main Branch Office of the Trust at Commerce Centre-1, 29th Floor, World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. The Trust has adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, despatch of certificates, handling of after sales services within the prescribed time frame and also handling of investor complaints.

Documents available for inspection

The following documents will be available for inspection at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400020.

- ☐ The UTI Act
- ☐ The General Regulations
- ☐ The agreement with the custodian.
- ☐ Copy of Offer Document of USFUS '97 (II).

Details of Previous Institutional Investors' Special Fund Unit Schemes of UTI

SCHEMES	IISFUS-93	IISFUS-95	IISFUS-96	IISFUS-97
1	2	3	4	5
Date of commencement	01-03-1993	01-10-1995	01-01-1997	01-07-1997
Date of termination	01-04-1998	30-09-2000	31-12-2001	30-06-2002
Income distribution	16% p.a. (half-yearly)	15% p. a. for first three years (half-yearly)	16% p. a. for the first year (half-yearly)	15% p. a. for all five years (annual)
Amount Collected	Rs. 1276.87 Cr.	Rs. 177.70 Cr.	Rs. 796.35 Cr.	Rs. 675.57 Cr.
No. of Applications	518	292	247	324

HISTORICAL DATA

Historical Statistic	1993-94	1994-95	1995-96		31-12-1996		
	IISF'93	IISF'93	IISF'93	IISF'95	IISF'93	IISF'95	IISF'96
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) Net Asset Value, per unit;	10.42	10.22	10.15	11.00	9.95	10.68	10.35
(B) Gross income per unit broken up into :							
(i) Income other than profit on sale of investment, per unit;	1.11	1.27	1.51	1.33	0.46	0.68	0.10
(ii) Income from profit on Inter scheme sales/transfer of investment, per unit	0.46	0.36	0.01	0.06	0.13	0.00	0.00
(iii) Income from profit on sale of investment to their party, per units	0.03	0.10	0.02	0.09	0.01	0.00	0.00
(iv) Transfer to revenue account from past year's reserve per unit	—	—	0.07	—	0.18	0.09	—
(C) Aggregate of expenses, write off, amortisation and charges, per unit;	0.06	0.01	0.01	0.05	0.00	0.03	0.01
(D) Net income, per unit;	1.55	1.71	1.61	1.42	0.77	0.74	0.09
(E) Unrealised appreciation/depreciation in value of investments, per unit;	0.03	0.21	0.11	0.73	0.42	0.51	0.26
(F) Market price							
Highest	—	—	—	—	—	—	—
Lowest	—	—	—	—	—	—	—
Repurchase price							
Highest	—	—	10.50	—	10.40	10.85	—
Lowest	—	—	10.22	—	9.90	10.25	—
Sale price							
Highest	—	—	—	—	—	—	—
Lowest	—	—	—	—	—	—	—
PE Ratio							
(G) Per unit, ratio of expenses to avearage net assets by percentage;	0.58%	0.09%	0.10%	0.45%	—	0.28%	0.10%
(H) Per unit, ratio of gross income to average net assets by percentage (excluding transfer to revenue account from past year's reserve but including unrealised appreciation on investment)	18.33%	16.67%	15.21%	19.55%	7.66%	11.53%	3.38%
(I) Per unit NAV	10.42	10.22	10.15	11.00	9.95	10.68	10.35

UNIT TRUST OF INDIA

CORPORATE OFFICE

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400020

Tel. 2068468.

ZONAL OFFICES

Western Zone : Commerce Centre-1, 28th Flr., World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. Tel. 218 1600.

Eastern Zone : 2, Fairlie Pluce, 2nd Flr., Calcutta-700 001. Tel. : 220 9391. Southern Zone : UTI-House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001. Tel. : 517 101. Northern Zone : Jeevan Bharati, 13th Flr., Tower II, Connought Circus, New Delhi-110 001. Tel. : 332 9860.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE JURISDICTION

Ahemedabad : B. J. House, 2nd, 3rd & 4th Flr., Ashram Marg, Ahemedabad-380 009. Tel : 642 3043. Baroda : 'Meghdhanush', 4th & 5th Flr., Transpek Circle, Race Course Marg, Baroda-390 015. Tel : 332 481. Bhopal : 1st Flr., Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone-1, Scheme-13, Habeeb Gani, Bhopal-462 001. Tel. : 558 308. Indore : City Centre, 2nd Flr., 570, M. G. Marg. Indore-452 001. Tel. : 22796. Mumbai : (1) Unit No. 2, Block 'B'. Gulmohar Cross Marg No. 9, Andheri (W), Mumbai-400 049. Tel. : 620 1995. (2) Persepolis Bldg., 3rd Flr., Above Andhra Bank, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai-400 703. Tel. : 7672607. (3) Lotus Court Bldg., 196, Jamshedji Tata Marg, Backbay Reclamation, Mumbai-400 020. Tel. : 285 0821. (4) Shraddha Shopping Arcade, 1st Flr., S. V. Marg, Borivili (W), Mumbai-400 092. Tel. : 802 0521. (5) Sagar Bononza, 1st Flr., Khot Lane, Ghatkopar (W), Mumbai-400 086. Tel. : 516 2256. Kolhapur : Ayodhya Towers, C. S. No. 511, KH-1/2 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Marg, Kolhapur-416 001. Tel. : 657 315. Nagpur : Shree Mohini Complex, 3rd Flr., 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg, Nagpur-440 001. Tel. : 536 893. Nasik : Sarda Sankul, 2nd Flr., M.G. Marg, Nasik-422 001. Tel.: 572166. Panaji : E.D.C. House, Ground Flr., Dr. A. B. Marg, Panaji, Goa, 403 001. Tel. : 222 472. Pune : Sadashiv Vilas, 3rd Flr., 1183, Fergusson College Marg, Shivaji Nagar, Pune-411005. Tel : 325 954. Rajkot : Lallubhai Centre, 4th Flr., Lakhaji Raj Marg, Rajkot-360 001. Tel. : 35112. Surat : Saifee Bldg., Dutch Marg, Nanupura, Surat-395 001. Tel. : 434 550. Thane : UTI House se, Station Marg, Thane (W)-400 601. Tel. : 540 0905.

BRANCH OFFICES UNDER ESTERN ZONE JURISDICTION

Bhubaneshwar : OCHC Bldg., 1st & 2nd Flr., 24 Janpath, Khervela Nagar, Nr. Ram Mandir, Bhubaneshwar-751 001. Tel. : 410 995. Calcutta : 2, Fairlie Place, Calcutta-700 001. Tel. : 220 9391. Durgapur : 3rd Administrative Bldg., 2nd Flr., Asansol Durgapur Development Authority, City Centre, Durgapur-713 216. Tel : 546136. Guwahati : Hindustan Bldg., 1st Flr., M. L. Nehru Marg, Pan Bazar, Guwahati-781 001. Tel. : 543131. Jamshedpur : 1-A, Ram Mandir Area, Gr. & 2nd Flr., Bistupur, Jamshedpur-831 001. Tel. : 425 508. Patna : Jeevan Deep Bldg., Gr. & 5th Flr., Exhibition Marg, Patna-800 001. Tel. : 235 001. Siliguri : Jeevan Deep, Ground Flr., Gmuuarak Sarani, Siliguri-734 401. Tel : 424671.

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

Bangalore : Raheja Towers, 26-27, 12th Flr., West Wing, M. G. Marg, Bangalore-560 001. Tel : 5595691. Cochin : Jeevan Prakash, 5th Flr., M. G. Marg, Ernakulam-682 011. Tel. : 362 354. Coimbatore : Cheran Towers, 3rd Flr., 6/25 Arts College Marg, Coimbatore-641 018. Tel : 214973. Hubli : Kalburgi Mansion, 4th Flr., Lamington Marg, Hubli-580 020. Tel : 363 963. Hyderabad : 1st Flr., Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad-500 195. Tel. : 511 095. Chennai : UTI House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001. Tel. : 517 101. Madurai : Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Thirupparakundram Marg, Madurai-625 001. Tel : 38186. Mangalore : Siddharth Bldg., 1st Flr., Bal-Matta Marg, Mangalore-575 001. Tel : 426258. Thiruvananthapuram : Swastik Centre, 3rd Flr., M. G. Marg, Thiruvananthapuram-695 001. Tel : 331415. Trichy : 104, Salai Marg, Woraiyur, Tiruchirapulli-620 003. Tel. : 760060. Trichur : 28/700 West Pallithamam Bldg., Karunakaram Nambiar Marg, Round North, Trichur-680 020. Tel : 331259. Vijayawada : 27-37-156, Bunder Marg, Next to Hotel Manarama, Vijayawada-520 002. Tel. : 74434. Vishakhapatnam : Ratna Arcade, 3rd Flr., 47/15/6, Station Marg, Dwarkanagar, Vishakhapatnam-530 016. Tel. : 548121.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

Agra : Ground Flr., Jeevan Prakash, Sanjay Place,Mahatma Gandhi Marg. Agra-282 002. Tel : 54408. Allahabad : United Towers, 3rd Flr., 53, Leader Marg. Allahabad-211 003. Tel : 400521. Amritsar : Shri Dwarkadhish Complex. 2nd Flr., Queen's Marg. Amritsar-143 001. Tel : 210367. Chandigarh : Jeevan Prakash. LIC Bldg., Sector 17-B Chandigarh-160 017. Tel. : 703683. Dehradun : 2nd Flr., 59/3, Raipur Marg, Dehradun-248 001. Tel : 746720. Fariabad : B- 614-617. Nehru Ground, NIT, Faridabad-121 001. Tel. : 219156. Ghaziabad : 41. Navyug Market, Near Singhani Gate, Ghaziabad-201 001. Tel : 790366. Jaipur : Anand Bhavan, 3rd Flr., Sansar Chandra Marg. Jaipur-302 001. Tel. : 365 212. Kanpur : 16/79-E. Civil Lines, Kanpur-208 001. Tel : 317 278. Lucknow : Regency PlaZa Building, 5, Park Marg, Lucknow-226 001. Tel. : 238591. Ludhina : Surya Kiran Phase II. 92, The Mall, Ludhina-141 001. Tel. : 441264 New Delhi : Gulab Bhavan, 2nd Flr., 6, Bahadurshah Jafar Marg, New Delhi-110-002. Tel. : 3318638. Shimla : Flat No. 401, 402, 403, 405 Mukesh Apts., Fingask Estate, Near Hotel Sheel Shimla-171 002. Tel. : 257803. Varanasi : 1st Flr. D-58/2A-1, Bhawani Market Rathyatra, Varanasi-221 001 Tel. : 358606.

Mumbai, the 7th January 1998

CORRIGENDA

No. C-3324 A/Staff 151/97-98—The following is the Corrigenda to our Notification No. UT/C-1197 A/Staff 151/97-98 dated July 15,1997 published in the Gazette of India (Part-III-Section 4) dated September 6, 1997.

Sr No	Page No	Column No	Caluse/ Sub Clause	Correction
1	2913	1	1(C)	In the 2nd line the word 'strats' should be corrected as 'starts'
2	2913	1	1(c)	In the 6th line the word 'disablity' should be corrected as 'disability'.
3	2913	1	1(c)	In the 7th line the word 'isphysically' should be corrected as 'is physically'.
4	2913	2	1(c)	In the 3rd line the word 'whichevr' should be corrected as 'whichever'.
5	2913	2	1(c)	In the 5th line the word 'suffuring' should be corrected as 'suffering.'
6	2913	2	2(b)	In the 3rd line the word 'falling' should be corrected as 'failing'

S. SUNDERARAJAN

Deputy General Manager

(Personnel and Administration)

UNIT TRUST OF INDIA

Mumbai, the 12th January 1998

No. UT/DBDM/R-95/SPD71S/97-98.—The Offer Document of the Monthly Income Plan 1997 (V) formulated under section 19(1)(8)(c) of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) in relation to the unit scheme, the Monthly Income Scheme 1997 (V) made under section 21 of the said Act approved in the Executive Committee Meeting held on 30-9-1997 is published herebelow.

A. G. JOSHI
General Manager
Business Development and Marketing

UNIT TRUST OF INDIA

MONTHLY INCOME PLAN 1997 (V)

OFFER DOCUMENT

Offer open from November 17, 1997 to December 31, 1997

The Monthly Income Plan 1997 (V) has been formulated under section 19 (1) (8) (c) of the Unit Trust of India Act 1963 (52 of 1963), in relation to the unit scheme, the Monthly Income Scheme 1997 (V) made under section 21 of the said Act by the Board of Trustees of UTI.

* The plan particulars have been prepared in accordance with Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Ragulations, 1996, and the units offered for public subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has the SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.

Plan Objective

This is an income oriented Plan. The Plan aims at meeting the needs of investors by providing regular income on a monthly/annual basis or cumulation of income over a period of 5 years.

Highlights

- **A five year close ended pln.**
- **Open to resident and non resident adult individuals/mentally handicapped persons/minors/HUFs/Trusts/Societies/Regd. Co-operative Societies/Bodies Corporate including Companies and Banks/Overseas Corporate Bodies (OCBs)/Army/Navy/Air Force/Paramilitary Funds/Partnership Firms.**
- **The plan offers three options : (1) Monthly Income Option (2) Annual Income Option & (3) Cumulative Option.**
- **The Trust shall pay an assured income @ 11.75% p.a. payable monthly under monthly income option (yield 12.40%) and @ 12.40% p.a. payable annually under annual income option. for all the five years of the plan.**
- Under the Monthly Income Option, income distribution warrants for the period upto March 1998 will be sent alongwith the membership advice/unit certificate. Thereafter income warrants payable monthly will be sent in advance for every April—March period. For receiving year's income distribution the investor should hold the units for a full year.
- Under the Annual Income Option, the first income distribution warrant for the period January, 1998 to December, 1998 (dated 1st January 1999) will be sent in the month of December 1998. Thereafter income distribution warrants for every January—December period will be sent in December. However, depending upon the date of investment, the investor will be compensated @11.75% p.a. upto 31st December 97 to the extent applicable to members under the monthly income option, by means of cheque which will be sent alongwith the membership advice/unit certificate.

Under the Cumulative Option Rs. 10 000/- will atleast become Rs. 17940/- on maturity (yield 12.40%). However, for income above Rs. 10,000/- in a year, tax is deductible at source as per Income Tax Act, 1961.

Repurchase allowed from 1st January 2001 at NAV based repurchase price under all the three options.

- Scheme shall be listed on the wholesale debt segment of the NSE within six months from the closure of subscription.

  It is guaranteed that the capital invested in the scheme will be protected on maturity i.e. units will not be redeemed below par. There is no such guarantee for premature repurchases and the repurchase price in such cases will be as per prevailing NAV.

- **There is scope for capital appreciation as a part of investment will be in equities.**
- **Income and Repurchase/Redemption proceeds for NRIs and OCBs are fully repatriable, where the investment is made by remittances from abroad or by debit to the NRE account or by cheque/draft issued from proceeds of FCNR deposits.**
- **Tax benefits U/S 80L and U/S 48 & 112 of Income Tax Act, 1961 on income distributed and capital gains from capital appreciation.**
- **Capital gains tax exemption U/S 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to lock-in for three years from the date of acceptance.**

Special attention of investors is invited to the highlights on income distribution, repurchase and listing indicated in the above paragraph in bold fonts.

Risk Factors

- **There is no guarantee of protection of capital for premature repurchases and the repurchase price in such cases will depend on the NAV.**
- **Investments in units of the Plan are subject to market risks and the NAV of the Plan may go up or down depending on the influence of market forces on the plan's portfolio.**
- **Performance of the previous schemes/plans is not necessarily an indication of future results.**
- Monthly Income Plan 1997 (V) is only the name of the Plan and does not in any manner indicate the quality of the Plan. Investors are urged to study the terms of the offer carefully before they invest in the Plan.

Management's perception of Risk Factors

- **The Trust has been inoperation for over 33 years and has built up expertise in managing funds of around Rs. 58,000 crores from over 50 million investors. UTI has never failed to meet the return assured in the previous assured return schemes. UTI is satisfied about the sufficiency of resources available to meet such assured return in future. Table indicating performance of thirty seven Monthly Income Plans of the Trust launched till date is given on page number 20.**

Constitution of UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under UTI Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the income, profits and gains accuring to the Trust from the acquisition holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

Management of UTI

The Management of the affairs and business of the Trust are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India.

Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive

Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. This Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

Board of Trustees

1. Shri G. P. Gupta, Chairman, Unit Trust of India
2. Dr. P. J. Nayak, Executive Trustee, Unit Trust of India.
3. Shri R. V. Gupta, Deputy Governor, Reserve Bank of India.
4. Shri S. H. Khan, Chairman, Industrial Development Bank of India.
5. Shri N. S. Sekhsaria, Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
6. Shri P. R. Khanna, Chartered Accountant.
7. Shri G. Krishnamurthy, Chairman, L. I. C.
8. Shri M. S. Verma, Chairman, S. B. I.
9. Shri N. Vaghul, Chairman, ICICI Ltd.
10. Shri Rashid Jilani, Chairman & Managing Director, Punjab National Bank.

DETAILS OF THE MONTHLY INCOME SCHEME 1997 (V) [MIS '97 (V)]

I. Short Title and Commencement

(1) This Scheme shall be called the Monthly Income Scheme 1997 (V) [MIS '97 (V)].

(2) The Scheme shall be for a period of five years i.e. from 1st January 1998 to 31st December 2002.

(3) Units will be on sale from 17th November 1997 to 31st December, 1997 for 45 days.

Provided, however the Executive Committee of the Board of Trustees of the Unit Trust/Chairman may suspend the sale of units under the Scheme at any time in circumstances like war, distruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

II. Definitions

In this scheme and plan made thereunder unless the context otherwise requires :

(a) "Acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Trust for sale or repurchase of units by the Trust means the day on which the Trust, after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(b) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963; (52 of 1963).

(c) "Alternate applicant" in case of minor means the parent other than the parent who has made the application on behalf of minor.

(d) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and plan made thereunder who is not a minor and shall include the alternate applicant mentioned in the application from when units are sold for the benefit of a mentally handicapped person and makes an application under Clause III of the Plan.

(e) "Eligible institution" means an eligible trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.

(f) "firm", "partner" and "partnership" have the meanings assigned to them in the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932), but the expression partner shall also include any person who being a minor is admitted to the benefits of the partnership.

(g) "Listed" means the listing of units for the purpose of trading on the wholesale debt segment of the NSE.

(h) "Member" used as and expression under the Scheme and Plan made thereunder shall mean and include the applicant who has been allotted units under the Scheme.

(i) "Mentally handicapped person" means any individual who suffers from mental disability of such a nature which prevents him from carrying out normal activities of life.

(j) "Non Resident Indian (NRI)", means Non Residents of Indian nationality/origin. A person shall be deemed to be "person of Indian origin" if he/she or either of his parents or any of the grandparents, howsoever high in degree or ascent, whether of paternal side or maternal side, was born in India, as defined in the Government of India Act, 1935, as originally enacted.

(k) "Number of units deemed to be in issue" means the aggregate of the number of units sold and remaining outstanding.

(l) "Overseas Corporate Bodies (OCBs)", include overseas companies, partnership firms, societies and other corporate bodies which are owned, directly or indirectly, to the extent of atleast 60% by individuals of Indian nationality or origin resident outside India as also overseas trust in which atleast 60% of the beneficial interest is irrevocably held by such persons.

(m) "Person" shall include an eligible institution as defined above.

(n) "Registrars" means a person whose services may be retained by the Trust to act as the Registrars under the Scheme from time to time.

(o) "Regulations" means Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43 (1) of the Act.

(p) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and Exchenge Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

(q) "Society" means a society established under the Societies Registration Act of 1860 or any other society established under any State or Central law for the time being in force.

(r) "Trading" means the dealing in by buying or selling units through the wholesale debt segment of the National Stock Exchange (NSE) after the first allotment of units.

(s) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees ten in the unit capital.

(t) "Unit Capital" means the aggregate of the face value of units sold under the scheme and outstanding for the time being.

(u) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(v) All other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations.

(w) Words importing singular shall include the plural and all reference to masculine gender shall include the feminine and vice versa. The other provisions of the scheme are available from page No. 12 to page No. 17.

DETAILS OF THE MONTHLY INCOME PLAN 1997 (V) [MIP '97 (V)] FORMULATED UNDER THE MONTHLY INCOME SCHEME 1997 (V) [MIS '97 (V)] ARE GIVEN HEREAFTER

I. Definitions

The words not defined in the Plan and defined in the Scheme and the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them in the Scheme/Act/Regulations.

II. Face value of each unit

The face value of each unit issued under the scheme shall be ten rupees.

III. Application for units

(1) Application for units may be made by residents and also non residents.

Residents

(a) individuals either singly or jointly with another or upto other individuals.

(b) a parent, step-parent or other lawful guardian on behalf of a resident minor. An application cannot be made by an adult and minor jointly.

(c) an eligible institution as defined under the scheme including Private Trust being irrevocable trust and created by an instrument in writing.

(d) an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person.

(e) a society as defined under the scheme.

(f) a registered co operative society.

(g) other bodies corporate including companies formed under the Companies Act, 1956 and Banks.

(h) Hindu Undivided Family.

(i) Army/Navy/Air Force/Paramilitary Funds.

(j) a partnership firm.

Non-Residents On fully repatriable basis by

(a) Non resident adult individuals either singly or jointly with, another or upto two other individuals.

(b) Father/Mother/Step-parent/Lawful Guardian on behalf of Non-resident minor.

(d) Non-resident Company/Overseas Corporate Bodies owned by NRIs to the extent of atleast 60%.

(2) An application by a partnership firm shall be made by not more than three members of the firm and the first named person shall be recognised by the Trust for all practical purposes as the member.

(3) Application shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Trust.

IV. Minimum amount of investment

Application shall be made for a minimum of Rs. 10 000/- under all the three options. There will be no maximum limit. For investments not in multiple of Rs. 10/-, units will be allotted in fractions upto three places after the decimal. In case of investment of Rs. 50,000/- and above, the investor is advised to furnish Income Tax P. A. N./G. I. R. number and IT Circle address if he/she is having so.

V. Minimum target amount to be raised

Amount of Rs. 100 crores is targeted to be raised under the scheme. Oversubscription, if any, will be retained by the Trust in full.

The Trust shall by A/C payee cheque/refund order refund not later than six weeks from the date of closure of the sale of units under the scheme the entire amount collected under the scheme, if the said targeted amount of Rs. 100 crores is not subscribed.

In the event of failure to refund the amounts within the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay interest to the applicants @ 15% per annum on the expiry of six weeks from the date of closure of the sale of units.

VI. Limitation on expenses

Initial issue expenses shall not exceed 6% of the funds raised under the Scheme. Initial issue expenses of the Scheme is estimated to be as under :

Expenses	%
Printing & Postage	1.50
Publicity & Marketing	1.75
Commission to agents	1.50
Registrars Charges	0.50
Bank Charges	0.25
Stamp fees	0.50
Total	6.00

Thus for every Rupee invested by an investor not less than 94 paise will be invested in the Scheme.

In addition to the initial issue expenses, the following expenses will be charged to the scheme on a recurring basis. Estimated recurring expenses are as under :—

Expenses	%
Administrative Expenses	0.90
Custodial Fees	0.50
Development Reserve Fund	0.25
Staff Welfare Trust	0.10
Registrars Fees	0.50
Total	2.25

The above expenses are estimates and are subject to change inter se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 6% of the funds collected for initial issue expenses, in accordance with SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

The total annual recurring expenses of the scheme excluding initial issue expenses and redemption expenses but including administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and Staff Welfare Trust shall be subject to the following limits :

(i) On the first Rs. 100 crores of the average monthly net assets —2.25%

(ii) On the next Rs. 300 crores of the average monthly net assets —2.00%.

(iii) On the next Rs. 300 crores of the average monthly net assets —1.75%

(vi) On the balance of the assets —1.50%

Administrative expenses, contribution to Development Reserve Fund and contribution to Staff Welfare Trust will not exceed the limits specified under clause 2 of regulation 52 of SEBI (MFs) Regulations, 1996, namely :

(i) One and quarter of one percent of the monthly average net assets outstanding in each accounting year for the scheme as long as the net assets do not exceed Rs. 100 crores, and

(ii) One percent of the excess amount over Rs. 100 crores, where net assets so calculated exceed Rs. 100 crores.

UTI does not charge any investment management and advisory fees as provided in the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996. However, UTI will ensure that the initial issue expenses and the annual recurring expenses shall remain within the limits specified under regulation 52 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

VII. Mode of Payment

(1) (i) The payment for units by an applicant shall be made by him alongwith the application in cash, cheque or draft. Where applications are submitted at UTI branch offices, cheques or drafts should be drawn on branches of banks within the city where the UTI branch office at which the application is tendered is situated.

Provided, however, that the applicant who wishes to apply from a place other than where the Trust has its branch office/collection centre/frenchise office may do so by sending the application to the branch office of the Trust along with the bank draft after deducting therefrom charges payable for bank draft as per guidelines of Indian Banks Association. The collection centres/frenchise offices are authorised to accept applications alongwith cheque payable locally or demand draft payable at places upto which the scheme is decentralised in which case the applicant may deduct charges as per the guidelines of Indian Bank Association. e.g. if the application amount is Rs. 10,000/- the bank draft charges for this amount is Rs. 20/-. Thus the draft can be prepared for Rs. 9,980/- (i.e. Rs. 10,000 less Rs. 20/-). The draft commission charges will form a part of the initial issue expenses of the Plan.

However, in case of applications received along with local bank draft where the Trust has its branch office/collection centre/frenchise office bankdraft commission will have to be borne by the investor.

(ii) If the payment is made by cheque, the acceptance date will, subject to such cheque being realised, be the date on which the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre.

If payment is made by draft, the acceptance date will, subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust or authorised collection centre within 7 days from the date of issue of draft. If the application amount is less than the minimum investment under the plan, the entire amount shall be refunded to the applicant at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(iii) Mode of Investment with repatriation benefits :

The investments by NRIs/OCBs shall carry the right of repatriation of capital invested and income earned thereon and capital appreciation (if applicable), as long as the investor continues to be resident outside India. Investment in these cases can be made through one of the following modes :

(a) Draft in foreign currency.

(b) Draft in rupees issued in favour of UTI by foreign banks/Exchange House drawn on their Indian correspondent banks.

(c) By cheque drawn on investor's NRE account maintained with a Bank in India.

(d) By cheque/draft issued from the proceeds of FCNR deposits.

Further, payment in Nepalese and Bhautanese currencies are not accepted. Investment in units is made in rupees, all foreign currency drafts are converted into Indian rupees at the rate of exchange ruling at the time of such conversion.

Shortfall, if any, will have to be remitted by NRI investors.

In view of the above it is advisable that NRI/OCB investors make payment by instruments mentioned at (b) & (c) above.

(iv) Mode of investment without repatriation benefits :

Where funds held in NRO accounts are utilised for purchase of units, the funds so invested and capital appreciation (if applicable), will not qualify for repatriation out of India.

However as per RBI circular A.D. (M.A. Series) No. 81 dated August 9, 1994 the entire income earned thereon during the financial year 1996-97 and onwards will qualify for full repatriation.

While in such cases UTI will make payment in Rupees for credit to NRO A/C, investors are advised to contact their banks/Tax consultants if the desire remittance of income on units.

(2) (a) Right of the Trust to accept or reject application :

The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the Scheme and the Plan made thereunder. The Trust shall reject an application for issue of units in the following circumstances :

I. the application is received with less than the minimum investment of Rs. 10,000/-.

II. the application has not been signed by the first applicant and

III. the applicant is not elegible to invest in the scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme and the Plan made thereunder shall be final.

(b) Incomplete Application Liable For Rejection

In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum.

Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(3) Applicant to comply with requirements under the Scheme and the Plan made thereunder before being issued units :

Persons applying for units under the Scheme and the Plan made thereunder shall satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust such as

Trust deed, Resolution by the Managing Body to buy units in case of application from Trusts, Birth Certificates in case of application on behalf of minor, certified copy of partenership deed in case of application on behalf of partnership firms etc. depending on the category of the investors. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust.

Person who holds units under a false declaration shall be liable to have the membership cancelled and the name deleted from the register of members.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant

VIII. Sale of Units :

The sale price of units during the period of offer shall be at par. The contract for sale of units by the Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. On such conclusion of the contract for sale, the Trust shall as soon thereafter as possible, issue to the applicant Membership Advice/Unit Certificate at his option. A Membership Advice/Unit Certificate issued by the Trust to the eligible institution, firm or body corporate shall be made out in the name of the eligible institution/firm/body corporate. The Trust shall not incur any liability for loss, damage, misdelivery or non-delivery of the Membership Advice/Unit Certificate so sent.

The Trust shall send the Membership Advice/Unit Certificate not later than 6 weeks from the date of closure of sale of units under the Plan.

IX. Repurchase of Units :

(1) Repurchase under the plan will commence after three years from the date of commencement of the plan i.e. from 1st January, 2001 under all the three options. There shall be no repurchase during the first three years of the Scheme and Plan made thereunder except for settlement of death claim cases. The repurchase price will be based on the NAV of units (on historic basis) and shall be issued to the press for publication six months from the date of commencement of the plan i.e. on 01-07-1998 and on a quarterly basis thereafter till 31-12-2000. From 01-01-2001 the repurchase price will be announced at intervals of not more than one month e.g. The repurchase price valid for a month is based on the NAV determined on the last valuation day of the preceding month.

Further, as a portion of the investments will be made in equities, there is scope for capital appreciation.

(2) Monthly Income option

The Trust will offer to repurchase the units after three years from the date of commencement of the Scheme and the Plan made thereunder. Repurchase price will be based on historic NAV and shall be issued to the press for publication after six months from the date of commencement of the plan i.e. on 01-07-98 and on a quarterly basis thereafter till 31-12-2000. From 01-01-2001 the repurchase price will be announced at intervals of not more than one month. While calculating the repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charges not exceeding 5% of the NAV per unit. Repurchase will be effected on receipt of the Membership Advice alongwith a request letter on plain paper duly signed by all the holders and duly witnessed by another person giving his name, occupation and address/Unit Certificate duly discharged. Partial repurchase shall be permitted subject to the member maintaining a minimum balance of Rs. 10000/- (face value). The member while making an application for repurchase shall be bound to surrender all the unencashed Income Distribution Warrants remaining outstanding subsequent to and inclusive of the month of repurchase to the Trust.

In the event of repurchase in full the Trust shall not on accepting the Membership Advice along with the request letter for repurchase/Unit Certificate duly discharged be bound to pay any Income Distribution on the units for the month of acceptance of future months nor shall any interest be payable on the repurchase proceeds.

All the documents and the unencashed Income Distribution Warrants if any, received shall be retained by the Trust for cancellation.

In the event of partial repurchase, depending on the number of units retained by him, the member shall be issued a fresh membership advice/unit certificate and a fresh set of income distribution warrants for the remaining period including the month of acceptance. No interest shall be payable on the repurchase proceeds.

(3) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-clauses, the Trust shall be at liberty while repurchasing the units, in the event of failure of the member to surrender the Income Distribution Warrants which are then outstanding to deduct from the repurchase proceeds such amount representing the amount of the Income Distribution Warrant payable in future as have not been surrendered and pay the balance to the member. On acceptance of the Membership Advice and the request letter for repurchase/Unit Certificate duly discharged by the Trust and in the event of full repurchase, the members' right to receive future Income Distribution including the Income Distribution for the month of acceptance will cease and the Trust shall have a claim on the amount represented by such outstanding Income Distribution.

(4) A member to be entitled to a full year's Income Distribution paid out on a monthly basis should have held the units for a full year. A member who holds units for a part of the year shall be entitled to receive proportionate Income Distribution for the period of holding which shall always be full English Calendar months of holding, part of a month of whatever length being always ignored.

(5) In the event of the death of the member/s and on surrender to the Trust by the legal representative or nominee of the Membership Advice/Unit Certificate, the request letter for repurchase and the unencashed Income Distribution Warrants outstanding to the deceased member, the Trust shall on compliance with the requirements laid down in connection with the recognition of claim, repurchase the units in the manner prescribed in sub clause (2) and (3) hereinabove in accordance with such rules and guidelines as may be formulated by the Trust and pay the outstanding proportionate monthly income distribution upto the date of settlement of the claim.

(6) Annual & Cumulative Options

The Trust shall in case of units issued under Annual and Cumulative Options offer to repurchase the units after three years from the date of commencement of the scheme and the plan made thereunder i.e. from 1st January 2001. Repurchase prices will be based on historic NAVs and shall be issued to the press for publication after six months from the date of commencement of the plan i.e. on 01-07-98 and on a quarterly basis thereafter till 31-12-2000. From 01-01-2001 the repurchase prices will be announced at intervals of not more than one month. While calculating the

repurchase price the Trust shall be at liberty to deduct administrative cost and other charges not exceeding 5% of the NAV per unit.

Partial repurchase will be permitted subject to the member maintaining a minimum balance of Rs. 10,000/- (face value).

(7) Payment for units repurchased by the Trust after the deductions, if any, shall be made within 10 working days (provided the application is in order) from the date of receipt of the membership advise allongwith the request latter for repurchase/unit certificate duly discharged and dividend warrants if any at the centre where the repurchase requests are processed.

No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Trust shall be borne by the applicant.

(8) In case of non-resident investors, repurchase proceeds will be remitted depending upon the source of investment as follows :

(a) When units have been purchased from remittance in foreign exchange from abroad/by cheque/draft issued from proceeds of member's FCNR deposit or from funds held in member's Non-Resident (External) Account kept in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency (any exchange rate fluctuation will be borne by the member) or can be sent to the member's relative in India for crediting the member's Non-Resident (External) Account provided he continues to be resident abroad. It can also be sent for crediting to his Non-Resident (Ordinary) Account if desired by the member.

(b) When units have been purchased from funds held in member's Non-Resident (Ordinary) Account, the proceeds will be sent to the member's relative in India for crediting to the member's Non-Resident (Ordinary) Account.

X. Restrictions on repurchase of units :

Notwithstanding anything contained in any provision of the Scheme and the Plan made thereunder, the Trust shall not be under any obligation to repurchase units :

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Trust) when the register of members is closed for any purpose as notified by the Trust.

Explanation : For the purpose of this Scheme and the Plan made thereunder the term "working day" shall mean a day which has not been either

(i) notified under the Negotiable Instrument Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Trust has its offices; or

(ii) notified by the Trust in the Gazette of India as a day on which the office of the Trust will be closed.

XI. Listing .

The units issued under the scheme shall be listed on the wholesale debt segment of NSE within six months from the date of closure of subscription. An application for listing shall be made to NSE immediately on receipt of the approval of the scheme from SEBI as per Regulation 32 of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996.

XII. Membership Advice/Unit Certificate :

The Trust shall issue Membership Advice/Unit Certificate at the option of the member.

A unit certificate is transferable while a membership advice is not. Both are however equally valid evidence of admission of the investor into the plan. Investors may choose to receive either a membership advice or a unit certificate by ticking at the appropriate place in the application form. Generally investors who may wish to transact in the stock exchange on listing the scheme may opt for unit certificate. However, if no preference is indicated in the application form the investor will be sent a membership advice.

The non resident Indian may choose any one of the following modes of despatch of Membership Advice/Unit Certificate :

(a) At the applicant's Indian/Foreign address
OR

(b) At the applicant's relative's address in India.

XIII. Manner of preparation of Membership Advice and Unit Certificate :

The Membership Advice and Unit Certificate shall be in such form as may be decided by the Executive Director of the Trust.

The Unit Certificate may be engraved or lithographed or printed as the Board may from time to time determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Unit Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No Unit Certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign unit certificates on behalf of the Unit Trust.

Provided that should the Unit Certificate so prepared contain the signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate, the Unit Trust may be a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.

XIV. Exchange of Membership Advice/Unit Certificate and procedure when Membership Advice/Unit Certificate is mutilated, defaced, lost etc. :

Membership Advice

For the purpose aforesaid the member under the Scheme and the Plan made thereunder shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

Unit Certificate

(1) In case any Unit Certificate shall be mutilated or worn out or defaced, the Unit Trust at its discretion, may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same aggregate number of units as the mutilated or defaced Unit Certificate. In case any Unit Certificate should be lost, stolen or destroyed, the Unit Trust may, at its discretion, issue to the person entitled a new Unit Certificate in lieu thereof.

No such new Unit Certificate shall be issued unless the applicant shall previously have :

(i) furnished to the Unit Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement, loss, theft or destruction of original Unit Certificate.

(ii) paid all expenses in connection with the investigation of the facts;

(iii) (in case of mutilation or wearing out or defacement) produced and surrendered to the Unit Trust the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate, and

(iv) furnished to the Unit Trust such indemnity as it may require.

The Trust shall not incur any liability for issuing such Certificate in good faith under the provisions of this clause.

(2) Before issuing any Unit Certificate under the provisions of this clause, the Unit Trust may require the application for the Unit Certificate to pay a fee of Rupee Five per Unit Certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover stamp duty, if any, or other charges that may be payable in connection with the issue and despatch of such certificate.

Notwithstanding the above, the member under the scheme shall follow such rules/guidelines/procedures and execute such documents as would be formulated/required by the Trust from time to time.

XV. Register of members :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of members—

(1) A register of the members shall be kept by the Trust and there shall be entered in the register inter alia :

(a) the names and addresses of the members;

(b) the number of the Membership Advice/Unit Certificate and the number of units held by every such person; and

(c) the date on which such person became the holder of the unit standing in his name.

(2) Any change of name or address on the part of any member shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly. Any change pursuant to the death of an applicant who had applied for units for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person shall be entered in the register accordingly.

(3) Except when the registers are closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Trust may impose but so that not less th two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any member without charge and in connection with his own investment.

(4) The register will be closed at such times and for such period, as the Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 45 days in any one year. The Trust shall give notice of such closure by advertisement in newspapers or other media.

(5) No Notice of any trust express, implied or constructive shall be entered on the register in respect of any unit.

XVI. Application by and registration of eligible institutions, minors, an applicant for the benefit of a mentally handicapped person etc. :

(1) Eligible institutions, body corporate, and societies (including co-operative societies) may be registered as members.

(2) An adult, being a parent, step-parent or other lawful guardian of a minor may hold units and deal with them in accordance with and to the extent provided, in sub-section (2A) of Section 21 of the Act. Such adult if so required shall furnish to the Trust, in such manner as may be specified proof of the age of the minor and the capacity to hold and deal with units on behalf of the minor. The Trust shall be entitled to act on the statements made by such adult in the application form without any further proof.

(3) Where an application is made by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the Trust shall act on the statements furnished and in doing so the Trust shall be deemed to be acting in good faith. The Trust shall be entitled to deal only with the applicant and in the event of his death, the alternate applicant for all practical purposes and any payment in respect of the units by the Trust to the said applicant or the alternate applicant shall be a good discharge to the Trust.

(4) Eligible institutions, bodies corporate or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Memorandum and articles of association, Bye-laws etc. An authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.

(5) A firm shall be registered as a member and the membership advice/unit certificate shall be made in the name of the firm.

XVII. Receipt by member to discharge Trust :

The receipt of the member for any moneys paid to him in respect of the units represented by the Scheme and the Plan made thereunder shall be a good discharge to the Trust.

XVIII. Nomination by members :

(1) Nomination facility is available only for individuals applying on their own behalf i.e. singly or jointly upto two. Applicants can nominate one person. Minors and Non-Resident Indians can also be nominated. Non-Resident Indians can be nominated as per the guidelines issued by the RBI from time to time. Applicant can change the nomination at any time during the currency of the plan.

(2) Members being either parent or lawful guardian on behalf of a minor and an eligible institution, societies, bodies corporate, HUF, partnership firms and an applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person shall have no right to make any nomination.

Other provisions will be to the extent provided in the regulations.

XIX. Death of a member :

(1) In case of death of either of the joint members of units, the survivor(s) shall be the only person recognised by the Trust as having title to or interest in the units represented by the scheme and plan made thereunder.

Provided that nothing herein contained shall affect any right which any other person may have as against such survior in respect of the said units.

(2) In the event of death of a single member, the nominee shall be the person recognised by the Trust as the person entitled to the amount payable by the Trust in respect of units.

(3) In the absence of a valid nomination by an single member, the executor or administrators of the deceased member or a holder of succession certificate issued under part 7 of the Indian succession Act, 1925 (39 of 1925) shall be the only persons who may be recognised by the Trust as having any title to the units.

(4) Any person becoming entitled to the units consequent upon the death of a member(s) may, upon producing such evidence as to his title as the Trust shall consider sufficient be paid the repurchase value of all units to the credit of the deceased after all the formalities in connection with the claim have been complied with by the claimant.

(5) In the event the nominee/legal heir is a person eligible to hold units then at the desire of the said nominee/legal heir, the nominee/legal heir may instead of receiving the repurchase value of all units of the credit of the deceased shall be permitted to hold the units as member and continue to remain registered as a member and shall be issued a Membership Advice/Unit Certificate in his name indicating units so desired to be held subject to the conditions regarding minimum holdings.

(6) In the event of the death of the applicant who has applied for units for the benefit of a mentally handicapped person, the Trust shall deal with the alternate applicant as if he were the applicant. Further, in the event of the death of the applicant or the alternate applicant, as the case may be, the existing applicant shall appoint another individual as his alternate applicant.

(7) In the event of death of a single member during the lock-in-period the Trust shall settle the claim after compliance with necessary formalities and pay the legal heir/nominee the repurchase value as detailed in the relevant clause(s) or arrived at by any other method as may be decided by the Trust.

(8) In case of death of non-resident member(s) the repurchase proceeds of the units can be remitted to the non-resident nominee or legal heir(s) provided :

(a) units were bought out of funds remitted from outside India, from funds held in non-resident (E) account in India or from proceeds of FCNR deposits and

(b) the nominee continues to be residing outside India/the legal heir(s) reside outside India.

Where units have been purchased from funds held in NRO accounts the repurchase proceeds in case of non-resident nominee or legal heir(s) will not qualify for repatriation out of India.

Cases of claims where nominee was resident at the time of nomination but subsequently became non-resident have to be referred to RBI for mode of remittance of the proceeds.

XX. Income Distribution and cumulation of income :

The member shall have the right to exercise an option to participate in :

(1) Monthly Income Option

(2) Annual Income Option OR

(3) Cumulative Option.

This shall be done at the time of investiment in the scheme and the option once exersised will be final. In the absence of any specific option being exercised by the applicant it shall be treated as Monthly Income Option.

The returns assured under the plant and the protection of capital invested on maturity is guaranteed by the Development Reserve Fund of the Trust.

The provisions of the scheme and the plan made thereunder will be applied to all the three options and where the provisions vary the relative details are given accordingly.

(1) Monthly Income Option

(1). Under this option the Trust shall pay assured income @ 11.75% p.a. for all the five years of the plan by means of post dated monthly warrants.

Based on the investment objectives and policies of the Plan as also prevailing and likely yields from the instruments in which funds of the scheme will be invested, the scheme would be able to generate sufficient returns to pay minimum targeted income @ 11.75 p.a. payable monthly under the plan.

(2) The income distribution for each month shall be made payable at the beginning of the following month and will be paid by the Trust under such prepayment arrangements by means of Income Distribution Warrants or any instrument encashable at par at the branches of such bank as the Trust may specify.

Such of those units which have been sold under an application accepted by the Trust on or before the 15th day of a month shall be eligible for income distribution for the whole month and the units sold after the 15th day of the month shall be eligible for income distribution for that half month.

The entitlement of income will be as follows :

17-11-1997 to 30-11-1997 Half month's income

01-12-1997 to 15-12-1997 Full month's income

16-12-1997 to 31-12-1997 Half month's income

(3) Depending upon the date of investment one Income Distribution Warrant for the period upto 31st March, 1998 (dated 1st February'98) will be sent alongwith the Membership advice/unit certificate.

The Income Distribution Warrants for the subsequent years will be issued in the month of March/April every year depending upon changes in tax laws and sent in advance. The despatch of warrants for the subsequent years will be as per the following schedule :

Period	Despatch of warrants by
01-04-1998 to 31-03-1999	March-April 1998
01-04-1999 to 31-03-2000	March-April 1999
01-04-2000 to 31-03-20001	March-April 2000
1-04-2001 to 31-03-2002	March-April 2001
01-04-2002 to 31-12-2002	March-April 2002

The Income Distribution Warrant for the month of March will be dated 31st March every year.

(4) Subject to the provisions of sub-clause (3), the warrants for payment of income distribution on a monthly basis will be sent to the member in advance.

The warrants will be so dated that the member shall encash each one of the warrants on becoming mature for payment. Every warrant shall have validity for three months. The Trust shall not be bound to pay interest in the event of any of the warrants not reaching the members before the expiry of the validity period or in the event of their becoming stale.

(5) In the event of a repurchase, the member upon non-surrender of unencashed warrants shall be entitled to encash these warrants which are due for the subsequent months and remaining in the custody of the members on the dates of maturity of warrants and the amount represented by such Income Distribution Warrants shall be deducted from the repurchase proceeds.

(6) In the event of the death of the member if the nominee/legal heir is eligible to hold units and desires to continue to hold the units, then the nominee/legal heir shall be bound to return all the unencashed warrants for the future months for necessary recertification.

However, such a nominee/legal heir desiring to continue to hold the units shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to recify the warrants already issued in favour of the deceased member to those in favour of the newly admitted member.

(7) In the event of death of an applicant where the application is mode by an individual for the benefit of another individual who is a mentally handicapped person, the alternate applicant shall be bound to return all the unencashed Income Distribution Warrants for future months for necessary rectification. However, such alternate applicant shall not be entitled to any interest or any compensation during the period it takes the Trust to rectify the warrants already issued in favour of the deceased applicant to those in favour of the newly admitted applicant.

(2) Annual Income Option

1. Under this option, the Trust shall pay assured income @ 12.40% p.a. payable annually for all the five years.

2. The first income distribution warrant for the period January, 1998 to December, 1998 (dated 1st January 1999) will be sent in the month of December 1998. Subsequently, income distribution warrants shall be sent for the period January—December every year as per the schedule given below. However, depending upon the date of investment, the investor will be compensated @ 11.75% p.a. for the period upto 31st December, 1997 to the extent applicable to members under the monthly income option by means of cheque which will be sent alongwith the Membership advice/Unit Certificate.

Period, Despatch of warrants by

01-01-1999 to 31-12-1999—December 1999.

01-01-2000 to 31-12-2000—December 2000.

01-01-2001 to 31-12-2001—December 2001.

01-01-2002 to 31-12-2002—December 2002.

(3) Cumulative Option

No. income will be distributed under this option. Income will be cumulated at the rate of 12.40% p.o. such that Rs. 10,000/- invested under the option will become atleast Rs. 17,940/- at the time of redemption after five years. However, depending upon the date of investment, the investor will be compensated @ 11.75% p.a. upto 31st December, 1997 to the extent applicable to members under the monthly income option by means of cheque which will be sent alongwith the unit certificate/ membership advice.

Justification of the return of 11.75% p.a. under the plan

Assume the scheme collects Rs. 100 crores. The initial expences are 2%, and are written off over a period of 3 years (this is because repurchase opens after 3 years). The investible funds available in the first year would be Rs. 98 crores.

The fund will nivest 75% in debt instruments, 5% in MMI and 20% in equity. The scheme will invest in debentures/ bonds with risk profile low to medimum. The YTM on these instruments are in the range of 12.90% to 16.40%. This means weighted average yield on debt instruments would 13.92%.

The annualised return on equity by way of dividend yield appreciation/depreciation and profit booked would be around 15%.

The annualised yield on MMI would be around 6%.

Instruments	%of Portfolio	Investible Funds	Yield %
Debentures	75	73.50	13.92
Equity	20	19.40	15.00
MMI	5	4.90	6.00

Weighted Avg. Yield on Portfolio=

$$\frac{73.50*13.92+19.60*15+4.9*5}{100.00}=13.46\ \%$$

Taking annual expenses and provisions as 1%, the income available for distribution would be 12.46%. This would be sufficient to pay income @ 11.75% p.a. payable monthly, annualised yield of 12.40%.

The above is illustrative and based on market conditions at the time of launch of the plan.

Bank particulars of investors:

Electronic Clearing Service:

Reserve Bank of India has introduced the concept of Electro in Clearing Services (ECS) through the clearing house to obviate the need for issuing and handling paper instruments and thereby facilitate improved customer service. This is being introduced by the Trust mainly to help the small investors of Calcutta/Chennai/Mumbai/New Delhi, whose income is less than Rs. 50,000/- vide one single instruments.

As per guidelines issued by RBI in this regard, the investor is required to give his mandate for ECS as per the format given in the application form with all the details completed therein. This will help the Trust to credit the income amount to investor's account with the concerned bank at the earliest and eliminate the work of printing and despatch of income warrants and serve him better. The bank branch will credit the member's account and indicate the credit entry with "ECS" in the passbook/statement of account. The applicant who desires to avail of this facility may fill up the particulars of name and address of his bank, nature and number of account, 9 digit Bank and branch code no. etc. in the application form.

It is however not compulsory to avail of this facility.

In case the response to this facility is not sufficient enough to handle or for any other reason, instead of paying income under "ECS", the Trust may pay the income by issue of income warrant as mentioned above.

As a matter of precaution against possible fraudulent encashment of Income Distribution Warrants due to loss/ misplacement, applicants who do not avail of the above facility as also those residing outside the cities viz. Calcutta, Chennai, Mumbai & New Delhi are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature of account and account number, name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgment receipt portion for record, Income distribution Warrants will then be made out in favour of the bank for crediting their account so specified and sent to them. Members may deposit the Income Distribution Warrants in the said bank for credit of their account. In case the complete bank particulars are not given, Income Distribution Warrants will be issued in the name of the member.

Income Distribution to Non-Resident Indian investor.

Income under the Plan shall be paid as per the Exchange Control Regulations. The present position regarding payment of income is as follows:

(i) The warrant can be issued in the name of the member and sent to a relative who is resident in India for crediting the NRE/NRO account of the member.

OR

(ii) The warrant can be issued in the name of a relative who is resident in India and sent to him for crediting his account.

DETAILS OF THE MONTHLY INCOME SCHEME 1997 (V) [MIS'97 (V)] CONTINUED.

III. Valuation of assets pertaining to this Scheme:

(1) Quoted investments including those under lock-in-period are valued at the closing market rates on the valuation date or the latest available quote within a period of sixty days prior to the valuation date. If no quotes are available for a period of sixty days prior to the valuation date, the same is treated as unquoted investment.

(2) In case of quoted debentures and bonds, the market rate, being cum-interest, the same adjusted for the interest element, if any.

(3) Unquoted/non-traded equity shares are valued at and average of capitalisation of earning and the book-value (break-up) minus 10%.

(4) Unquoted debentures, bonds and transferable notes are valued at yield to maturity, based on the rating of the instruments as determined by the Board of Trustees of the Trust.

(5) Unquoted warrants are valued at the market rate of the underlying shares discounted for dividend element, if any, and reduced by the exercise price payable. In cases where the exercise price payable is higher than the value so derived, the value of warrants is taken as nil.

(6) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the convertible portion is valued at the market rate relevant to equity shares, discount for dividend element, if any. The non-convertible portion if any, of such debentures and bonded are valued at yield to maturity, as determined by the Board of Trustees of the Trust. Where terms of conversion are not specified in respect of the convertible portion, the same is valued at cost.

(7) Money Market instruments may be valued on the basis of quotations obtained from more than one dealer or broker.

(8) Government Securities are valued at yield to maturity (YTM) based on the prevailing market rates.

(9) The aggregate value of investments as computed in accordance with (1) to (8) above is compared to the aggregate cost of such investments and the resultant depreciation, if any, is charged to revenue account.

IV. Computation and disclosure of Net Asset value (NAV):

The Net Asset Value of the units issued under the scheme shall be calculated by determining the value of the scheme's assets and subtracting the liabilities of the scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the scheme by the totol number of units issued and outstanding on that date. The NAV of the Scheme shall be determined separately for the Monthly income Option, Annual Income Option and for the Cumulative Option The NAVSL (on historic basis) shall be issued to the press for publication within six months from the closure of subscription and on a monthly basis therefater.

V(a). Investment Objective :

Investment objectives of the Scheme is to primarily provide regular monthly income to the subscriber and also to endeavour providing capital appreciation to the subscriber on maturity of the Scheme.

Funds collected under the scheme shall after providing for all initial preoperative and operational expenses generally be invested as follows :

(i) Not less than 75% of the funds will be invested in debt instruments. The risk profile of investment will be low to medium.

(ii) Not more than 20% of the funds will be invested in equities and equity related instruments. The risk profile of equity investments could be high.

(iii) Not more than 10% of the funds will be invested in money market instruments. The risk profile of investment will be low to medium.

Notwithstanding the aforesaid, the proportion of investment could be varied at the discretion of the fund manager depending on the market conditions and the investment avenues available.

Pending deployment of funds of the scheme in securities in terms of the investment objective stated above the Trust may invest the funds of the scheme in short term deposits of scheduled commercial banks.

(b) Investment Policies

(i) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grade by a credit rating agency which may be recognised from time to time : Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(ii) No term loans will be advanced by this scheme.

(iii) Tranfer of investments from this scheme to another Scheme/Plan of the Trust shall be done only if—

(a) such transfer are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the Plan to another Scheme/Plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(iv) The scheme may invest in another Scheme/Plan of the Trust or any other mutual fund without charging any fees, provided that aggregate inter-scheme investment made by all schemes of the Trust or in schemes under the management of any other asset management company shall not exceed 5% of the net asset value of the Trust.

(v) The Trust shall buy and sell securities on the basis of deliveries and shall in all cases of purchases, take delivery of relative securities and in all cases of sale, deliver the securities and shall in no case put itself in a position whereby it has to make short sale or carry forward transaction or engage in badla finance

(vi) The Trust shall, get the securities purchased or transferred in the name of the Trust.

(vii) The scheme shall not borrow except to meet temporary liquidity needs of the scheme for the purpose of repurchase, redemption of units or payment of interest of income to the members.

Provided that the scheme shall not borrow more than 20% of the net asset of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed a period of six months.

The services of UTI Securities Exchange Limited (UTI SEL) a stock-broking firm and subsidiary of UTI may be utilised for securities transactions of the plan as per the policies and subject to the limits laid down by the Board of Trustees of the Trust. UTI SEL was set up in 1994. It is a high technology company offering fair transparent and efficient services to suit investors requirements Its registered office is at Mumbai.

(c) However, notwithstanding anything contained in respect of clauses III, IV and V (b) above, the valuation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.

VI. Trust not to be admitted and recognised for the purpose of the Scheme and the Plan made thereunder.

(1) The person who is registered as the member and in whose name a Membersip Advise/Unit Certificate has been issued shall be the only person to be recognised by the Trust as the member and as having any right, title or interest in or to such units; and the Trust may recognise such member

as absolute owner ther of and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust save as herein expressly provided or as by some court of comp tent jurisdiction ordered. to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any units represented in the scheme.

(2) When an application is made by an individual for the benefit of another individual who is mentally handicapped and accepted by the Trust, the Trust shall not be deemed to be taking notice of any trust. The Trust shall deal, for all purposes, under the Scheme and the Plan made thereunder with the applicant or the person mentioned as alternate applicant in the application form in the event of the applicant's death.

VII. Transfer/Pledge/Assignment of Units :

Units issued under the Scheme are Transferable/Pledgeable/Assignable subject to the following terms :

(a) The unit certificate (and not membership advice) issued in accordance with the provisions of the scheme is negotiable and can be transferred to the individuals, expressed and such other categories as are mentioned in Clause III of the provisions of the plan.

(b) Transfers may be effected only by and between transferors and transferees who are capable of holding units. The Trust shall not be bound to recognise any other transfer.

(c) Transfer instruments with the relative unit certificate and unencashed warrants subsequent to and inclusive of the month of transfer (in case of monthly income option) and accompanied by such fee as may be prescribed from time to time by the Trust shall be lodged with any of the offices of the Registrars appointed for the purpose.

(d) Any transfer deed lodged with or accepted by any of the offices of the Trust shall be forwarded to the nearest office of the Registrars.

(e) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to hold units until the name of the transferee is entered in the register of members by the Registrars.

(f) The Registrars may require such evidence as they may consider necessary in support of the title of transferor or his right to transfer units.

(g) The Registrars may subject to compliance with such requirements as they deem necessary dispense with the production of the original unit certificate, should it be lost, stolen or destroyed.

(h) Upon registration of a transfer of units all instruments of transfer and the unit certificate may be retained by the Registrars.

(i) The Registrars recognised and registering a transfer may issue the original or fresh unit certificate and income distribution warrants, if any, (in case of monthly income option) to the transferee upon payment and realisation of such charges as are payable in connection with the transfer and issue a certificate and warrants.

(j) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity, by operation of law or a scheduled bank upon enforcement of a pledge then the Registrars shall subject to the production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(k) Subject to the provisions contained hereinabove the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificate alongwith income warrants, if any, to the transferee within 30 days from the date of lodgement of Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.

VIII. Development Reserve Fund (DRF) contribution

0.25% of the monthly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards the DRF of the Trust every year.

DRF contribution will be part of recurring expenses.

The Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new Schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional & developmental work not related to or linked with any particular Scheme itself. Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing & Corporate image building efforts that are not connected to any specific Scheme, Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities and for meeting the shortfall, if any, in the assured rate of return of any of the schemes of the Trust.

IX. Staff Welfare Trust Contribution

0.10% of monthly average Net Asset Value shall be set aside every year as contribution to the Staff Welfare Trust. The Trust has instituted the Staff Welfare Trust for the welfare of its employees which shall include relief in distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

X. Publication of Accounts :

The Trust shall as soon as may be but not later than six months from the 30th June of each year publish through an advertisement, accounts in the manner specified by the SEBI showing the working of the Scheme and the Plan made thereunder during the period ending as of that date. The Trust shall before the expiry of two months from the close of the half year i.e. on 31st December publish its unaudited financial results. The Trust shall furnish to SEBI copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and Revenue accounts as also unaudited half yearly accounts and the quarterly statement of movements in NAV and a quarterly portfolio statement including changes from the previous periods. The Trust shall make such disclosures to the investors as are essential to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments. The Trust shall, on request in writing received from a member furnish him a copy of the accounts and statements so published.

XI. Additions and Amendments to the Scheme and the Plan made thereunder.

The Board may from time to time add to or otherwise amend this Scheme and the Plan made thereunder and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

When any change in the fundamental attributes of the scheme or the trust or fees and expenses payable or any other change which would modify the scheme or affect the interest of the members is proposed to be carried out the consent of not less than three-fourths of the members shall be obtained :

Provided that no such change shall be carried out unless three fourths of the members have given their consent and who do not give their consent are allowed to redeem their holdings in the scheme.

Explanation : For the purposes of this clause "fundamental attributes means the investment objective and terms of the scheme.

XII Termination of the Scheme and Plan made thereunder:

(a) The scheme shall stand finally terminated on 31-12-2002 the outstanding units of the members shall be repurchased and the members shall be paid

the value of their units at the repurchase price fixed for the final repurchase during the above period. Besides receiving the repurchase price determined, no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of income for any subsequent period shall accrue. However, the Trust reserves with the prior approval of SEBI the right to extend the scheme beyond 5 years. In such an event the member shall be given an option to either sell back the units to the Trust or to continue in the scheme. The Trust could also give the investor the option to convert the repurchase proceeds into any other scheme launched or in operation at that time.

(b) The Trust may wind up the Scheme and the Plan made thereunder under the following circumstances;

(i) on the expiry of five years of the scheme i.e. on 31st December, 2002 or on the expiry of such date beyond five years as may be decided by the Trust.

(ii) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the Scheme and the Plan made thereunder to be wound up, or

(iii) if 75% of the Members pass a resolution that the scheme be wound up; or

(iv) if the SEBI so directs in the interest of the Members.

(c) Where the scheme is wound up in pursuance of sub clause (b) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the Scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Mumbai at least before a week the termination is effected.

(d) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall—

(i) cease to carry on any business activities in respect of the scheme.

(ii) cease to create and cancel units in the scheme.

(iii) cease to issue and redeem units in the scheme.

(e) The Board of Trustees shall call a meeting of the members to consider and pass necessary resolution by simple majority of the members present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the scheme.

Provided that a meeting shall not be necessary if the scheme is wound up at the end of the maturity period of the scheme.

(f) (i) The Board of Trustees or the person authorised under sub clause (e) shall dispose of the assets of the scheme in the best interest of the members of the scheme.

(ii) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (f) (i) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the members in proportion to their respective interest in the assets of the scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(g) On completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the members a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the members and a certificate from the auditors of the scheme.

(h) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue.

(i) After the receipt of the report referred to in clause XII (g) of the scheme, if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the scheme have been completed, the scheme shall cease to exist.

(j) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Membership Advice along with the request letter for repurchase/Unit Certificate duly discharged has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Membership Advice/Unit Certificate, the request letter for repurchase and other forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

(k) In case of non-resident investors, repurchase/maturity proceeds will be remitted depending upon the source of investment as given below:

(i) When units have been purchased from remittance in foreign exchange from abroad or from the proceeds of the member's FCNR deposits or from funds held in member's Non-Resident (External) Account kept in India, the proceeds can be remitted to the member in foreign currency.

(ii) When units have been purchased from funds held in member's Non-Resident (Ordinary) Account, the maturity cheque will be despatched to the relative of the investor in India to be credited to the member's NRO account.

XIII. Power to construe provisions:

If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and the Plan made thereunder and such decision shall be conclusive, binding and final. The provisions of the scheme formulated hereunder and the provisions of the plan as stated in the scheme shall be read in conjunction to each other.

XIV. Relaxation of provisions:

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Scheme and the Plan made thereunder, relax any of the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder in case of any member or class of members upon such terms as may be deemed expedient under intimation to SEBI.

Any changes in the provisions of the offer document shall be with prior approval of SEBI and in accordance with the terms of the regulations.

XV. Scheme and Plan made thereunder to be binding on members:

The terms of the Scheme and the Plan made thereunder including any amendments, changes thereto from time to time shall be binding on each member and every other person claiming through him as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contrary contained in the provisions of the Scheme and the Plan made thereunder.

XVI. Benefits to the members:

All benefits accruing under the Scheme and the Plan made thereunder in respect of capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the Scheme and the Plan made thereunder shall be available only to the members who hold the units for the full term of the Scheme and the Plan made thereunder till its closure.

Approval of members of the plan shall be sought in the following circumstances:

(i) whenever required to do so by SEBI in the interest of the members; or

(ii) whenever required to do so on the requisition made by three-fourths of the members of the plan;

(iii) when the majority of the trustees decide to wind up or prematurely redeem the units; or

(iv) when any change in the fundamental attributes detailed in clause XI of the scheme or fees and expenses payable or any other change which would modify the plan or affect the interest of the members is proposed to be carried out unless the consent of not less than three fourths of the members is obtained.

TAX GUIDE

Tax Concessions

Taxation of income and capital appreciation under the plan will be subject to prevalent tax laws. As per the present taxation laws income from units to all residents and non-residents (if units are bought through payment from non-resident ordinary account, income of individuals and HUF by way of income under all schemes of the Trust including "MIP '97(V)" will enjoy deduction from income upto an overall limit of Rs. 15,000/- under section 80L of Income Tax Act, 1961.

Any long term capital gains arising out of the plan will be subject to treatment indicated under sections 48 and 112 of the Income Tax Act, 1961.

Value of investment in units under the plan is exempted from wealth tax.

Capital Gains Tax Exemption under Section 54EA

Investment of entire or part of net consideration arising out of transfer of long term capital assets in MIP-97(V) will be eligible for capial gains tax exemption under Section 54EA of the Income Tax Act, 1961 subject to availability of repurchase/transfer/pledge only after three years from the date of acceptance of the application.

For Eligible Trusts

Units are approved securities under section 11 (2) (b) of the Income Tax Act 1961, Eligible Trusts investing in units will, therefore qualify for tax exemption in respect of income and corpus under section 11 and 13 of the Income Tax Act, 1961.

Deduction of Tax at source

Residents

As per the present taxation laws the Trust is required under section 194K to deduct income tax at source @ 15% from the income payable to individual members/HUFs/Partnership firms and other investors not being companies under the plan if such income exceeds Rs. 10,000/- p.a. under all the three options.

Similarly, tax will be deducted at source @20% from income payable to companies if such income exceeds Rs. 10,000/- during the financial year.

Non-Residents

Section 196A of the Income Tax Act, 1961 has been substituted to provide for deduction of tax at source at the rate of 20% on income received by NRIs in respect of units of any Schemes of UTI acquired by them through payment from Non-Resident (Ordinary) Account.

As per circular No. 734 F no. 500/4/96-FTD, dated 24th January, 1996 issued by the Govt. of India, Ministry of Finance, Dept. of Revenue in order to avoid double taxation for Non-Resident members residing in UAE the tax will be deducted at source at a concessional rate of 15% where source of fund is NRO account.

No deduction of tax

Residents

Member (not being a company or a firm), desiring receipt of income without deduction of tax at source should furnish to the Trust a declaration in writing, in duplicate, in the prescribed form No. 15H and verified in the prescribed manner to the effect that the tax on his/its estimated total income of the assessment year will be nil, in accordance with the income tax rules. The prescribed form No. 15H for non deduction of tax at source should be submitted alongwith the application and for subsequent years atleast three months before the despatch of income distribution warrants, failing which tax will be deducted at source as per the prevalent tax laws.

No deduction of tax will be made for Trusts which are covered under Sections 11 or 12 or 10(22) or 10(22A) or 10(23) or 10 (23AA) or 10(23C) of the Income Tax Act, 1961 on the basis of a declaration in the format provided in the application form.

Non-Residents

In case of Non-Residents, if units are bought directly through remittance in foreign exchange or through payment from Non-Resident (External) account kept in India or from proceeds of FCNR deposits, income from such units is totally exempt from Income tax.

In the above case UTI shall not deduct income tax at source irrespective of the amount of income.

Disclosures regarding income tax/wealth tax/gift tax/capital gains tax, investments by NRIs/OCBs/FIIs are in conformity with the prevalent Income Tax Act, FERA and RBI's directions and permissions.

Rights of Membrs

1. Members under the Plan have a proportionate right in the beneficial ownership of the assets of and to the income declared by the Plan.

2. The Members have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the Members.

3. The Members have the right to inspect all documents listed under the heading "Documents available for inspection"

Custodians

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Mumbai-400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on January 17, 1994.

The custodians are required to take delivery of all securities belonging to Schemes/Funds/Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration. The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust.

Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification, and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/Funds/Plans of the Trust.

Auditors

M/s S. K. Kapoor & Co., 16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur 208 001 and M/s. Chaturvedi & Company, Chartered Accountants, 60, Bentik Street, Calcutta 700 069. The auditors of the Scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

Investor Complaints

Complaints rceived, redressed and pending for the period 01-10-96 to 30-09-97 are given below.

Scheme Name	No. of Complaints			Pending to Total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
1	2	3	4	5
CCCF	945	880	65	6.88%
CGGF	8854	8454	400	4.52%
CGS-83	601	513	88	14.64%
CGUS-91	4431	4408	23	0.52%
CRTS	334	334	10	2.91%
DIP-91	3433	3379	54	1.57%
DIUP-93	620	609	11	1.77%
DIUP-95	1847	1817	30	1.62%
DIUS-90	1947	1917	30	1.54%
DIUS-91	3109	3061	48	1.54%
DIUS-92	2556	2510	46	1.80%
E.O.F.	1209	1201	8	0.66%
GCGI	35305	33992	1313	3.72%
GMIS-91	18463	18149	314	1.70%
GMIS-92	10944	9594	1350	12.34%
GMIS92 (II)	1058	897	161	15.22%
GMIS-B-92	893	869	24	2.69%
GMIS-B-92(II)	2384	2333	51	2.14%
GRANDMASTER-93	1858	1846	12	0.65%
GRIHALAXMI UNIT PLAN	1255	1182	73	5.82%
HOUSING UNIT SCHEME	300	275	25	8.33%
IISFUS	3	3	0	0.00%
MASTERGAIN-92	169535	166983	2552	1.51%
MASTERGROWTH-93	8988	8940	48	0.53%
MASTERPLUS-91	14010	13245	765	5.46%
MASTERSHARE-86	22133	19783	2350	10.62%
MEP-91	4551	4360	191	4.20%
MEP-92	22187	21291	896	4.04%
MEP-93	67170	66454	716	1.07%
MEP-94	46830	45510	1320	2.82%
MEP-95	8988	8970	18	0.20%
MEP-96	3622	3598	24	0.66%
MEP-97	749	707	42	5.61%
MIP-93	2403	2398	5	0.21%
MIP-94 (i)	3036	2977	59	1.94%
MIP-94 (ii)	2969	2905	64	2.16%
MIP-94 (iii)	7843	7796	47	0.60%
MIP-95	7642	7544	98	1.28%
MIP-95 (ii)	7958	7863	95	1.19%
MIP-95 (iii)	6921	6803	118	1.70%

Scheme Name	No of complaints			Pending to total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
1	2	3	4	5
MIP-96	6075	5957	118	1.94%
MIP-96 (ii)	5462	5352	110	2.01%
MIP-96 (iii)	6662	6518	144	2.16%
MIP-96 (IV)	13430	12665	765	5.70%
MIP-97	6019	4999	1020	16.95%
MIP-97 (ii)	3693	3139	554	15.00%
MIP-97 (iii)	590	463	127	21.53%
MIS-B-93	4714	4656	58	1.23%
MISG-90(i)	4463	3176	1287	28.84%
MISG-90 (ii)	2131	2035	96	4.50%
MISG-91	2366	2337	29	1.23%
OMNI-PLAN	68	60	8	11.76%
PRIMARY-EQUITY FUND	451	364	87	19.29%
RAJLAKSHMI UNIT PLAN	3589	3447	142	3.96%
RETIREMENT BENEFIT PLAN	1821	1640	181	9.94%
SENIOR CITIZEN UNIT PLAN	721	599	122	16.92%
UGS-2000	8176	7631	545	6.67%
UGS-5000	5370	5131	239	4.45%
ULIP	8883	7756	1127	12.69%
US-64	133079	127182	5897	4.43%
US-92	8041	7791	250	3.11%
US-95	2	2	0	0.00%
TOTAL :	735700	709250	26450	3.60%

Reasons for pending complaints are :

(1) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.

(2) Incomplete details of the investor in the application including address, name and signature of the investor.

(3) Change of address of investor not informed/not updated.

(4) *Loss in transit.*

(5) Postal delay.

(6) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(7) Incomplete details while forwarding the complaints.

(8) Non-receipt/Delayed receipt of commission.

(9) Letters/Documents sent to the wrong office/Registrars.

All investors could refer their grievances giving full particulars of investment to concerned Investors' Relation Cell at the following addresses :

WESTERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Commerce Centre I, 28th Floor,
World Trade Centre, G. D. Somani Marg,
Cuffe Parade, Mumbai-400 005
Tel : 2180172/2181600

EASTERN ZONE

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
2, Fairlie Place, 2nd Floor,
Calcutta-700 001
Tel : 2434581

SOUTHERN ZONE

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
UTI-House, 29, Rajaji Salai,
Chennai-600 001
Tel . 517101 Ext. 360/364

NORTHERN ZONE

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Herald House,
2nd Floor,
5A, Bahdurshah Zafar Marg,
New Delhi-110 002
Tel · 332 9860.

Registrars

UTI Investors' Services Limited have been appointed work as Registrars : ·

It has been ascertained that the Registrars have adequ[illegible] capacity to discharge its responsibilities with regard to p[illegible] cessing of applications, transfer forms and repurch[illegible] requests, despatch of Membership Advice/Unit Certifica[illegible] and income warrants within the prescribed time frame also handle investor complaints.

Processing of applications and after sales services will be handled from the following branches of the Registrars :

West Zone : Plot No. 369, Marol Maroshi Road, Near Marol-Maroshi Bus Depot, Vijay Nagar, Andheri (E), Mumbai 400 059.

East Zone : 2, Fairlie Place, 1st Floor, P B No. 60, Calcutta 700 001.

South Zone : Justice Basheer Ahmed Syed Building, 45, Second Line Beach, Chennai 600 001.

North Zone (excluding Uttar Pradesh) : Kanchanjanga Bldg., Upper Ground Floor, 18 Bara Khamba Road, New Delhi.

Lucknow (For the state of Uttar Pradesh only) : Shop No. 8 & 9, 2nd Floor, Saran Chambers No. 5, Park Road, Lucknow 226 001.

Documents available for inspection .

The following documents will be available for inspection at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No. 1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai 400 020.

* The UTI Act
* The General Regulations
* The agreements with the custodians, registrars and collecting banks.
* Copy of Offer Document of MIP97(V).

Details of Five Previous Monthly Income Plans of UTI

Plan	MIP'96(IV)	MIP'97	MIP'97(II)	MIP'97(III)	MIP'97(IV)
Date of Commencement	01-01-1997	01-05-1997	01-07-1997	01-09-1997	01-11-1997
Date of Termination	31-12-2001	30-04-2002	30-06-2002	31-08-2002	31-10-2002
Monthly Income	15% p.a. for the first year	14% p.a. for all the five years	14% p.a for all the five years	13% p.a for all the five years	12.5% p.a. for all the five years
Cumulative Option	—	Rs. 2,000/- becomes atleast Rs. 4,012/-	Rs. 2,000/- becomes atleast Rs. 4,012/-	Rs. 5,000/- becomes atleast Rs. 9,543/-	Rs. 10,000/- becomes atleast Rs. 18,622/-
Amount Collected	Rs. 827.38 Cr.	Rs. 1142.30 Cr.	Rs. 1495.93 Cr.	Rs. 794.49 Cr.*	Rs. 843.81 Cr.*
No. of Applications	3,26,839	3,25,649	4,12,238	1,88,634*	62,624*

*As on 31-10-1997

TABLE

Sr. No.	Plans	Annual Income Paid/Payable Monthly	Capital Appreciation(%) on maturity Assured	Actual	Bonus (%) Paid/Payable
1	2	3	4	5	6
	Scheme Matured				
1.	MIS-1	12% p.a.	—	6	—
2.	MIS-2	12% p.a.	—	7	—
3.	MIS-3	12% p.a.	—	8	—
4.	MIS-4	12% p.a.	—	8	—
5.	MIS-5	12% p.a.	—	10	—
6.	MIS-6	12% p.a.	2	5.5	1.5
7.	MIS-7	12% p.a.	2	6	1.5
8.	MIS-8	12% p.a.	2	7	1.5
9.	MIS-9	12% p.a.	2	9	1.75
10.	MIS-10	12% p.a.	2	9	2.00
11.	MIS-11	12% p.a.	2	11	2.25
12.	MIS-12	12% p.a.	2	28	2.25
13.	MIS-13	12% p.a.	2	40	3.00

1	2	3	4	5	6
14.	GMIS' 92	14.5% p.a. for the first 3 years and 15% p.a. for the last 2 years	Minimum 2% on maturity in case of monthly income option cumulative option	5.6	—
15.	MISG' 90	12% p.a.	—	8	1% payable at the end of each year
16.	GMIS '92(ii)	14.5% p a. for the first 3 years and 15% p.a for the last 2 years	Minimum 2% on maturity in case of monthly income option	5	—
17.	MISG '90 (ii)	13% p.a.	—	2	2% declared at the end of 3rd year and Addl. 2% bonus declared at the end of 5th year
	Schemes in Operation				
18.	MISG' 91	13% p.a.	—	—	3% declared at the end of 3rd year, Addl. bonus dividend of 3% will be paid after 5th year
19.	GMIS '91 [Rolled over as MIP '96(IV) upto 31-12-2001]	14.5% p a. for the first 3 years & 15% p a. for the last 2 years	Minimum 2% on maturity in case of monthly income option	3.7	—
			Cumulation option	1.7	—
20.	GMISB '92	14.5% p.a. for the first 3 years & 15% p.a. for the last 2 years	Minimum 2% on maturity in case of monthly income option		2% bonus dividend declared & is payable on maturity
21.	GMISB '92(ii)	14% p.a. for the first 2 years & 14.5% p.a. for the last 3 years	Do.	—	2% declared at the end of 3rd year and will be paid on maturity
22.	MISB '93	14% p.a.	Do.	—	Nil bonus declared at the end of 3rd year
23.	MIP '93	13.5%	Do.	—	Nil Bonus declared at the end of 2nd year Bonus may be declared at the end of 4th year and shall be payable on maturity
24.	MIP '94	13% p.a. for the first 2 years i.e. upto Feb. 96 & @13.5% p.a. under the monthly income option & 14% p.a. under cumulative option for the period 1-3-96 to 28-2-98*	—	—	—

1	2	3	4	5	6
25.	MIP '94 (ii)	13% p.a. payable monthly for first 2 years & 14% p.a. payable monthly for next 2 years.*		—	—
26.	MIP '94 (iii)	12% p.a. for the first year & 13% p.a. payable for the second year 13% p.a. for the period 1-1-1997 to 31-3-1997, 13% p.a. for 1-4-1997 to 31-3-1998.*	—	—	—
27.	MIP '95	13% p.a. for the first year & 14% p.a. for the second year, 14% p.a. for 1-7-1997 to 31-3-1998*	—	—	—
28.	MIP '95 (ii)	13.5% p.a. for the first year & 14% p.a. for the second year, 14% p.a. for 1-4-1997 to 31-3-1998*	—	—	—
29.	MIP '95 (iii)	14% p.a. for the first year. 14% p.a. for the period 1-1-1997 to 31-3-1997 14% p.a. for 1-4-1997 to 31-3-1998.*	—	—	—
30.	MIP '96	14.5% p.a. for the first year, 14.5% p.a. for 1-5-1997 to 31-3-1998.*	—	—	—
31.	MIP '96 (ii)	15% p.a. for the first year, 15% p.a. for 1-7-1997 to 31-3-1998.*	—	—	—
32.	MIP '96 (iii)	15% p.a. for the first year, 15% p.a. for 1-10-1997 to 31-3-1998.*	—	—	—
33.	MIP '96 (iv)	15% p.a. for the first year 15% p.a. for the period 1-1-1998 to 31-3-1998.*	—	—	—
34.	MIP '97	14% p.a. for all the five years	—	—	—
35.	MIP '97 (ii)	14% p.a. for all the five years	—	—	—
36.	MIP '97 (iii)	13% p.a. for all the five years	—	—	—
37.	MIP '97 (iv)	12.5% p.a. for all the five years	—	—	—

*Income rate for the subsequent years will be announced at/before the end of preceding years.

HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES

HISTORICAL STATISTICS	1993-94											1994-95			
	MIS POOL	MISG 90 POOL	GMIS POOL	GMIS B 92 POOL	MIS B 93 POOL	MIP 94	MIP 94 (II)	MISG 90 POOL	GMIS Pool	GMIS B 92 POOL	MIS B 93 POOL	MIP 94	MIP 94(II)	MIP 94(III)	MIP 95
(A) Net Asset Val e, per unit	14.86	11.36	13.00	11.71	10.96	10.06	10.10	10.91	13.03	11.49	10.78	9.87	9.58	9.47	10.05
(B) Gross income per unit broken up into;															
(i) Income other than profit on sale of investment, per unit	1.99	1.44	1.53	1.63	0.90	0.55	0.05	1.40	1.72	1.64	1.34	0.96	0.67	0.17	0.06
(ii) Income from profit on inter scheme sales/transfer of investment, per unit	3.26	—	0.35	—	0.10	—	—	—	0.03	0.17	0.08	—	—	0.03	—
(iii) Income from profit on sale of investment to third party, per unit	0.17	0.02	0.04	0.07	0.05	—	—	0.04	0.05	—	—	0.04	0.01	—0.03	—
(iv) Transfer to revenue account from past year's reserve, per unit															
(C) Aggregate of expenses, write off, amortisation and charges, per unit	0.10	0.03	0.05	0.05	0.07	0.06	0.04	0.05	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.01
(D) Net Income, per unit	5.33	1.44	1.88	1.64	0.97	0.49	0.02	1.40	1.74	1.74	1.36	0.90	0.60	0.10	0.05
(E) Unrealised appreciation/depreciation in value of investments, per unit	—0.12	9.80	1.71	1.00	0.86	0.04	0.09	0.28	1.00	0.05	0.27	—0.42	—0.40	—0.44	—0.02
(F) Market price															
Highest															
Lowest															
Repurchase price															
Highest															
Lowest															
Sale price															
Highest															
Lowest															
PE Ratio															
(G) Per unit ratio of expenses to average net assets by percentage;	0.65	0.23	0.36	0.45	0.65	0.57	0.35	0.46	0.49	0.56	0.55	0.66	0.76	0.69	0.14
(H) Per unit ratio of gross income to average net asset by percentage (excluding transfer to revenue account from past year's reserve but including unrealised appreciation on investments)	36.49	19.95	28.01	23.03	17.41	-5.45	1.42	15.49	21.51	16.06	15.47	9.73	2.84	—2.87	0.42
(I) Per unit NAV	14.86	11.36	13.00	11.71	10.96	10.06	10.10	10.91	13.03	11.49	10.78	9.87	9.58	9.47	10.05

HISTORICAL DATA-MONTHLY INCOME SCHEMES

HISTORICAL STATISTICS	1995-96											
	MISG 90 POOL	GMIS POOL	GMIS B 92 POOL	MIS B 93 POOL	MIP 94	MIP 94(II)	MIP 94(III)	MIP 95	MIP 95(II)	MIP 95(III)	MIP 96	MIP 96(II)
(A) Net Asset Value, per unit	10.89	13.95	12.57	11.44	10.44	9.76	9.61	10.35	10.89	10.98	10.29	9.96
(B) Gross income per unit broken up into,												
(i) Income other than profit on sale of investment, per unit	1.40	1.74	1.65	1.45	1.60	1.15	1.20	1.38	1.19	0.83	0.27	0.05
(ii) Income from profit on inter scheme sales/transfer of investment, per unit	—	0.05	0.10	0.02	0.11	0.01	0.02	—	—	0.01	0.01	—
(iii) Income from profit on sale of investment to third party, per unit	0.06	0.51	0.12	0.03	0.08	0.06	0.03	0.02	0.11	0.02	—	—
(iv) Transfer to revenue account from past year's reserve, per unit	—	—	0.04	—	—0.01	—	—	—	—	—	—	—
(C) Aggregate of expenses, write off, amortisation and charges, per unit	0.04	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.09	0.06	0.04	0.03
(D) Net income, per unit	1.43	2.22	1.84	1.43	1.70	1.15	1.17	1.33	1.22	0.79	0.24	0.02
(E) Unrealised appreciation/depreciation in value of investments, per unit, 0.26	0.26	0.72	0.41	0.40	—0.39	—0.42	—0.49	0.06	0.55	0.82	0.43	0.07
(F) Market price :												
Highest												
Lowest												
Repurchase price												
Highest												
Lowest												
Sale price												
Highest												
Lowest												
PE Ratio												
(G) Per unit ratio of expenses to average net assets by percentage;	0.34	0.54	0.60	0.60	0.80	0.73	0.75	0.71	0.81	0.58	0.44	0.28
(H) Per unit ratio of gross income to average net asset by percentage (excluding transfer to revenue account from past year's reserve but including unrealised appreciation in on investments	15.82	22.39	19.30	17.09	17.55	12.61	13.06	14.33	16.97	15.21	6.89	1.16
(i) Per unit NAV	10.89	13.95	12.57	11.44	10.44	9.76	9.61	10.35	10.89	10.98	10.29	9.9

HISTORICAL DATA—MONTHLY INCOME SCHEMES

HISTORICAL STATISTICS	01-07-1996 TO 31-12-1996													
	MISG 90 POOL	GMIS POOL	GMIS B 92 POOL	MIS B 93 POOL	MIP 94	MIP 94 (II)	MIP 94 (III)	MIP 95	MIP 95 (II)	MIP 95 (III)	MIP 96	MIP 96 (II)	MIP 96 (III)	MIP 9 (IV)
(A) Net Asset Value, per unit	10.59	13.35	12.51	11.18	10.34	9.58	9.47	10.46	11.01	10.84	10.37	10.26	9.99	10.09
(B) Gross income per unit broken up into :														
(i) Income other than profit on sale of investment, per unit	0.69	1.67	0.84	0.62	0.47	0.41	0.41	0.72	0.74	0.72	0.66	0.51	0.31	0.10
(ii) Income from profit on inter scheme sales/transfer of investment per unit	—	0.30	0.01	—	—	—	—	—	—	0.02	0.02	—	—	—
(iii) Income from profit on sale of investment to third party, per unit	0.01	0.34	—	0.01	0.02	0.03	0.3	-0.02	0.03	0.04	-0.02	-0.02	—	—
(iv) Transfer to revenue account from past year's reserve per unit	0.04	—	0.05	—	0.10	0.17	0.13	—	—	—	—	—	—	—
(C) Aggregate of expenses, write off, amortisation and charges, per unit	0.02	0.07	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.1
(D) Net income, per unit	0.71	2.24	0.86	0.59	0.55	0.38	0.54	0.67	0.72	0.73	0.61	0.44	0.27	0.08
(E) Unrealised appreciation/depreciation in value of investments, per unit	-0.01	0.09	0.02	-0.05	-0.58	-0.70	-0.74	—	0.44	0.50	0.43	0.44	0.?7	—
(F) Market price														
Highest														
Lowest														
Repurchase price														
Highest														
Lowest														
Sale Price														
Highest														
Lowest														
PE Ratio														
(G) Per unit, ratio of expenses to average net assets by percentage	0.21	0.54	0.29	0.31	0.35	0.35	0.34	0.29	0.44	0.45	0.51	0.50	0.37	0.15
(H) Per unit ratio of gross income to average net assets by percentage (excluding transfer to revenue account from past year's reserve but including unrealised appreciation on investments)	6.78	18.24	7.63	5.69	5.84	6.39	6.04	6.81	11.18	10.56	9.54	8.70	11.52	2.06
(I) Per unit NAV	10.59	13.35	12.51	11.18	10.34	9.58	9.47	10.46	11.01	10.84	10.37	10.26	9.99	10.09

UNIT TRUST OF INDIA

CORPORATE OFFICE

13. Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai-400020

ZONAL OFFICES

Western Zone : Commerce Centre-1, 28th Flr., World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. Tel. 218 1600.

Eastern Zone : 2, Fairlie Place, 2nd Flr., Calcutta-700 001. Tel. : 220 9391. Southern Zone : UTI-House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001. Tel. : 517 101. Northern Zone : Jeevan Bharati, 13th Flr., Tower II, Connought Circus, New Delhi-110 001. Tel. : 332 9860.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE JURISDICTION

Ahemedabad : B. J. House, 2nd, 3rd & 4th Flr., Ashram Marg, Ahemedabad-380 009. Tel : 642 3043. Baroda : 'Meghdhanush', 4th & 5th Flr., Transpek Circle, Race Course Margc, Baroda-390 015. Tel : 332 481. Bhopal : 1st Flr., Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone-1, Scheme-13, Habeeb Ganj, Bhopal-462 001. Tel. : 558 308. Indore : City Centre, 2nd Flr., 570, M. G. Marg, Indore-452 001. Tel. : 22796. Mumbai : (1) Unit No. 2, Block 'B', Gulmohar Cross Marg No. 9, Andheri (W), Mumbai-400 049. Tel. : 620 1995. (2) Persepolis Bldg., 3rd Flr., Above Andhra Bank, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai-400 703. Tel. : 7-672607. (3) Lotus Court Bldg., 196, Jamshedji Tata Marg, Backbay Reclamation, Mumbai-400 020. Tel. : 285 0821. (4) Shraddha Shopping Arcade, 1st Flr., S. V. Marg, Borivili (W), Mumbai-400 092. Tel. : 802 0521. (5) Sagar Bononza, 1st Flr., Khot Lane, Ghatkopar (W), Mumbai-400 086. Tel. : 516 2256. Kolhapur : Ayodhya Towers, C. S. No. 511, KH-1/2 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Marg, Kolhapur-416 001. Tel. : 657 315. Nagpur : Shree Mohini Complex, 3rd Flr., 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg, Nagpur-440 001. Tel. : 536 893, Nasik : Sarda Sankul, 2nd Flr., M. G. Marg, Nasik-422 001. Tel. : 72166. Panji : E.D.C. House, Ground Flr., Dr. A. B. Marg, Panaji, Goa, 403 001, Tel : 222 472, Pune : Sadashiv Vilas, 3rd Flr., 1183, Fergusson College Marg, Shivaji Nagar, Pune-411 005, Tel. : 325 954, Rajkot : Lallubhai Centre, 4th Flr., Lakhaii Raj Marg. Rajkot-360 001. Tel : 35112, Surat : Saifee Bldg., Dutch Marg, Nanpura, Surat-395 001, Tel. : 434 550. Thane: UTI House, Station Marg, Thane (W)-400 601, Tel : 540 0905.

BRANCH OFFICES UNDER ESTERN ZONE JURISDICTION

Bhubaneshwar : OCHC Bldg., 1st & 2nd Flr., 24 Janpath, Khervela Nagar, Nr. Ram Mandir, Bhubaneshwar-751 001. Tel. : 410 995. Calcutta : 2, Fairlie Place, Calcutta-700 001. Tel. : 220 9391. Durgapur : 3rd Administrative Bldg., 2nd Flr., Asansol Durgapur Development Authority, City Centre, Durgapur-713 216. Tel : 546136. Guwahati : Hindustan Bldg., 1st Flr., M. L. Nehru Marg, Pan Bazar, Guwahati-781 001. Tel. : 543131. Jamshedpur : 1-A, Ram Mandir Area, Gr. & 2nd Flr., Bistupur, Jamshedpur-831 001. Tel. : 425 508. Patna : Jeevan Deep Bldg., Gr. & 5th Flr., Exhibition Marg, Patna-800 001. Tel. : 235 001. Siliguri : Jeevan Deep, Ground Flr., Gurunanak Sarani, Siliguri-734 401. Tel : 424671.

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

Bangalore : Raheja Towers, 26-27, 12th Flr., West Wing, M. G. Marg, Bangalore-560 001. Tel : 5595691. Cochin : Jeevan Prakash, 5th Flr., M. G. Marg, Ernakulam-682 011. Tel. : 362 354. Coimbatore : Cheran Towers, 3rd Flr., 6/25 Arts College Marg, Coimbatore-641 018. Tel : 214973. Hubli : Kalburgi Mansion, 4th Flr., Lamington Marg, Hubli-580 020. Tel : 363 963. Hyderabad : 1st Flr., Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad-500 001. Tel. 511 095, Chennai : UTI House, 29, Rajaji Salai, Chennai-600 001. Tel. : 517 101. Madurai : Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Thirupparakundram Marg, Madurai-625 001. Tel : 38186. Mangalore : Siddharth Bldg., 1st Flr., Bal-Matta Marg, Mangalore-575 001. Tel : 426 258. Thiruvananthapuram : Swastik Centre, 3rd Flr., M. G. Marg, Thiruvananthapuram-695 001. Tel : 331415. Trichy : 104, Salai Marg, Woraiyur, Tiruchirapalli-620 003. Tel. : 760060. Trichur : 28/700 West Pallithamam Bldg., Karunakaram Nambiar Marg, Round North, Trichur-680 020. Tel : 331259. Vijaywada : 27-37-156, Bunder Marg, Next to Hotel Manorama, Vijaywada-520 002, Tel. : 74434, Vishakhapatnam : Ratna Arcade, 3rd Flr., 47/15/6, Station Marg, Dwarkanagar, Vishakhapatnam-530 016. Tel. : 548121.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

Agra : Ground Flr., Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Marg, Agra-282 002. Tel : 54408. Allahabad : United Towers, 3rd Flr., 53, Leader Marg, Allahabad-211 003. Tel : 400521. Amritsar : Shri Dwarkadhish Complex, 2nd Flr., Queen's Marg, Amritsar-143 001. Tel : 210367. Chandigarh : Jeevan Prakash, LIC Bldg., Sector 17-B Chandigarh-160 017. Tel. : 703683. Dehradun : 2nd Flr., 59/3, Raipur Marg, Dehradun-248 001. Tel : 746720. Faridabad : B-614-617, Nehru Ground, NIT, Faridabad-121 001. Tel. : 219156. Ghazibad : 41, Navyug Market, Near Singhani Gate, Ghaziabad-201 001. Tel : 790366. Jaipur : Anand Bhavan, 3rd Flr., Sansar Chandra Marg, Jaipur302 001. Tel. : 365 212. Kanpur : 16/79-E, Civil Lines, Kanpur-208 001. Tel. : 317 278. Lucknow : Regency Plaza Building, 5 Park Marg, Lucknow-226 001. Tel. : 238591. Ludhina : Surya Kiran Phase II, 92, The Mall, Ludhina-141 001. Tel. : 441264. New Delhi : Gulab Bhavan, 2nd Flr., 6, Bahadurshah Jafar, Marg,, New Delhi-110-002. Tel. : 3318638. Shimla : Flat No. 401, 402, 403, 405 Mukesh Apts., Fingask Estate, Near Hotel Sheel Shimla-171 002. Tel. : 257803. Varanasi : 1st Flr. D-58 2A-1, Bhawani Market Rathyatra, Varanasi-221 001 Tel. : 358606.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1998
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1998